Tuesday, 23 April, 1974

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 39 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XXXIX contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : **Two Rupees**

विषय सूची/CONTENTS

अंक 42,—मंगलवार, 23 अप्रैल, 1974/3 वैशाख, 1896 (शक)

No. 42, Tuesday, April 23, 1974/Vaisakha 3, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
790	केरल में स्टेशनों पर आवास तथा अन्य सुविधाओं में सुधार करने का प्रस्ताव	Proposal to make Improvement in Accommodation and other Facilities at Stations in Kerala	1–2
791	अरुणाचल प्रदेश में तेल की खोज	Oil Exploration in Arunachal Pradesh	2–3
792	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी को धीमे उत्पादन के कारण हुई हानि	Loss incurred by DLW Varanasi due to Slow Production	3–5
793.	बर्दमान स्टेशन का पुनर्निरुपण	Remodelling of Burdwan Station	5–7
794	यूनियन कारबाईड द्वारा पोलिएथिलीन पाउडर और एलकोहल का उत्पादन	Production of Poleyethyiene Powders and Alchol by Union Carbide	7–9
796	नियम पुस्तकों और प्रपत्रों का हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद	Translation of Manuals and Forms in Hindi and other Regional Languages	10–11
799	रेलवे गतिरोध के कारण इस्पात का और जमा हो जाना	Railway Bottleneck Adds to Steel Accumulation	11–14
800	पी० वी० सी० के उत्पादन में नेफ्था के प्रयोग पर रोक	Ban on Use of Nephtha in P. V. C. Production	14
801	27 दिसंबर, 1973 को रतलाम में रेल गाड़ी में डकैती	Train Robbery in Ratlam on 27th December. 1973	15–16

अल्प सूचना प्रश्न — SHORT NOTICE QUESTIONS

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
11	कलकत्ता में फिल्म उद्योगों का विकास	Development of Film Industries in Calcutta	16–20

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—17 L S S/74

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
795	पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों संबंधी समिति	Committee on Prices of Petroleum Products.	20
798	पतरातू (पूर्व रेलवे) तक दो अतिरिक्त गाडियां चालू करने की मांग	Damand made to introduce two Additional Trains up to Patratu. (Eastern Railway)	20
802	नागपुर (मध्य रेलवे) में रेलवे कर्मचारियों की मजूरी से कटौती	Deduction of Wages of Railway Employees at Nagpur (Central Railway)	21
803	पांचवी योजना में आदिवासियों के ग्रामों तथा हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	Electrification of Tribal Villages and Harijan Bastis in Fifth Plan	21
804	उर्वरक कारखाने तथा उनका उत्पादन	Fertiliser Factories and their Production	21–22
805.	सिंचाई योजनाओं के निष्पादन द्वारा भूमि की सिंचाई	Irrigation of Land through Execution of Irrigation Schemes	22
806	खान-पान कर्मचारियों का स्थायी किया जाना	Confirmation of Catering Staff	22
808	भट्टी तेल की कमी के संबंध में उद्योगों के निदेशकों की बैठक	Meeting of Directors of Industries on Shortage of Furnace Oil	23
809	विद्युतचालित रेलवे इंजनों के दोषपूर्ण निर्माण के कारण रेलवे को घाटा	Loss to Railway due to Faulty Manufacture of Electric Locomotives	23
अ० ता० प्र० संख्या/U. S. Q. Nos.			
7703	उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के उन स्थानों के नाम जहां अनुसूचित जाति के मतदाता मतदान नहीं कर सके	Name of Places in District Banda (U.P.) where Scheduled Caste voters could not Cast their votes	24
7704	ड्रग्स एंड फार्मेस्युटिकल्स के लिए विकास परिषद का गठन	Composition of Development Council for Drugs and Pharmaceuticals	24
7705	रेलवे में चल रहे निर्माण-कार्य का स्थगन	Suspension of Running Works in Railways	25
7706	औषध उद्योग की औषधियों के मूल्यों में वृद्धि किये जाने की मांग	Demand of Drug Industry for Raising Prices of Drugs	25
7707	राज्य विधान मंडलों और संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत चुनाव व्यय संबंधी विवरण	Statements of Election Expenses submitted by Candidates for Elections to State Legislatures and Parliament	25–26
7708	गया स्टेशन पर घटिया किस्म के खाद्य पदार्थों की बिक्री	Inferior Quality of Food Articles served at Gaya Station	26
7709.	नावलजीन के फारमूले बनाने के लिए मैसर्स होचेस्ट को दिये गये औद्योगिक लाइसस	Industrial Licences issued to M/s Hoechst for Novalgin Formulations	26

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7710	मैसर्स एब्बाटंस को आयातित कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Imported Raw Material to M/s Abbotts .	27–28
7711	नागपुर डिवीजन में वैगनों की कमी का आरा मिलों के कार्यकरण पर विपरीत प्रभाव	Wagon Shortage in Nagpur Division affecting the working of saw Mills . . .	29
7712	भारतीय तेल निगम द्वारा ठेकेदारों को किया गया भुगतान	Payment made by I.O.C. to Contractors . . .	29
7713	विभिन्न जोनल रेलवे के डिवीजनल पर्सोनल इस्पक्टरों के वेतनमानों में समानता	Parity in Scales of Pay of Divisional personnel Inspectors of different Zonal Railways .	29–31
7714	रोजगार घंटे विनियमन (एच० ओ० ई० आर०) को लागू करने के लिए कार्मिक निरीक्षकों के चयन के लिए तंत्र	Machinery for Selection of Personnel Inspectors dealing with H.O.E.R.	31
7715	विंध्य प्रदेश क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का अनुरोध	Madhya Pradesh Government Request for laying of Railway Lines in Vindhya Pradesh Region	31–32
7716	ताप्ती नदी परियोजना से मिलने वाल लाभों के बारे में मध्य प्रदेश का विचार	View of Madhya Pradesh on Benefits to be derived from Tapti River Project . .	32
7717	मध्य रेलवे के प्लेट फार्मों पर पेय जल की सुविधाएं	Drinking Water Facilities at Railway Platforms on Central Railway	32
7718	बिहार सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनायें	Irrigation and Power Projects in Bihar	32–33
7719	वर्ष 1974-75 में कर्नाटक में निर्माण किये जाने वाले प्रस्तावित उपरि पुल	Proposed Over Bridges to be Constructed in Karnataka during 1974-75 . . .	34
7720	मध्य रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच	Departmental Enquiries against Railway Employees of Central Railway	34
7721	कोयला खान प्राधिकरण के साथ परामर्श करके कोयला क्षेत्रों से वर्ष 1973–74 में वैगनों को भेजना	Despatch of Wagons during 1973-74 from Coal Fields in Constitution with Coal Mines Authority	34–35
7722	राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन	Re-constitution of National Railway Users' Consultative Council	35
7723	भारत में तेल स्थिति के बारे में विश्व बैंक दल का विचार	Views of World Bank Team on Oil Situation in India . .	36

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7724	वर्ष 1972-73 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाये गये मामले	Disposal of Cases by the Supreme Court during 1972-73 .	36
7725	भट्टी-तेल में चोर बाजारी	Black marketing in furnace oil .	36
7726	एफ० ए० एंड सी० ए० ओ० कार्यालय, बम्बई (पश्चिम रेलवे) की ए० डी० एम० ब्रांच में भविष्य निधि खातों से अग्रिम धन-राशि लेने के लिये प्राप्त आवेदन-पत्र	Application for Advances from P.F. Account A.D.M. Branch F.A. and C.A.O.'s Office Bombay (Western Railway) .	36
7727	आल इंडिया रेलवे एकाउन्टस एम्पलाइज एसोसिएशन की मांगो पर निर्णय	Decision on Demands of All India Railway Accounts Employees Association . .	37
7728	एफ० टी० ए० कार्यालय दिल्ली पश्चिम रेलवे में कार्य कर रहे कर्मचारियों को पास सुविधा देने के लिए मान्य स्पष्टीकरण	Valid Explanations for Pass Facility to Staff Working in F.T.A.O. Delhi/Western Railway	37
7729	जाति गथवा धर्म से बाहर विवाह करने वालों को तंग करने वाले व्यक्तियों को दंड देने के लिये कानून	Law to Punish those Found Guilty of harassing persons marrying outside Caste or Religion	37-38
7730	प्लास्टिक निर्माताओं को पौलिथीन की सप्लाई	Supply of Polythene to Plastic Manufactures . . .	38
7731	न्यायालयों में भ्रष्ट आचरणों के बारे में 45 वकीलों द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum Submitted by 45 Advocates regarding Corrupt Practices in Courts . .	38
7732	पूर्वी राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification in Eastern States	39
7733	राज्य बिजली बोर्डों को ट्रांसफार्मरों की सप्लाई	Supply of Transformers to State Electric Boards . . .	39
7734	अधिक उर्वरक के उत्पादन के बारे में डा० नार्मन ई० बोरलंग के विचार	Views of Dr. Norman E. Borlang on Production of More Fertiliser	39
7735	23 मार्च, 1974 को उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों में विचाराधीन पड़े मामले	Cases pending in Supreme Court and High Courts as on the 23rd March, 1974 . .	40
7736	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का विस्तार	Expansion of Hindustan Lever Limited	41

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7737	बिजली की प्रतिव्यक्ति खपत बढ़ाने संबंधी योजना	Plan to raise per capita Power Consumption	41
7738	ट्रांसमीशन टावर्स के लिए परीक्षण केन्द्र	Testing Station for Transmission Towers	41
7739	सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने के लिए केरल द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता	Central Assistance sought by Kerala for execution of Irrigation Projects . .	42
7740	उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में लगाए जाने वाले तापीय बिजली घरों के लिए मध्य प्रदेश से कोयले की सप्लाई	Supply of coal from M.P. for Thermal Power Stations to be set up in U.P. and Haryana .	42
7741	कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिये समिति	Committee on setting up of coalbased fertilizer plants .	43
7742	समुद्र तट पर बने पर्यटक केन्द्रों को भूमि कटाव से बचाने के उपाय	Steps to protect sea shore tourist centres from erosion . .	43
7743	आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के लिये राजस्थान को केन्द्रीय सहायता	Central loans to Rajasthan for Irrigation facilities in Adivasi Areas	43
7744	मिश्रित प्रक्षालकों के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव	Proposal to increase production of synthetic detergents .	44
7745	भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी ढंग के नामों के प्रयोग पर रोक	Ban on use of foreign brand names by Indian Companies	44
7746	फरक्का परियोजना का पूरा होना	Completion of Farakka Project	44-45
7747	बिजली में कटौती को बहाल करने के बारे में पंजाब के उद्योगपतियों का अभ्यावेदन	Representation from Industrialists of Punjab regarding restoration of Power Cut .	45
7748	पश्चिम बंगाल के स्टेशनों पर रेलवे अस्पताल और स्वास्थ्य यूनिट	Railway Hospitals and Health Units at Stations in West Bengal	45
7749	स्वर्णरेखा नदी में बाढ़ रोकने के लिये पश्चिम बंगाल में जलाशय की स्थापना करना	Setting up of a Reservoir in West Bengal for checking floods in River Subarnarekha . .	46
7750	31 दिसम्बर, 1973 और 31 मार्च 1974 को लोक सभा, राज्य सभा, महानगर परिषद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की संख्या	Number of members of Lok Sabha, Rajya Sabha, Metropolitan Councils and State Legislatures as on 31st December, 1973 and 31st March, 1974	46-47

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7751	ग्रेट ईस्टर्न होटल्स, कलकत्ता के कार्यों से कुप्रबंध के बारे में रिपोर्ट	Reports about mismanagement of the Affairs of Great Eastern Hotels, Calcutta . . .	47-48
7752	श्री चंगदेव शूगर मिल्स लिमिटेड का तुलना पत्र	Balance sheet of Shree Bhangdeo Sugar Mills Limited . .	48
7753	बेलापुर शूगर मिल्स लिमिटेड, महाराष्ट्र की वित्तीय स्थिति	Financial position of Belapur Sugar Mills Limited, Maharashtra	48-49
7754	इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का वेतन तथा अन्य खर्चे	Salary and other expenses of the Chairman of Indian Motion Pictures Export Corporation Limited	49
7755	मंदसौर जिले के रेलवे कर्मचारियों को अगस्त 1971 बढ़ा हुआ मकान किराया भत्ता दिया जाना	Increased House Rent Allowance from August 1971 to Railway Employees of Mandsaur District	49-50
7756	रेलवे स्टेशनों के हिन्दी में नाम पट्टे	Sign boards of Railway stations in Hindi	50
7757	पूर्व रेलवे में हावड़ा डिविजन को कालोनियों में सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति में व्यवस्था	Substitutes for sweepers in the colonies of Howrah Division in Eastern Railways . .	50
7758	उत्तर प्रदेश के चुनावों में मतदाताओं को उनकी मतदान के अधिकारियों से वंचित करने के प्रयास	Attempts made to deprive voters of their voting right in U.P. election	50-51
7759	पदोन्नति के मामले में पिछड़े वर्गों के लोगों को प्राथमिकता देना	Priority in promotion to Persons belonging to Backward Classes	51
7760	स्वास्थ्य निरीक्षक, पश्चिम आसनसोल की नियुक्ति	Posting of Health Inspector, West Asansol . . .	51
7762	मुर्शिदाबाद में एक तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना	Setting up of a Thermal power Station in Murshidabad .	52
7763	डी० वी० के० रेलवे लाइन पर पुरी से रायपुर तथा पुरी से बम्बई तक गाडियां चलाने का प्रस्ताव	Proposal to run trains on DVK Line and from Puri to Raipur and Puri to Bombay . . .	52
7764	गुडाखू उद्योगों को गन्ने के सीरे का कोटा	Sugar cane Molasses quota for Gudakhu Industries .	52
7765	कोयले और इस्पात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में तेजी सुनिश्चित करने संबंधी कार्यक्रम	Programme to ensure speedy movement of coal and steel.	52-53

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7766	चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी द्वारा निर्धारित पूरा उत्पादन न किया जाना	Non-attainment of full production by CLW Varanasi .	53–54
7767	इंटेग्रल कोच फैक्टरी पेरम्बूर (मद्रास) के लिये देश में तकनीकी जानकारी के विकास हेतु प्रगति	Progress made for developing Indigenous technical know how for ICF Perambur (Madras)	54
7768	भारत और बंगालदेश के बीच अंतर्राज्य नदियों के पानी का उपयोग	Use of waters of inter State rivers between India-Bangladesh .	54
7769	गत तीन वर्षों में हत्या, चोरी और आकस्मिक मृत्यु के मामले	Cases of murders, thefts and accidental deaths during last three years	54
7770	रेलवे कैंटीनों की संख्या	Number of Railway Canteens .	55
7771	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव	Proposal for electrification of Railway lines during Fifth Five Year Plan . . .	55–58
7772	पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ट्यूब रेलवे का निर्माण	Construction of Tube Railways during Fifth Five Year Plan	58
7773	नर्मदा विवाद के बारे में पुनः जांच	Re-examination of Narmada Issue	58–59
7774	भारतीय खाद्य निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में माल डिब्बों से माल उतारा जाना तथा अन्य राज्य को भेजा जाना	Unloading of Wagons by FCI in West Bengal and diversion to other States . . .	59
7775	'आर० टी० एज़०' की सीधे भर्ती	Direct recruitment of RTAs .	59
7776	गत एक वर्ष के दौरान रेल सेवाओं में गडबड़ी	Dislocation of Train services during the last one year .	59–60
7777	अगले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेशों में प्रारंभ की जाने वाली बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनायें	Major and medium irrigation Schemes to be taken up in U.P. during next Three Years	60
7778	पौलिथिलीन मोल्डिंग पाउडर की कमी	Shortage of Polythelene moulding Powder	60–61
7779	भारत द्वारा अशोधित तेल खरीदने के लिये ईराक से ऋण	Credit from Iraq for purchasing Crude Oil by India . .	61
7780	तिरुनेलवेली और तिरुचन्दूर (दक्षिण रेलवे) के बीच चलने वाली यात्री गाड़ियों का रद्द किया जाना	Cancellation of passenger trains running between Tirunelveli and Tiruchendur (Sounthern Railway)	61

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7781	हाल के महीनों में इस्पात उत्पादों का धीमी गति से लदान	Slow loading of Steel products in recent months . . .	62
7782.	कोसी बांध में गाद जमा हो जाने संबंधी समस्या	Silting Problem in Kosi Barrage	62
7783.	आंतराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में गिरावट	Decline in prices of Petroleum Products in International Market	62–63
7784.	पी० बी० सी० रेसिन के निर्माता	P.V.C. Resin Manufacturers .	63
7785.	उत्तर रेलवे में 6 वर्ष से अधिक अवधि वाले केटरिंग तथा वेंडिंग के लाइसेंसधारी व्यक्ति	Persons holding catering and vending Licences in Northern Railway for more than six years	63–64
7786	रेल पथ के ऊपर बिजली की लाइन लगाने और रेल पथ के नीचे जल सप्लाई के पाइप डालने की अनुमति के लिये हरियाणा से आवेदन-पत्र	Applications from Haryana seeking Permission to lay over head Power Lines across Railway Tracks and to lay Water supply Pipe Under Railway Tracks	64
7787	भारत में चल रहे इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय	Expenditure on Railway Engineering Training Institutes functioning in India . .	64
7788	रेलवे इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जमालपुर को अनुदान	Grant to Railway Engineering Training Institute Jamalpur .	65
7789	राजस्थान में तेल की खोज	Oil Exploration in Rajasthan .	65
7790	सवाई-माधोपुर में तेल-शोधक कारखाने की स्थापना के लिये राजस्थान की मांग	Demand from Rajasthan for set up of a Refinery at Sawai Madhopur	65–66
7791	विद्युत् उत्पादन में सुधार करने के उपाय	Steps to Improve Power Generation	66
7792	मेल तथा जनता एक्सप्रेस गाड़ियों को हरीपुर स्टेशन पर रोकने का प्रस्ताव	Proposal to stop Mail and Janta Express Trains at Haripur Station	66–67
7793	सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्टों में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विधि अधिकारी	Law Officers Appointed by Central Government in Supreme Court, High Courts and Lower Courts . . .	67–68
7794	राजस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity by Rajasthan to U.P.	68–69
7795	गंगा को कावेरी के साथ जोड़ना	Linking of Ganga with Cauvery	69

अता० प्र० संख्या U.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7796	रेल सेवा के सुधार के उद्देश्य से रेल मंत्री तथा रेल उपमंत्री द्वारा की जाने वाली यात्राएं	Journeys to be undertaken by the Minister and Deputy Minister of Railways with a view to Improving the Railway Service	69
7797	अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन	Amendment to the Advocates Act	69
7798	मैसर्स फाइजर्स द्वारा टेटरासाइक्लीन दवाओं का निर्यात	Export of Tetracycline by M/s. Pfizers	70
7799	औषध फ़र्मों का विलय	Merger of Drug Firms . .	70
7800	मार्च, 1974 में कोयला ढोने-वाल माल डिब्बों का लादा जाना	Loading of Coal Wagons in March, 1974 . .	70-71
7801	क्षेत्रीय रेलवे सेवा आयोग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व	Representation of SC/ST in Zonal Railway Service Commission.	71
7802	अन्य स्थानों को भेजे जाने वाली दनिक उपभोग की वस्तुओं का निवारी स्टेशन पर उतारा जाना	Unloading of articles of Daily Consumption at Niwari Station meant for other places	71
7804	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिता अधिनियम का संशोधन	Amendment of MRTP Act	72
7805	गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में बिजली की उत्पादन क्षमता औ उसका उपयोग	Power generation capacity and its utilisation in Public and Private Sectors during last three years	72
7806	पश्चिम बंगाल की विद्युत की मांग तथा उसकी सप्लाई	Demand and Supply of Power to West Bengal . . .	72-73
7807	विदेशी तेल कम्पनीयों द्वारा किये गए व्यापार करार	Trade contracts by Foreign Oil Companies	73
7808	गत तीन मास में माल की चोरियों के लिये दी गई क्षतिपूर्ति की राशि	Amount paid as Compensation for Goods stolen during the last three Months . .	73
7809	मार्च, 1974 में लोको कर्मचारियों की हड़ताल	Locomen Strike in March, 1974	73-74
7810	गुजरात राज्य में नमक उद्योगों के लिये वैगनों की कमी	Shortage of Wagons for Salt Industry in Gujarat State .	74
7811	पांचवी योजना में गुजरात म ग्रामीण विद्युती करण	Rural Electrification in Gujarat in Fifth Plan . . .	75

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7812	सतर्कता विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ाना	Extension to Staff on Deputation to Vigilance Department .	75–76
7813	गैर मान्यता प्राप्त लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन के साथ बातचीत	Negotiation with Un-Recognised Loco Running Staff Association	76
7814	मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन में भोपाल शेड के सहायक लोको फोरमैन द्वारा ड्यूटी कार्ड पास का दुरुपयोग	Misuse of Duty Card Pass by Assistant Loco Foreman, Bhopal Shed, Jhansi Division, Central Railway . .	76
7815	प्रभागीय लेखा अधिकारी कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के उप-प्रभारी कर्मचारियों का निलंम्बित किया जाना	Suspension of Sub heads of DAO New Delhi (Northern Railway)	77
7816	राजभाषा अधिनियम कार्यान्वयन के लिये स्वीकृत पदों को निममित करना	Regularisation of Posts Sanctioned for Implementation of Official Languages Act .	77
7817	गाजियाबाद मुरादनगर तथा मोदीनगर (उत्तर रेलवे) में टिकटों को पुनः बिक्री	Re-Sale of Tickets at Ghaziabad, Muradnagar, and Modinagar (Northern Railway) . .	77–78
7818	मिराज जंक्शन पर गाडियों के लिये वातानुकूलित डिब्बे उपलब्ध कराने की व्यवस्था	Arrangements for Providing Air Conditioned Bogies for Trains at Miraj Junction . .	78
7819	पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाली किये जाने की प्रतीक्षा में शेडों में पड़े माल डिब्बे और उन्हें अन्य राज्यों को भेजा जाना	Wagons in Sheds Awaiting Unloading by FCI in West Bengal and their Diversion to other States	78–79
7820	बम्बई में ट्यूब रेलवे की संभाव्यता की जांच करने के लिए ब्रिटेन से विशेषज्ञ दल को बुलाना	Expert Team from U. K. to Examine Feasibility of Tube Railway in Bombay . .	79
7821	पश्चिम रेलवे के जयपुर डिविजन को गत एक वर्ष में खोई हुई सम्पत्ति की नीलामी के फलस्वरूप प्राप्त हुई धनराशि	Amount Received by Jaipur Division of Railways from the Auction of Lost property during the last one year . .	80
7822	सिकन्दराबाद और मद्रास सेन्ट्रल स्टेशनों पर भारी भीड़	Over Crowding at Secunderabad and Madras Central Stations .	80
7823	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंधों का प्रवर्तन	Enforcement of Provision of Industrial Dispute Act, 1947 .	80–81

अता० प्र० संख्या U. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7824	रेलवे के विभिन्न जोनों में ठेके पर काम कर रहे श्रमिक	Labourers working on Contract on various Zones of Railways	81
7825	ठेकेदारों को प्रथम श्रेणी के निःशुल्क पास जारी करना	First Class Free Passes to Contractors	81
7826	दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में यात्रियों और माल के द्रुत परिवहन की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजनायें	Schemes to meet the Present and Future Requirements for Speedy Transportation of Passengers and Goods in Delhi and its Neighbouring Areas .	82
7827	लोगों को उनके द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार देने के लिये संविधान में संशोधन	Amendment to the Constitution to Grant Right to Recall Elected Representatives to the People	82
7828	बिहार में विद्युत् उत्पादन योजनाओं का क्रियान्वयन	Implementation of Power Generation Schemes in Bihar .	82–83
7829	अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों को हल करने के लिए गठित न्यायाधिकरणों पर किया गया खर्च	Expenditure in curred on Tribunals set up to Solve Inter State Disputes on River Waters .	83
7830	हरियाणा और पंजाब को हिमाचल प्रदेश से बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Haryana and Punjab from H.P. . .	83–84
7831	तेल की खुदाई के संबंध में लीबिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत	Discussion with Libyan Delegation on Oil Drilling .	84
7832	ऋण के रूप में कच्चा तेल न लेने के लिये योजना आयोग का सुझाव	Suggestions from Planning Commission not to seek Crude Credit	84–85
7833	नेवेली में लिगनाइट पर आधारित सुपर तापीय संयंत्र की स्थापना	Setting up of Lignite based Super Thermal Plant at Neyveli	85
7834	प्रस्तावित हड़ताल में शामिल होने वाले रेल कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही	Stern action against Railway Employees for participating in proposed Strike . .	85
7835	अप्रैल के दूसरे सप्ताह से स्विचमन, केबिनमैन, लीवरमैन तथा प्वाइंटसमैन द्वारा 'नियमानुसार कार्य' आन्दोलन	Work to Rule Agitation by Switchman, Cabinmen, Levermen and Pointsmen from Second Week of April .	85
7836	1973 के संशोधित वेतनमानों में सेवा वरिष्ठता के लिये वेतनवृद्धि	Increment for Weightage of Service in the Revised Scale of Pay in 1973 . .	86

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7837	डी० ए० ओ० दानापुर (पूर्व रेलवे) के भविष्य निधि अनुभाग में अतिरिक्त पदों की व्यवस्था	Creation of Additional Posts in P.F. Section, DAO, Danapur (Eastern Railway) . .	86
7838	एम० टी० पी० प्राधिकरण द्वारा कलकत्ता में उच्च ग्रेड के पदों पर नियुक्तियां	Filling up of Higher Grade Vacancies by MTP Authorities at Calcutta . . .	87
7839	नई दिल्ली के लिए विद्युतिकृत रेल पटरी	Electric Traction to serve New Delhi	87
7840	पांचवी योजना के दौरान उड़ीसा में बेहतर नाली व्यवस्था के लिये निर्धारित राशि	Amount earmarked for better Drainage System in Orissa during Fifth Plan . .	87–88
7841	खुर्द रोड डिविजन (दक्षिण पूर्व रेलवे), में स्टेशनों का विकास	Development of Stations in Khurda Road Division (South Eastern Railway) . . .	88
7842	भद्रक, भाउदपुर केन्द्रपादा और रानीताल स्टेशनों पर उठाईगिरी की घटनाओं में वृद्धि	Increase in Pilferage incidence at Bhadrak, Bhandpur, Kendrapada and Raintal Stations	88–89
7843	दिल्ली मेन स्टेशन से पार्सलों की लदाई	Loading of Parcels at Delhi Main Station . . .	89
7844	केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग की संरचना और कार्यकलाप	Composition and Functions of CWPC	89–90
7845	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में हिन्दी अधिकारियों तथा हिन्दी अनुवादकों की नियुक्ति	Recruitment of Hindi Officers and Hindi Translators in Ministry of Irrigation and Power	90–91
7846	दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान (डेसू) द्वारा बिजली के नये कनैक्शनों की मंजूरी	Sanction of new Electric connections by DESU . . .	91
7847	औषध निर्माताओं के लिये कच्ची सामग्री के अभाव के कारण अनिवार्य औषधियों की कमी	Shortage of Essential Drugs for want of raw material to Drug Manufacturers . .	91–92
7848	रेलवे के तकनीकी पर्यवेक्षकों द्वारा 'नियमानुसार कार्य' आन्दोलन	'Work to Rule' Agitation by Railway Technical Supervisors	92
7849	कोयले से तेल का उत्पादन	Production of Oil from Coal	92
7850	वाणिज्यिक अधीक्षक (दावे) पूर्व रेलवे के पास विचाराधीन दावे	Claims pending with the Commercial Superintendent (Claims) Eastern Railway . .	93
7851	उत्तर रेलवे के कर्माशियल सुपरिन्टेंडेंट (दावा) के पास पड़े अनिर्णीत मामले	Claims pending with Commericial Superintendent (Claims), Northern Railway . .	93–94

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7852	दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Calcutta by DVC	94
7853	तेल से चलने वाले बायलरों के स्थानों पर कोयले से चलने वाले बायलर लगाने वाले उद्योगों को रियायत	Concession for Industries Switching over from Oil Fire to Coal Fire	94
7854	गत दो वर्षों में ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश में ग्रामों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in H.P. by REC during last two years	95
7855	निम्न श्रेणियों में स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति	Appointment of local population in Lower Categories . .	95
7856	कर्नाटक के नार्थ कनारा जिले में पनबिजली परियोजना	Hydel Projects in North Kanara District of Karnataka . .	96
7857	तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और ईरान के बीच समझौता	Agreement between Engineers India Limited and Iran for setting up of an Oil Refinery	96–97
7858	अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के पास वाटर एंड पावर डेवलपमेंट कन्सलटेंसी सर्विसेज (इंडिया) का पंजीयन	Registration of Water and Power Development Consultancy Services (India) with International Agencies . .	97
7859	वैस्ट कोस्ट (पश्चिम तट) कोंकण रेलवे लाइन	West Coast Konkan Railway Line	97
7860	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटा नागपुर में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Chotanagpur during Fifth Five Year Plan	98
7861	दिल्ली से कलकत्ता तक चनार, चोपान, गढ़वा रोड, बरवाडीह गोमोह होते हुए मार्ग परिवर्तन करके अथवा नयी मेल तथा एक्सप्रेस रेल गाडियां चलाने का प्रस्ताव	Proposal to reroute or start Mail and Express Trains from Delhi to Calcutta via Chunar, Chopan, Garhwa Road Barwadih and Gomoh	98
7862	बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन	Generation of Power in Bihar and U.P.	98–99
7863	दक्षिण और पूर्व रेलवे का पृथकीकरण	Bifurcation of Southern and Eastern Railways . . .	99
7864	रेलवे प्रशासन के संबंध में रेलवे को प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	ARC Recommendations to Railways in field of Railway Administration . . .	99–100

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7865	नया रेल सेवा आयोग बनाया जाना	Opening of New Railway Service Commission	100
7866	गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन के लिये हिमाचल प्रदेश द्वारा मांगी गयी वित्तीय सहायता	Financial Assistance sought by Himachal Pradesh for implementation or Rural Electrification Scheme during last three years	100–101
7867	मैसर्स कोलगेट की तरह कुछ औषध फर्मों पर एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम लागू किया जाना	Application of MRTP Act to certain Drug Firms as in case of M/s Colgate . . .	101–102
7868	मैसर्स मे एंड बेकर लिमिटेड द्वारा अधिक खपत वाली औषधियों का उत्पादन	Production of Bulk Drugs by M/s May and Baker Limited	102
7869	सूखा राहत कार्यक्रमों के रूप में रेलवे लाइनों का निर्माण	Construction of Railway Lincs as Drought Relief Measures .	103
7870	अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि के बारे में राज्य सरकारों को सूचित करना	Informing State Governments about increase in Crude Prices	103
7871	भारत में पेट्रो-रसायन उद्योग के विस्तार के लिये ईरान से सहायता	Assistance from Iran for Expansion of Petro Chemical Industry in India . .	103–104
7872	तेल उत्पादक देशों से दीर्घावधि ऋण	Long Term Credits from Oil Producing Countries . .	104
7873	गायघाट निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान घटी हिंसात्मक घटनाओं की जांच का प्रतिवेदन	Report of enquiry on violent happenings during by election to Gaighata Constituency .	104
7874	भारत द्वारा बंगला देश में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Fertiliser Plant in Bangladesh by India . .	104–105
7875	पश्चिम बंगाल में तेल की खोज	Oil Exploration in West Bengal	105
7876	बिहार में कमला नदी के दोनों और बांधों का विस्तार करने के लिये भारत-नेपाल करार	Indo-Nepal Agreement for extending embankments on both sides of river Kamala in Bihar	105

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7877	खड़खेड़ी स्टेशन पर प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय तथा अन्य सुविधायें प्राप्त करने का प्रस्ताव	Proposal to provide platform, Waiting Room and other facilities at Kharkhari Station .	106
7878	रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल तथा कोयले की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में बंद की गयी रेलगाड़ियां	Cancellation of Trains in U.P. due to strike by Railway men and coal shortage . .	106
7879	बिहार में हड़तालों और कोयले की कमी के कारण रद्द की गयी रेलगाड़ियां	Trains cancelled in Bihar due to strikes and coal shortage .	106
7881	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी संघ, आसाम से ज्ञापन	Memorandum from O & NGC Workers Union of Assam .	106–107
7882	आसाम में तेल की खोज वाले स्थान	Places for oil Ex ploration in Assam	107
7883	कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में बिड़ला ग्रुप की कम्पनियों के विरुद्ध चल रही जांच	Companies of Birla Groups facing enquiries' for Violation of the Companies Act . .	107
7884	गोयन्का ग्रुप द्वारा बेनामी सौदे के माध्यम से बाम्बे डाईंग कम्पनी का खरीदा जाना	Purchase of Bombay Dyeing Company by Goenka Group through Benami Transactions	107
7885	सबर्बन एरिया ट्रेन सर्विस को बदवान से आसानसोल तक बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to extend Suburban Area Train Service from Burdwan to Asansol . . .	108
7886	रासायनिक कारखानों तथा तेल शोधक कारखानों द्वारा नदी के जल के प्रदूषण को रोकने के उपाय	Measures to check pollution of river waters by Chemical Factories and Refineries . .	108
7887	दक्षिण मध्य क्षेत्र के आमों, केलों तथा काजू के निर्यात के लिए विशेष माल डिब्बों की आवश्यकता	Requirement of Special Wagons for export of Mangoes, Bananas and Cashew Nuts in South Central Zone . . .	101–109
7888	आरक्षण, बुकिंग, पार्सल रेल डाक सेवा और संगचल कर्मचारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता	Overtime Wages to Employees working in Reservation Booking, Parcel, RMS and Running Staff Departments .	109
7889	दिल्ली डिविजन (उत्तर रेलवे) में कार्य कर रहे (गैर-आवश्यक) कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters to Staff (Non-esesntial) working in Delhi Division (Northern Railway . . .	109

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
7890	एफ० ए० एंड सी० ए० ओ० निर्माण लेखे दिल्ली में ठेकेदारों के बिलों संबंधी सीटों पर चल रहा कदाचार	Malpractice Prevailed in seats dealing with contractors Bills in F.A. and C.A.O. Construction Accounts Delhi . .	109-110
7891	दिल्ली के निर्माण लेखा कर्मचारियों द्वारा लेखा संबंधी निरीक्षणों का किया जाना	Accounts Inspections carried out by Construction Accounts Staff Delhi	110
7892	छात्रों को रियायती रेल टिकट देने संबंधी नियमों में संशोधन	Amendment of Rules regarding Concessional Railway Tickets to Students . . .	111
7893	रेलवे कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल . . .	Nation-wide Strike by Railway Employees	111-112
7894	कोलगेट और पामआलिव कम्पनियों के कार्यचरण की जांच	Enquiry into the working of Colgate and Palmolive Companies . . .	112
7895	बम्बई हाई में तेल की खोज	Oil Exploration in Bombay High	112-113
7896	सिन्दरी उर्वरक कारखाने को वेगनों की सप्लाई	Supply of Wagons to Sindri Fertiliser Factory . . .	113
7897	भारतीय रेलों में शराफ्स तथा सी० बी० सी० द्वारा नोट गिनने के लिये निर्धारित मानदंड	Yardstick fixed for Counting Currency Notes by Shroffs and C.B.C. on Indian Railways .	113
7898	उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सरजू पम्प नहर पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Sarju Pumped Canal in Bahraich District (U.P.). . . .	114
7899	उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में नानपारा नहर का निर्माण	Construction of Nanpara Canal in District Bahraich (U.P.). .	114
7900	कानपुर नेपाल गंज रोड वाले सीधे रेल डिब्बे से पंखे एवं बिजली के बल्ब गायब होना	Fans and Light bulbs missing in Through Coach Kanpur Nepalganj Road . . .	114
7901	उत्तर प्रदेश के लिए दो सिंचाई योजनाओं की मंजूरी	Sanction of Two Irrigation Plans for U.P.. . .	115
7902	उत्तर रेलवे के दिल्ली क्षेत्र में लेखा विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के टाइपिष्टों की आरक्षित कोटे के उच्च ग्रेड के पदों पर पदोन्नति	Promotion of Scheduled Castes/Scheduled Tribes Typists in Higher Grade against reserved quota in Accounts Department Delhi Area (Northern Railway)	115

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance— .	
चण्डीपुर, उड़ीसा में रक्षा प्रतिष्ठान से उच्च शक्तिशाली आधुनिकतम दूरबीन के गायब हो जाने का समाचार—	Reported disappearance of a high powered sophisticated telescope from Defence Installation, at Chandipore, Orissa—	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	116–117
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidyacharan Shukla .	116–118
स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re. Motion of Adjournment Query)	119–120
'आर्गनाइजर' नई दिल्ली के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against the 'Organiser', New Delhi .	120–123
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	123–124
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
120वां प्रतिवेदन	Hundred and twentieth Repott	124–125
नियम 377 के अन्तर्गत मामले—	Matters under Rule 377—	
(एक) गुजरात विधान सभा को भंग करने का 1974 के राष्ट्रपतीय चुनाव पर प्रभाव	Effect of dissolution of Gujarat Legislative Assembly on the Presidential Election of 1974	125–126
(दो) पांडीचेरी की 1973–74 की अनुपूरक अनुदानों की मांगों को समय पर पारित न करने के कारण उत्पन्न संवैधानिक स्थिति	Constitutional position arising out of not passing in time of Supplementary Demands for Grants of Pondicherry for 1973-74 . . .	126–128
अनुदानों की मांगें 1974-75—	Demands for Grants 1974-75	
कृषि मंत्रालय—	Ministry of Agriculture—	
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh .	129–130
श्री शक्ति कुमार सरकार	Shri Sakti Kumar Sarkar .	130–131
श्री शंकर राव सामंत	Shri Shankerrao Savant .	131–132
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayana Rao	132
श्री गेंदा सिंह	Shri Genda Singh . .	132–133
श्री पी० आंकिनीडू प्रसाद राव	Shri P. Ankineedu Prasada Rao	133–134
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar .	134–135
श्री एम० एस० पुरती	Shri M. S. Purty . .	135
श्री चिरंजीव झा	Shri Chiranjib Jha . .	135
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb . .	136
श्री बृज राज सिंह-कोटा	Shri Brij Raj Singh-Kotah .	136–137

2—17 LSS/74

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	137
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन	Shrimati Bhargavi Thanka-ppan	138
श्री बी० पी० मौर्य	Shri B. P. Maurya . .	138–140
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	141
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar	141–142
श्री साधू राम	Shri Sadhu Ram .	142–143
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma	143–144
श्री नटवर लाल पटेल	Shri Natwar Lal Patel .	144
श्री राम भगत पासवान	Shri Ram Bhagat Paswan .	144–145
श्री जगदीश नारायण मंडल	Shri Jagdish Narain Mandal	145
डा० गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariya	145–146
श्री चन्द्र शैलानी	Shri Chandra Shailani . .	146–147
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh .	147

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 23 अप्रैल, 1974/3 वैशाख, 1896 (शक)
Tuesday, April 23, 1974/Vaisakha 3, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

केरल में स्टेशनों पर आवास तथा अन्य सुविधाओं में सुधार करने का प्रस्ताव

***790. श्री बयालार रवि :**
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर आवास तथा अन्य सुविधाओं में काफी सुधार करने का है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या वहां किसी हाल्ट स्टेशन का दर्जा बढ़ाकर फ्लैग स्टेशन का बनाने का भी प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्रा) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6792/74।**]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : केरल में रेलों के विकास के सम्बन्ध में मंत्री महोदय निष्पक्षता की नीति का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। दक्षिण भारत में केरल राज्य से रेलवे को सबसे अधिक आय है। किन्तु वहां रेलों के विकास अर्थात रेल सुविधाओं और उपक्रमों पर बहुत कम पूंजी लगाई जा रही है। क्या मंत्री महोदय का केरल राज्य के लिए रेलवे के परिव्यय में वृद्धि करने का विचार है।

श्री एल० एन० मिश्रा : इस प्रश्न में केरल स्थित रेलवे स्टेशनों में किये गये सुधारों के बार में जानकारी पूछी गई है। जहां तक केरल में रेल विकास का सम्बन्ध है, उस दिशा में अभी बहुत कुछ करना है। औद्योगिक दृष्टि से वहां विकास हो रहा है और वहां विभिन्न प्रकार की अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हमने केरल के लिए विशेष व्यवस्था की है और केरल के लिए अपेक्षाकृत अधिक आवंटन किया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : जहां तक रेलवे स्टेशनों के सुधार की बात है, ओलवाकोट डिवीजन के रेलवे स्टेशनों पर पिछले सात-आठ वर्षों में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। बिजली जैसी छोटी-मोटी चीजों को छोड़कर किसी भी अन्य सुविधा के लिए कोई खर्च नहीं किया गया है। क्या मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और इस सम्बन्ध में जांच करेंगे ?

श्री एल० एन० मिश्र : रेलवे स्टेशनों के सुधार के लिए एक नीति निर्धारित है जिसके अनुसार जोन मुख्य कार्यालय, जिला मुख्य कार्यालय और औद्योगिक स्थानों का विकास किया जाता है। माननीय सदस्य ने जिस स्टेशन का उल्लेख किया है उसके संबंध में मैं पूछताछ करूंगा। साथ ही मैं यह बताना चाहूंगा कि स्टेशनों का चुनाव, स्थान की आर्थिक एवं प्रशासनिक महत्ता तथा तीर्थस्थान होने की दृष्टि से किया जाता है और उपलब्ध सीमित आर्थिक साधनों को भी ध्यान में रखा जाता है। केरल के सम्बन्ध में भी हमने इसी संदर्भ में उपबन्ध किये हैं।

अरुणाचल प्रदेश में तेल की खोज

***791. श्री डी० डी० देसाई :**
श्री एन० शिवप्पा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ-राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में तिरप जिले में आयल इंडिया द्वारा कुएं की खुदाई के साथ तेल की खोज का कार्य पुनः शुरू किया गया है;

(ख) क्या वहां वर्ष 1968-69 में 2,000 मीटर गहराई तक खुदाई करने के पश्चात् खुदाई बंद कर दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां। 20-3-74 को खरसंग कुआ सं० 2 में खुदाई बन्द की गई थी।

(ख) और (ग) भूमि के नीचे उच्च दबाव और तापमान असामान्य होने के कारण 2237 मीटर गहराई तक पहुंचने के बाद 1968 में अरुणाचल प्रदेश के खरसंग कुआ सं० 1 में अन्वेषी धन बन्द करना पडा और व्यधन के लिए कठिन अवस्थाओं के होते हुए भी लक्षित गिहराई तक पहुंचने वाले विशेष उपस्कर का आयात करना आवश्यक था।

श्री डी० डी० देसाई : लगभग 2237 मीटर तक खुदाई करने के बाद खरसंग कुआ संख्या 1 पर काम बंद कर दिया गया था। शोकिंग कुआ, जो इसके समीप था सुख गया था। यह कुआं केवल 200 मीटर की दूरी पर हैं। फिर मंत्रालय या आयल इंडिया ने किन कारणों से इस कुएं की खुदाई का निर्णय किया और इसकी सफलता की क्या सम्भावना है ?

श्री शाहनवाज खां : खुदाई करते समय यह कहना कठिन होता है कि किस कुएं में तेल निकलेगा और किस में नहीं। खुदाई करने का उद्देश्य ही यह पता लगाना होता है कि तेल कहां पर है। कुछ स्थानों पर सौभाग्य से तेल निकल आता और कुछ स्थानों पर तेल नहीं मिलता है। खुदाई कार्य भूगर्भीय अकड़ों के आधार पर किया जाता है। उपलब्ध आंकड़ों से अनुमान लगाया गया है कि इस स्थान पर तेल मिलने की सम्भावना बहुत अधिक है।

श्री डी० डी० देसाई : आयला इंडिया (आसाम) तथा अरुणाचल जैसे पड़ोसी राज्यों के कुछ निर्धारित क्षेत्रों में खोज कार्य चल रहा है। क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया के बीच प्रतिस्पर्धा का कोई उपबन्ध है। क्या भारतीय जल सीमा में अथवा महाद्वीपीय तटों पर आयल इंडिया को खुदाई कार्य करने का उतना ही अधिकार प्राप्त है जितना कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को।

श्री शाहनवाज खां : आयल इंडिया; बी० ओ० सी० तथा भारत सरकार का संयुक्त उद्यम है। अरुणाचल प्रदेश में तेल की खोज का कार्य करने का पट्टा अथवा लाइसेंस इस कम्पनी को दिया गया था। यह क्षेत्र सीमित है और उसे इसी सीमित क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार

है। वह इस समय डिगबोई कुएं के समीपस्थ क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस क्षेत्र में तेल मिलने की सम्भावना बहुत अधिक है। तट-दूर क्षेत्र में खुदाई करने की उनकी योजना नहीं है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या आयल इंडिया को पूरे अरुणाचल प्रदेश के लिए पट्टा दे दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश में कितने स्थानों को चुना गया है और कितने स्थानों पर कुएं खोदे गये हैं?

श्री शाहनवाज खां : आयल इंडिया के लिए लगभग 213 वर्ग मील का क्षेत्र रखा गया है। जैसा कि मैंने बताया कि एक कुआं खोदने के बाद अधिक दबाव के कारण वह बंद करना पड़ा। कुछ ही दिन पूर्व उन्होंने दूसरा कुआं खोदा है। वे उस क्षेत्र में 1974 से 77 तक चार कुएं खोदना चाहते हैं अर्थात् एक कुआं प्रति वर्ष।

श्री बी० वी० नायक : 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार तेल-खुदाई का कार्य "ए" श्रेणी में आता है। यह उद्योग सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित है। जहां तक भारतीय राज्य सीमा में खुदाई का सम्बन्ध है इस पर उक्त संकल्प लागू होता है परन्तु हमें पता लगा है कि पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय तथा अन्य निगमों को विशेषकर अमरीकी निगमों को तट-दूर खुदाई-कार्य के लिए अनुमति दे दी गई है। क्या तट-दूर खुदाई-कार्य पर औद्योगिक नीति संकल्प 1956 लागू नहीं होता?

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है।

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी को धीमे उत्पादन के कारण हुई हानि

*792. **श्री राम प्रकाश :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी को हाल में भारी हानि हुई और उसका उत्पादन लक्ष्य से काफी पीछे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है।

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) उत्पादन लागत और विक्रय मूल्य के बीच के अन्तर को वित्तीय शब्दावली में लाभ या हानि कहा जाता है। इस आधार पर डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी से कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है। 1973-74 में बिजली की कटौती और बिजली सम्बन्धी पाबंदियों, देशी स्रोतों से ढलवां और गढ़े हुए सामान की अनियमित सप्लाई और श्रमिक अशान्ति के छुट-पुट मामलों के कारण रेल इंधनों के निर्माण में कमी हुई है। बिजली की सीमित सप्लाई के परिणामस्वरूप कार्य में अस्तव्यस्तता आ गयी।

(ग) प्रस्तावित निवारक उपाय इस प्रकार है :—

(i) अतिरिक्त जनित्र सेट की व्यवस्था।

(ii) सम्बन्ध सुधारने और शिकायत दूर करने के लिए श्रमिकों से निरन्तर वार्ता की व्यवस्था।

(iii) आयात पर निर्भरता से बचने के लिए विभिन्न उपस्करों के विकास हेतु देशी स्रोतों के प्रति जोरदार अनुवर्ती कार्रवाई ।

(iv) आई० एस० एम०/वाशिंगटन के माध्यम से खरीदे जाने वाले महत्वपूर्ण आयातित पूर्जों और उपस्करों की सप्लाई पर नजर रखना ।

Shri Ram Parkash: The Hon. Minister has stated in para 4 of part (c) that procurement of parts etc. will be made through I.S.M. Will the Minister tell us the amount of foreign exchange involved therein?

Shri L. N. Mishra: I had stated that there has not been any loss as regards production. Further I had said that the ways how we propose to make progress are being explored.

Shri Ram Parkash: I would like to know the extent to which its production capacity would increase?

Shri L. N. Mishra: Production capacity would be increased during fifth Five Year Plan and targets have been fixed therefor.

Shri Ram Parkash: What were the demands of labour in this factory and how many times did they go on strike?

Mr. Speaker: How did it arise from the original question?

Shri L. N. Mishra: Though there are no demands of workers yet production suffered on account of certain factors.

Shri Achal Singh: May I know the reasons why there has been no progress in this factory?

Shri L. N. Mishra: It is not correct to say that there has not been any progress. In this works, 46, 55 and 50 electric locomotives were manufactured during 1971-72, 1972-73 and 1973-74 (so far) respectively. As regards diesel locomotives, 40, 46 and 50 were manufactured during 1971, 1972 and 1973 respectively. Progress has been made but targets have not been achieved on account of agitations like this. The progress suffered to some extent on account of non-availability of foreign exchange as some vital spare parts had to be imported.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि डीजल की कमी के कारण सरकार डीजल इंजनों के स्थान पर भाप के इंजन बनाने जा रही है ?

श्री ललित नारायण मिश्र : मैंने अपने बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि सरकार ऐसा नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो डीजल इंजनों के बारे में है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे विचार से उनकी समझ में यह बात नहीं आई है कि भाप के इंजनों के इस्तेमाल का प्रभाव क्या पड़ेगा।

श्री ललित नारायण मिश्र : मैंने अपने बजट भाषण में बताया था कि हम भाप इंजनों के पक्ष में नहीं है क्योंकि उनसे अधिक खर्च होता है।

श्री प्रबोध चंद्र : मंत्री महोदय ने बताया है कि कम उत्पादन का एक कारण विदेशी मुद्रा की अनुपलब्धता भी है। क्या इस कारखाने को लगाते समय इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया था ?

श्री ललित नारायण मिश्र : यह कारखाना 9 वर्ष पूर्व लगाया गया था। इसने बहुत अच्छा काम किया है। विदेशी इंजनों पर हमारी निर्भरता अब समाप्त हो गई है। इस समय हम एक भी इंजिन बाहर से नहीं मंगा रहे हैं। कुछ पुर्जे अभी तक हम नहीं बना पाये है जिनका विदेशों से आयात करना पड़ता है। हालांकि उनका मूल्य बहुत अधिक नहीं है+फिर भी विदेशी मुद्रा की कमी के कारण कुछ कठिनाई हुई है। पूर्जे आयात करने में विलम्ब हुआ है। इसी कारण अपेक्षित उत्पादन न हो सका। परन्तु उत्पादन कम नहीं हुआ है।

श्री एस० बी० गिरी : उस समय इंजन की उत्पादन लागत कितनी थी और अब कितनी है?

श्री ललित नारायण मिश्र : ये आंकड़ें इस समय मेरे पास नहीं हैं।

Shri Madhu Limaye : It is said that the spare parts and the accessories are not being imported in time. I would like to know whether I.S.M. Washington is the name of some firm and whether there is any racket of commission in it.

Shri L. N. Mishra : The full name of I.S.M. is 'India Supply Mission' and there is Indian staff in it. It is not a company. If there is a racket it is not in my knowledge.

Shri R. R. Sharma : There is a contradiction in the reply given by the hon. Minister. On the one hand he says that there has been no financial loss and on the other he says that production suffered during 1973-74. If the target has not been achieved, how can it be claimed that there has not been any loss ?

Shri L. N. Mishra : There are two separate things. One is whether we are getting expected profit or return and the other is whether we are suffering any loss. Here I want to make it clear that though we are not getting as much as we expected, yet it is not running in loss.

बर्दवान स्टेशन का पुनर्निरुपण

*793. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्दवान स्टेशन (पूर्व रेलवे) का पुनर्निरुपण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस स्टेशन से प्रतिदिन औसतन कितनी यात्री गाड़ियां चलती हैं?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 63 जोड़ी गाड़ियां।

श्री एस० एन० सिंह देव : बर्दवान स्टेशन काफी भीड़-भाड़ वाला स्टेशन है। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, इस स्टशन से प्रतिदिन 63 जोड़ी गाड़ियां गुजरती है। उन्हें इस बात की जानकारी भी है कि सरकारी क्षेत्र की बर्नपुर तथा दुर्गापुर स्थित दो इस्पात परियोजनायें भी इसी क्षेत्र में है। इन इस्पात कारखानों के लिए रेलवे को लौह-अयस्क, चूना-पत्थर आदि काफी मात्रा में पहुंचाने के लिए कई गाड़ियां चलानी पड़ती है। इतना ही नहीं, कलकत्ता तथा इसके उपनगर हमारे देश का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह है और इस स्टेशन से आये दिन काफी संख्या में श्रमिक आते-जाते रहते है। इसके परिणाम स्वरूप तथा इतने अधिक यातायात के कारण बर्दवान रेलवे स्टेशन से चलने वाली स्थानीय गाडिया तथा लम्बी यात्रा वाली गाडियां या तो विलंब से चलाई जाती है या इसी स्टेशन पर रोक दी जाती है। अतः इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह बर्दवान रेलवे स्टेशन का पुनर्निरुपण करने के प्रश्न पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री एल० एन० मिश्र : बर्दवान स्टेशन महत्वपूर्ण है, इसके बारें में मुझे कोई संदेह नहीं है । इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या वहां कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि अत्यावश्यक सुविधायें, जैसे कि औरतों तथा पुरुषों के लिए अलग-अलग अपर क्लास के प्रतीक्षालय कक्ष, प्रतीक्षालय-गृह, आठ बिस्तरोंवाला विश्राम कक्ष, पीने के पानी के पांच पियाऊ, शौचालय आदि वहां उपलब्ध है । अब पांचवीं योजना में अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए, हमने विभिन्न स्टेशनों के लिए और अधिक अच्छी सुविधायें उपलब्ध कराने की एक योजना तैयार की है । इस समय मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि बर्दवान को इसमें शामिल किया जायेगा या नहीं । उसी रेलवे के अन्य स्टेशनों की तुलना से बर्दवान स्टेशन पर भी विचार किया जायेगा ।

श्री एस० एन० सिंह देव : क्या उन्हें इस तथ्य कि जानकारी है कि गाड़ियों के विलम्ब से चलने पर उक्त स्टेशन पर कुछ ऐसी घटनायें हुई है जिनके परिणाम स्वरुप वहां कई सत्याग्रह भी हुये है ? इन बातों को दृष्टिगत रखते हुये और साथ ही इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुये कि कलकता तथा इसके औद्योगिक समूह से आने-जाने वाले यात्रियों को संख्या की तुलना में स्टेशन पर उपलब्ध सहूलियतें बहुत कम है, क्या मंत्री महोदय अपने निर्णय पर पूर्नविचार करेंगे और यातायात सम्बन्धी अन्य सुविधायें उपलब्ध करवायेंगे और साथ ही बर्दवान स्टेशन पर भी अधिक सुविधायें उपलब्ध करवायेंगे ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं पहले ही बता चूका हूं कि बर्दवान बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है, यात्रियों के लिये वहां आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं। परन्तु फिर भी यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं इस पर पुर्नविचार कर लूंगा और यह देखने का प्रयत्न किया जायेगा कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री महोदय को मालूम ही है कि बड़ी लाइन, ग्रैंड 'कार्ड' लाइन, शांतिनिकेतन से गुजरने वाली साहिबगंज लाइन और कटवा से बर्दवान तक की छोटी लाइन, यह सभी लाइनें, तथा माल गाड़ियां, सवारी गाड़ियां और यहा तक की राजधानी एक्सप्रेस सभी बर्दवान स्टेशन से गुजरती है और हावड़ा जो कि कलकत्ता में ही है, पर आकर समाप्त हो जाती है। साथ ही पांचवी योजना के दौरान माल तथा सवारी दोनों प्रकार के यातायात में ओर वद्धि होगी । इन तथ्यों के सन्दर्भ में मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या आसनसोल से बर्दवान और हावडा से बर्दवान तक के लिये टर्मिनल सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए तथा रेलवें लाइनों का पुर्निरुपण करने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी और क्या इन सुविधाओं में कोई बढौतरी की जायेगी और उनका पुर्ननिरुपण किया जायेगा ? यदि नहीं तो वहां रेल कार्य अस्तव्यस्त हो जायेगा तथा इससे यात्रियों में असंतोष फैलेगा । मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पांचवी योजना के दौरान बर्दवान रेलवे स्टेशन का पुर्ननिरूपण करने तथा रेलवे लाइनों को पुन:बिछाने तथा अधिक टर्मिनल सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री एल० एन० मिश्र : सदस्य महोदय ने भी वही प्रश्न पूछा है । बर्दवान स्टेशन महत्वपूर्ण है, इसके बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है। जहां तक वहां और अधिक सुविधायें उपलब्ध करवानें का प्रश्न है उसके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि पांचवीं योजना के दौरान जब अन्य स्टेशनों के बारे में निर्णय किया जायेगा तो उस समय माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों के सन्दर्भ में बर्दवान स्टेशन पर भी विचार किया जायेगा ।

श्री कृष्णचंद्र हाल्दर : क्या आप बर्दवान आसनसोल को उपनगरीय क्षेत्र घोषित करने जा रहे है ?

श्री देवेन्द्र नाथ महाता : अभी-अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि किसी रेलवे स्टेशन का पुनर्निरूपण करने के लिए तीन शर्तों पर मुख्य रूप से विचार किया जाता है अर्थात उसकी आर्थिक उपादेयता, उपयोगिता और प्रशासनिक पहलू; अतः क्या बर्दवान स्टेशन पांचवीं योजना के दौरान पुनर्निरूपण सम्बन्धी यह सभी शर्तें पूरी करता है या नहीं ?

श्री एल० एन० मिश्र : बर्दवान शर्तों को पूरा करता है, यह कोयला-खनन प्रधान क्षेत्र है । मैं जानता हूं कि यह काफी महत्वपूर्ण है । इसलिए तो मैंने कहा कि इस पर विचार किया जायेगा ।

यूनियन कारबाइड द्वारा पोलिएथिलीन पावडर और एलकोहल का उत्पादन

*794. **श्री मधु लिमये** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युनियन कारबाइड की कम तथा अधिक गाढ़ेपन वाले (लो एन्ड हाई डेन्सिटी) पोलीएथिलीन पाउडरों के उत्पादन की क्षमता क्या है ;

(ख) उनका वास्तविक उत्पादन कितना है ;

(ग) क्या हाल ही में उनकी क्षमता बढ़ाई गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ड.) भारत सरकार का पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड कम गाढ़ेपन वाले पोलीएथिलीन का उत्पादन कब आरंभ करेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ड.) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

युनियन कारबाईड द्वारा पोलीएथीलीन पाउडर और एलकोहल का उत्पादन

(क) और (ख) मेसर्स युनियन कारबाइड (इंडिया) लि० को प्रतिवर्ष 9,000 मीटरी टन लो डेंसिटी पोलीएथीलीन का उत्पादन करने के लिये लाइसेंस दिया गया है । गत 3 वर्षों के दौरान उनका उत्पादन इस प्रकार था :—

1971 .	15,105 मीटरी टन
1972 . . .	15,345 मीटरी टन
1973	14,764 मीटरी टन

(ग) और (घ) निम्नलिखित कारणों से उन्हें लो-डेंसिटी पोलीएथीलीन का निर्माण करने के लिये अपनी क्षमता प्रतिवर्ष 20,000 मीटरी टन तक बढ़ाने की इजाजत दे दी गई है :—

(i) आगामी दो वर्षों में लो डेंसिटी पोलोएथीलिन की मांग में काफी वृद्धि हो जाने की आशा है । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काफी क्षमता स्थापित किये जाने के बावजूद भी यह आशा है कि आगामी कुछ वर्षों में मांग उत्पादन से काफी बढ़ जायेगी ।

(ii) मेसर्स युनियन कारबाइड की विस्तार योजना के थोड़े ही समय में कार्यान्वित हो जाने की आशा है ।

(ड.) भारतीय पेट्रो-रसायन निगम द्वारा 1976 में लो-डेंसिटी पोलीएथीलीन का उत्पादन शुरू कर देने की आशा है ।

Shri Madhu Limaye : He has stated in his reply that sanctioned production capacity of low-density polyethylene was 9,000 tonnes. Supposing that 25 per cent excess production was allowed since 1965, it comes to 11,225 tonnes and in 1972, the actual production was 15,345 tonnes. This clearly shows that additional machinery and equipment etc. was imported in the very beginning and this Government was cheated by this company. In my question I had also asked about the high-density polyethylene. He has not replied to that. I wanted to know whether this company was allowed to produce High-Density Polyethylene in the name of diversification. A company of Mafatlal Group is a monopoly concern in this field. First of all, I would like to know whether this company was allowed to diversify its production and this company had increased the initial production capacity upto 15,000 tons and despite that the company is being allowed to expand further?

Shri Shahnawaz Khan : It is a fact that licensed capacity was 9,000 tonnes and they had produced 15,345 tonnes in 1972 and 14,764 tonnes in 1973. Under Fuller Utilization Scheme, a company may increase its production upto two hundred per cent without importing additional machinery and equipment. . .

Shri Madhu Limaye : Is it by magic?

Shri Shah Nawaz Khan : Now this company has been allowed to expand its production capacity upto 20,000 tonnes. In fact there are only two companies which are producing low-density polyethylene. At present there are three thousand firms in the country employing three lakhs employees. They are generally small-scale units which are unable to get the raw materials. They submit applications for importing it from abroad. We want that they should increase their production upto 15,000 or 20,000 or even 30,000 tonnes. . .

Shri Madhu Limaye : If the production capacity was 9,000 tonnes how could it go upto 15,000 tonnes? In what way is the capacity assessed? What is the criterion of allocating foreign exchange ? Is it the Government ? He should also reply regarding the diversification.

Shri Shahnawaz Khan : Regarding the diversification, I would like to say that there is only one firm in the country, which belongs to Mafatlal Group and has been producing high-density polyethylene. No other firm has been allowed diversification and no other firm has applied for it either. But the need of the hour is to increase the production of polyethylene rapidly, because thousands of industries are starving due to its non-availability. . .

Shri Madhu Limaye : How could the production be doubled without allocating foreign exchange or importing the machinery ?

Shri Shahnawaz Khan : The production could also be increased by making certain alterations in the machinery. Such alterations could also be made within the country. If a company increases its production, it is a good thing.

Shri Madhu Limaye : This means that foreign companies should be allowed to indulge in an open loot?

Shri Shahnawaz Khan : There is no hurdle in the way of indigenous companies to increase their production. But if indigenous companies do not increase their production and others should also not be allowed, would be a wrong policy.

Shri Madhu Limaye : Now all the Members have come to know of the reality.

Indian Petro-chemicals Corporation Ltd., a Government concern of Baroda had to start the production of low-density polyethylene by the end of Fourth Plan, but now the hon. Minister is saying that the production would start after two years. I would like to know whether Indian Petro-chemicals Corporation Ltd. had any contract with Engineers India Ltd., whose Chairman is Shri M. S. Pathak and who has

been found involved in the racket of New Friends Co-operative House Building Society. He had to surrender his plot. According to my information, the construction and design of this plant is being delayed in the name of foreign collaboration so that production might not start earlier and foreign companies may exploit this country in the name of shortage and may repatriate the profits abroad.

Shri Shahnawaz Khan : I strongly contradict this allegation that production is being delayed deliberately or being obstructed. It is absolutely wrong and to think like that is also very wrong. Shri Pathak, whose name has been mentioned by the hon. Member is one of the top-most Engineers of our country. He is the member of Planning Commission and he is a person of whom we could be proud. Such an aspersion should not be cast on him. (*Interruptions*)

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I have asked a very specific question. I would like to know whether the construction of this plant is being delayed by Engineers India Limited in the name of foreign collaboration?

Shri Shahnawaz Khan : I would like to humbly submit that it is our endeavour to increase the percentage of indigenous components as much as possible in our Petro-Chemicals. Fertilisers and Steel Projects and to reduce imported parts. Engineers India Limited is making efforts in this direction. Sometimes certain parts do not match or any other difficulty arises. But it is not good to doubt their integrity.

श्री के० गोपाल : विवरण में यह कहा गया है कि उनकी लाइसेन्स प्राप्त उत्पादन-क्षमता 9,000 टन थी। (क) उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? (ख) मंत्री महोदय ने यह कहा है कि मांग के काफी मात्रा में बढ़ने की सम्भावना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है? क्या मांग की पूर्ति सरकारी क्षेत्र के कारखाने द्वारा की जायेगी अथवा सरकार इसकी पूर्ति गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों के उत्पादन द्वारा करने की अनुमति देगी?

श्री शाहनवाज खां : मोटे तौर पर लो-डेन्सिटी पोलिथीलीन की वर्तमान मांग लगभग 45,000 टन है। इसमें बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है और लघु उद्योग क्षेत्र से इसके लिए भारी मांग की जा रही है। जैसा कि मैंने कहा है, उक्त क्षेत्र में 3,000 कारखाने हैं और उनमें से प्रत्येक कारखाना अपने उत्पादन का विस्तार करने और अपने उत्पादों का निर्यात करने के लिए उत्सुक है। वे अच्छा काम कर रहे हैं और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हें कच्चे माल की कमी न होने पाये।

अन्य प्रश्न के उत्तर में मैं यह बताना चाहूंगा कि उन्हें उत्पादन-क्षमता का 20,000 टन तक विस्तार करने की अनुमति है।

श्री मोहनराज कलिंगरायर : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि लो-डेन्सिटी पोलिथीलीन का उत्पादन केवल दो कम्पनियां कर रही हैं और वह तथा यहां उपस्थित सभी सदस्य इस बात से परिचित हैं कि सारे देश में पोलिथीलीन की भारी कमी है। उन्होंने यह भी कहा कि यूनियन कार्बाइड को अपना उत्पादन 9,000 टन से बढ़ाकर 20,000 टन करने की अनुमति दे दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वे कोई नई कम्पनी बनाने जा रहे हैं अथवा उन्हें पहले की कम्पनी का विस्तार करने की अनुमति दी गई है और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मशीनरी का आयात करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी?

श्री शाहनवाज खां : विदेशी मुद्रा कतई खर्च नहीं होगी और किसी भी प्रकार का विदेशी सहयोग नहीं किया जायेगा। वर्तमान क्षमता में वृद्धि करके ही वे उत्पादन को 20,000 टन तक बढ़ाएंगे।

Translation of Manuals and Forms in Hindi and Other Regional Languages

*796. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Railway manuals number about 430;

(b) whether the number of various forms used in the Railways is about 2500; and

(c) the present position in regard to their translation into Hindi and other regional languages?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्रा) : (क) और (ख) जी हां, ये आंकडे सभी रेलों को मिलाकर है।

(ग) हिन्दी अनूदित रेल नियमावलियों तथा फार्मों की कुल संख्या क्रमश: 172 और 288 है। जहां तक प्रादेशिक भाषाओं में इनके अनुवाद का प्रश्न है, आंकडे तत्काल उपलब्ध नही है।

Dr. Laxminarayan Pandeya: The hon. Minister has not stated the number or manuals and forms which have been translated into various languages. The hon. Minister may please intimate the position of translation of Railway manuals and forms etc. into various regional languages alongwith Hindi. Is it a fact that in Hindi-speaking areas Forms are made available in Marathi whereas in Marathi-speaking areas forms are made available in Gujarati? Will the hon. Minister make arrangements to ensure that forms are made available in the required language?

Shri L. N. Mishra: I think it is not correct to say that in Maharashtra, Gujrati forms and in Hindi-speaking areas Marathi forms etc. are made available. The hon. Member is a member of Hindi Advisory Committee. Recently a meeting of the Committee was held. We stressed therein that the regional languages should get as much encouragement as Hindi and that there should be no conflict amongst them. We are trying to get forms etc., translated into regional languages.

Dr. Laxminarayan Pandeya: In the North Zone, the number of manuals and Forms translated into Hindi is stated to be 172 and 278 respectively whereas their total number is very high. Can the hon. Minister fix some time limit so that the translation work is expedited and the translation of forms etc. is made available in Hindi as early as possible?

Shri L. N. Mishra: A programme has been drawn up in this regard and there is a Hindi Advisory Committee which looks after this job. I cannot say when this work would be completed but the process is on.

Shri M. Ram Gopal Reddy: May I know what is the necessity of translation into regional languages when people throughout the country are learning Hindi? Recently when the hon. Minister visited Hyderabad he delivered his speech in Hindi. When he was asked whether translation of his speech was necessary, the entire audiance of 50,000 people replied that translation was not necessary, as they understood it. This is the position in regard to South. In the circumstances what is the necessity of wasting time and money on translation?

Shri L. N. Mishra: This is the personal opinion of the hon. Member, but the reality is far from it. It is true that translation of my speech in Hyderabad was not demanded. That is an Urdu-speaking area but it became necessary to speek in English in Vijayvada in the state of the hon. Member. Similarly, in Tamilnadu, Kerala and Bengal the people feel the necessity of speeches in their own language. We want to encourage and develop the regional languages.

Shri Bhagirath Banwari : The hon. Minister has first stated that arrangements for translations of all the forms into regional languages have been made. May I know whether there is any provision for translation of charts of tickets of the railways? The charts prepared these days are not translated into Hindi or regional languages, which causes great hardship. May I know whether he would give attention towards its translation into Hindi and regional languages?

Mr. Speaker : This is a suggestion for action.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मंत्री महोदयने स्वीकार किया है कि 430 के लगभग रेलवे नियमावलियां हैं। इतनी अधिक नियमावलियों के कारण क्या प्रशासन को-कर्मचारियों को नहीं—उनकी विषयवस्तु के बारे में पूरी जानकारी नहीं है? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या उन्हें हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते समय उन सभी नियमावलियों का विशेष अध्ययन किया जायेगा ताकि एक व्यापक रेलवे नियमावलि तैयार की जा सके?

श्री एल० एन० मिश्र : हम इस पर विचार करेंगे।

Shri Ramavtar Shastri : In various regions of our country, numerous railway employees, especially class IV employees, who do not know English find difficulty in filling these forms. May I know whether in this connection consultations have been made with the Hindi consultative Committee of the Ministry of Home Affairs? Has it been stressed that pay-bills be printed in Hindi etc. If so, what action has been taken or proposed to be taken in this regard?

Shri L. N. Mishra : Sir, I am not aware of any circular having been issued by Hindi Consultative Committee of the Ministry of Home Affairs, but I shall look into it. But I may add that it is impossible to translate all pay-bills into Hindi. It is not such an easy job.

रेलवे गतिरोध के कारण इस्पात का और जमा हो जाना

+

*799. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे गतिरोध के कारण इस्पात संयंत्रों में और इस्पात जमा हो गया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) लगातार कर्मचारी आन्दोलन होने और दूसरे बाह्य कारणोंसे रेल संचालन अस्त-व्यस्त हो जाने के कारण पिछले कुछ महीनों में इस्पात कारखानों में रखे इस्पात के सामान और कच्चे लोहे के स्टाक में कुछ वृद्धि हुई है। रेलो के सामने आने वाली कुल बाधाओं के अन्तर्गत इस्पात कारखानोंसे इस्पात के सामान की निकासी के लिए उच्च अग्रता प्रदान की गयी है और इस्पात कारखानों के साथ दैनिक आधार पर घनिष्ठ समन्वय कायम रखा जा रहा है।

श्री पी० गंगादेव : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि रेलवें गतिरोध का कारण श्रमिक असंतोष है, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे में पुनः सामान्य स्थिति स्थापित करने के सरकार के प्रयत्नों के प्रति श्रमिक संघो का रवैया क्या रहा है?

श्री एल० एन० मिश्र : यह बहुत पेचीदा और सूक्ष्म मामला है । आज 23 तारीख है । दुर्भाग्यवश आज के लिए हमें अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल का नोटिस मिला हुआ है । मैंने उनसे अपिल की थी । ऐसा सुनने में आया है कि यद्यपि बातचित चल रही थी फिर भी हड़ताल का नोटिस दे दिया गया है ।

श्री पी० गंगादेव : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि इस्पात संयंत्रों से तैयार माल ले जाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है और इस कार्य के लिए इस्पात संयंत्रो के साथ प्रतिदिन सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है । अत: इस सन्दर्भ में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि चालू मौसम में इस्पात सयंत्रों को कुल कितने वेगन सप्लाई किये गये तथा उनकी वैगनों की मांग कितनी थी ?

श्री एल० एन० मिश्र : भारतीय रेलवे द्वारा की गई इस्पात की ढुलाई के तुलनात्मक आंकडों का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस्पात सयंत्रों को कोयले की सप्लाई बनाये रखने में वैगनों की कमी के कारण कुछ विघ्न पड़ा है अथवा क्या रेल मंत्रालय इस्पात सयंत्रों की आवश्यकतानुसार उन्हें वैगन सप्लाई करने में असमर्थ रहा है ? क्या दोनों मंत्रालयो में कोई तालमेल है ? यदि हां, तो नये प्रस्तावो की विशेषतायें क्या है ?

श्री एल० एन० मिश्र : दोनों मंत्रालयों में पूर्ण तालमेल है । श्री मालवीय और मैं तथा दोनों मंत्रालयो के अधिकारी प्रत्यक सप्ताह बैठक करते हैं । परन्तु यह सत्य है कि हम उन्हें अपेक्षित मात्रा में कोयला सप्लाई करने में समर्थ नहीं रहे हैं । काफी समय पहले एक तालमेल समिति का गठन किया गया था और साथ ही रेल भवन में एक ऐसे नियंत्रण कक्ष का निर्धारण किया गया था जहाँ बैठकर दोनों मंत्रालयों के सम्बद्ध अधिकारी यह निर्णय कर सकें कि किन परिस्थितियों मे किस स्थान को कोयला भेजा जाय । उन्होंने एक सूत्र बनाया हुआ है जिस के अनुसार यह निश्चय किया जाता है कि कौन से स्थान पर पांच दिन का कोयले का स्टाक बनाये रखा जाये तथा कौन से स्थान पर 11 दिन का । वे इस आधार पर कार्य करते हैं । परन्तु श्रमिक असंतोष के कारण यह सूत्र भी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता ।

Shri R. S. Pandey : In the history of Railways, perhaps last year and this year too appear to be full of bottlenecks. The essential goods are accumulating. The prices are increasing. In view of this critical situation, may I know if he will make use of his political wisdom—for which he is very popular—and evolve some procedure to overcome the present bottlenecks after consulting all the trade unions, whether they are Leftists or Rightists?

Shri L. N. Mishra : Mr. Speaker, Sir, the issue of agitations has been raised, though the question is related to coal. Therefore, I want to make a submission. When negotiations were in progress, Shri Qureshi's father expired and hence the dialogue was held up. I requested the trade union leaders to restart the dialogue after 27th when he would be free from the last rites. But I am sorry to state that my appeal was not heeded and the strike notice was served. I request them to wait till the 27th . . . (*Interruptions*)

प्रो० मधु दण्डवते : चूंकि मंत्री महोदय पहले ही इस प्रश्न के परिपेक्ष में

श्री एल० एन० मिश्र : मैं नहीं लाया बल्कि सदस्य लाये हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : चूंकि उन्होंने रेलवे हड़ताल का जिक्र किया है तथा बताया है कि उससे सम्बधीत बातचीत किस प्रकार असफल हुई, अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पहले ऐसा नहीं हुआ है कि हड़ताल के नोटिस से, हड़ताल के होने तक के समय में ही बातचीत से समझौता हो गया हो और यदि हां, तो क्या वह इस बात के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे कि बातचीत द्वारा समझौता करके रेलवे कर्मचारियों की उचित मांगों को मान लिया जाये ताकि इसके परिणामस्वरूप गतिरोध उत्पन्न न हो और इस्पात जमा न हो जाये ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने यह कभी नहीं कहा कि बातचीत के लिये हमारा दरवाजा बंद है। वह सदा उनके लिये खुला है। मैं बातचीत का सदा स्वागत करूंगा। बात तो केवल इतनी ही है कि मैं यह चाहता हूं कि चेयरमैन के 27 तारीख के आने पर ही बातचीत आरम्भ की जाये। यदि बातचीत के माध्यम से कोई समझौता हो सकता है, तो मुझे उससे बहुत खुशी होगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि श्री कुरेशी उपलब्ध नहीं हैं तो श्री मिश्र तो हैं। वह मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं। रेलवे बोर्ड पर मेरा आरोप है कि वह बातचीत को असफल बनाने का प्रयत्न कर रहा है।

श्री ए० पी० शर्मा : यह सत्य है कि सभी तो नहीं, हां कुछ संघों द्वारा हड़ताल का नोटिस दिया गया है। इस मामले के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस तथ्य को दृष्टिगत न रखते हुए कि कुछ ही संघों द्वारा हड़ताल का नोटिस दिया गया है, बातचीत जारी रहेगी और कुछ न कुछ समझौता किया जा सकेगा ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं बातचीत के लिये तैयार हूं। मैं केवल इतना ही जानता हूं कि यह बातचीत श्री कुरेशी द्वारा ही जारी रखी जाय क्योंकि उन्होंनें आधा कार्य कर लिया है और यदि इन परिस्थितियों में मैं बीच में आ जाता हूं तो सम्भवतः उससे उतना लाभ न हो सकेगा। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि वह केवल 4 दिन और इन्तज़ार कर लें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : एक रेलवे कर्मचारी होने के नाते मैं भी एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक रेल यात्री होने के नाते श्री पीलूमोदी भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री पीलू मोदी : इन प्रश्न में मंत्री महोदय एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात ले आये हैं। रेल उपमंत्री महोदय के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए निश्चय ही हम सब को बहुत खेद है। परन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि उनके साथ जो कुछ हुआ उसके सम्पूर्ण सरकार का कार्य कैसे रुक गया। अब इस सन्दर्भ में एक और बात कह दी गई है कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन उपलब्ध नहीं है . . .

श्री एल० एन० मिश्र : ऐसा किसने कहा है ? वह तो उपलब्ध हैं। मैंने कहा था कि श्री कुरेशी जो कि उस समिति के चेयरमैन हैं, वह अभी उपलब्ध नहीं हैं।

श्री पीलू मोदी : यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब हमारे समक्ष ऐसा महत्वपूर्ण मामला है जिसका प्रभाव हमारे सम्पूर्ण राष्ट्र पर पड़ सकता है, तो फिर किसी एक व्यक्ति की अनुपस्थिति, चाहे वह प्रधान मंत्री ही क्यों न हो, सम्पूर्ण कार्य को कैसे रोक सकती है ? अतः यह निश्चित है कि श्री कुरेशी की अनुपस्थिति में भी मंत्री महोदय के माध्यम से यह बातचीत जारी रहनी चाहिये, चाहे वह इसके लिये मंत्री महोदय को घर पर कुछ अधिक कार्य करना पड़े, ताकि वह यह जाने पायें कि अब तक की बातचीत में क्या हुआ है।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं इसकी पृष्ठभूमि का अध्ययन करना चाहूंगा। कल ही मैंने रेल कर्मचारियों की हड़ताल संबंधी संघर्ष समिति के संयोजक को बुलाया था और उसके साथ बातचीत की थी। मैंने केवल इतना ही कहा कि श्री कुरेशी द्वारा बातचीत की जा रही थी और वह उससे काफी संतुष्ट थे। श्री कुरेशी

द्वारा आधे से अधिक कार्य किया जा चुका है। इसीलिय मेरा विचार है कि यदि यह कार्य श्री कुरेशी को ही करने दिया जाये तो अच्छा होगा और यदि ऐसा करने में कोई और कठिनाई सामने आयेगी, तो मैं भी बीच में आने को तैयार हूं यदि वह अपने हड़ताल के नोटिस के बारे में ईमानदारी बरतते हैं तो फिर 8 मई से हड़ताल होगी। अतः उनके पास 10 दिन का समय है। उन्हें इस महीने को 27 तारीख को बैठक करनी चाहिये। हम बातचीत करने के लिये तैयार हैं। और इन मामलों के बारे में हमारी स्थीति पूर्णतया स्पष्ट है।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से यह स्पष्ट है कि वह इस मामले को कितना महत्व देते हैं।

श्री अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने रेल कर्मचारियों से हड़ताल न करने का अनुरोध किया है। क्या वह वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं ? ....

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न के लिये कह चुका हूं।

पी० बी० सी० के उत्पादन में नेफ्था के प्रयोग पर रोक

*800. **श्री प्रबोध चंद्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पी० बी० सी० के उत्पादन में नेफ्था के प्रयोग पर रोक लगा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका पी० बी० सी० उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है किन्तु भविष्य में विविध आवश्यक उपयोगों के लिये नेफ्था की कुल उपलब्धता पर का विचार करते हुए यह आवश्यक समझा जाता है कि कैल्शियम कार्बाइड पर आधारित पी० वी० सी० के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए।

श्री प्रबोध चंद्र : यद्यपि नेफ्था के प्रयोग पर कोई रोक नहीं है परन्तु फिर भी इस माल की कमी को दृष्टिगत रखते हुए कुछ उपचारात्मक कदम उठाये जाने की संभावना है। अतः इससे पूर्व कि इस कार्य में और अधिक विलम्ब हो और देश को उसके लिये हानि उठानी पड़े, क्या सरकार का विचार सम्बद्ध उद्योगों को कोई अनुदेश जारी करने का है ?

श्री शाहनवाज खां : ऐसा पहले ही किया जा चुका है। व्यापार संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा पहले ही अनुदेश दिये जा चुके हैं कि पी० बी० सी० उद्योग के लिये नेफ्था का प्रयोग जहां तक हो सके, कम से कम किया जाना चाहिये।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह कानूनी अनुदेश है या केवल सरकार द्वारा दिया गया सुझाव है ? जब तक इनके पीछे कानूनी शक्ति नहीं होगी, तब तक कोई भी इनका पालन नहीं करेगा।

श्री शाहनवाज खां : यह उत्पादन पांच एककों द्वारा किया जा रहा है। इनमें से कुछ ने तो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग आरम्भ कर दिया है और कुछ ने अभी नहीं किया होगा।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह था कि क्या इन अनुदेशों के पीछे कोई कानूनी सत्ता है या नहीं ?

श्री शाहनवाज खां : यह केवल मार्गदर्शी सिद्धांत है।

27 दिसम्बर, 1973 को रतलाम में रेल गाड़ी में डकैती

***801. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 दिसम्बर, 1973 को रतलाम में रेलगाड़ी में डकैती हुई थी ; और

(ख) यदि हां, कितने मूल्य का सामान लूटा गया ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यक्ष महोदय : जब डकैती ही नहीं हुई तो फिर आप अनुपूरक प्रश्न क्या पूछेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : मंत्री महोदय अपने उत्तर तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते समय प्राय: व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं। परन्तु मेरे प्रश्न के बारे में उन्होने बहुत सीमित दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होने प्रश्नों के शब्दों की ओर अधिक ध्यान देते हुए उसकी भावना की अवहेलना कर दी है। मैंने पूछा था कि क्या 27 दिसम्बर को डकैती हुई थी। वास्तव में डकैती की घोषणा 27 तारीख को की गई थी जबकि वास्तव में डकैती तथा लूट की घटना 19 तारीख को घटी थी, कुछ व्यक्ति गिरफ्तार भी किये गये थे ।

अध्यक्ष महोदय : डकैतियां तो होती ही रहती हैं। आपने तो 27 तारीख की डकैती के बारे में पूछा था ।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : मंत्री महोदय ने प्रश्न की भावना की उपेक्षा उसके शब्दों की ओर अधिक ध्यान दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : डकैती में 'भावना' कहां से आ गई ?

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : डकैती तथा लूट की घटना 19 तारीख को घटी थी और 27 तारीख को इसकी घोषणा की गई थी। मैंने यह पूछा था कि कितने का माल लूटा गया है और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं प्रश्न से सम्बद्ध तथ्यों की ओर ध्यान देता हूं, उसकी भावना की ओर नहीं। मेरे पास कुछ जानकारी उपलब्ध है। रतलाम में 27 दिसम्बर, 1973 को यात्रियों की सम्पत्ति या खाद्यान्नों आदि की लूटने की कोई घटना नहीं घटी। वर्ष 1973 के दौरान रतलाम में यात्रियों की सम्पत्ति लूटने के तीन मामले दर्ज किये गये थे। इनमें लगभग 44,000 रुपये का माल लूटा गया जिसमें से 26,000 रुपये का माल बरामद कर लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : खैर ! कुछ उत्तर तो मिला ।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : रेल यात्रा में डकैती तथा लूट की घटनायें आये दिन होती रहती हैं।

इससे घटना से पहले कई घटनायें हो चुकीं थीं । उस घटना के बाद भी अनेक घटनायें हुई हैं, उस क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि उस क्षेत्र के आस-पास और अन्य स्थानों पर भी । दो या तीन दिन पहले भी, हांगकांग स्थित हमारे प्रतिनिधी की पत्नी के कन्धें में गोली लगी । मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने किसी निश्चित उपाय पर विचार किया है जिससे ऐसी घटनायें न हों ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह सच है कि रेल यात्राओं के दौरान होनेवाली चोरियों में कमी नहीं हुई है और इस बारे में हम काफी चिन्तित हैं । मैंने विभिन्न राज्यों के गृह मंत्रियों और पुलिस महानिरिक्षकों का सम्मेलन आयोजित किया था । कुछ निर्णय किये गये थे और सी० आर० पी० कर्मचारियों की संख्या दुगनी करने का निर्णय किया गया था। इसके लिए 6 करोड़ से आठ करोड रुपये तक की आवश्यकता होगी। हमने वित्त आयोग से यह अनुरोध किया था कि इतनी राशि का राज्य सरकारो को नियतन किया जाय, परन्तु अफसोस की बात है कि वित्त आयोग इसके लिए राजी नही हुआ । अब सी० आर० पी० कर्मचारियों की संख्या दुगनी करने में हमारी सहायता करने के लिए हम राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहे हैं ।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

कलकत्ता में फिल्म उद्योगों का विकास

अ० सू० प्र० संख्या 11. श्री समर गुह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता के स्टूडियों में हिन्दी फिल्मों तथा वृत्त चित्रों के निर्माण की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कलकत्ता में फिल्म उद्दयोग के विकास के लिए अन्य क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) फिल्म उद्योग गैर सरकारी क्षेत्र मे है । हिन्दी में फिल्में बनाना कलकत्ता के निर्माताओं के ऊपर निर्भर करता है जैसा कि उन्होंने पीछे किया है । अब भी पश्चिम बंगाल के कुछ निर्माताओं ने हिन्दी फिल्में बनाई है । इनमें से कुछ फिल्मों को फिल्म वित्त निगम द्वारा भी वित्तपोषित किया गया है । डाकुमेन्ट्री फिल्मों के निर्माण के लिए फिल्म प्रभाग ने अपना कुछ विधायन कार्य कलकत्ता की प्रयोगशालाओं में एक स्थानान्तरित कर दिया है । पांचवी योजना के अन्तर्गत, कलकत्ता में एक प्रादेशिक निर्माण केन्द्र स्थापित किया जाना है जो मुख्य रूप से क्षेत्र के गैरसरकारी निर्माताओं को काम देगा । कलकत्ता में एक टेलीविजन फिल्म निर्माण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधिन है ।

(ग) इस सुझाव के साथ कि सुविचारित कार्रवाई की योजना बनाने के लिए एक स्टियरिंग ग्रुप स्थापित किया जाए, दत्त जांच समिति की सिफारिशें राज्य सरकार को भेजी गई थीं । राज्य सरकार ने इस बीच पश्चिम बंगाल के फिल्म उद्योग के हितों की देख-रेख के लिए एक फिल्म विकास बोर्ड की स्थापना कर दी है। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से यह भी सिफारिश की है कि वह मनोरंजन कर के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व का 10 प्रतिशत भाग फिल्म उद्योग के सामान्य विकास विशेषकर अधिक संख्या में सिनेमाघरों के निर्माण के लिए अलग से रखे ।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि कलकत्ता में दूरदर्शन चलचित्र निर्माण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । मैं यह कहना चाहता हूं कि टेलीविजन फिल्मों के निर्माण का विस्तार करने का मैं पूर्ण विरोधी हूं, क्योंकि टेलीविजन धनी लोगों के लिए एक विलासितापूर्ण मनोरंजन का साधन है और जब तक पूरे देश के सभी लोगों को रेडियों की सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती और ग्रामीण लोगों के मनोरंजन के लिए काफी संख्या में वृत्त चित्रों का निर्माण नहीं किया जाता, टेलीविजन का विस्तार केवल धनी लोगों के मनोरंजन के लिए होने वाला व्यय है ।

इस प्रारम्भिक भूमिका के साथ मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्होंने अभी यह कहा है कि वृत्तचित्रों का निर्माण करने के लिए परिष्करण कार्य का कुछ भाग कलकत्ता स्थित प्रयोगशालाओं को स्थानान्तरित कर दिया गया है और पांचवीं योजना में कलकत्ता में एक क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वृत्त चित्रोंका स्वतंत्र रूप से निर्माण कब से प्रारम्भ होगा ?

दूसरे, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि—मैंने सलाहकार समिति में भी इस मामले को कई बार उठाया था—राज्य सरकारों के परामर्श और सहयोग से हिन्दी पोस्टरों के अभद्र प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और हिन्दी पोस्टरों के इस अभद्र प्रदर्शन को रोकने के लिए क्या सरकार कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : श्रीमान् जी, जहां तक पोस्टरों के प्रदर्शन का सम्बन्ध है . . . (**व्यवधान**)

श्री समर गुह : केवल हिन्दी पोस्टर ही नहीं। मेरा आशय फिल्मों में, विशेष रूप से बम्बई की फिल्मों मे अभद्र प्रदर्शन है और यह अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया है।

श्री आई० के० गुजराल : मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं। मैं उनकी बात समझ गया हूं। पहले भी इस बारे में मैंने राज्य सरकारों से सम्पर्क किया था और मुझे यह बताया गया है कि कुछ भद्दे पोस्टरों के मामलों में कुछ कार्यवाही शुरू भी की गई थी। मई के प्रथम सप्ताह में होने वाले सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में मैं उनका ध्यान पुनः इस ओर आकर्षित करूंगा। कलकत्ता में प्रस्तावित फिल्म डिवीजन यूनिट के बारे में मेरे साथी ने मुझे यह बताया है कि पांचवीं योजना में प्रावधान किया गया है। हमें उम्मीद है कि इस साल या अगले साल इसके लिए धन प्राप्त हो जायेगा और कार्य शुरू हो जायेगा। इस बीच कलकत्ता स्थित निर्माताओं को काम दिया जा रहा है; हम उन्हें अधिक काम देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उस क्षेत्र में अधिक संख्या में वृत्त चित्रों का निर्माण हो सके।

टेलीविजन के बारे में उनकी टिप्पनियों के सम्बन्ध में मुझे आशा है कि जब वह इस बारे में दुबारा सोचेंगे, तो अपने विचारों में परिवतन करेंगे, क्योंकि इस माध्यम में कोई त्रुटि नहीं है। प्रश्न तो यह है कि इस संचार साधन का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। हमारे देश में जहां साक्षरता अभी भी 30 प्रतिशत है, श्रव्य माध्यम की अपेक्षा दृश्य का माध्यम अधिक प्रभावी होता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि रेडियो का विस्तार किया जाना चाहिए। परन्तु हमें टेलीविजन के विस्तार के लिए भी कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। अगले साल से संचार उपग्रह के शुरू हो जाने के बाद हम 2500 ग्रामों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने जा रहे हैं, जो दूरदर्शन कार्यक्रम प्राप्त करना शुरू कर देंगे। कार्यक्रम पर एक नजर डालने के लिए हम अपने मित्र को आमंत्रित करेंगे . . . (**व्यवधान**)

पांचवीं योजना में सामुदायिक सेटों की खरीद करने के लिए 17 करोड़ रु० का प्रावधान किया जा रहा है और सामुदायिक सेटों के माध्यम से ही टेलीविजन प्रणाली सफल हो सकती है। मेरे माननीय मित्र को शिक्षा, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय एकता आदि में सहायता करने के लिए टेलीविजन के प्रयोजन को ध्यान में रखना चाहिए।

श्री समर गुह : केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को अनुकम्पापूर्ण सलाह दे रही है कि वे 10 प्रतिशत की अदायगी करें। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वित्तीय कठिनाइयों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए केन्द्रीय सरकार क्या योगदान करने जा रही है ? मैंने अभी हाल में एक बंगाली फिल्म 'जदुबंगश' देखी थी, मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि वह 'बॉबी' से भी खराब थी। इस बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि सेन्सर बोर्ड का गठन करते समय क्या उसमें एक तिहाई सदस्यों के रूप में शिक्षा विदों को भी शामिल किया जायगा, जिससे 'जदु बंगश' किस्म की फिल्मों का निर्माण न होने पाये।

4—17 LSS/74

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक सेन्सर बोर्ड का सम्बन्ध है, मेरे माननीय सदस्य को यह याद होगा कि एक विधयक इस सदन में विचाराधीन है और इस सत्र में उस विधेयक को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

सेन्सर बोर्ड का पुनर्गठन उस कानून के अनुसार किया जायेगा । जहां तक निर्माताओं की सहायता करने का सम्बन्ध है, हमने पश्चिम बंगाल और अन्य क्षेत्रीय निर्माताओं से बातचीत की थी, हम उन्हें यह सलाह दे रहे हैं कि उन्हें अपनी फिल्मों की 'डबिंग' हिन्दी में भी करनी चाहिए । मैं पिछले रविवार को कलकत्ता में था और तब भी मैंने उनसे बातचीत की थी । हम इसके लिए उन्हें ऋण देने के लिए भी तैयार हैं । इससे हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के लोगों को अन्य क्षेत्रों में बनने वाली बेहत्तर फिल्में दिखाने में सहायता मिलेगी । जहां तक अन्य प्रकार की सहायता का सम्बन्ध है, पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही एक फिल्म बोर्ड का गठन कर चुकी है और उसके लिए 25 लाख रुपया अलग रखा गया है । वे उसमें से पचास प्रतिशत राशि फिल्म निर्माताओं को ऋण के रूप में वितरित कर चुके हैं । मैंने पिछले रविवार को मुख्य मंत्री से बातचीत की । उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि पहले से उपलब्ध धन का ही पूरा उपयोग नहीं किया जायेगा, बल्कि इस वर्ष के दौरान अधिक धनराशि की भी व्यवस्था की जायेगी । जहां तक मनोरंजन-कर की वसूल हुई राशि में से 10 प्रतिशत का नियतन करने का प्रश्न है, वह सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में की गई एक सिफारिश है, जिससे अधिक संख्या में थियेटरों का निर्माण किया जा सके । पश्चिम बंगाल फिल्म उद्योग की समस्या है थियेटरों की कमी और अधिक संख्या में थियेटरों की आवश्यकता है । कुछ राज्य थियटर निगमों की स्थापना कर रहे है । मैं आशा करता हूं कि पश्चिय बंगाल भी ऐसा ही करेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिम बंगाल फिल्म उद्योग के समक्ष कठिनाइयां है और उसकी वित्तिय स्थिति खराब है, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह बंगाली फिल्मों का वंगला देश के साथ आयात-निर्यात करने के मामले पर विचार करेंगे जिससे एक विशाल वाणिज्यिक क्षेत्र खुल सके ।

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक बंगाली फिल्मों के निर्यात का प्रश्न है, हम प्रयास कर रहे हैं और अभी हाल में बंगला देश के सूचना मंत्री यहां थे । हम बंगाली फिल्मों के आयात-निर्यात के लिए व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं । बंगाली फिल्में हमारी निर्यात नीति का एक आवश्यक अंग होंगी ।

श्री बी० वी० नायक : कलकत्ता में हिन्दी फिल्मों का निर्माण किये जाने के बारे में माननीय सदस्य का प्रश्न और बम्बई में बनाई जा रही फिल्मों और उनमें मद्रास की फिल्में भी शामिल कर लीं जाय तो उन फिलमों के स्तर अभद्रता आदि के बारे उनकी टिप्पणी से नैतिक दृष्टिकोण का पता लगता है। परन्तु प्रश्न यह है कि जब तक कोई फिल्म, चाहे वह बम्बई या मद्रास या बंगलोर में बनी हुई ही क्यों न हो, कलकत्ता जा सकती है, तो उसके बारे में संकीर्ण मनोवृत्ति रखने और यह कहने का क्या कारण है कि फिल्मों का निर्माण अमुक स्थान पर होना चाहिए ? फिर दिल्ली इसकी मांग करेगा, बंगलोर भी यही मांग करेगा और हैदराबाद भी इसकी मांग करेगा । क्या इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि स्वाभाविक विकास को प्रोत्साहन दिया जाय । इसलिए कलकत्ता की बजाय, बम्बई और मद्रास में इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

श्री आई० के० गुजराल : माननीय सदस्य की बात सही है । हम सब जगह फिल्म निर्माण को बढ़ावा दे रह हैं । यदि यही कारण है कि मलयालम फिल्मों ने एक नई सफलता प्राप्त की है । आसम में फिल्में बनाई जा रही हैं । उड़िया और कन्नड़ फिल्मों का भी निर्माण हो रहा है । जहां तक पश्चिम बंगाल की समस्या का सम्बन्ध है, इसके पीछे एक कहानी है । किसी समय कलकत्ता सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्माण-केन्द्रों में से था ? निर्माण क्षेत्र, अभिनय क्षेत्र और तकनीकी पक्ष में कुछ एसे लोग ह, जो अब बेरोजगार हो गये है । यही कारण है कि हम कुछ अधिक ध्यान दे रहे हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : 'ब्लैक एण्ड व्हाइट' फिल्मों के निर्माण के बारे में कलकत्ता में निर्मित बंगाली फिल्में संकट का सामना कर रही हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार कलकत्ता स्थित स्टूडियो को पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करेगी या उनकी सहायता करेगी जिससे वे रंगीन फिल्मों का निर्माण करने के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना कर सकें और इस संकट से उबर सकें।

श्री आई० के० गुजराल : इस समय हम रंगीन कच्चे माल का आयात कर रहे हैं। हम रंगीन कच्चा माल उन निर्माताओं को आवंटित करते हैं, जो निर्धारित निर्यात गारंटी का आश्वासन देते हैं। क्षेत्रीय फिल्में निर्यात गारंटी का आश्वासन नहीं दे पाती और इसलिए वे इस सुविधा का लाभ उठाने से वंचित रह जाती हैं। हम इस बारे में अपनी नीति में संशोधन कर रहे हैं, जिससे कुछ रंगीन कच्चे माल का उपयोग करने का क्षेत्रीय फिल्मों को भी अवसर मिल सके और उनका भी निर्यात किया जा सके। इसके लिए हम उनके प्रति रियायत का रूख अपनायेंगे। जहां तक प्रयोगशालाओं का सम्बन्ध है, मेरे साथी ने स्थिति स्पष्ट कर ही दी है। दत्त समिति ने सुझाव दिया है। अब परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है और पश्चिम बंगाल सरकार इसे चालू करने के लिए उत्सुक है। मैंने पश्चिम बंगाल सरकार को सुझाव दिया है कि वह या तो स्वयं इसे प्रारम्भ करे या संयुक्त क्षेत्र में इसे प्रारम्भ करे। उन्हें इस रंगीन प्रयोगशाला की स्थापना शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रंगीन स्टूडियो की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार पर्याप्त मात्रा में धनराशि आवंटित करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका पर्याप्त रूप से खुलासा कर दिया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमान्‌जी, मुझे इस बात की खुशी है कि आप भी फिल्मों में रुचि रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप 'सौदागर' फिल्म उस समय जरूर देखेंगे, जब उसको प्रदर्शित किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक चीज में रूचि रखता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह एक बहुत अच्छी फिल्म है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि अभी हाल में एक निर्माता और बहुत अच्छे गायक श्री हेमन्त कुमार मुकर्जी ने मंत्री महोदय से भेंट की थी और यह आशा व्यक्त की थी कि बंगाल के फिल्म निर्माताओं को राज्य सरकार से ही नहीं, क्योंकि वे सहायता देने में असमर्थ हैं, बल्कि केन्द्रीय सरकार से भी सहायता मिलेगी, जिससे वे न केवल वृत्त चित्रों का ही निर्माण कर सकें, बल्कि अच्छी फीचर फिल्मों का भी निर्माण कर सकें, जिन्हें केवल भारत में ही नहीं, बल्कि बंगला देश में भी दिखाया जा सके और यदि हां, तो इस बारे में मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री आई० के० गुजराल : श्री हेमन्त कुमार ने मुझ से भेंट की थी और मैंने अपनी प्रतिक्रिया उन्हें बता दी है, जो अनुकुल है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : नई पीढ़ी पर वर्तमान फिल्मों के विनाशकारी प्रभाव को समाप्त करने के लिए और एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार

के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय एकता की भावनावाली फिल्मों का क्षेत्रीय भाषाओं में निर्माण करने और पुरस्कृत फिल्मों का एक क्षेत्रीय भाषा से दूसरी क्षेत्रीय भाषा में निर्माण करने के लिए व्यक्तिगत निर्माताओं को सहायता दी जाय जिससे देश-भर की जनता पुरस्कृत फिल्मों को देख सके और उनकी सराहना कर सके ?

श्री आई० के० गुजराल : जैसा कि मैंने एक अन्य अवसर पर कहा, जहां तक फिल्मों में सुधार करने का सम्बन्ध है, यह निर्माताओं को उपलब्ध वित्त पर निर्माण करता है। दुर्भाग्यवश अब यह अत्याधिक वाणिज्यीकृत वित्त है, जिस पर ब्याज की ऊंची दर वसूल की जाती है। इसलिए सरकार उपकर योजना लागू करने की सम्भावना के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे हम अधिक धन उपलब्ध कर सकें। हम तभी कार्यक्रम प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। प्रवृत्ति को केवल निर्देशों से बढ़ाव नहीं दिया जा सकता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों सम्बन्धी समिति

***795. श्री आर० बी० स्वामीनाथन् :**
श्री वैंकारिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के मूल्यों संबंधी समिति का गठन इस बीच कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं, उसके निदेश पद क्या है तथा यह अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6793/74]**

Demand made to introduce two additional trains upto Patratu (Eastern Railway)

*798. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the feasibility of introducing two additional trains upto Patratu on Eastern Railway and if so, the results thereof; and

(b) whether the passenger trains in this region run late by two to four hours and if so, the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Due to lack of adequate line capacity on the Dehri-on-Sone-Patratu-Gomoh Section and requisite terminal facilities at Patratu, introduction of any additional train from and to Patratu is not feasible at present.

(b) Yes, Sir. Due to various staff and public agitations, and a large incidence of alarm chain pullings. Constant and close liaison is maintained with State Government to deal with the anti-social elements effectively.

नागपुर (मध्य रेलवे) में रेलवे कर्मचारियों की मजूरी से कटौती

***802. श्री नरेन्द्र सिंह :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1973 के दौरान नागपूर में हुए खाद्य आन्दोलन के संबंध में नागपूर में नियुक्त मध्य रेलवे के कर्मचारियों की मजूरी से कटौती की गई है ;

(ख) इस प्रकार कुल कितनी राशि की कटौती की गई और कटौती की राशि निर्धारित करने का आधार क्या है ; और

(ग) मजूरी में यह कटौती किन विशेष आदेशों के अन्तर्गत की गई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) "काम नहीं तो वेतन नहीं" वाले सिद्धान्त के अनुसार उन रेल कर्मचारियों के वेतन में से 1.16 लाख रुपये की रकम की कटौती की गयी थी जो 19 से 28 दिसम्बर, 1973 तक नागपुर क्षत्र में हुए आंदोलन के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहे थे ।

पांचवी योजना में आदिवासियों के ग्रामों तथा हरिजन बस्तियों का विद्युती करण

***803. श्री गिरिधर गोमांगों :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवी पंचवर्षिय योजना में आदिवासियों के ग्रामों तथा हरिजनों की बस्तियों का विद्युतिकरण करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतू राज्य सरकारों को कोई अनुदेश दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके प्रति राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) पांचवी योजना के लिए जन-जातीय ग्रामों/हरिजन बस्तियों के विद्युतिकरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकारों को कोई विशेष अनुदेश जारी नहीं किये गये है। बहरहाल, पिछड़े क्षेत्रों को विशेष आवश्यकताओं से संबधित राष्ट्रोय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्राम-विद्यूतीकरण भी शामिल है, पांचवी योजना के प्रारूप में शामिल कर लिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य परियोजना रिपोर्टें तैयार करेंगे और उन्हें ग्राम विद्युतीकरण निगम को प्रस्तुत करेंगे जोकि अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत इन को वित्त व्यवस्था और अनुश्रवण करेंगे ।

अप्रैल, 1972 में सभी राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों को ये अनुदेश जारी किये गये थे कि सभी भावी स्कीमों में मुख्य ग्रामों के साथ सभी हरीजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जाए । साथ में, ग्रामविद्युतीकरण निगम को ये भी निर्देश दिये गये थे कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा स्वीकृत स्कीमों में हरिजन बस्तियां भी शामिल हों ।

उर्वरक कारखाने तथा उनका उत्पादन

***804. श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) भारत में कितने उर्वरक कारखाने काम कर रहे हैं तथा वे कहां कहां स्थित हैं ;

(ख) वर्ष 1972-73 तथा वर्ष 1973-74 के दौरान प्रत्येक कारखाने ने उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया था ; और

(ग) उक्त अवधि में प्रत्येक कारखाने में वस्तुत: उर्वरक का कितना उत्पादन हुआ ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6794/74**]

सिंचाई योजनाओं के निष्पादन द्वारा भूमि की सिंचाई

*805. **श्री गदाधर साह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार भारत में इस समय राज्यवार फसल क्षेत्रफल का प्रतिशत क्या है ; और।

(ख) वर्ष 1974-75 के दौरान सिंचाई योजनाओं के निष्पादन द्वारा कितने प्रतिशत अतिरिक्त फसल क्षेत्रफल की सिंचाई होगी और वर्ष 1973 तक प्रत्येक राज्य में वास्तव में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई हुई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6795/74**]

खान पान कर्मचारियों का स्थायी किया जाना

*806. **श्री भोला मांझी** :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० एफ० रेलवे द्वारा चलाए जा रहे खान-पान एककों में काम कर रहे सब कर्मचारी स्थायी नहीं है ;

(ख) यदि हां तो स्थायी कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या 10 से 12 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद भी कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख)

कोटि	स्थायी किये गये कर्मचारियों की संख्या
(i) खान-पान निरीक्षक	1
(ii) सहायक प्रबन्धक	2
(iii) लिपिक	3
(iv) मुख्य रसोइयां	2
(v) रसोइयां	2
(vi) सहायक रसोइया	1
(vii) वैरा	8
(viii) स्टाल कीपर	1
(ix) हम्माल	8
जोड़	28

(ग) कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें स्थायी पद न होने के कारण स्थायी नहीं किया जा सका।

मट्टी तेल की कमी के सम्बन्ध में उद्योगों के निदेशकों की बैठक

*808. **श्री धामनकर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मट्टी तेल की कमी पर विचार करने के लिए सभी राज्यों के उद्योग निदेशकों की नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो लगभग सभी राज्यों में उद्योगों को दी जाने वाली बिजली में भारी कटौती के संदर्भ में इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, ।

(ख) इस बैठक में लिए गये मुख्य निर्णय निम्न प्रकार है :—

(1) राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को मट्टी के तेल का प्रचुर कोटा दिया जायेगा।

(2) इस कोटे के सम्बन्ध में आवंटन, इसके उत्तम प्रयोग तथा वैकल्पिक ईंधनों को कार्य में लेने की प्रगति के संचारक्षण से सम्बन्धी विषयों के कार्यहेतु राज्य सरकार अपने यंत्र विन्यास की स्थापना करेगी ।

(3) उपभोक्ताओं को मट्टी के तेल की सुचार रुप से सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर उपरोक्त व्यवस्थाओं से तेल कम्पनियां सम्बद्ध होंगी ।

(4) मट्टी के तेल पर स्थाई समिति तथा राज्य सरकार में स्तर पर प्रस्तावित व्यवस्था के बीच बार बार (बहुता) विचार विमर्श होंगे ।

विद्युतचालित रेलवे इंजनों के दोषपूर्ण निर्माण के कारण रेलवे को घाटा

*809. **श्री पी० वेंकटा सुब्बया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युतचालित इंजनों के निर्माण में दोषपूर्ण डिजाइन के कारण रेलवे का भारी घाटा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितना घाटा हुआ ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि इस बजह से और घाटा न हो ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) बोगी पूर्जे कर्षण मोटर शाफ्ट जैसे कुछ उपस्करों में अभिकल्प सम्बन्धी अपर्याप्तता के कारण उत्पादन की प्रारम्भिक अवस्था में बिजली रेल इंजनों को रोक रखना पड़ा था जिसकी वजह से कुछ हानि हुई थी ।

(ख) प्रत्यक्षतः अभिकल्प की त्रुटि के कारण हुई हानि का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(ग) अभिकल्प सम्बन्धी त्रुटियों आदि को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय किये गये है ।

उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के उन स्थानों के नाम जहां अनुसूचित जाति के मतदाता मतदान नहीं कर सके

7703. **श्री अम्बेश : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में उन स्थानों के नाम क्या है जहां अनुसूचित जाति के मतदाता विधान सभा के गत निर्वाचन में मतदान नहीं कर सके ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) निर्वाचन आयोग को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि बांदा जिले (उ० प्र०) के अनुसूचित जाति के मतदाता राज्य विधान सभा के पिछले साधारण निर्वाचन में अपने मत नहीं दे सके ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स के लिए विकास परिषद का गठन

7704. **श्री के० एस० चावडा : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी विकास महानिदेशालय (औषध तथा भेषज) की विकास परिषद तथा अन्य परिषदों के सदस्यों के नाम क्या है ;

(ख) क्या विकास परिषद ने तकनीकी विकास महानिदेशालय की ओर से वाणिज्यिक प्रचार और निर्यात तालिका के लिए एक समिति नियुक्त की थी और यदि हां, तो किस संकल्प के अधीन और किस तारीख को ;

(ग) तकनीकी विकास महानिदेशालय के अधिकृत प्रकाशन होते हुए "इण्डियन फार्मेस्युटिकल्स इण्डस्ट्री–1973" के गवर्नमेंट प्रेस से प्रकाशित न होने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस पुस्तक के प्रकाशन और विमोचन से पूर्व विकास परिषद और तकनीकी विकास महानिदेशालय ने इसके विषयवस्तु का अनुमोदन किया था ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) औषधों तथा भेषजों की विकास परिषद तथा अन्य विकास परिषदों के गठन को उल्लेख उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 में किया गया है ।

(ख) 17 नवम्बर, 1971 को हुई परिषद् की बैठक में औषधों एंव भेषजों की विकास परिषद् द्वारा वाणिज्यिक प्रचार एवं निर्यात नामावली तथा अन्य नामावलियां बनाई गई थी ।

(ग) जैसा कि पिछले प्रकाशनों के बारे में किया गया था और जैसा कि विकास परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया था, प्रकाशन एक गैर-सरकारी मुद्रणालय में छापा गया था ।

(घ) और (ङ) विषय सूचियां तथा उस में फर्मों के बारे में दी गई सूचना वैसी है जैसी कि संबंधित फर्मों तथा व्यक्तियों से प्राप्त हुई है ?

रेलवे में चल रहे निर्माण कार्य का स्थगन

7705. **श्री अम्बेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में चल रहे अधिकांश निर्माण - कार्य धन की कमी के कारण सरकार द्वारा स्थगित कर दिये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इसके परिणामस्वरूप बहुत से नैमित्तिक श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं । लेकिन खर्च में किफायत करने सम्बन्धी सरकार के विनिश्चिय के अनुरूप 1973-74 में अपेक्षाकृत निम्न प्राथमिकता वाले कार्यों और योजनाओं के परिव्यय पर 10 प्रतिशत की कटौती की गयी थी । जिन कार्यालयेतर इमारतों का निर्माण बिल्कुल शुरू नहीं हुआ था अथवा अगस्त, 1973 तक जिन पर केवल कुर्सी स्तर तक निर्माण हो चुका था, उनके निर्माण पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया साथ ही यह सुनिश्चित करने का भी ध्यान रखा गया कि कटौती का रेलों के हार्ड कोर विकास कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । 1974-75 में 1973-74 की तुलना में रेलों के निर्माण-कार्यों के लिए कुछ अधिक राशि का विनिधान किया गया है लेकिन कार्यालयेतर इमारतों के निर्माण पर पाबंदी लागू रहेगी ।

(ख) और (ग) चूंकि 1974-75 में 1973-74 की तुलना में अधिक खर्च होने की सम्भावना है, इसलिए रेलों के निर्माण कार्यों में रोजगार सम्बन्धी स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

औषध उद्योग की औषधियों के मूल्यों में वृद्धि किये जाने की मांग

7706. **श्री एम० कतामतु** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधियों के मूल्यों में वृद्धि किये जाने के बारे में औषध उद्योग की मांग स्वीकार कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) औषध (नियंत्रण मूल्य) आदेश 1970 के अधीन औषध तथा भेषज एकक कच्चे माल, पैकिंग सामग्री आदि के मूल्य में वृद्धि के कारण औषधों का मूल्य बढाने के लिये आवेदन दे सकते हैं ।

राज्य विधान मंडलों और संसद् के निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय सम्बन्धी विवरण

7707. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विधान मंडलों और संसद् के लिए निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय सम्बन्धी विवरणों का सत्यापन करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन उम्मीदवारों की संख्या कितनी है जो वर्ष 1971 में हुए संसद् के गत निर्वाचन में गलत विवरण प्रस्तुत करने के दोषी पाए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क में निर्वाचन आयोग को यह शक्ति दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति उस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित समय और रीति में निर्वाचन-व्ययों

का लेखा देने में असफल रहता है तो वह उसे निरर्ह कर सकता है, तथा धारा 123(6) और 77 के अधीन यह व्यवस्था है कि यदि किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय विधि के अधीन विहित अधिकतम रकम से अधिक है तो यह भ्रष्ट आचरण होगा। इन धाराओं को छोड़ कर और कोई ऐसी मशीनरी नहीं है, जिससे किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन-व्ययों के लेखा की जांच की जा सके।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गया स्टेशन पर घटिया किस्म के खाद्य पदार्थों की बिक्री

7708. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार के गया स्टेशन पर स्थित स्टालों पर बेचे जाने वाले पदार्थों की किस्म घटिया होती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नावलजीन के फारमूले बनाने के लिए मैसर्स होचेस्ट को दिये गये औद्योगिक लाइसेंस

7709. **श्री के० एल० चावडा :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एनल्जीन के विभिन्न फारमूले तैयार करने के लिए मेसर्स होचेस्ट को दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों/अनुमोदन पत्रों के नाम तथा उनकी क्षमता, संख्या तथा लिपि क्या है ;

(क) गत तीन वर्षों में उपर्युक्त फारमूलों का उत्पादन कितना है ;

(ग) एनल्जीन के फारमूलों के अन्य उत्पादकों की संख्या कितनी है ; और

(घ) होचेस्ट को एनल्जीन के फारमूलों के लिए लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक कच्चा माल नियत किए जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) एक विवरण पत्र संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6796/74**]

(ग) आई० डी० पी० एल० जाफरो मैन्युर एण्ड कम्पनी लि०, केमो-फार्मा यूनिकम लैबोरेटरीज लि० तथा ओरियन्टल फार्मास्यूटिकल इण्डस्ट्रीज लि० के अतिरिक्त लघु तथा मध्यवर्ती उद्योग क्षेत्र में अनेक उत्पादक है जो छोटे रूप में एनाल्जीन के सूत्रयोगों अथवा अन्य औषधों का सम्मिश्रण तैयार करते हैं।

(घ) संगठन क्षेत्र में औषध एवं फार्मास्यूटिकल यूनिटों, होचेस्ट सहित को कच्चा माल उनके विगत खपत के आधार पर आबंटित किया जाता है।

मैसर्स एब्बाट्स को आयातित कच्चे माल की सप्लाई

7710. **श्री भालजीभाई परमार :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एरीर्थोमाइसीन तथा इसके लवणों का सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयात किया जाता है ;

(ख) गत तीन वर्षों में इसके आयात मूल्य (सी० आई० एफ०) क्या थे ;

(ग) क्या सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयातित अधिकतर कच्चा माल मैसर्स एब्बाट्स को सप्लाई किया जाता है ;

(घ) मेसर्स एब्बाट्स को गत तीन वर्षों में कितना माल सप्लाई किया गया तथा उसका मूल्य क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा है कि मेसर्स एब्बाट्स का प्रारम्भिक पूंजी निवेश केवल एक लाख रुपया था तथा इसे 1970-71 में 126 लाख रुपयों और 1971-72 में 101.41 लाख रुपयों का लाभ हुआ जिसका आशय है कि उसे पूंजी निवेश के सौगुने से भी अधिक लाभ हुआ ; और

(च) यदि हां, तो विदेशी फर्मों द्वारा इतनी अधिक मुनाफाखोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) और (घ) सम्बन्धित कच्चे माल की गत समय में खपत के आधार पर सारणीबद्ध कच्चा माल दिया गया है बशर्ते कि राज्य औषध नियंत्रण की इस हेतु सिफारिश हो। 3 वर्षों के दौरान मेसर्स एब्बोट को दिये गये आर्थोमाइसीन की मात्रा एवं मूल्य निम्न प्रकार है :—

विवरण

वर्ष	अर्थोमाइसीन स्टीरैट		ई० इर्थाइल सक्सीनेट	
	मात्रा	मूल्य (लाख रु० में)	मात्रा	मूल्य (लाख रु० में)
	कि०ग्रा०		कि०ग्रा०	
1971-72 . . .	4030	36.00	600	8.60
1972-73 . . .	7000	64.00	600	8.00
1973-74 . . .	5000	33.60	2000	20.00

(ङ) और (च) 1969-70 के दौरान कुल बिक्री पर उनकी प्रतिशतता 37% से 1971-72 में 14.41% तक कम हो गई जब कि औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 में यह सीमा 15% नियत की गई।

विवरण

	1971-72			1972-73			1973-74		
	जी०सी० ए०	आर० सी०ए०	सी०आर० ई०डी०	जी०सी० ए०	आर०सी० ए०	सी०आर० ई०डी०	जी०सी० ए०	आर० सी०ए०	सी०आर० ई०डी०
		रु०			रु०			रु०	
1. अथोमाइसीन स्टीरेट	$120.00	805.00	$120.00	शून्य	रु० 805.00	शून्य	शून्य	672.00	शून्य
2. अर्थोमाइसीन एस्टोलेट	$93.00	720.00	शून्य	शून्य	रु० 700.00		आयात नहीं किया गया		
3. अर्थोमाइसीन इथाइल सक्सीनेट	$131.50	शून्य	$181.50	$165.00	$122.75	शून्य	$122.75	शून्य	$122.75

टिप्पणी : जी० सी० ए० : सामान्य मुद्रा क्षेत्र

आर० सी० ए० : रुपया मुद्रा क्षेत्र

सी० आर० ई० डी० : शाखा व्यवस्था के अन्तर्गत

नागपुर डिवीजन में वैगनों की कमी का आरा मिलों के कार्यकरण पर विपरीत प्रभाव

7711. श्री वसन्त साठे : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नागपुर डिवीजन में वैगनों की भारी कमी का औद्योगिक गतिविधीयों पर और विशेषकर आरा मिलों के कार्यकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो तुरन्त और दीर्घावधि आधार पर स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन हाल के महीनों में हड़तालों और आन्दोलनों का गाड़ियों के संचालन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस तरह माल डिब्बों की अस्थाई रूप से कमी हो गई है जिसमें नागपुर मण्डल भी शामिल है।

रेलों पर स्थिति सामान्य हो जाने पर माल डिब्बों की उपलब्धता में सुधार हो जाएगा।

भारतीय तेल निगम द्वारा ठेकेदारों को किया गया भुगतान

7712. श्री वसन्त साठेः क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय तेल निगम द्वारा 1971–72 में भारतीय तेल निगम के उत्पादों की सिलीगुड़ी, रामगंज और कलकत्ता से बंगला देश को ढुलाई के लिए ठेकेदारों को लाखों रुपया के कथित भुगतान का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) इस सम्बन्ध में कुछ प्रैस समाचार सरकार के नोटिस में आए हैं। प्रारम्भिक पूछताछ से इस बात का पता चला है कि बंगला देश के स्वतन्त्र होते ही सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय तेल निगत की पूर्वी शाखा को अनिवार्य रूप से वांछित तेल की सप्लाई बंगला देश को करनी पड़ी थी। जैसाकि चल सरकारी निविदाओं के लिए कोई समय नहीं मिला था, अतः प्रथम कुछ महीनों के दौरान सीमित निविदाओं के आधार पर सप्लाई की गई थी। सरकारी निविदाओं को भी साथ ही साथ जारी किया गया था। सीमित निविदाओं के आधार पर निर्धारित दर 19 पैसे कि०लि०/कि०मी० थी जबकि परवर्ती सरकारी निविदाओं के आधार पर निर्धारित दर 16 पैसे कि०लि०/कि०मी० थी। सरकारी निविदाओं के आधार पर दर में कमी होने का श्रेय अन्य बातों के साथ साथ बंगला देश के खपत वाली जगहों के साथ भारत में सप्लाई स्थानों को जोड़ने वाली सड़क प्रणाली में सुधार को दिया जा सकता था। सड़कों की खनन सम्बन्धी प्रारम्भिक जानकारी पुलिया आदि की टूट-फूट के फलस्वरूप बंगला देश को तेल की सप्लाई करने वाली भारतीय टैंक ट्रकों की प्रमख दुर्घटनाएं हुई हैं जिनपर अब काबू पा लिया गया है। बंगला देश आदि में विद्यमान अवस्थाओं के साथ आरम्भिक दशा में अपरिचित होने का कारण था। निगम द्वारा कलकत्ता शाखा से इसके अतिरिक्त और सूचना प्राप्त की जा रही और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

विभिन्न जोनल रेलवे के डिवीजन पर्सोनल इस्पेक्टरों के वेतनमानों में समानता

7713. श्री वाई० एस० महाजन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेल्वे और पश्चिम रेलवे में डिवीजन-बार प्रत्येक ग्रेड में पर्सोनेल इन्स्पेक्टर के कितने-कितने पद हैं और प्रत्येक डिवीजन में कुल कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या उत्तर रेलवे में रोजगार-विनियम के घण्टों से सम्बन्धित डिवीजनल पर्सनेल इन्स्पेक्टर को 250–380 रुपये (ए० एस०) के ग्रेड में रखा गया है जब कि पश्चिम रेलवे में उनके समकक्षी पर्सोनेल इन्स्पेक्टरों को 335–425 रुपये (ए० एन०) का ग्रेड दिया जाता है और क्या उत्तर रेलवे के संगठन के कार्यकरण पर इस नए वेतन ढाँचे का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या उत्तर रेलवे ने गत तीन वर्षों में डिवीजनल पर्सोनेल इन्स्पेक्टर को ग्रेड 335–425 रुपये और 470–575 रुपये (ए० एस०) में रखने के लिए कोई प्रस्ताव आयोजित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो 1-1-73 से डिवीजनल पर्सोनेल इन्स्पेक्टरों के ग्रेडों में समानता लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) यह सच है कि उत्तर रेलवे में दिल्ली मण्डल को छोड़ कर काम के घण्टें विनियमों से सम्बन्धित मण्डल कार्मिक निरीक्षक 250–380 रु० (प्रा० वे०) के ग्रेड में और पश्चिम रेलवे में 335–425 रु० (प्रा० वे०) के ग्रेड में हैं ।

(ग) जी हां, लेकिन ग्रेड बढ़ाने पर सरकारी प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार नहीं किया जा सका ।

(घ) वेतन आयोग की सिफारिशों में से एक के अनुसार तीसरी श्रेणी के विभिन्न संवर्ग ढांचो का युक्तियुक्त करने का प्रश्न हाथ में लिया गया है । इसके परिणामस्वरुप यदि कोई परिवर्तन होगा तो वह भविष्यप्रभावी ही होगा ।

विवरण

उत्तर और पश्चिम रेलों पर काम के घण्टे विनियमों से सम्बन्धित कार्मिक निरिक्षकों के पदों की संख्या ।

रेलवे	मण्डल	कर्मचारियों की संख्या	कार्मिक निरिक्षकों की संख्या				कुल जोड़
			370–475 (प्रा० वे०)	335–425 (प्रा० वे०)	250–380 (प्रा० वे०)	210–320 (प्रा० वे०)	
उत्तर :							
	इलाहाबाद	27,089	..	..	2	5	7
	फिरोजपुर	18,979	..	..	2	5	7
	दिल्ली	36,155	..	1	1	8	10
	लखनऊ	21,589	..	..	2	5	7
	मुरादाबाद	20,814	..	..	3	7	10
	बीकानेर	15,447	..	..	2	7	9
	जोधपुर	11,137	..	..	2	5	7
			..	1	14	42	57

रेलवे	मंडल	कर्मचारियों की संख्या	कार्मिक निरिक्षकों की संख्या				कुल जोड़
			370-475 (प्रा० वे०)	335-425 (प्रा० वे०)	250-380 (प्रा० वे०)	210-320 (प्रा० वे०)	
पश्चिम :							
	बम्बई . .	26,705	1	1	1	2	5
	बड़ौदा . .	24,878	1	1	3	..	5
	रतलाम . .	16,764	..	1	1	2	4
	कोटा . .	14,398	..	1	1	2	4
	अजमेर . .	17,531	..	1	1	2	4
	जयपुर . .	12,923	..	1	1	3	5
	राजकोट . .	16,707	..	1	1	2	4
	भावनगर . .	11,784	..	1	..	3	4
			2	8	9	16	35

रोजगार घंटे विनियम (एच० ओ० ई० आर०) को लागू करने के लिए कार्मिक निरीक्षकों के चयन के लिए तंत्र

7714. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिस्टर जस्टिस जी० एस० राजाध्यक्ष के पंचाट के पैरा 347 के अनुसार रोजगार घण्टे विनियमों (आवर्स आफ एम्प्लायमेन्ट रेगूलेशन) को लागू करने के लिए विशेष गुणों से युक्त और पर्याप्त वेतन पाने वाले व्यक्ति होने चाहिए ; और

(ख) क्या उपरोक्त सिफारिशों के अनुसार रेलवे श्रम न्यायाधिकरण 1971 के काम के लिए रेलवे डिवीजनों में अधिकतम वेतन-मान पाने वाले वरिष्ठ कार्मिक निरिक्षकों का कोई तन्त्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) न्यायाधीश जी० एस० राजाध्यक्ष ने अपने पंचाट के पैरा 347 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी विचार व्यक्त किया था कि भूतपूर्व बंगाल-नागपुर रेलवे पर नियोजन काल विनयिमों से सम्बन्धित कार्य करने वाले निरीक्षकों को काफी अच्छा वेतन दिया जाता था और इसके लिए इस बात का ध्यान रखा जाता था कि इस काम के लिए चुने गए व्यक्ति विशेष गुण वाले हों जो कि कार्यकारी शाखाओं में नियोजित यातायात और अन्य निरीक्षकों के सहयोग से और स्वतन्त्र रूप से भी कोई विचार बना सकें और उसे व्यक्त कर सकें ।

(ख) रेल श्रम अधिकरण, 1971 द्वारा अपनी सिफारिशें अभी प्रस्तुत की जानी हैं । लेकिन रेल श्रम अधिकरण, 1969 ने और बातों के साथ साथ नियोजन काल विनियमों की समीक्षा की थी । इसकी शिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

Madhya Pradesh Government request for laying of railway lines in Vindhya Pradesh region

7715. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government for undertaking the construction of railway lines in Vindhya Pradesh Region immediately; and

(b) if so, the action taken or being taken thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) A Traffic Survey for the construction of a new B.G. line from Satna to Beohari via Rewa, which falls in Vindhya Pradesh has already been completed and the report is under examination. A decision regarding its construction will be taken after the report is examined.

View of Madhya Pradesh on benefits to be derived from Tapti River Project

7716. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh has expressed any views regarding receiving the maximum benefits for the development of its backward areas from the Tapti river project being undertaken by it and the Government of Maharashtra;

(b) If so, Government's reaction thereto; and

(c) the proportionate benefits to accrue to the States from this river project?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b) The Government of Maharashtra have recently sent the project report for the Upper Tapi Project Stage II. It is estimated to cost Rs. 87.93 crores and will benefit backward areas in Nimar District of Madhya Pradesh and Dhulia District of Maharashtra. The project is proposed as a joint venture of the two States and is in pursuance of an agreement reached between them in May, 1969. The scheme is under technical examination in the Central Water and Power Commission.

(c) The project will provide annual irrigation to 46,691 ha. in Madhya Pradesh and 59,849 ha. in Maharashtra.

Drinking Water Facilities at Railway Platforms on Central Railway

7717. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of platforms in the Central Railway at present where arrangements for drinking water do not exist; and

(b) the future scheme of Government to provide drinking water facilities to the passengers on those platforms?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) Arrangement for supply of drinking water already exist at all passenger platforms on Central Railway.

Irrigation and Power Projects in Bihar

7718. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the names of irrigation and power schemes being run by Government in Bihar at present;

(b) the amount of financial assistance given by the Central Government to State Government during the last two years and the amount of financial assistance sought by the State Government for the purpose; and

(c) the amount of financial assistance proposed to be given to the State Government under this head during the financial year 1974-75?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) A statement showing the irrigation (major and medium) and power projects being executed by the Government of Bihar at present is given in the Anne- [*Placed in Library. See No. L.T.* 6787/74.]

(b) and (c) The Central assistance for State Plan schemes during the Fourth Plan was given in the form of block loans and grants for the State as a whole and it was not relatable to any particular project or head of development. However, the assistance given to the Government of Bihar for their Annual Plans 1972-73 and 1973-74 was Rs. 70.88 crores and Rs. 68.68 crores respectively. The assistance proposed to be provided for their Annual Plan 1974-75 is Rs. 68.68 crores.

Other than the plan assistance referred to above the Government of Bihar was also given the following assistance:

Rs. in Lakhs

1972-73	Loan	Gran-in-aid
Western Kosi Canal (Nepal portion)	151·16	73·84
Nepal Benefit Schemes of Gandak Project		110·00
	151·16	183·84
1973-74		
Western Kosi Canal (Nepal portion)	58·84	40·00
Nepal Benefit Schemes of Gandak Project.		100.00
Subernarekha Hydro Electric Power Project.	140·C0	..
Construction of intake wells and large diameter wells by Chhotanagpur Board	50·00	
	248·84	140·00
1974-75 (Proposed)		
Western Kosi Canal (Nepal Portion)	245·C0	5·00
Nepal Benefit Schemes of Gandak Project.		100·00
	245·00	105·00

5—17—L.S.S 74

Proposed overbridges to be constructed in Karnataka during 1974-75

7719. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of over-bridges proposed to be constructed in Karnataka during the financial year 1974-75;

(b) the number of over-bridges in the State for the construction of which a proposal has been submitted by the State Government to Central Government; and

(c) the amount of expenditure proposed to be incurred by Government on the construction of new bridges and over-bridges in the State during the financial year 1974-75?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c) Proposal for construction of one new road under-bridge in place of existing level crossing in Karnataka State has been included in the 1974-75 Works Programme. Further, 20 works of road over/under bridges in place of existing level crossings have been included as throw-forward works in the 1974-75 Budget.

In addition to the throw-forward works mentioned above, there are 24 more proposals from the State Government for construction of road over/under bridges. These are in various stages of preliminary investigations and planning.

Railways share of expenditure on construction of road over-bridges in Karnataka State during 1974-75 is expected to be Rs. 7.05 lakhs.

In addition, there are proposals for 7 works of road over/under bridges to be constructed by the Railways as "deposit works" at the cost of the State Government/Road Authority. Three such works are in progress and other four are in various stages of investigation and planning.

Departmental Enquiries against Railway Employees of Central Railway

7720. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of Railway employees of the Central Railway against whom departmental enquiry was instituted during the last two years on charges of pilferage of Railway property;

(b) the number of employees against whom departmental inquiry is pending at present; and

(c) the number of employees against whom probe was made through the C.B.I.?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) 44 in 1972.
30 in 1973.

(b) 22 of 1972.
28 of 1973.

(c) Nil.

कोयला खान प्राधिकरण के साथ परामर्श करके कोयला क्षेत्रों से वर्ष 1973-74 में वैगनों को भेजना

7721. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण के साथ परामर्श करके कोयला क्षेत्रों से वैगनों के लाने ले जाने की गति बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इसके क्या परिणाम रहें :

(ग) वर्ष 1973–74 में विभिन्न कोयला क्षेत्रों को प्रतिदिन, इलाकावार तथा क्षेत्रवार वास्तव में कितने वेगन भेजे गए थे ; और

(घ) क्या सभी वेगनों में माल का लदान समय पर किया गया था ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) रेलों और कोयला उत्पादक संगठनों के बीच कोयला क्षेत्र और मुख्यालय के स्तर पर दिन प्रति-दिन यथासम्भव निकटतम समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि साधनों का अधिकाधिक उपयोग करके लदान में सुधार तथा माल डिब्बों का तेजी से संचलन सुनिश्चित किया जा सके । कोयले के लदान की विधि तथा कोयला साइडिंगों को तर्कसंगत बनाया जा रहा है ।

(ग) 1973–74 के दौरान विभिन्न कोयला क्षेत्रों को जितने माल डिब्बों की सप्लाई की गई और वहां से जो लादे गए उनकी दैनिक औसत संख्या इस प्रकार है :—

(आंकड़े चौपहियों में)

	1973–74
बंगाल-बिहार	5,111
सिंगरौली	148
सी० आई० सी०	913
तालचेर	77
पेंच	374
चांदा	104
उमरेर	90
असम	42
सिंगरेनी	543
जोड़	7,402

(घ) ऐसे भी मामले थे जिनमें माल डिब्बे समय पर नहीं लादे गए ।

राष्ट्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार परिषद का पुनर्गठन

7722. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रेल्वे प्रयोक्ता सलाहकार परिषद का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव था लेकिन इस परिषद का अब तक पुनर्गठन नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहमद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय मेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद को अधिक व्यापक आधार तथा प्रतिनिधित्व स्वरुप देने के उद्देश्य से कुछ प्रस्ताव विचाराधीन है ।

भारत में तेल-स्थिति के बारे में विश्व बैंक दल के विचार

7723. **श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा किए गए निष्ठाहीन प्रयत्नों से विश्व बैंक सन्तुष्ट नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1972–73 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाये गये मामले

7724. **श्री गजाधर माझी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि वर्ष 1972–73 में उच्चतम न्यायालय ने कितने मामले निपटाए थे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : निपटाए गए मामलों के आंकड़े कलेन्डर वर्षवार रखे जाते हैं, वित्तीय वर्षवार नहीं । दो कलेन्डर वर्ष 1972 और 1973 में 13428 मामले निपटाए गए हैं ।

मट्टी तेल में चोर बाजारी

7725. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि समस्त देश में मट्टी-तेल में चोर बाजारी हो रही है ;

(ख) क्या यह इंधन एक रुपये से डेढ़ रुपये प्रति लिटर की दर पर उपलब्ध है जबकि इसका सरकारी मूल्य 55 पैसे प्रति लीटर है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) मट्टी तेल की बिक्री में कदाचार के बारे में कुछ सिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) आवश्यक पदार्थ अधिनियम 1955 के अधीन मट्टी तेल (अधिकतम मूल्यों और वितरण का निर्धारण) आदेश 1974 के अन्तर्गत सरकार ने 1-7-84 से कानूनी रुप में, मट्टी तेल के मूल्य निर्धारित किए है । तेल कम्पनी या प्राधिकृत विक्रेता के अलावा कोई व्यक्ति मट्टी के तेल की बिक्री नहीं कर सकता, आदेश में इस प्रकार की भी व्यवस्था है । इस आदेश के अधीन किसी व्यक्ति को अधिक मूल्य लेते हुए दोषी पाया गया तो राज्य सरकारों को उस के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

एफ० ए० एण्ड सी० ए० ओ० कार्यालय, बम्बई (पश्चिम रेलवे) की ए० डी० एम० ब्रांच में भविष्य निधि खातों से अग्रिम धनराशि लेने के लिये प्राप्त आवेदन-पत्र

7726. **श्री एम० के० कृष्णन : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी 1973 से 15 मार्च, 1974 तक एफ० ए० सी० ए० ओ० कार्यालय की ए० डी० एम० शाखा में श्रेणीं IV, श्रेणी III और II के अधिकारियों से, अलग अलग भविष्य निधि खातों से अग्रिम धनराशि लेने के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और प्रत्येक पत्र की मंजूरी में कितना समय लगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6789/74]**

आल इण्डिया रेलवे एकाउन्ट्स एम्पलाइज एसोसिएशन की मांगों पर निर्णय

7727. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्री ने अपने पत्र संख्या ई० (एल) आऊट–1–65 दिनांक 19 अगस्त, 1970 में आल इण्डिया रेलवे एकाउन्टस एम्प्लाइज एसोसिएशन के प्रेसीडेन्ट को आश्वासन दिया था कि तीसरा वेतन आयोग लेखा विभाग में उच्चतर वेतन-मान वाले पदों को बनाए जाने की ; चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पास देने की और रेजिडेन्शियल कार्ड पास देने की मांगों पर सम्भवतः विचार करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मांग पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

एफ० टी० ए० कार्यालय दिल्ली/पश्चिम रेलवे में कार्य कर रहे कर्मचारियों को पास सुविधा देने के लिए मान्य स्पष्टीकरण

7728. **श्री एम० के० कृष्णन् :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एफ० टी० ए० कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली में कार्य कर रहे कर्मचारियों को इस अवस्था में किस प्रकार का स्पष्टीकरण देना होता है, जब उनको हेडक्वाटर होकर आने जाने के लिए पास जारी किया जाता है ;

(ख) क्या उत्तर रेलवे, दिल्ली के कर्मचारियों को भी ऐसा ही स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता पड़ती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं है लेकिन उन परिस्थितियों का उल्लेख करना होता है जिनके अन्तर्गत कर्मचारियों द्वारा स्वयं अपने लिए या अपने परिवार के लिए इस प्रकार का पास अपेक्षित होता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) वर्तमान पद्धति में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

जाति अथवा धर्म से बाहर विवाह करने वालों को तंग करने वाले व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए कानून

7729. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए शीघ्र कोई विधेयक लाने का है जो कि जाति अथवा धर्म से बाहर विवाह करने वाले व्यक्तियों को परेशान करते हैं तथा रोजगार की हानि सहित सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह एक सामाजिक समस्या है, जो विधान बनाकर प्रभावी रूप से हल नहीं की जा सकती।

प्लास्टिक निर्माताओं को पौलिथीन की सप्लाई

7730. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल की फर्मों को, एकक-बार, प्लास्टिक निर्माण के लिए आवश्यक अधिक तथा कम धनी पोलिथिन का वितरण करने के लिए राजी हो गई है ;

(ख) क्या सरकार रंगरोगन, वार्निश और औषध आदि के लिए आवश्यक पैनथेटिक एनीहाड्रेट का उत्पादन करने वाले भारत के एक मात्र कारखाने दूर्गापुर केमिकल्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता के विस्तार में सहायता देगी ; और

(ग) इस बारे में दुर्गापूर केमिकल लिमिटेड, दुर्गापूर को किस प्रकार की सहायता दी जायगी?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) मैसर्स दुर्गापुर केमिकल्स को जो थैलिक ऐनहाइड्राइड का उत्पादन करने वाले एक कों में से एक है, 6600 मी० टन से 9900 मी० टन प्रतिवर्ष तक अपनी क्षमता में प्रभावशाली विस्तार करने के लिए पहले ही एक आशय पत्र प्रदान कर दिया है।

केन्द्रीय सरकार की ओर से इस एकक को समस्त उचित सहायता दी गई है और दी जाती रहगी।

न्यायालयों में भ्रष्ट आचरणों के बारे में 45 अधिवक्ताओं द्वारा दिया गया ज्ञापन

7731. **श्री समर गुह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यायालयों में भ्रष्ट आचरणों के बारे में 6 अक्तूबर, 1972 को 45 अधिवक्ताओं द्वारा भेजा गया ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या आरोप लगाए गए हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तथा संविधान के अनुच्छेद 141 का उल्लंघन करके एक नागरिक को गैर-कानूनी ढंग से उसकी सम्पत्ति से वंचित करने के बारे में ज्ञापनदाताओं ने शिकायत की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) सरकार को जन कानूनी सहायता सोसायटी (पोपुल्स लीगल एड सोसायटी) की ओर से तारीख 6 अक्टूबर, 1972 के ज्ञापन की प्रति प्राप्त हुई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह 44 अधिवक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित और स्वर्गीय दीवान चमन लाल द्वारा अग्रेषित की गई थी। उस ज्ञापन में मुख्य आरोप न्यायाधीशों द्वारा न्यायिक प्राधिकार का दुरुपयोग किए जाने के बारे में था और उस सन्दर्भ में, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध और संविधान के अनुच्छेद 141 का अतिक्रमण करते हुए किसी नागरिक के सम्पत्ति से तथाकथित अवैध रूप से वंचित किए जाने के एक मामले का उदाहरण दिया गया था। चूंकि उस समय ऊपर निर्दिष्ट मामले में व्यक्ति पक्षकार द्वारा फाइल की गई सिविल पुनरिक्षण याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित थी, अतः शिकायत आवश्यक कार्यवाही हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय को भेज दी गई।

पूर्वी राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण

7732. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में, संतोषजनक नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) देश में ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति संतोषजनक रही है। बहरहाल, पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में प्रगति कोई इतनी अच्छी नहीं रही है। इन राज्यों में धीमी प्रगति के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) विद्युत क्षेत्र का अपर्याप्त विकास ;

(2) पर्याप्त पारेषण और वितरण प्रणालियों की कमी;

(3) वित्तीय संसाधनों की तंगी ;

(4) आर्थिक रूप से सामान्य पिछड़ापन जिसके परिणामस्वरूप विद्युत् भार की कम मांग है।

राज्य बिजली बोर्डों को ट्रांसफार्मरों की सप्लाई

7733. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्रान्सफार्मर निर्माताओं ने राज्य बिजली बोर्ड को ट्रान्सफार्मरों की सप्लाई बन्द कर दी है ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ट्रान्सफार्मर के निर्माताओं ने ट्रान्सफार्मरों की सप्लाई बन्द नहीं की है परन्तु अनिवार्य सामग्रीयों की कमी के कारण सप्लाई में देरी हो रही है और कुछ निर्माता ट्रान्सफार्मरों के लिए ठेके दिए जाने के समय की तुलना में निर्माण लागत में, विशेषतः ताम्बे, ट्रान्सफार्मर तेल आदि की लागत में हुई अत्यादिक वृद्धि के कारण असाधारण बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए, राज्य बिजली बोर्डों पर मूल्यों को बढ़ाने को अनुज्ञा देने हेतु जोर दे रहे हैं।

अधिक उर्वरक के उत्पादन के बारे में डा० नार्मन ई० बोरलंग के विचार

7734. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 15 मार्च, 1974 के 'इण्डिया एडवाइज्ड टु प्रोड्यूस मोर फर्टिलाइजर्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ,

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने डाक्टर नार्मन ई० बोरलंग के, जो गेहूं की नई किस्म बनाने के क्षेत्र में विख्यात है और जो मैक्सिको स्थित अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं अनुसन्धान संस्थान से सम्बद्ध है, अधिक उर्वरक उत्पादन सम्बन्धी वक्तव्य को देखा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शहानवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्तमान चालू एककों में उत्पादन अधिकतम करके तथा जहां सम्भव हो वर्तमान एककों का विस्तार करके अथवा नए एककों की स्थापना करके अतिरिक्त उर्वरक क्षमता बढ़ाकर उर्वरकों के देशीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी सम्भव कदम उठाए जा रहे हैं। उत्पादन जो 1973–74 के दौरान 10.60 लाख नाइट्रोजन और फास्फेटस के 3.17 लाख मीटरी टन था उसको 1978–79 तक के 40.00 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन और 12.00 लाख मीटरी टन फास्फेट तक बढ़ने की सम्भावना है।

Cases pending in Supreme Court and High Courts as on the 23rd March, 1974

7735. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the number of cases pending in Supreme Court and various High Courts as on the 23rd March, 1974 indicating the number of years for which these have been pending;

(b) whether these cases have been pending because the judges do not work for 8 hours daily in the courts; and

(c) if so, whether Government propose to direct the judges to work for 8 hours daily in the courts?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale): (a) Information as on 23rd March, 1974 is not readily available. However, information as on 31st December, 1973 is given in the attached statement.

(b) and (c) In most of the High Courts, the arrears are due mainly to a general increase in institutions. In addition to the time spent by the Judges in the Court, they have to devote some hours at home daily in writing judgments and in preparing themselves for the hearing of cases on the next day. It would not therefore be possible for them to sit in the court for eight hours as suggested.

STATEMENT

Sl. No.	Name of the Court	Pendency at the end of the year 1973	No. of cases pending for more than 3 years	No. of cases pending for more than 5 years	No. of cases pending for more than 10 years
	SUPREME COURT	12,845	3,093	628	..
	HIGH COURTS				
1.	Allahabad	89,573	24,449	13,766	863
2.	Andhra Pradesh	21,036	483	33	..
3.	Bombay	45,145	9,971	8,037	243
4.	Calcutta	66,588	33,828	19,526	5,600
5.	Delhi	19,730	6,281	2,633	58
6.	Gauhati	5,263	786	307	4
7.	Gujarat	12,124	2,436	561	7
8.	Himachal Pradesh	1,883	107	256	..
9.	Jammu & Kashmir	2,308	237	76	8
10.	Karanataka	10,613	378	29	11
11.	Kerala	30,614	537	41	18
12.	Madhya Pradesh	28,417	5,843	2,395	11
13.	Madras	34,345	3,792	959	30
14.	Orissa	5,867	1,032	219	4
15.	Patna	25,168	6,721	2,507	114
16.	Punjab & Haryana	25,320	10,397	5,889	229
17.	Rajasthan	15,531	2,327	942	20

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का विस्तार

7736. श्री धामनकर : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की:

(क) क्या बहु राष्ट्रीय कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विस्तार की अनुमति देने में सरकार ने अपने मार्ग-निर्देशक सिद्धान्तों की अवहेलना की है ;

(ख) क्या इस मामले में निर्यात दायित्व भी समाप्त कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने संबंधी योजना

7737. श्री धामनकर : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करके 1975–76 तक प्रति व्यक्ति बिजली की खपत को बढ़ा कर 180 किलोवाट करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि आणविक इंधन की सप्लाई केवल स्वदेशी साधनों द्वारा ही होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं ।

(ख) तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र के अतिरिक्त, जिसके लिए उच्च कोटि के यूरोनियम का आयात किया जा रहा है, अन्य परमाणु विद्युत् केन्द्रों में इधन के लिए अपेक्षित प्राकृतिक युरेनियम देश स्त्रोतों से प्राप्त करने का प्रस्ताव है ।

ट्रांसमीशन टावर्स के लिए परीक्षण केन्द्र

7738. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार ट्रान्समिशन टावर्स के लिए आधुनिकतम परीक्षण केन्द्र बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां तथा इसकी स्थापना कब तक होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) बंगलोर में केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान में पारेषण लाइन टावरों के लिए एक आधुनिक परिष्कृत परीक्षण केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है । इसके चालू वर्ष के दौरान प्रचालन की सम्भावना है ।

सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने के लिए केरल द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता

7739. **श्री एम०एम० जोजफ :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए 300 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया था :—

(1) कुट्टिटायाडी . . .	100 लाख रुपये
(2) परियार वैल्ली . .	50 लाख रुपये
(3) चित्तुर पुजा	50 लाख रुपये
(4) कंजोरापुया . . .	50 लाख रुपये
(5) पम्बा	50 लाख रुपये

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) वित्तिय तंगियों के कारण इन परियोजनाओं को कोई ऐसी विशेष सहायता देना संभव नहीं हो सका है ।

Supply of Coal from M.P. for Thermal Power Stations to be set up in U.P. and Haryana

7740. **Shri Shrikrishna Agarwal:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether in view of acute shortage of energy in Uttar Pradesh and Haryana, schemes have been formulated for setting up thermal power stations in these states and the coal therefor is to be supplied from Madhya Pradesh;

(b) if so, whether the Government of Madhya Pradesh has informed the Centre in regard to supply of energy, in place of coal to these States consequent upon the setting up of a second super thermal power station at Singrauli in Madhya Pradesh; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Irrigation and Power (Shri K. C. Pant): (a) The power stations planned and under construction in Uttar Pradesh and Haryana have been linked for coal supply with coal fields located in Madhya Pradesh and other States.

(b) and (c) The Madhya Pradesh authorities have requested for setting up of a super-thermal power station in the State for supply of power to the neighbouring States. The Committee set up by the Government of India for selection of sites to set up super thermal stations has not yet submitted its report. It is however considered that for the future power requirements, the proposed power stations in U.P. and Haryana as well as the super-thermal stations would be necessary.

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिये समिति

7741. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल संकट के समाधान के लिए उपाय सुझाने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने कोयले पर आधारित अथवा बाद में कोयले के रूप में परिवर्तनीय ईंधन तेल पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) प्रायोजनाएं जो फीडस्टाक के रूप में आंशिक पैट्रोलि/यमईंधन तेल के साथ कार्यान्वित करने के लिए विचाराधीन हैं (या अनुमोदित की गई है) उनमें कोयले को उर्वरक फीड स्टाक के रूप में बदलने की सम्भावनाओं को ध्यान में रखने के लिए कार्यकारी दल की स्थापना की गई है। कार्यकारी दल ने अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

समुद्र तट पर बने पर्यटक केन्द्रों को भूमि कटाव से बचाने के उपाय

7742. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में समुद्र तट पर बने विभिन्न पर्यटक केन्द्र खतरनाक भूमि कटाव से प्रभावित हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन केन्द्रों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार,पश्चिमी बंगाल में, केवल दीघा स्थित पर्यटन केन्द्र ही समुद्र कटाव से प्रभावित हुआ है ।

(ग) पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार ने, जो कि इस क्षेत्र की रक्षा के लिए उत्तरदायी है, सूचना दी है कि 1973 की मानसून से पूर्व दो लाख रुपये की लागत से 220 मीटर की लम्बाई में गोला पत्थर पिचिंग के रूप में तत्काल कार्य किए गए थे और ये लाभकारी सिद्धहुए हैं। आगामी मानसून से पूर्व अतिरिक्त 330 मीटर की लम्बाई में सुरक्षा कार्य करने के लिए 8 लाख रुपये की और धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ।

राज्य सरकार द्वारा भी एक स्कीम तैयार की जा रही है, जिसमें समुद्रतट कटाव बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर एक समुद्र दीवार और रेतद्वारा बचाव करना शामिल है ।

Central Loans to Rajasthan for Irrigation Facilities in Adivasi Areas

7743. Shri Laljo Bhai: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount of loan given by the Central Government to the Rajasthan Government during the last three years for making more irrigation facilities available in the Adivasi areas; and

(b) the names of the schemes under consideration in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b) Irrigation is a State subject and irrigation projects are implemented by State Governments within the frame-work of their developmental plans. Central assistance to States is being provided in the form of block loans and grants and is not related to any individual scheme, group of schemes, or head of development.

मिश्रित प्रक्षालकों क उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव

7744. **श्री एम० एस० पुरती : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मिश्रित प्रक्षालकों के उत्पादन में वृद्धि करने की अनुमति देने का है ताकि ये प्रक्षालक साबुन का स्थान ले सकें और लोगों द्वारा खपत किए जाने वाले खाद तेल की उपलब्धता में वृद्धि हो सक तथा साबुन बनाने में काम आने वाली चर्बी के आयात में कमी हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार के प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान स्थापित क्षमता 107,700 मी० टन/प्रति वर्ष के विरुद्ध पाचवों पंचवर्षीय योजना में लक्षित क्षमता 3.5 लाख मी० टन पर नियत को गई है और 2,54,300 मी० टन तक अतिरिक्त क्षमता औद्योगिक लाइसेन्सों/आशय पत्रों द्वारा शामिल कर ली गई है ।

भारतीय कम्पनीयों द्वारा विदेशी ढंग क नामों के प्रयोग पर रोक

7745. **श्री नवल किशोर सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता उद्योग क्षेत्रों में भारतीय कम्पनीयें द्वारा विदेशी ढंग के नामों के प्रयोग पर रोक लगाने का है क्योंकि कोई भी विदेशी कम्पनी बिना धन के लिए अपने नाम का प्रयोग नहीं करने देती ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 को धारा 20 में प्राविधान है कि कोई भो कम्पनो उस नाम से, जो केन्द्रोय सरकार की राय में, अवान्छनीय हो, पंजीकृत नहीं होगी । कम्पनो अधिनियम के ऊपर कथित उपबन्धों के अन्तर्गत, पंजीकरण के लिए, नामों को अनुमति प्राप्त करने के लिए, अथवा कथित अधिनियम को धारा 21 के अन्तर्गत विद्यमान कम्पनियों के नामों का परिवर्तन करने, के आवेदन-पत्रों पर विचार करने के लिए, कम्पनो कार्य विभाग ने कुछ मार्गदर्शक नियम बनाए हैं, जिनमें साथ-साथ प्राविधान है कि नाम इस स्थिति में उपलब्ध नहीं होगा यदि इसमें किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क का नाम सम्मिलित हो, तो (1) जब तक कि प्रवर्तकों द्वारा ट्रेड मार्क के मालिक की सहमति प्रस्तुत न की गई हो । (2) यदि इस में बाहर के देशों आदि के नाम, शब्द आए हों, तो जब तक कि प्रवर्तक यह संतोष न दिला दे कि उस देश अथवा स्थान, जिसका नाम, प्रस्तावित नाम में विनिगमित है, से सहयोग तथा सम्बन्ध का रुपक है ।

यह उल्लेखनीय है कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, तथा ट्रेडएण्ड मर्चेंडायज मार्क्स अधिनियम के उपबन्धों में भी, विदेशी ब्राण्ड नामों के प्रयोगों के लिए कुछ बन्धन है, जिनसे वित्त तथा औद्योगिक विकास एवं वाणिज्य मंत्रालय सम्बन्धित हैं ।

फरक्का परियोजना का पूरा होना

7746. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता पत्तन आयुक्त के चेयरमैन द्वारा हाल ही में दिए गए इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि फरक्का परियोजना के पूरा किए जाने में और विलम्ब किए जाने से हुगली नदी की नौगम्यता तथा कलकत्ता और हाल्दिया पत्तनों के भविष्य को भारी क्षति पहुंचेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि फरक्का परियोजना का कार्य तेजी से पूरा हो ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) फरक्का बराज के प्रचालन में विलम्ब के कलकत्ता और हल्दिया के पत्तनों पर प्रभाव के सम्बन्ध में कुछ समाचार प्रकाशित हुए हैं। जबकि इस विषय पर अध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन आयुक्त द्वारा कोई प्रेस वक्तव्य जारी नहीं किया गया था, कलकत्ता पत्तन और डाक श्रमिक बोर्ड से सम्बन्धित मामलों पर संवाद-दाताओं ने समय-समय पर उनसे इन्टरव्यू की थी।

(ख) जैसा कि पहले प्रत्याशित था, इस पर कार्य के इस वर्ष को मानसूनों तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

बिजली में कटौती को बहाल करने के बारे में पंजाब के उद्योगपतियों का अभ्यावेदन

7747. श्री एम० शिवप्पा : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कटौती के कारण पंजाब में औद्योगिक उत्पादन बहुत कम हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग पतियों ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावदन दिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) रबी फसल के लिए विद्युत की मांग बढ़ जाने के कारण मार्च, 1974 के दौरान पंजाब में गम्भीर विद्युत कटौतियां लगाई गई थीं। उद्योगपति विद्युत की कमी के बारे में शिकायत करते रहे हैं। बहरहाल विद्युत की कमी के कारण किसी भी औद्योगिक यूनिट के स्थायी रूप से बन्द किए जाने की सूचना नहीं मिली है। विद्युत कमी के कारण किसी भी औद्योगिक यूनिट के अस्थायी रूप से बंद होने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

पश्चिम बंगाल के स्टशनों पर रेलवे अस्पताल और स्वास्थ्य यूनिटें

7748. श्री एस० एन० सिंह देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में उन रेलवे स्टशनों के नाम क्या ह जहां कर्मचारियों के लिए रेलवे अस्पताल और स्वास्थ्य यूनिटें स्थापित कर दी गई है और उनमें उपलब्ध सुविधाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

(ख) प्रत्येक स्टेशन पर काम करने वाले और इनसे लाभ उठाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अधिक संख्या में अस्पताल स्थापित करने का है और यदि हां, तो प्रस्तावित स्थानों का ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक बिवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6799/74]**

(ग) माल्दह में 30 शेयाओं बाला एक नया अस्पताल और घोलसापुर रेलवे कालोनी में एक स्वास्थ्य यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है।

स्वर्णरेखा नदी में बाढ़ रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में जलाशय की स्थापना करना

7749. श्री एस० एन० सिंह देव : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्वर्णरेखा नदी में लगातार बाढ़ आने की ध्यान में रखते हुए गोपीवल्लभपुर जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल में एक जलाशय की स्थापना करने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जी, नहीं ।

Number of members of Lok Sabha, Rajya Sabha, Metropolitan Councils and State Legislatures as on 31st December, 1973 and 31st March, 1974

7750. Shri Chhatrapati Ambesh: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the total number of members in the Lok Sabha, Rajya Sabha, Metropolitan Councils of the Union Territories and in the Legislatures of States, separately, as on the 31st December, 1973 and as on 31st March, 1974; and

(b) the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe members among them, separately during the said period?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhury): (a) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House. (Statement I).

(b) The information relating to the number of members elected from the seats reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the Lok Sahba, Legislative Assemblies of the States and the Metropolitan Council of Delhi is laid on the Table of the House. (Statement II).

Information relating to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Members elected from the general seats in the Lok Sabha, Rajya Sabha and State Legislative Assemblies and State Legislative Councils is not readily available.

STATEMENT I

Statement showing the number of members of Lok Sabha, Rajya Sabha, Metropolitan Council and State Legislatures as on 31st December, 1973 and 31st March, 1974

	Total number of Members as on 31st December, 1973	Total number of Members as on 31st March, 1974
1. LOK SABHA	513	518
2. RAJYA SABHA	231	230
3. METROPOLITAN COUNCIL	60	60
3. STATE LEGISLATIVE ASSEMBLIES	3473	3508
5. STATE LEGISLATIVE COUNCILS	518	519

STATEMENT II

Statement showing the number of members elected from the seats reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the Lok Sabha, Legislative Assemblies of the States and the Metropolitan Council of Delhi

	Total number of Members as on 31st December, 1973		Total number of Members as on 31st March, 1974	
	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
1. Lok Sabha . . .	76	39	76	39
2. State Legislative Assemblies	483	266	492	300
3. Metropolitan Council . .	7	NIL	7	NIL

ग्रेट ईस्टर्न होटल्स, कलकत्ता के कार्यों में कुप्रबन्ध के बारे में रिपोर्ट

7751. **श्री मधु लिमये** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कलकत्ता के ग्रेट ईस्टर्न होटल्स के कार्यों में कुप्रबन्ध के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है ;

(ख) क्या कम्पनी के सरकारी निदेशकों ने कोई प्रतिवेदन भेजे ह ; और

(ग) यदि हां, तो उनके निष्कर्षों का सार क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेद ब्रत बरूआ) : (क) से (ग) ग्रेट ईस्टर्न होटल लिमिटेड के कुछ कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर कम्पनी कार्य विभाग ने, कम्पनी अधिनियम की धारा 209(4) के अन्तर्गत कम्पनी की लेखा-बाहियों के निरीक्षण का आदेश दिया था। इस निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कम्पनी विधि बोर्ड ने सर्वश्री एस० सी० राय एवं आर० कृष्णन को 23 अक्तूबर 1973 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया। इनमें से एक निदेशक ने अक्तूबर 1973 में सूचित किया कि निदेशकों के दो समूहों में वादकरण चल रहे हैं, एवं कम्पनी अत्याधिक वित्तीय संकट में है। उसने परवर्ती सूचित किया कि कम्पनी का व्यापार तो बहुत अच्छा है परन्तु इसे कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारियों के वेतन से कटने वाले आय कर, आदि के अन्तर्गत इसकी देनदारियों को अदा करने के लिए 20 से 25 लाख रुपयों की तुरन्त आवश्यकता है।

2. दूसरे निदेशक ने जनवरी, 1974 में सूचित किया कि होटल के लिए आवश्यक, जरूरत के उपकरण खरीद लिए हैं, एक प्रसिद्ध क्लारिट कलाकार को उत्सवों के अवसर के लिए रख लिया गया है, एवं ये अनुदेश प्रेषित कर दिए गए हैं कि सभी बाहर के लिए सभी टेलीफोन से भेजे जाने वाली सूचनाएं नकद देनदारी के बिना, बन्द कर देनी चाहिए। उसने यह भी बताया कि कक्ष को क्रियाशील बनाने के लिए मदिरा के आयात के लाइसेंस के लिए कार्यवाही की जा रही है तथा प्रमुख भारतीय होटल से एक अनुमति प्रबन्धक व एक योग्यता प्राप्त कम्पनी सचिव की नियुक्ति कर दी गई है। होटल के कार्यकलापों के सुधार के लिए, अन्य मापदण्डों के साथ साथ उसने बताया कि 1 जनवरी 1974 के कमरों के किराए, 25 प्रतिशत

या अधिक बढ़ा दिए गए हैं। उसकी मार्च, 1974 में प्राप्त द्वितीय रिपोर्ट से पता चला कि इसकी प्रगति सभी प्रकार से नहीं की जा सकेगी। क्योंकि पहले लिए गए निर्णयों की कार्यान्वियन करने की कार्यवाही अनेक कारणों से शिथिल कर दी गई है।

श्री चंगदेव शूगर मिल्स लिमिटेड का तुलन-पत्र

7752. **श्री मधु लिमये : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री चंगदेव शूगर मिल्स लिमिटेड ने गत दो तीन वर्षों से कोई तुलन-पत्र प्रकाशित नहीं किया है ;

(ख) क्या कम्पनी विधि बोर्ड ने इस सम्बन्ध में छूट दी है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसा किस कानूनी प्राधिकरण के अन्तर्गत किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : (क) से (घ) श्री चांगदेव शूगर मिल्स लिमिटेड, बम्बई ने 17-9-70 को इसकी एक देय तारीख के पश्चात् कोई तुलन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस विभाग ने तुलन पत्र के देरी से प्रस्तुत करने के लिए कम्पनी को कोई छूट नहीं दी है। कम्पनी तथा इसके निदेशकों के ऊपर, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 व 220 के अन्तर्गत 30-9-71 का तुलन-पत्र प्रस्तुत न करने के लिए, मुकदमा चलाया गया था, एवं न्यायालय ने 600 रु० जुर्माना किया था व कम्पनी से 22-5-73 से पहले तुलन-पत्र प्रस्तुत करने की मांग की थी। कम्पनी ने न्यायालय के निर्देशनों का पालन नहीं किया है। अत: कम्पनी पर, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 614क(2) के अन्तर्गत अभियोग चलाया गया व न्यायालय द्वारा 300 रु० का अतिरिक्त जुर्माना किया गया था। कम्पनी तथा उसके निदेशकों पर 30-9-72 का तुलन-पत्र तथा उसी वर्ष की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत न करने के लिए भी मुकदमा चलाया गया था, एवं कुल मिलाकर 3,000 रु० जुर्माना हुआ था।

इन मुकदमों के बावजूद, कम्पनी ने अभी तक इन दो वर्षों के तुलन-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं।

इस कम्पनी की लेखा-वहियों का, कम्पनी अधिनियम की धारा 209(4) के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया था। सरकार ने, कथित अधिनियम की धारा 408(1) के अन्तर्गत, कम्पनी के निदेशक मण्डल में 17-11-73 से दो अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किए हैं।

बेलापुर शूगर मिल्स लिमिटेड, महाराष्ट्र की वित्तीय स्थिति

7753. **श्री मधु लिमये : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेलापुर शुगर मिल्स लिमिटेड, महाराष्ट्र की अद्यतन तुलन-पत्र के अनुसार वित्तीय स्थिति क्या है ;

(ख) क्या उक्त कम्पनी की ओर सरकार की कोई राशि बकाया है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) कम्पनी द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने के बारे सरकार ने क्या कार्यबाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : (क) कम्पनी का सही नाम बेलापुर शुगर एण्ड अलाईड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड है। कम्पनी की वित्तीय स्थिति जो नवीनतम प्राप्य 30-9-1972 तक के तुलन-पत्र में दर्शायी गई हैं संलग्न विवरण पत्र 1 में दी जाती है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विवरण

30-9-72 तक की देयताएं (लाख रुपयों में)		30-9-1972 तक की परिसम्पत्ति (लाख रुपयों में)	
1. प्रदत्त पुंजी . . .	1,80.7	1. निश्चित कुल परिसम्पत्ति .	1,03.4
2. सुरक्षित और अधिशेष . .	1,14.2	2. दीर्घकालिक निवेश . .	14.6
3. प्रतिभूत ऋण . . .	63.0	3. महाराष्ट्र सरकार के लैण्ड . प्रति कर बाण्ड	6.4
4. वर्तमान देयताएं और उपबन्ध .	1,67.3	4. वर्तमान परिसम्पत्ति .	4,00.8

इंडियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि० के अध्यक्ष का वेतन तथा अन्य खर्चे

7754. **श्री मधु लिमये :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में अपने अध्यक्ष को प्रतिमास वेतन के रूप में 8,000 रुपये का भुगतान करने के बारे में नोटिस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या कारपोरेशन ने अध्यक्ष के अन्य खर्चों के बारे में भी स्वीकृति देने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) हाल ही में विभाग को कम्पनी के अध्यक्ष श्री ए० एम० तारिक द्वारा 24 अप्रैल, 1973 को उनके हृदयाघात पर खर्च किए गए 8,000 रु० के वापिस लेने की मुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव शेयर-धारियों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। विभाग ने वापिस लिए जाने की राशि की मुक्ति का अनुमोदन कर दिया है। कम्पनी ने अपने अध्यक्ष को 8,000 रु० मासिक वेतन देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

(ग) तथा (घ) कारपोरशन ने नवम्बर, 1972 में अध्यक्ष को अवकाश की स्वीकृति और उनको उनकी पत्नी और अवयस्क बच्चों को यात्रा भत्तें में छट का एक आवेदन पत्र दिया था। विभाग ने प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है ।

Increased House Rent Allowance from August, 1971 to Railway Employees of Mandsaur District

7755. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Railway employees of Mandsaur District have been given the increased house rent allowance with effect from August, 1972 whereas it should have been given to them with effect from August, 1971;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken on the request made by these employees to Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c) Payment of House Rent Allowance to Railway employees of Mandsaur was made with effect from 1-8-1972 on the basis of the order issued by the Ministry of Finance and, therefore, the request of the employees was not accepted by the Railway Administration.

Sign Boards of Railway Stations in Hindi

7756. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether sign boards of Railway stations in Hindi do not exist at most of the places on Western, Eastern and Northern Railways and at almost all the places on Southern Railway; and

(b) if so, the action taken to ensure that sign boards at all the stations are written in Hindi also?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Substitutes for sweepers in the colonies of Howrah Division in Eastern Railways

7757. Shri Chandrika Prasad: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether no arrangement has been made in the colonies of the Eastern Railways, as is being done in the Howrah Division for providing substitutes in place of the Sweepers absenting themselves from duty so as to maintain sanitary conditions; and

(b) if so, the reasons therefor and the time by which this arrangement will be made there?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) At present there are two departments in the Eastern Railway to look after the sanitary aspects in the Railway Colonies, viz. Medical Department and Engineering Department.

Where sanitary staff is provided by Medical Department, substitutes are deployed to work as "Safaiwalas" in their absence.

In the colonies where sanitation is being looked after by Engineering Department, casual labourers are put on sanitary duty in the absence of "Safaiwalas".

Attempts made to deprive voters of their voting rights in U.P. elections

7758. Shri Chandrika Prasad: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister and the Election Commission were informed about the attempt made to deprive the voters of their voting rights at certain places in Uttar Pradesh during the recent election;

(b) whether they had also received any such information from Ballia District;

(c) if so, the action taken thereon by Government so far;

(d) whether information was also given to all the persons concerned to the effect that the people were not allowed to cast their votes at 15-20 polling booths in Ballia;

(e) if so, the action taken thereon by Government; and

(f) whether Harijan farmers were beaten up at the certain polling booths about which a report was also lodged with the Police and if, the number with the Police and if so, the number killed there, the number of reports registered and the action taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhury): (a) to (e) Certain complaints in this regard including those in respect of Ballia District, were received in the Prime Minister's Secretariat and the Election Commission. The complaints received in the Prime Minister's Secretariat the State Government, the Ministry of Home Affairs or the District Magistrate concerned, having regard to the nature of each complaint. The Election Commission has taken necessary action for obtaining reports from the appropriate authorities in relation to complaints received by it which are awaited.

(f) Government has no such information. The position is however, being ascertained from the Chief Electoral Officers of the State.

Priority in promotion to Persons belonging to Backward Classes

7759. Shri Chandrika Prasad: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether in violation of the policy and instructions of the Railway Board, the opportunities of promotion on priority basis in the Medical Department, are given only to the Harijans and not to persons belonging to backward classes (such as Napit, Kurmi); and

(b) if so, the action being taken by Government against those responsible for it and the time by which orders will be issued for immediate promotion of the persons belonging to backward classes?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shafi Mohd. Qureshi): (a) and (b) In the matter of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Railways are guided by the instructions issued from time to time by the Department of Personnel, Cabinet Secretariat. The extant instructions of that Department provide for a reservation quota only in favour of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. No such quota has been reserved for persons belonging to backward classes.

Posting of Health Inspector, West Asansol

7760. Shri Chandrika Prasad: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Chief Health Inspectors of Asansol, Howrah and Moghalsarai are attached only to these stations or to the entire Division;

(b) whether these chief Health Inspectors visit other stations in the Division; and

(c) whether there is no office of the Health Inspector West in Asansol, as a result of which a good deal of inconvenience is being experienced there?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) Chief Health Inspectors, Asansol, Howrah and Moghalsarai are attached only to the stations.

(b) No.

(c) There is no separate office for Health Inspector West in Asansol but he utilises accommodation in DMO's office situated in West Colony. No inconvenience is being experienced there.

मुर्शिदाबाद में एक तापीय विद्युत् केन्द्र की स्थापना

7762. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री राम सहाय पांडेय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुर्शिदाबाद में फरक्का के लिए एक तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानतः कितना खर्च आएगा और इसकी कुल प्रस्तावित क्षमता कितनी होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पांचवीं योजना के मौसौदे में फरक्का में 110 मगावाट की क्षमता के एक ताप विद्युत केन्द्र को पांचवीं योजना में शामिल किया गया है । सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के लिए इसके लिए परियोजना रिपोर्ट तयार की जा रही है ।

डी० बी० के० रेलवे लाईन पर पुरी से रायपुर तथा पुरी से बम्बई तक गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

7763. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० बी० के० रेलवे लाइन, (दो) पुरी से रायपुर बरास्ता विजयनगरम तक, तथा (तीन) पुरी से बम्बई तक पसन्जर तथा एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो ये गाड़ियां वहां कब तक चला दी जाएंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) डी० बी० के० रेलवे लाइन पर शीघ्र ही एक मिलीजुली गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है । जहां तक विजयनगर हो कर पुरी से रायपुर और पुरी से बम्बई तक गाड़ियां चलाने की बात है, फिलहाल एसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गुडाखू उद्योगों को गन्ने के सीरे का कोटा

7764. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुडाखू उद्योगों को चलाने के लिए राज्यों को गन्ने के सीरे का आरक्षित कोटा क्या है ;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य के कुछ गुडाखू उद्योग सीरे की कमी के कारण हानि उठा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त उद्योगों को चलाए रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से यह सूचना मांगी गई है कि और जब वह सूचना मिल जाएगी तब उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

कोयले और इस्पात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में तेजी सुनिश्चित करने सम्बन्धी कार्यक्रम

7765. **श्री अरविंद एम० पटेल :**

श्री वकारिया :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे, इस्पात और खान मंत्रालयो में कोयले और इस्पात को एक स्थान से दूसरे स्थान को तजी से ले जाने को सुनिश्चित करने के लिए कोई आपात कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) माननीय सदस्य का ध्यान इसी विषय पर 18-4-74 को लोक सभा में इस्पात और खान मंत्री द्वारा दिए गए अतारांकित प्रश्न 7165 के उत्तर की ओर दिलाया जाता है। (मूल अंग्रेजी प्रति में)

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्धारित पूरा उत्पादन न किया जाना

7766. श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चित्तरन्जन लोकोमोटिव वर्क्स में अभी तक पूरा उत्पादन नहीं हो पा रहा है हालांकि उस कारखाने में दस वर्ष से उत्पादन हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादन अधिकतम सीमा तक करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) मूलत: चित्तरन्जन रेल इंजन कारखाने की स्थापना केवल भाप इन्जनों के उत्पादन के लिए की गई थी जिनका उत्पादन 1950-51 में शुरू हुआ। न केवल भाप रेल इन्जनों के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य (अर्थात् 168) पूरा कर लिया गया बल्कि उत्पादन लक्ष्य से भी अधिक रहा अर्थात् 1959-60 में 173 रेल इन्जनों का उत्पादन हुआ ।

लेकिन चालन शक्ति की आवश्यकताओं के बदलते हुए स्वरूप के अनुरूप और भारतीय रेलों में उत्तरोत्तर डीज़ल और बिजली लागू होने के साथ-साथ चित्तरन्जन रेल कारखाने की उत्पादन सम्बन्धी गतिविधियों में विविधता आ गई और उसमें परिष्कृत और जटिल किस्म के बिजली और डीजल रेल इन्जनों का उत्पादन होने लगा। भाप रेल इन्जनों का उत्पादन धीरे-धीरे घटा दिया गया और मुख्य लाइन के बिजली और 1972 रेल इन्जनों (शंटिंग) के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाने से अन्ततोगत्वा जनवरी, डीजल में भाप डीज़ल रेल इन्जनों का उत्पादन पूर्णत: बन्द कर दिया गया ।

चौथी योजना अवधि में चित्तरन्जन रेल इन्जन कारखाने में डीज़ल शंटिंग रेल इन्जनों के सम्बन्ध में उत्पादन निर्धारित स्तर तक रहा है लेकिन बिजली रेल इन्जनों के उत्पादन में कमी हुई है जिसका मुख्य कारण यह है कि अनेक प्रकार के विविध रेल इन्जनों का उत्पादन किया गया और कर्षण मोटरों के अभिकल्प में परिशोधन करना पड़ा। इसके अलावा आयातित और देशी उपस्करों की सप्लाई अपर्याप्त और विलम्ब से हुई, स्वदेशी उद्योगों के विकास की गति बड़ी धीमी रही, बिजली की निरन्तर कमी रही और पूर्वी क्षेत्र में स्थिति अशान्त रही जिसकी वजह से चित्तरन्जन रेल-इन्जन कारखाने और उन अनुषंगी कारखानों के काम पर बुरा प्रभाव पड़ा जहां से अतिरिक्त/कच्चा माल प्राप्त होता है ।

(ग) पांचवीं योजना अवधि में उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से, पीछे हाल में हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए पहले ही अपेक्षित उपाय शुरू किए जा चुके हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल है :—

(क) विशिष्ट प्रोटोटाइप परीक्षण/क्षेत्र परीक्षण के बाद अनुमोदित प्रकार के रेल इन्जनों का श्रेणीवार उत्पादन शुरू करना ।

(ख) कर्षण मोटरों के परिशोधित अभिकल्प का निर्माण ।

(ग) सप्लाई के देशी स्रोतों के प्रति जोरदार अनुवर्ती कार्रवाई करना और उन महत्वपूर्ण उपस्करों का फिर से आयात करना जिनके सम्बन्ध में देशी स्रोतों ने वांछित स्तर तक विकास नहीं किया है ।

(घ) डी॰ वी॰ सी॰ प्राधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना ताकि वे चित्तरन्जन रेल इन्जन कारखाने को पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई करें (इसके अलावा आयातित उपयोग के लिए डीज़ल चालित अतिरिक्त जनित्र सेट लगाने के प्रस्ताव का सक्रिय रूप से अनुसरण करना) ।

इंटेग्रल कोच फैक्टरी, पेरम्बूर (मद्रास) के लिये देश में तकनीकी जानकारी के विकास हेतु प्रगति

7767. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में पेरम्बूर, मद्रास स्थित सरकारी इंटेग्रल कोच फैक्टरी द्वारा आयात प्रतिस्थापन तथा रेल डिब्बे के निर्माण में देश में उपलब्ध तकनीकी जानकारी के विकास और प्रयोग में की गई प्रगति की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : पेरम्बूर के सवारी डिब्बा कारखाना ने विगत दो वर्षों में देशी तकनीकी ज्ञान को विकसित कर तथा उसे उपयोग में लाकर रेलवे के सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए अपेक्षित निम्नलिखित देशी सामानों के विकास में सफलता प्राप्त की है :—

(1) साइलेंट ब्लाक (2) पेको सिम वेल्डिंग फाइलस (3) थरमल इन्स्यूलेशन (4) कतिपय धातूवर्थ्य ढलवा लोहे के सामान (5) वर्मीकुलाइट (6) गाड़ियों में रोशनी के लिए बिना ब्रुश वाले प्रत्यावर्तक और नियंत्रण उपस्कर (7) कम्प्रेशर प्रेसर गवर्नर और (8) डी॰ सी॰ मोटर तथा अनुषंगी मशीन, आदि ।

भारत और बंगलादेश के बीच अन्तर्राज्य नदियों के पानी का उपयोग

7768. श्री शंकर राव सावंत : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला-देश के बीच अन्तर्राज्य नदियों के पानी के उपयोग के कोई मामले निपटारे के लिए अभी भी पड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उनका निपटारा करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) गंगा ब्रह्मपुत्र-मेघना नदी प्रणालियों के जल से भारत और बंगला देश को लाभ प्राप्त होता है । दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए इस जल का संयुक्त रूप से उपयोग करने को इच्छुक दोनों सरकारों ने स्थायी आधार पर भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग की स्थापना की है । यह जून, 1972 से कार्य कर रहा है । आयोग ने दोनो देशों के हित के नदी विकास के विभिन्न पहलुओं को अभिज्ञात कर लिया है और पारस्परिक लाभ के लिए लघुकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन स्कीमों तैयार करने की दृष्टि से संयुक्त अध्ययन/अन्वेषण कर रहा है ।

गत तीन वर्षों में हत्या, चोरी और आकस्मिक मृत्यु के मामले

7769. श्री शंकर राव सावन्त : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में भारत में रेलों में यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ हत्या, चोरी और आकस्मिक मृत्यु की जोनवार कुल कितनी घटनाएं घटीं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे कैंटीनों की संख्या

7770. श्री शंकर राव सावन्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे कैंटिनों की जोनवार कुल संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : 31-3-1973 को भारतीय रेलों पर कैन्टीनों की क्षेत्रवार संख्या नीचे बतायी गयी है :—

रेलवे	कैन्टीनों की संख्या
मध्य	32
पूर्व	39
उत्तर	47
पूर्वोत्तर	21
पूर्वोत्तर सीमा	11
दक्षिण	32
दक्षिण मध्य	23
दक्षिण पूर्व	31
पश्चिम	44

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव

7771. श्री शंकर राव सावन्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन-किन रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है ;

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में किन-किन रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है ;

(ग) रेलवे के अपने कौन-कौन से बिजली घर हैं ; और

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में रेलवे द्वारा कौन-कौन से बिजली घर बनाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारतीय रेलों के उन खण्डों के नाम जिनका अब तक विद्युतीकरण हो चुका है, इस प्रकार है :—

I मध्य रेलवे :

1. बम्बई वी० टी०—कुर्ला और माहिम कार्ड (हारबार शाखा)
2. बम्बई—पूना, कल्याण-इगतपुरी
3. कुर्ला—मानखुर्द
4. इगतपुरी—भुसावल

II पूर्व रेलवे :

1. चित्तुर—मुगलसराय बरास्ता एच० बी० कार्ड और ग्रांड कार्ड
2. हवड़ा—बर्दवान
3. सेवडाफुली—तारकेश्वर
4. सियालदह—रानाघाट
5. दमदम—बनगांव
6. रानाघाट—कृष्णनगर सिटी
7. कार्ली नारायेणपुर—शान्तिपुर
8. ब्याण्डेल—नैहाटी
9. कांकुरगाची—डौक्स
10. बरुईपुर—डायमण्ड हारबर
11. सियालदह—बरुईपुर
12. बरुईपुर—लक्ष्मीकान्तपुर
13. सोनारपुर—कैनिंग
14. माजरेहाट—बजबज
15. बैलूर—डानकुनि

III उत्तर रेलवे :

मुगलसराय—कानपूर—टुंडला

IV दक्षिण रेलवे :

मद्रास—ताम्बरम—विल्लुपुरम

V दक्षिण पूर्व रेलवे :

1. आसनसोल—सीनी
2. खड़गपुर—राउरकेला—बीरमित्रपुर
3. राजखरसांवा—दांगोपोसी—गुआ—बोलानीखदान
4. पाड़पहाड़—बांसपानी
5. कान्दरा—गोमहरिया
6. गढ़ध्रुवेश्वर—आद्रा—जयचन्डी पहाड़
7. रामकनाली—चौराशी
8. दामोदर—राधानगर

9. आद्रा/अनारा——रुकनी——सन्तालडीह——जामाडोबा——पाथरडीह

10. नीमपुरा यार्ड

11. खड़गपुर——टाटानगर (दुहरी लाइन)

12. हवड़ा——खड़गपुर

13. राउरकेला——दुर्ग

14. आन्दुल——कलकत्ता कार्ड लिंक

VI पश्चिम रेलवे :

1. चर्चगेट——बोरीवली——विरार

2. भेस्तान——बड़ौदा——अहमदाबाद

(ख) चौथी योजना की कुल मिलाकर 1474 रुट कि० मी० की अवशिष्ट निम्नलिखित योजनाओं के पांचवीं योजना में विद्युतीकरण किए जाने की सम्भावना है :——

(i) विरार——अहमदाबाद लाइन का विरार——भेस्तन खण्ड

(ii) पांशकुडा——हल्दिया

(iii) टूंडला——दिल्ली

(iv) वाल्तेरु——किरन्दुल

(v) मद्रास——विजयवाड़ा

(vi) मद्रास——तिरुवल्लूर

इसके अलावा पांचवीं योजना के दौरान निम्नलिखित खण्डों में से कुछ पर विद्युतीकरण प्रारम्भ करने की सम्भावना है :——

(i) भुसावल——नागपुर

(ii) दुर्ग——नागपुर

(iii) दिल्ली——बीना

(iv) मद्रास——अरकोणम——गुन्तकल्लु——हास्पेट

(v) सीतारामपुर——गड़हरा

(vi) भिलाई—— दल्ली——राजहरा

(vii) बड़ोदरा——रतलाम और गोधरा——आनन्द

(viii) अरकोणम——ईरोड और जोलारपेट्टे——बेंगलूरु

(ix) रामपुरा डुमरा——मुगलसराय

(ग) बम्बई-पूना क्षेत्र में मध्य और पश्चिम रेलवे के विद्युतीकृत काण्डों के लिए कल्याण के पास मध्य रेलवे का एक बिजली घर है। उपर्युक्त बिजली घर के अलावा रेलों के कुछ कारखानों में छोटे तापीय बिजली घर हैं।

(घ) विचाराधीन प्रस्तावों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों में एक एक अधीनस्थ बिजली घर बनाने का विचार है, जो किफायती परिचालन हेतु बिजली बोर्डों की ग्रिड प्रणाली से परस्पर सम्बद्ध होगा ताकि बिजलीकर्षण और रेलवे की अन्य महत्वपूर्ण संस्थापनाओं के लिए बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, रेलवे के कल्याण (चोला) के वर्तमान बिजली घर के विस्तार का भी प्रस्ताव है। इस समय व्यावहारिकता-अध्ययन किए जा रहे हैं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ट्यूब रेलवे का निर्माण

7772. श्री शंकर राव सावन्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ट्यूब-रेलवे बनाने के प्रस्ताव हैं, और प्रत्येक रेलवे पर कितनी लागत आने का अनुमान है ; और

(ख) क्या सामान्य आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ट्यूब-रेलवे के प्रस्ताओं का त्याग करने और इस प्रकार बचाई गई धन राशि पिछड़े क्षेत्रों में रेलवे पर व्यय करने की वान्छनीयता पर विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1972-73 में स्वीकृत 140.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कलकत्ता में दमदम और टालीगंज आर० टी० एस० लाइन के बीच सुरंग रेलवे का निर्माण, जिस पर पहले से ही काम हो रहा है, पांचवीं योजना में पूरा किया जाएगा। 1974-75 में 12.50 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था है।

बम्बई नगर के लिए व्यापक द्रुत पारवहन की योजना में क्रमशः गोरेगांव और भांडुप से बान्दरा और कुर्ला तक पश्चिम और मध्य रेलवे की उपनगरीय लाइनों के साथ-साथ भूमि तल प्रणाली और फिर रावली जंक्शन से अंशतः उत्थित प्रणाली जो फोर्ट मार्केट में कुछ लम्बाई में जमीन के नीचे जाकर समाप्त होती है, शामिल है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 90.23 करोड़ रुपये है। 1974-75 के बजट में इसके लिए 4.65 करोड़ रुपये की राशि आबन्टित की गई है ताकि इस लाइन के निर्माण का काम शुरू किया जा सके। आशा है कि यह पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जाएगी।

दिल्ली और मद्रास नगरों में उपयुक्त व्यापक द्रुत पारवहन प्रणालियों के लिए तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन जारी हैं। पांचवीं योजना में शुरू की जाने वाली योजनाओं की संभावना पर कोई विनिश्चय इन व्यावहारिकता अध्ययनों से मालूम होने वाली सापेक्ष अग्रताओं और सभी महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए पांचवीं योजना में धन की उपलब्धता को देखकर किया जाएगा। इसके लिए योजना आयोग से आवश्यक सम्पर्क रखा जा रहा है।

(ख) जहां तक सम्भव है, पिछड़े हुए क्षेत्रों में रेलवे लाइनों की व्यवस्था की जा रही है और व्यापक द्रुत परिवहन की किसी परियोजना को टालना वान्छनीय नहीं समझा जाता।

नर्मदा विवाद के बारे में पुनः जांच

7773. श्री वेकारिया :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा विवाद के बारे में पुनः जांच की जाएगी ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) नर्मदा जल-विवाद में निहित मामले बड़े जटिल हैं और उनके सभी पहलुओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जा रहा है। सही-सही यह बताना कठिन है कि निर्णय कब तक घोषित कर दिया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में माल डिब्बों से माल उतारा जाना तथा अन्य राज्यों को भेजा जाना

7774. श्री राजदेव सिंह :
श्री तरुण गोगोई :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे ने भारतीय खाद्य निगम से कहा है कि उसके 200 मालडिब्बों को, जिनमें लगभग 5,000 टन खाद्यान्न भरा हुआ था, 'धीरे काम करो' आन्दोलन के कारण कोसीपुर, कालीघाट, सियालदह और हावड़ा पर खाली नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम को चेतावनी दी गई है कि यदि विभिन्न शैडों में खड़े खाद्यान्न से भरे माल डिब्बों को तत्काल खाली नहीं किया गया तो उन्हें अन्य राज्यों को भेजा दिया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर भारतीय खाद्य निगम की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) भारत के खाद्य निगम का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि कोसीपुर, कालीघाट, सियालदह और हवड़ा स्टेशनों पर खाद्यानों से लदे हुए बहुत से माल डिब्बे खाली नहीं किए गए। मालूम हुआ है कि माल डिब्बों को खाली करने में धीमी गति का मुख्य कारण भारत के खाद्य निगम के श्रमिकों द्वारा धीरे काम करने के हथकण्डे और साथ ही खाद्य निगम के परिवहन ठेकेदारों द्वारा काम बन्द कर देना और बदमाशों द्वारा अनाज से भरे माल डिब्बों के पास पटाखे फेंकना है। विभिन्न स्टेशनों पर माल डिब्बे खाली करने के काम में तेजी लाने पर जोर देने के लिए खाद्य निगम के साथ उच्चतम स्तर पर बराबर सम्पर्क रखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार को श्रमिक समस्या और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति से नियमित रूप से अवगत कराया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम ने श्रमिक नेताओं से भी विचार-विमर्श किया है और वह धीरे काम करने के हथकण्डों के लिए उत्तरदायी मज़दूरों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कर रहा है। उस ने परिवहन ठेकेदारों को भी पर्याप्त संख्या में ट्रक सप्लाई करने की चेतावनी दी है।

'आर० टी० एज०' की सीधे भर्ती

7775. श्री राजदेव सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'आर० टी० एज०' की सीधे भर्ती की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो सीधे भर्ती के क्या कारण हैं जबकि स्टेशन मास्टरों की श्रेणी में स्नातक तथा कार्य-कुशल व्यक्ति उपलब्ध हैं जिनकी नियुक्ति से नए नियुक्त व्यक्तियों के तीन वर्ष के प्रशिक्षण पर व्यय होने वाली भारी धनराशि की बचत की जा सकती है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एवजी परिचालन सहायकों की कोटि जो पहले उत्तर, पूर्व और दक्षिणपूर्व रेलवे में प्रचलित थी वह अब समाप्त कर दी गई है।

गत एक वर्ष के दौरान रेल सेवाओं में गड़बड़ी

7776. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान देश में रेल सेवाओं में गड़बड़ी रही है ;

(ख) रेलवे में हड़तालों के कारण तथा संसाधनों के अभाव में क्रमशः कितनी गाड़ियां रद्द की गईं ; और

(ग) क्या इस बारे में अब कोई सुधार किया गया है और यदि हां, तो कितना ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अप्रैल, 1973 से मार्च, 1974 वर्ष के दौरान विभिन्न हड़तालों के कारण औसतन लगभग 48 जोड़ी गाड़ियां और कोयले की कठिन स्थिति के कारण लगभग 185 जोड़ी गाड़ियां प्रति-दिन रद्द की गईं । लेकिन कोयले की कठिन स्थिति के कारण रद्द की गयीं गाड़ियों को जब कोयले का पर्याप्त स्टाक जमा हो जाएगा, फिर से चलाने पर विचार किया जाएगा ।

अगले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की जाने वाली बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

7777. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ की जाने वाली प्रस्तावित बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि आवन्टित की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पांचवीं योजना अवधी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20 बृहत् और 30 मध्यम नई सिंचाई स्कीमें शुरू करने का प्रस्ताव है। पांचवीं योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । 1974–75 के दौरान 13 बृहत् तथा 13 मध्यम नई सिंचाई स्कीमों पर कार्य आरम्भ किए जाने की सम्भावना है । शेष योजना स्कीमों के धन की उपलब्धता के अनुसार इसके बाद के वर्षों के दौरान आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ।

(ख) सिंचाई एक राज्य विषय है । सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वियन राज्य सरकारों द्वारा अपने समग्र विकास संसाधनों के अन्तर्गत किया जाता है । उत्तर प्रदेश के लिए पांचवीं योजना में बृहत् तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिए विचाराधीन अनन्तिम परिव्यय 294.71 करोड़ रुपये है ।

पौलिथिलीन मोल्डिंग पाउडर की कमी

7778. **श्री गजाधर माझी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पौलिथिलिन मोल्डिंग पाउडर की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मांग तथा सप्लाई सम्बन्धी स्थिति क्या है ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) पौलिथिलीन की अनुमानित मांग और वर्ष 1974 की उसकी सप्लाई निम्नलिखित रूप में है :—

मद	मांग	देशज उत्पादन	कमी एम/टी
कम घनत्वता	45,000	30,000	15,000
अधिक घनत्व की पौलिथिलीन . .	32,000	22,000	10,000

(ग) पोलिथिलीन के आयात करने व्यवस्था इस सम्भव सीमा तक की जाती है वैसे ही अन्य थर्मो-प्लास्टिक रेजिस के आयात करने की भी व्यवस्था की जाती है कि उस कमी को कम कीया जा सके। सरकार की ओर से और आवश्यक अनुमति दे दी गई है और दी जा रही है कि यथाशीघ्र और कम घनत्व वाली पोलिथिलीन निर्माण करने के लिए वर्तमान क्षमता के विस्तार को सुनिश्चित किया जा सके। इण्डियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, बड़ौदा 80,000 मी० टन प्रति वर्ष कम घनत्व वाली पोलिथिलीन का निर्माण करने के लिए एक प्रायोजना को कार्यान्वित कर रही है। जब वर्ष 1976 में यह प्रायोजना काम करना शुरू कर देगी तब प्लास्टिक निर्माताओं के लिए पोलिथिलीन की उपलब्धता में बहुत काफी वृद्धि हो जाएगी।

भारत द्वारा अशोधित तेल खरीदने के लिए ईराक से ऋण

7779. श्री तरुण गोगोई :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईराक के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके अन्तर्गत ईराक भारत को अशोधित तेल की खरीद के लिए ऋण देने को सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) करार से भारत को क्या लाभ होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस समय ब्योरे बताना लोकहित में नहीं होगा।

तिरुनेलवेली और तिरुचेन्दूर (दक्षिण रेलवे) के बीच चलने वाली यात्री गाड़ियों का रद्द किया जाना

7780. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे ने तिरुनेलवेली और तिरुचेन्दूर के बीच चलने वाली गाड़ियों को रद्द कर दिया है जिसका अरुलमिगु सुब्रह्मण्यम स्वामी मन्दिर के दर्शन को जाने वाले यात्रियों, विद्यार्थियों व्यापारियों और क्षेत्र के सामान्य लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या एक एकाधिकार फर्म को लाभ देने के लिए मालगाड़ियां सामान्य रूप से चल रही है ;

(घ) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि तालुक लोगों ने माल गाड़ी को तब रोकने का अन्दोलन आरम्भ करने का निर्णय किया है जब तक यात्री गाड़ियों को पुनः चलाया नहीं जाता ; और

(ङ) सरकार की इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ङ) तिरुनेलवेली जंक्शन और तिरुचेन्दूर के बीच चलने वाली सवारी गाड़ियां कोयले की कठिन स्थिति के कारण बन्द की गई है। फिर भी, यात्रियों की सुविधा के लिए इस खण्ड पर 19-2-74 से एक जोड़ी मिलीजुली गाड़ी चलाई गई है। जब कोयले का पर्याप्त स्टाक इकट्ठा हो जाएगा तो बन्द की गई गाड़ियों को फिर से चलाने के बारे में विचार किया जाएगा ।

हाल के महीनों में इस्पातों उत्पादों का धीमी गति से लदान

7781. **श्री डी० के० पन्डा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या हाल के महीनों में रेलवे में इस्पात उत्पादों का लदान धीमी गति से हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हाल के महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस्पात कारखानों से तैयार माल के लदान में कुछ गिरावट आयी है।

(ख) लदान पर विपरित प्रभाव रेल संचालन के अस्त-व्यस्त हो जाने के कारण पड़ा है जिसका कारण अनेक बाह्य पहलू हैं जिनमें रलों पर कर्मचारियों के आन्दोलनों का तांता भी शामिल है।

कोसी बांध में गाद जमा हो जाने संबंधी समस्या

7782. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री कोसी बान्ध में गाद जमा हो जाने सम्बन्धी समस्या के बारे में 26 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4605 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी तथा प्रस्तावित पश्चिमी कोसी नहर परियोजना में गाद जमा हो जाने की समस्या के निपटाने के लिए कोई स्थायी तरीका निकाला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पूर्वी कोसी नहर में गाद पड़ने के प्रश्न की जांच करने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति ने दिसम्बर, 1973 की अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित दीर्घकालीन उपायों का सुझाव दिया है :—

(1) चतरा गोर्ज के नीचे गाद की मात्रा, उसके आने तथा उसके जमा होने पर नियंत्रण रखने के लिए उपाय सोचे जाने चाहिए और क्रियान्वित किए जाने चाहिए ।

(2) कोसी नदी की ऊपरी पहुंचों में गाद संचय के लिए एक उच्च बान्ध के निर्माण के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जाए। ऐसे किसी भी उच्च बान्ध के लिए, बान्ध की अवधि, बान्ध और कोसी बराज तथा बराज के प्रतिप्रवाह एवं अनुप्रवाह के बाढ़ तटबन्धों के बीच के नदी के रुख पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना होगा ।

(3) कोसी की दो सहायक नदियों तमुर एवं अरुण में जो अधिकतम मोटी गाद लाती है में चैक वान्धों से सम्बन्धित अन्वेषण कार्य आरम्भ कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त नेपाल सरकार की अनुमति के साथ इन सहायक नदियों के बाह क्षेत्रों में व्यापक भू-संरक्षण उपाय भी किए जाएं ।

समिति के अनुसार, इन उपायों से कोसी नदी में तलछट भार काफ़ी कम हो जाएगा ।

इस समिति की रिपोर्ट बिहार सरकार को भेज दी गई है और वे इस पर आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में गिरावट

7783. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोल और पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में गत एक महीने से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारी गिरावट आई है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या विश्व में तेल के मूल्यों में कमी का कोई प्रभाव हमारे तेल के मूल्यों पर पड़ेगा ;

(घ) क्या सरकार ने भारत में तेल के मूल्य कम करने का कोई निर्णय किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1973 से परिशोधित पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि हुई तथा यह वृद्धि जनवरी 1974 तक बनी रही। तब से परिशोधित उत्पादों के मूल्य में कुछ कमी आयी।

(घ) से (ङ) इस समय भारत में पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों जो अशोधित तेल के आयात मूल्य पर आधारित है, में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मूल्य जिन पर आयात हेतु अशोधित तेल उपलब्ध है, में कमी नहीं हुई।

पी० वी० सी० रेसिन के निर्माता

7784. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लाइसेन्स प्राप्त पी० वी० सी० रेसिन निर्माताओं की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उच्च निर्माता कच्चे माल के लिए देशीय संसाधनों पर निर्भर है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उनके उत्पादों की बिक्री तथा वितरण पर कोई शर्तें लगा रखी हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) देश में पी० वी० सी० का निर्माण करने वाले पांच एकक हैं।

(ख) मुख्य कच्चा माल अर्थात नेफ्था या अल्कोहोल या कैल्शियम कार्बाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या क्लोरिन प्रधानतः देशज है।

(ग) जी नहीं।

उत्तर रेलवे में 6 वर्ष से अधिक अवधि वाले केटरिंग तथा वेन्डिंग के लाइसेंसधारी व्यक्ति

7785. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में ऐसे कितने केटरिंग तथा वेन्डिंग लाइसेन्सधारी हैं जिनके पास सरकारी निर्णय के विरुद्ध 6 वर्ष से अधिक समय से ये लाइसेन्स है ; और

(ख) उत्तर रेल्वे में एक ही परिवार की कितनी फर्में एवं व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक केटरिंग/वेन्डिंग लाइसेन्स हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सरकार के निर्णय के विपरित किसी भी ठेकेदार के पास ऐसे लाइसेन्स नहीं है। लेकिन हाल के आदेशों के अनुसार खोमचे और भोजनालय के

जिन ठेकेदारों ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा रेस्तरां/रेस्तरांयान के जिन ठेकेदारों ने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं उनका ठेका नवीकरण के समय समाप्त कर दिया जाएगा और उनके लिए नए आवेदन पत्र मांगे जाएंगे। र्तमान ठेकेदार भी उन नए ठेकों के लिए आवेदन देने के लिए पात्र होंगे।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6800/74**]

रेल पथ के ऊपर बिजली की लाइन लगाने और रेल पथ के नीचे जल सप्लाई के पाइप डालने की अनुमति के लिये हरियाणा से आवेदन पत्र

7786. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में रेल अधिकारियों के पास गत छह महीने से अधिक समय से प्रत्येक मामले में अलग-अलग ऐसे कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं जिसमें हरियाणा सरकार ने रेलपथ के ऊपर बिजली की लाइन लगाने और रेल पथ के नीचे जल सप्लाई के पाईप डालने के लिए अनुमति मांगी है; और

(ख) इन अत्यावश्यक विकास कार्यों पर मंजूरी देने में प्रत्येक मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) उत्तर रेलवे के बीकानेर मंडल में रेल पथ के आरपार बिजली के तार लगाने से सम्बन्धित केवल एक आवेदन-पत्र और पानी की सप्लाई के लिए पाइप डालने से सम्बन्धित तीन आवेदन-पत्र रेलवे अधिकारियों के पास बकाया है।

(ख) आर-पार बिजली के तार लगाने के आवेदन-पत्र की मंजूरी अभी नहीं दी गयी हैं क्योंकि 5-7-72 को रेलवे द्वारा मांगा गया पी० होल ज्वायंट के डिजाइन पेरामिटरों का ब्योरा अभी हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा भेजा नहीं गया है। पानी की सप्लाई के लिए पाइप डालने की तीन मामलों में भी मंजूरी बकाया है क्योंकि हरियाणा सरकार के सम्बन्धित सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने अभी निर्माण-कार्यों की लागत रेलवे के पास जमा नहीं की है।

भारत में चल रहे इंजीनयरी प्रशिक्षण संस्थानों पर व्यय

7787. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कौन-कौन से रेलवे इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक संस्थान को रेलवे द्वारा कितना अनुदान दिया गया था या कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक संस्थान में कितने छात्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया; और

(घ) क्या प्रशिक्षण के लिए अभ्यार्थियों के चयन के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया गया है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जमालपुर को अनुदान

7788. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने गत तीन वर्षों में रेलवे इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, जमालपुर को वर्ष वार कितना अनुदान दिया है;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितने विद्यार्थियों ने उक्त इन्स्टीट्यूट में इंजीनियरी का प्रशिक्षण प्राप्त किया; और

(ग) प्रत्येक विद्यार्थी को यदि कोई छात्रवृत्ति दी गई, तो कितनी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जमालपुर के यांत्रिक और बिजली इंजीनियरी के भारतीय रेल संस्थान को कोई अनुदान नहीं दिया जाता। लेकिन, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को संगठित करने और चलाने के लिए संस्थान द्वारा किया जाने वाला समूचा खर्च रेल प्रशासनों द्वारा दिया जाता है, जो इस प्रकार है :—

(1)	1970-71	9,76,200.00 रुपये
(2)	1971-72	10,12,700.00 रुपये
(3)	1972-73	10,94,200.00 रुपये

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) शिक्षु मिकेनिकों को 150-5-170 रुपये के वेतनमान (प्रा० वे०) में वजीफे दिये जाते हैं।

विशिष्ट श्रेणी के प्रत्येक रेलवे शिक्षु को प्रशिक्षण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के दौरान प्रति मास 125.00 रुपये और तृतीय और चतुर्थ वर्ष के दौरान प्रति मास 175.00 रुपये वजीफा दिया जाता है।

Oil Exploration in Rajasthan

7789. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government are considering any new proposal for oil exploration in Rajasthan State; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b) Oil exploration work is continuing in Rajasthan State since the inception of ONGC. At present drilling at Sumarwali Talai well No. 2 is in progress and two more deep wells at Gotaru and Langwala are likely to be taken up for drilling in due course.

सवाई माधोपुर में तेल-शोधक कारखाने की स्थापना के लिये राजस्थान की मांग

7790. **श्री लालजी भाई :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य ने सवाई-माधोपुर में तेल-शोधक कारखानों की स्थापना के लिये मामले को बहुत जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

7—17 LSS/74

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत् उत्पादन में सुधार करने के उपाय

7791. श्री महेन्द्र सिंह गिल : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत् उत्पादन में सुधार करने के लिए कुछ अल्पावधि उपाय करने का निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उपाय किस प्रकार के हैं और उनपर कितना व्यय होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) देश में विद्युत् उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) परियोजना प्राधिकारियों को परामर्श दिया गया है कि दोनों जल विद्युत् तथा ताप विद्युत् संयंत्रों के मामले में निवारक अनुरक्षण कार्यक्रम का अनुपालन किया जाए तथा कल-पुर्जों की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। जहां आवश्यकता होती है केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग से सुविज्ञ परामर्श भी दिया जाता है।

(2) ताप विद्युत् संयंत्र के मामले में निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त कौटि के कोयले तथा ईंधन तेल की सप्लाई तथा उसकी ढुलाई को सुनिश्चित करना;

(2) वाशरी उपोत्पाद उपभोग करने वाले विद्युत् संयंत्रों (पूर्वी क्षेत्र में) के मामले में इस प्रकार के उपयोग को तीन चरण वाशरी मिडलिंग तक प्रतिबंधित करके, ईंधन की क्वालिटी में सुधार करना ;

(3) सुधार की संभावनाओं का अनुमान लगाने तथा उन पर सुझाव देने के लिए भारत सरकार के विशेषज्ञों के दौरे;

(4) प्रचालन तथा अनुरक्षण कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था।

(3) आयात किए गए तथा स्वदेशी फालतू पूर्जों तथा उपस्कर की मरम्मत के लिए सुविधाओं की समय पर उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के अंतर्गत एक 'स्पेयर्स एण्ड सर्विसेज यूनिट' गठित किया जा रहा है।

(4) उत्पादन युनिटों के शीघ्र प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए उन परियोजनाओं में तेजी लाई जा रही है, जो पूर्ण होने वाली हैं। इन प्रस्तावित उपायों में से अधिकांश के लिए कोई खास वित्तीय परिव्यय की आवश्यकता नहीं है।

Proposal to stop Mail and Janata Express Trains at Haripur Station

7792. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the names of the trains that halt at Haripur Station (Western Railway) as also the duration of their halt;

(b) whether Haripur is the only station in Raipur area and a great deal of difficulty is experienced by the passengers there on account of the Janata and Mail trains not stopping there and the people have also lodged complaints to this effect with the railway department many a time; and

(c) if so, whether arrangements for stopping Mail and Janata trains there for a few minutes is proposed to be made and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) 229/230 Ajmer-Mehsana Fast Passenger, 3UP/4Dn Delhi-Ahemedabad Express, 5/6 Ahmedabad-Agra Fort Fast Passenger and 31Up Delhi-Ahmedabad Jayanti Janata Express are scheduled to stop at Haripur Station. All these trains are scheduled to stop for 2 minutes each except 230 Dn and 5Up Fast Passenger which stop for 3 minutes and 4 minutes respectively.

(b) and (c) Stoppage of 1/2 Mails and 32 Jayanti Janata Express at Haripur station is not feasible on considerations of traffic and in the interest of keeping the fast character of these trains.

Law Officers Appointed by Central Government in Supreme Court, High Courts and Lower Courts

7793. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the categories of the law officers appointed by the Central Government in the Supreme Court, High Courts and the lower courts respectively alongwith their number and the salaries offered to each category;

(b) the nature of their duties and the criteria followed in their appointments to these courts;

(c) whether besides the above officers the law officers of the States are also there in the High Courts; and

(d) if so, the manner in which co-ordination is maintained?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary): (a) The Government of India has appointed three Law Officers, viz., Attorney General of India, Solicitor General of India and the Additional Solicitor General of India. Whenever required, they appear in the Supreme Court or in any of the High Courts on behalf of the Central Government, in cases in which Government of India is concerned as a party or is otherwise interested. Apart from a monthly retainer of Rs. 4,000/-, Rs. 3,500/- and Rs. 3,000/-, they are paid Rs. 800/- per case per day of hearing in Writ Petitions and Appeals, Rs. 600/- per case per day in Special Leave Petitions and other applications, Rs. 400/- per case for settling pleadings and Rs. 600/- per case for settling statements; they are paid Rs. 960/- per day per case for appearances in High Courts.

Government has also appointed Central Government Standing Counsel in the High Courts at Allahabad, Lucknow (Bench), Andhra Pradesh, Delhi, Gauhati, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Madras, Karnataka, Patna, Punjab and Haryana, and Rajasthan, and the Judicial Commissioner's Court at Goa. Junior Central Government Standing Counsel are also appointed in the High Courts at Allahabad, Kerala, Madras and Karnataka. None of the Central Government Standing Counsel except in Delhi are paid any retainer. Fees and the terms of engagement of various Counsel are settled having regard to the conditions prevailing in the various High Courts, the standing of Counsel, etc. So far as Bombay and Calcutta High Courts are concerned, having regard to the large volume of work different panels of Counsel have been created. The fees of the various groups of panel are settled on the basis of experience, standing, competence, etc. of Counsel. The work is entrusted to them having regard to the nature of the case. Full time Central Government Solicitors act on behalf of Government of India in cases in Calcutta and Bombay where a Solicitor is required to act. In Delhi, Central Government Standing Counsel is paid a retainer of Rs. 500/- p.m. There are two panels of advocates,

senior and junior panel, to whom the work of the Central Government is entrusted, as the Central Government Standing Counsel is not able to attend to all the work of the Central Government having regard to the volume of work.

With regard to the work of Central Government in lower courts, the State Government machinery is utilised for attending to the work except in Delhi, Bombay and Calcutta. In Delhi, the litigation work is attended to by 4 Central Government Counsel. In Bombay, a Solicitor is appointed as Standing Counsel, for attending to the Central Government litigation work in the City Civil Courts. A Central Government Standing Counsel is appointed to attend to the work of the Central Government in the Small Causes Court. In Calcutta a panel of Counsel is appointed to attend to the Central Government litigation in lower courts.

The State Government Counsel are paid at the same rates at which they are paid by the State Government. The panel of Counsel in Delhi and Calcutta lower courts are paid in accordance with the terms of their engagement. The Government Solicitor at Bombay (City Civil Court) is paid a retainer of Rs. 750/- and for the work he does he is paid in accordance with the terms of his engagement.

(b) The duties of the Law Officers are to give advice to the Government of India upon legal matters, to appear in the Supreme Court and High Courts when required to represent Government of India, to represent Government in any reference made by the President to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution. The appointments are made taking into consideration eminence in the profession.

With regard to the appointment of Central Government Counsel in various High Courts, the appointments are made after taking into consideration the standing at the Bar professional merits and the recommendations of the Chief Justice of the concerned High Courts.

(c) The State Law Officers also appear in the High Courts, but they appear for the State Governments. Where in High Courts in which no Central Government Counsel have been appointed having regard to the small volume of work, the State Law Officers and State Government Pleaders are requested to appear for the Union of India. At times when the Law Officers are not able to attend to important cases in High Courts, the State Advocate General is requested to represent the Union of India.

(d) Whenever State Law Officer is engaged the Central Government Counsel gives him full cooperation and assistance. Where both the State and the Central Governments are parties, there are mutual consultations and it is ensured that there is harmony between the Central and State Governments in the conduct of cases.

Supply of Electricity by Rajasthan to U.P.

7794. Shri M. C. Daga :

Shri Bishwanath Jhunjhunwala :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Rajasthan Government supplied electricity to Uttar Pradesh at the end of the year 1973 and in the beginning of 1974;

(b) if so, the terms and conditions on which electricity was supplied and whether it is still being supplied; and

(c) the reasons why the electricity from Rajasthan State was supplied to the neighbouring State in spite of shortage of power in Rajasthan?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c) There is no shortage of power in Rajasthan. Rajasthan has been supplying power to Uttar Pradesh out of the surplus power available with them since December 1973 and this relief to U.P. still continues. The tariff for supply of power by Rajasthan to U.P. has not yet been finalised between the States. However, in the meanwhile, the U.P. State Electricity Board has been requested to make 'on account' payment on the basis of an *ad hoc* rate of 11.42 paise per unit.

गंगा को कावेरी के साथ जोडना

7795. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा को कावेरी नदी से जोड़ने की योजना को त्याग दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) विभिन्न नदी प्रणालियों को जोड़ने वाले सम्पर्कों को अभिज्ञात करने के लिए विभिन्न उप-बसिनों, बेसिनों, इलाकों और क्षेत्रों के फालतू एवं कम जल के संबंध में अध्ययन करने की आवश्यकता है और उसके लिए अपेक्षित और अनुसंधान पांचवों योजना में आरंभ करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 3.5 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करना प्रस्तावित है।

रेल सेवा में सुधार के उद्देश्य से रेल मंत्री तथा रेल उपमंत्री द्वारा की जाने वाली यात्राएं

7796. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यात्रियों की दशा, रेल गाड़ियों के छूटने-पहुंचने, डिब्बों की दशा तथा जलपान सेवा की जांच करने के लिए उनका तथा रेल उपमंत्री का विचार **रेल** यात्रायें करने का है ताकि इनमें सुधार किया जा सके ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : रेल मंत्री और उप रेल मंत्री रेल यात्राएं करते हैं और ऐसे सभी अवसरों पर वे रेल संचालन के सभी पहलुओं पर दृष्टि रखते हैं, जिनमें यात्रियों को सुविधाएं आदि भी शामिल हैं।

अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन

7797. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट रूप से परीक्षा पास करने वाले विधि स्नातक न्यायालयों में विधि-व्यवसाय कर सकते हैं; और

(ख) क्या इस बाबत अधिवक्ता अधिनियम में कुछ संशोधन करने का विचार किया जा रहा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) ऐसे विधि स्नातक, जिन्होंने प्राइवेट तौर पर परीक्षा पास की है, न्यायालय में विधि व्यवसाय कर सकते हैं यदि उन्होंने 12-3-1967 से पूर्व विधि में उपाधि प्राप्त की है या उन्होंने 1967-68 के शैक्षणिक वर्ष में या इसके पूर्व द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था। अन्य वे, जिन्होंने 12-3-1967 के पश्चात् प्राइवेट तौर पर उपाधि प्राप्त की है अर्थात् किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में कक्षाओं में वास्तविक रूप से उपस्थित हुए बिना उपाधि प्राप्त की है, अभ्यावेक्षित किए जाने और विधि व्यवसाय करने के हकदार नहीं होंगे।

(ख) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मैसर्स फाइजर्स द्वारा टेट्रासाइक्लीन दवाओं का निर्यात

7798. **श्री भालजीभाई परमार** : क्या **पेंट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स फाइजर्स ने निर्यात बोर्ड अब तक भर कर नहीं दिया है जो कि स्वीकृत विस्तार कार्यक्रम की एक प्रमुख शर्त है ;

(ख) क्या विश्व में टेट्रासाइक्लीन की कमी के समय मेसर्स फाइजर्स के विश्व मंडी में टेटरा-साइक्लीन का अन्धधुन्ध निर्यात किया था, यदि हां तो वर्ष 1968 से 1971 तक उन्होंने कितनी मात्रा में, कितने मूल्य का तथा किन किन देशों को उसका निर्यात किया था;

(ग) क्या उक्त अवधि में भारत को अमरीका स्थित मैसर्स फाइजर्स से टेटराइसाक्लिन का पुनः आयात करना पड़ा था;

(घ) क्या इस फर्म के अपने टेटरासाक्लीन के अनधिकृत तथा अतिरिक्त उत्पादन को नियमित कराने के उद्देश्य से तथा इसके फलस्वरुप इंडियन ड्रग्स एन्ड फार्मेस्यूटीकल लिमिटेड को भारी धक्का पहुंचने के लिए डाक्सीसाइक्लीन के लिए आवेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

(घ) और (ङ) भारतीय औषध और भषज लि० को डाक्सी साइक्लिन की 5000 की० यु० एस० का निर्माण करने के लिए दिनांक 22 फरवरी 1974 को आशय पत्र जारी किया गया हैं । इस मद का निर्माण करने के लिए फाइजर्स के आवेदन पत्र पर अब भी विचार किया जा रहा है ।

औषध फर्मों का विलय

7799. **श्री भालजीभाई परमार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी फर्मों जैसे बी० डी० एच० का ग्लैक्सो के साथ ड्यूमेक्स का फाइजर के साथ, जर्मन शटिंग का जर्मन रेमिडीज के साथ और एंग्लो-फ्रेन्च का रोश के साथ विलय की उनके मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी गई थी, यदि हां, तो उक्त स्वीकृति किन-किन तारीखों को दी गई;

(ख) क्या उक्त विलय के फलस्वरूप भारतीय हितों के विपरित बड़े-बड़े औषध निर्माता एककों का सृजन हो गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन फर्मों की आरक्षित पूंजी, पूंजी निर्माण, फार्म्युलेशनों की मात्रा तथा आधारभूत निर्माणों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मार्च, 1973 में कोयला ढोने वाले माल डिब्बों का लादा जाना

7800. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा मार्च, 1973 लगभग 12,000 माल डिब्बों में औसतन कम कोयला लादा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) मार्च, 73 में 81,02 मालडिब्बों के लदान की तुलना में मार्च, 74 में दैनिक औसत लदान 6,942 मालडिब्बे रहा। इस प्रकार प्रतिदिन केवल 1,160 मालडिब्बों की कमी हुई न कि 12,000 मालडिब्बों की।

(ख) मार्च, 1974 के दौरान कोयले के लदान पर मुख्य प्रभाव रेलों पर कर्मचारी आन्दोलनों का पड़ा। इन आन्दोलनों का प्रभाव बंगाल तथा बिहार और मध्य भारत कोयला क्षेत्रों पर विशेष तौर से अधिक हुआ।

Representation of SC/ST in Zonal Railway Service Commission

7801. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being given representation in the Zonal Railway Service Commissions; and

(b) the names of those Zonal Railway Service Commissions where they have not been given representation and the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) In the matter of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Railways are guided by the instructions issued from time to time by the Department of Personnel, Cabinet Secretariat. As per the extant instructions of that Department, reservation quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is admissible in recruitment and in certain categories in the matter of promotion.

All the posts in the offices of the Railway Service Commissions are filled by transfer of staff from Zonal Railways and in such transfers reservation quota for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has not been earmarked so far.

Unloading of articles of daily consumption at Niwari Station meant for other places

7802. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a large quantity of wheat procured by the Food Corporation of India is transported to other places from Niwari station on Jhansi-Manikpur line of the Central Railway.

(b) whether hundreds of wagons of chemical fertilizers, sugar, cement, cloth and salt meant for the entire Tikamgarh district are unloaded at this key station of this District;

(c) whether foodgrains and other goods in large quantity are exposed to rains due to absence of any shed at this station; and

(d) whether the Railways propose to make arrangements to provide shed at this station keeping in view the public loss?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) A small quantity of wheat procured by the Food Corporation of India is transported from this Station.

(b) A few wagons of these commodities are dealt with at this Station.

(c) No.

(d) The covered goods shed of 86.4 square metres area with a capacity to hold six wagon loads already available at this station is considered adequate for the existing level of traffic dealt with there.

एकाधिकार तथा निबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का संशोधन

7804. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री बी० वी० नायक :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के एक प्रवक्ता ने यह कहा है कि यह आयोग तब तक प्रभावशाली कार्य नहीं कर सकेगा जब तक एकाधिकार एवं निबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के उपबन्धों को सरकार द्वारा संशोधित नहीं किया जाता; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : (क) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने पुष्टि की है कि प्रश्न में यथा निर्देशित कोई वक्तव्य आयोग ने अथवा इसकी ओर से, नहीं दिया गया था ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में बिजली की उत्पादन क्षमता और उसका उपयोग

7805. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार (एक) सरकारी, और (दो) गैर-सरकारी क्षेत्रों में पन-बिजली और तापीय बिजली की अलग-अलग उत्पादन क्षमता क्या थी और मात्रा और प्रतिशतता में उसका कितना वास्तविक उपयोग किया गया ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : 1971-72, 1972-73 और 1973-74 (जनवरी, 1974 के अंत तक) के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्र में विभिन्न ताप विद्युत् केन्द्रों (जल विद्युत् और ताप विद्युत् के लिए अलग-अलग) की प्रतिष्ठापित विद्युत् उत्पादन क्षमता के साथ-साथ मात्रा और प्रतिशतता में उसका समुपयोजन संलग्न तीन विवरणों में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6801/74**]

पश्चिम बंगाल की विद्युत् की मांग तथा उसकी सप्लाई

7806. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिम बंगाल के विद्युत् मंत्री द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने राज्य में बिजली के संकट के लिए दामोदर घाटी निगम को दोषी ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पश्चिम बंगाल की विद्युत् संबंधी वर्तमान मांग तथा वास्तविक सप्लाई कितनी-कितनी है; और

(घ) इस राज्य में हाल ही में विद्युत् सप्लाई की स्थिति खराब हो जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल राज्य म विद्युत् संकट के लिए दामोदर घाटी निगम को दोषी ठहराने के संबंध में राज्य के विद्युत् मंत्री द्वारा दिये गये कथित वक्तव्य विशेष को अभिज्ञात करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। बहरहाल, यह कहा जा सकता है कि दामोदर घाटी निगम पश्चिम बंगाल की विद्युत् आवश्यकता को केवल थोड़ी मात्रा में ही सप्लाई करता है। पश्चिम बंगाल में इस समय विद्युत् की उपलब्धता का 13.90 जी०डब्ल्यू०एच० प्रतिदिन की आवश्यकता के प्रति, 11.77 जी०डब्ल्यू०एच० प्रतिदिन होने का अनुमान लगाया गया है। राज्य में विद्युत् की बढ़ती हुई मांग तथा कम उत्पादन के कारण विद्युत् सप्लाई की स्थिति संतोषजनक नहीं रही है।

Trade contracts by foreign Oil Companies

7807. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the main features of the trade contracts entered into by various foreign oil companies in the country; and

(b) the number of Indian and foreign shares in these companies?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Amount paid as Compensation for goods stolen during the last three months

7808. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the amount paid as compensation by the Railways for the goods stolen in transit during the last three months and the number of incidents of theft that took place during this period; and

(b) whether Railway employees were also involved in these thefts and if so, the facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 4832 cases of thefts and pilferages of booked consignments were registered on the Railways during January-March '74. The amount of compensation paid on this account during the period is not available.

(b) Yes, Railway employees involved in these cases are being either prosecuted in a court of law or are being dealt with departmentally on the basis of evidence available in each case.

मार्च, 1974 में लोको कर्मचारियों की हड़ताल

7809. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 मार्च, 1974 को कुछ लोको कर्मचारियों ने फिर हड़ताल आरम्भ कर दी थी तथा जिस स्थान पर उनकी 10 घंटे की ड्यूटी समाप्त हुई, वहीं पर वे गाड़ियां छोड़ कर चले गए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारण बहुत-सी रेलगाड़ियों को छोड़ दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई थी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ; लेकिन पुर्वोत्तर सीमा रेलवे के कुछ लोको कर्मचारी 16-2-1974 से 10 घंटे की ड्यूटी पूरी होने पर गाड़ियां छोड़ने लगे ।

(ख) जी नहीं; 3 मार्च, 1974 को लोको रनिंग कर्मचारियों ने केवल 2 गाड़ियां छोड़ी थीं ।

(ग) खाद्यान्न, पेट्रोल, तेल और स्नेहक इंजनों का कोयला, "क" अग्रता वाला यातायात आदि जैसी अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई वफादार कर्मचारियों की सहायता से जारी रखी गयी । दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई की गयी है ।

गुजरात राज्य में नमक उद्योग के लिए वैगनों की कमी

7810. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 से मार्च 1974 तक गुजरात राज्य के नमक उद्योग के लिए वैगनों की सप्लाई में बहुत कमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप गुजरात राज्य में इस उद्योग को भारी क्षति पहुंची है ;

(ग) वर्ष 1973 में तथा फरवरी 1974 तक इस उद्योग को कितने वैगन आवंटित किए गए और इस उद्योग की वास्तविक मांग कितने वैगनों के लिए थी ; और

(घ) इस उद्योग को पर्याप्त संख्या में वैगनों की सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) विद्यार्थी आन्दोलन और रेल कर्मचारियों के आन्दोलनों के कारण जिनसे गाड़ियों के संचलन में वारंवार बाधा पड़ती रही गुजरात के स्टेशनों से मांग के अनुरूप नमक का लदान नहीं किया जा सका । जनवरी, 1973 से फरवरी, 1974 तक की अवधि में इस क्षेत्र से जितने माल डिब्बों की मांग की गयी थी और जितने माल डिब्बो का लदान किया गया उनके आंकडे इस प्रकार है :—

	बड़ी लाइन मालडिब्बों की संख्या		मीटर लाइन माल डिब्बों की संख्या	
	मांगे गये	लादे गये	मांगे गये	लादे गये
निर्धारित कार्यक्रम वाले नमक की ढुलाई जैसा कि नमक आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया था ।	16,896	11,200	25,224	20,080
औद्योगिक नमक . . .	12,434	9,709	5,596	3,284
विना निर्धारित कार्यक्रम वाले नमक की ढुलाई ।	26,011	7,734	97,239	24,662

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि उपर बतायी गयी कठिनाइयों के बावजूद निर्धारित कार्यक्रम वाले और औद्योगिक नमक जैसे अधिक ऊंची अग्रता वाले नमक की ढुलाई सन्तोषजनक स्तर पर बनी रही ।

पांचवीं योजना में गुजरात में ग्रामीण विद्युतीकरण

7811. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य अधिक उत्साहवर्धक नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कितने गांवों में बिजली लग जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गुजरात राज्य में 18,584 ग्राम हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होने से पूर्व 2,869 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका था। चतुर्थ योजना के दौरान 28-2-1974 तक 2,741 और ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। ग्रामों के विद्युतीकरण की प्रतिशतता 15.5 से बढ़कर 30.2 तक हो गई है जो अखिल भारतीय औसत से अधिक है। उर्जित पम्पसेटों की संख्या भी 42,085 से बढ़कर 1,01,033 तक हो गई है। अतः चतुर्थ योजना के दौरान गुजरात में ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति संतोषजनक रही है।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बहरहाल, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 1,030 ग्रामों के विद्युतीकरण और 15,500 पम्पसेटों के ऊर्जन हेतु राज्य योजना में 10 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है। राज्य बिजली बोर्ड को व्यवहार्य स्कीमों के लिए राज्य योजना में आबंटन के अतिरिक्त, ग्राम विद्युतीकरण निगम से भी ऋण सहायता मिल सकती है।

(ग) गुजरात बिजली बोर्ड का 1974-75 में 500 ग्रामों के विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है।

सतर्कता विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ाना

7812. **श्री धनशाह प्रधान :** क्या रेल मंत्री सतर्कता विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कर्मचारियों के कार्यकाल को निर्धारित अवधि से आगे बढ़ाने के बारे में 21 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1200 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतर्कता विभाग में एक सारगर्भित नीति के अभाव में "प्रशासनिक कारणों" शब्द के नाम से विभाग में असीमित तथा अंकुशहीन शक्तियों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या प्रशासन का विचार वर्तमान नीति का पुनरीक्षण करने तथा इस विभाग में 4 वर्ष की सेवावधि पूरी कर चुकने वाले कर्मचारियों को उनकी मूल शाखा, जहां से वे प्रतिनियुक्ति पर आये थे, वापस भेजने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सतर्कता निरीक्षकों के कार्यकाल के संबंध में निर्धारित नीति यह है कि आम तौर पर 4 वर्ष की अवधि इसके लिए उचित समझी जाती है और इस अवधि के बाद ऐसे निरीक्षकों को सेवा में लगाये रखने की व्यवस्था प्रशासनिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए की जाती है। जब बदले में उपयुक्त अनुभव और पृष्ठभूमि वाले निरीक्षक उपलब्ध न हों और इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि जिन निरीक्षकों ने

सतर्कता संगठन में कुछ समय तक काम किया है उनके अनुभवों का लाभ उठाया जाये लेकिन उनको शीघ्र वापस करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह प्रणाली संतोषजनक ढंग से काम कर रही है।

गैर-मान्यता प्राप्त लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन के साथ बातचीत

7813. श्री पन्नालाल बारूपाल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेल** मंत्री कर्मचारियों की शिकायतों के लिये गैर-मान्यता प्राप्त संघ द्वारा सरकार को दिये गये अभ्यावेदन के बारे में 20 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 185 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने गैर-मान्यता प्राप्त लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को बुलाया था, तथा उनके साथ बातचीत थी जो कि अब भी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अपनी निर्धारित नीति से हटने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त नीति में कोई परिवर्तन किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 12 अगस्त को लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा हड़ताल वापस लेने पर रेल मंत्री ने 13 अगस्त को संसद में एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने यह घोषणा की थी कि रेल मंत्रालय में उप मंत्री श्री मोहम्मद शफी कुरेशी और उनके साथ रेल मंत्रालय और लोकों रनिंग कर्मचारियों—प्रत्येक के पांच प्रतिनिधि उनकी शिकायतों की जांच करेंगे और 10 घंटे की ड्यूटी लागू करने के ढंग और तरीकों को अन्तिम रूप देंगे ।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन में भोपाल शेड के सहायक लोको फोरमैन द्वारा ड्यूटी कार्ड पास का दुरुपयोग

7814. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद सदस्य ने मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन में भोपाल शेड के सहायक लोको फोरमैन द्वारा ड्यूटी कार्ड पास का दुरुपयोग करने के बारे में मई, 1973 में कोई शिकायत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

प्रभागीय लेखा अधिकारी कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के उपप्रभारी कर्मचारियों का निलम्बित किया जाना

7815. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **रेल** मंत्री प्रभागीय लेखा अधिकारी कार्यालय, नई दिल्ली, के उप-प्रभारी कर्मचारियों के निलंबित किये जाने के बारे में 19 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3689 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने ऐसे जांच कार्यों को पूरा करने के लिये कोई निश्चित अवधि निर्धारित की है, यदि हां, तो क्या उक्त समय अवधि का इस मामले में भी पालन किया गया है ?

(ख) क्या इसी कर्मचारी को दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप पर कड़ा दण्ड दिया गया था और कुछ समय पूर्व इसी कड़े दण्ड को मामूली दण्ड में परिवर्तित कर दिया गया था; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस समूचे मामले की नये सिरे से जांच करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलवे बोर्ड द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई को अन्तिम रूप देने के लिए एक यथासम्भव अनुपालनार्थ समय-अनुसूची निर्धारित की गयी है । लेकिन संदर्भाधीन मामले में इस समय अनुसूची का अनुपालन कुछ ऐसे कारणों से सम्भव नहीं हो सका है जिनके लिए स्वयं कर्मचारी उत्तरदायी बतलाया जाता है ।

(ख) जी, नहीं । कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई एक बड़ा दंड देने के लिए आरम्भ की गयी थी लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे प्रसंगवशात् केवल लघु दंड दिया गया ।

(ग) जी, नहीं ।

Regularisation of posts sanctioned for implementation of Official Languages Act

7816. Shri Ishwar Chaudhri :
Shri Narendra Singh Bisht :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total number of posts sanctioned for this Ministry in connection with the implementation of Official Languages Act and how appointments have been made against these posts;

(b) whether appointments of the departmental employees have been made against the posts of Hindi Officers and Translators without any examination or interview; and

(c) if so, the steps being taken to make regular appointments by removing this irregularity?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) The requisite information is given in the statement attached. [*Placed in Library. See L.T. No.* 6802/74.]

(c) Action has been initiated to fill the posts of Hindi Translators on regular basis in accordance with the provisions of the Recruitment Rules.

गाजियाबाद, मुरादनगर तथा मोदीनगर (उत्तर रेलवे) में टिकटों की पुनः बिक्री

7817. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **रेल** मंत्री गाजीयाबाद, मुरादनगर तथा मोदीनगर (उत्तर रेलवे) में टिकटों की पुनः बिक्री से संबंधित 5 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1998 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ;

(ग) क्या उसके परिणामस्वरूप मोदीनगर में हुए रिक्त पद को भर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) तथ्यों का पता लगाने और जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए जांच की गयी है । जांच-रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जायेगी ।

(ग) जी हां, एक छुट्टी आरक्षी बुकिंग क्लर्क को तैनात करके 17-3-74 को मोदीनगर की रिक्ति भर दी गयी है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मिराज जंक्शन पर गाड़ियों के लिये वातानुकूलित डिब्बे उपलब्ध कराने की व्यवस्था

7818. **श्री अन्ना साहिब गोटखिण्डे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के मिराज जंक्शन पर वातानुकूलित डिब्बे उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या कोल्हापुर-बम्बई, मिराज-बम्बई, मिराज-पुणे तथा मिराज-बंगलोर लाईनों पर एक्सप्रेस गाड़ियों में वातानुकुलित डिब्बे लगाने की मांग की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) उक्त सुविधा संभवत: कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) मिरज से किसी भी गाड़ीमें कोई वातानुकुल सवारी डिब्बा नहीं लगाया जाता ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) यातायात का औचित्य न होने के अलावा, भारतीय रेलों पर अतिरिक्त वातानुकुल सवारी डिब्बों की कमी के कारण भी कोल्हापूर/मिरज-पुने/बम्बई और मिरज-बंगलोर मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों में वातानुकूल सवारी डिब्बे लगाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाली किये जाने की प्रतीक्षा में शेड़ों में पड़े मालडिब्बे और उन्हें अन्य राज्यों को भेजा जाना

7819. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के कारण ऐसे कुल कितने मालडिब्बे रुके पड़े हैं जो अनाज से भरे हुए हैं और पश्चिम बंगाल के विभिन्न शेड़ों में पड़े हुए हैं तथा जिन्हें खाली किया जाना है ;

(ख) क्या रेलवे अधिकारियों ने उन मालडिब्बों को अन्य राज्यों में भेजने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो गत एक महीने के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाली किए गए मालडिब्बों की रूपरेखा क्या है और अन्य राज्यों को कितने मालडिब्बे भेजे गये हैं ; और

(घ) मालडिब्बों की कमी को टालने के लिए भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) 16 मार्च, 1974 से 15 अप्रैल, 1974 तक की एक महीने की अवधि में पश्चिम बंगाल राज्य के अन्तर्गत पूर्व रेलवे के विभिन्न मालगोदामों/साइडिंगों में भारतीय खाद्य निगम के लेखे के कुल 9253 मालडिब्बे पहुंचे, जिनमें से 8999 मालडिब्बे भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाली किये गये। शेष मालडिब्बों को अन्य राज्यों में भेजने का कोई विनिश्चय नहीं किया गया है ।

(घ) विभिन्न स्थानों पर मालडिब्बों को खाली करने के काम में तेजी लाने पर जोर देने के लिए, भारतीय खाद्य निगम के साथ सर्वोच्च स्तर पर बराबर सम्पर्क रखा जा रहा है । मालूम हुआ है कि मालडिब्बों को खाली करने में मन्दगति के मुख्य कारण, भारतीय खाद्य निगम के श्रमिकों का धीरे काम करने के हथकण्डे और साथ ही भारतीय खाद्य निगम के परिवहन ठेकेदारों द्वारा काम बन्द कर देना और बदमाशों द्वारा अनाज से भरे मालडिब्बों के पास पटाखे फेंकना हैं । श्रमिक समस्या और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति की सूचना पश्चिमी बंगाल सरकार को नियमित रूप से दी जा रहीं है। भारतीय खाद्य निगम ने श्रमिक नेताओं से विचार-विमर्श किया है और धीमे काम करने के हथकण्डों के लिए जिम्मेदार पाये गये श्रमिकों के विरुद्ध वह अनुशासनिक कार्रवाई कर रहा है । उसने परिवहन ठेकेदारों को भी पर्याप्त संख्या में ट्रकों की सप्लाई करने की चेतावनी दी है ।

बम्बई में ट्यूब रेलवे की सम्भाव्यता की जांच करने के लिये ब्रिटेन से विशेषज्ञ दल को बुलाना

7820. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बम्बई में ट्यूब रेलवे की संभाव्यता की जांच करने के लिये ब्रिटेन से विशेषज्ञों के एक दल को आमंत्रित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल द्वारा कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या बम्बई की टूयब रेलवे कलकत्ता की भूमिगत रेलवे जैसी होगी अथवा भिन्न प्रकार की; और

(घ) तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) बम्बई में भूगत गलियारे के सम्बन्ध में अब जो व्यावहारिकता अध्ययन किये जा रहे हैं उनके लिए इंग्लैंड के एक विशेषज्ञ दल की सहायता मिलने की आशा थी ; परन्तु अब चूंकि उनकी सेवाएं उपलब्ध न होंगी, इसलिए इस समय बिना इस प्रकार की किसी विदेशी सहायता के ही अध्ययन किये जा रहे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) बम्बई के लिए भूगत द्रुत परिवहन प्रणाली के पहलूओं के सम्बन्ध में तभी पता चलेगा जब बम्बई के महानगर परिवहन परियोजना संगठन (रेलवे) द्वारा किया जा रहा तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन 1974-75 में किसी समय पूरा हो जायेगा ।

पश्चिम रेलवे के जयपुर डिविजन की गत एक वर्ष में खोई हुई सम्पति की नीलामी के फलस्वरूप प्राप्त हुई धनराशि

7821. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के जयपुर डिविजन को गत एक वर्ष के दौरान खोई सम्पत्ति की नीलामी के फलस्वरूप कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ;

(ख) क्या इस प्रकार प्राप्त की गई कुल राशि जयपूर स्टेशन पर खोई हुई सम्पत्ति के कार्यालय में नियुक्त विभिन्न श्रेणीयों के कर्मचारियों के वेतन-भत्ते की अदायगी के लिये भी बहुत कम है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कार्यालय में जमा करने के लिये अपेक्षित खोई हुई सम्पति की चोरी को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1973-74 के दौरान पश्चिम रेलवे के जयपुर मण्डल को खोई हुई सम्पत्ति की नीलामी से कुल 2,54,538 रुपये की रकम प्राप्त हुई ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । जमा की गयी खोई सम्पति की उठाईगिरी रोकने के लिये रेलवे सुरक्षा दल द्वारा पर्याप्त उपाय किये जाते हैं ।

सिकन्दराबाद और मद्रास सेन्ट्रल स्टेशनों पर भारी भीड़

7822. **श्री वी० एस० मूर्ति** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दराबाद और मद्रास सेंट्रल स्टेशनों पर भारी भीड़ होती है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सिकन्दराबाद रेलवे स्टेशन पर बहुत अधिक भीड़ नहीं रहती लेकिन मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर कुछ भीड़-भाड़ जरूर रहती है ।

(ख) मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर यात्री तथा टर्मिनल सुविधाओं में सुधार करने के लिए एक योजना बनायी गयी है । स्टेशन की इमारत के पूर्वी सिरे पर एक दो मंजिली इमारत पहले से ही निर्माणाधीन है और अन्य निर्माण कार्य जिन में अतिरिक्त प्लेटफार्म, टिकटघर और प्रतीक्षा स्थान, गाड़ियाँ खड़ी करने आदि की सुविधाएं शामिल हैं अलग-अलग चरणों में शुरू किये जायेंगे ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों का प्रवर्तन

7823. **श्री शिवनाथ सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या पी० डब्ल्यू० आई०; आई० आई० बांदीकुई के 12 गैंग मैनों की 15 अक्तूबर, 1972 से और ए० बी० आर० आई० बांदीकुई के 20 ब्रिज श्रमिकों की 21 फरवरी, 1973 से की गई छंटनी को सहायक श्रम आयुक्त (सी०) अजमेर ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एफ० के अनिवार्य उपबन्धों के विपरीत होने के कारण औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन गैर-कानूनी घोषित किया है;

(ख) क्या श्रम मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड को कहा है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों को प्रवर्तित किया जाये, अर्थात् श्रमिकों को पुन: बहाल किया जाये ;

(ग) यदि हां, तो रेलवे प्रशासन ने धारा 25 (एफ) के उपबन्धों के प्रवर्तन और श्रमिकों को पुन: बहाल करने और अनिवार्य उपबन्धों को उल्लंघन करने एवं तथ्यों को गलत ढंग से पेश करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये क्या उपाय किये है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) श्रम मंत्रालय से दो पत्र प्राप्त हुए ह जिनके साथ रेल-पथ निरीक्षक, बांदीकुई और सहायक पुल निरीक्षक, बांदीकुई के अधीन कुछ नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों को प्रवर्तित न करने के आरोप के बारे में सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), अजमेर से प्राप्त दो पत्रों की प्रतिलिपियां भेजी गयी हैं। यह मामला विचाराधीन है।

Labourers Working on Contract on various Zones of Railways

7824. Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Atal Bihari Vajpayee:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of labourers working on contract basis in the various zones of the Railways and the nature of work which they are required to perform;

(b) whether Government are aware that the casual labour is being exploited; and

(c) if so, the action taken by Government to ensure that these workers are provided with the same minimum wages and facilities as are available to the workers performing the same nature of duties?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shafi Mohd. Qureshi): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

ठेकेदारों को प्रथम श्रेणी के नि:शुल्क पास जारी करना

7825. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन ठेकेदारों को प्रथम श्रेणी के नि:शुल्क पास जारी किये गये थे, जिन्हें रखरखाव का काम सौंपा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो अब उन पासों को रद्द कर दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, कुछ रेलों पर।

(ख) वर्तमान नियमों के अनुसार ठेकेदार के मजदूरों को गाड़ी में ले जाने के लिए या ठेकेदार अथवा उसके एजेंट के इस्तेमाल के लिए कोई नि:शुल्क पास जारी नहीं किया जाता जब तक अन्यथा ठेके की शर्तों में विशिष्ट रूप से ऐसा दर्ज न किया गया हो।

किंतु ठेकेदार या उसके एजेंट को उस समय नि:शुल्क पास दिया जाता है जब उसे रेलवे इंजीनियर या इंजीनियर के प्रतिनिधि के कार्यालय में विशेष रूप से बुलाया जाता है।

8—17 LSS/74

Schemes to meet the present and future requirements for speedy transportation of passengers and goods in Delhi and its neighbouring areas

7826. **Shri Jagannath Rao Joshi:**
Shri Atal Bihari Vajpayee:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the salient features of schemes under consideration of Government or under implementation for meeting the present and future requirements for the speedy transport of passengers and goods in Delhi and its neighbouring areas; and

(b) the time by which each of these schemes would be fully implemented?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) To meet the requirements of the suburban traffic in Delhi area, a Metropolitan Transport Projects Organisation has been set up which is conducting techno-economic feasibility surveys for a Mass Rapid Transit System. In addition, work in connection with introduction of electric traction on Delhi-Tundla section, provision of double line between Ghaziabad and Muradnagar on Delhi-Ghaziabad-Saharanpur section and upto Rohtak on Delhi-Shakurbasti-Bhatinda section have been sanctioned and are in progress. A new Broad Gauge railway line is also being laid between Delhi-Shahdara and Saharanpur in lieu of the erstwhile Light Railway on this section.

Proposal regarding setting up of a new terminal station to handle long distance passenger trains in Delhi area is also under consideration.

(b) While electrification of Tundla-Delhi section is likely to be completed in 1976, no target dates for other works/schemes have been fixed.

लोगों को उनके द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार देने के लिये संविधान में संशोधन

7827. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मतदाताओं को उनके द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों को, यदि वे उनकी उचित सेवा न कर सकें, वापस बुलाने का अधिकार देने हेतु संविधान में संशोधन करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) वापस बुला लेने के अधिकार में बहुत सी कठिनाइयां हैं और उसका दुरुपयोग किया जा सकता है ।

बिहार में विद्युत् उत्पादन योजनाओं का कार्यान्वयन

7828. **श्री सुकदेव प्रसाद वर्मा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में वर्ष 1973-74 में विद्युत् उत्पादन के लिये तैयार की गई तथा केन्द्र द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं का कार्य मार्च, 1974 की समाप्त होने वाले वर्ष में प्रारम्भ नहीं किया गया; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं की संख्या क्या है और उनके कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण ह ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) 1973-74 के दौरान, केवल एक स्कीम नामश: बिहार के तेनुघाट में एक ताप विद्युत् केन्द्र की स्थापना के लिए स्कीम, को स्वीकृत किया गया था। इस स्कीम को जनवरी, 1974 में पांचवीं योजना के लिए स्वीकृत किया गया था। इस स्कीम के कार्यान्वियन के लिए राज्य के प्राधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं और कार्य को 1974-75 में हाथ में लेने के लिए धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।

अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों को हल करने के लिये गठित न्यायाधिकरणों पर किया गया खर्च

7329. डा० कर्ण सिंह : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों को हल करने के उद्देश्य से गठित किये गये न्यायाधिकरणों पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(ख) इन न्यायाधिकरणों का काम संभवत: कब तक पूरा हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मार्च, 1974 के अन्त तक न्यायाधिकरणों पर व्यय की गई कुल धनराशि निम्नलिखित है :—

	रुपये
(1) कृष्णा और गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण . .	21,64,500
(2) नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण . . .	19,71,400
कुल .	41,35,900

(ख) कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण अपना निर्णय दे चुका है। गोदावरी जल-विवाद न्यायाधिकरण के सन्मुख सभी साझीदार राज्यों की बहस पूर्ण हो गई है और बहुत बड़ी संख्या में कागज़ात साक्ष्य के रूप में दाखिल कर दिये गय हैं। न्यायाधिकरण संबंधी कार्यवाही चल रही है। जबकि न्यायाधिकरण अपने कार्य को यथा व्यवहार्य क्षेत्र पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है, इस समय यह बताना संभव नहीं है कि इस मामले की सुनवाई कब पूरी होगी और न्यायाधिकरण अपना निर्णय देने की स्थिति में कब होगा।

जब कि नर्मदा विवाद पर न्यायाधिकरण के सन्मुख न्याय-निर्णय संबंधी कार्यवाही चल रही थी, सम्बद्ध चार राज्यों के मुख्य मंत्री जुलाई, 1972 में आपस में मिले और इस बात पर सहमत हो गए कि राजस्थान और महाराष्ट्र अपने-अपने क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए नर्मदा जल का क्रमश: 0.5 और 0.25 मिलियन एकड़ फूट जल लेंगे और उन्होंने प्रधान मंत्री से मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच शेष जल के आवंटन के संबंध में और नवगाम बांध की ऊंचाई के बारे में निर्णय देने के लिए अनुरोध किया।

यह समस्या बहुत जटिल है और इसके सभी सम्बद्ध पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है। ठीक प्रकार से यह बताना कठिन है कि पंचाट कब तक घोषित किया जाएगा।

हरियाणा और पंजाब को हिमाचल प्रदेश से बिजली की सप्लाई

7830. श्री भान सिंह भौरा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और पंजाब हिमाचल प्रदेश बिजली संसाधनों का उपयोग करने के इच्छुक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश में संसाधनों की उपलभ्यता के आधार पर विद्युत् उत्पादन यूनिटों के निर्माण को हाथ में ले लिया गया है तथा हिमाचल प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के उपरांत पंजाब, हरियाणा तथा अन्य राज्यों को बिजली दी जाएगी। निम्नलिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं :--

1. व्यास परियोजना चरण-एक	660 मेगावाट
2. व्यास परियोजना चरण-दो	240 मेगावाट
3. बैरा-सियुल परियोजना	180 मेगावाट

व्यास परियोजना के तीसरे चरण को योजना आयोग की सिंचाई, विद्युत् और बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी समिति ने हाल में स्वीकृत किया है और इसमें देहार विद्युत् केन्द्र में 165--165 मेगावाट की दो यूनिटों की प्रतिष्ठापना परिकल्पित है।

राज्य में उपलब्ध जल-विद्युत् संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए अन्य कई परियोजनाओं का अन्वेषण किया जा रहा है।

तेल की खुदाई के सम्बन्ध में लीबिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत

7831. **श्री बनमाली बाबू :**

श्री विरभद्र सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खुदाई के क्षेत्र में सहयोग के लिये लीबिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम रहा ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है ; यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) जुलाई एवं सितम्बर, 1973 में दो भारतीय प्रतिनिधी मण्डलों ने लीबिया का दौरा किया। इन बातो के साथ-साथ तेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को सुदृढ करने के लिए लीबिया के अधिकारीयों से विचार विमर्श हुआ। तदनन्तर एक करार पर हस्ताक्षर हुए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था को गई :--

(i) तेल अन्वेषण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ एवं तकनीकी विदों को उपलब्ध कराना; और

(ii) दोनों पक्षों के नागरिकों के लिए एक दूसरे के देशों में सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण की सुविधा देना।

ऋण के रुप में कच्चा तेल न लेने के लिये योजना आयोग का सुझाव

7832. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

श्री राम सहाय पांडे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह हमारी अर्थ-व्यवस्था के हित में ऋण के रूप में कच्चा तेल न ले ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नेवेली में लिग्नाइट पर आधारित सुपर तापीय संयंत्र की स्थापना

7833. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेवेली में 1000 मैगावाट की क्षमता वाला लिगनाइठ पर आधारित एक सुपर तापीय संयंत्र की स्थापना का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) नेवेली लिग्नाईट निगम ने 1000 मेगावाट के ताप-विद्युत् संयंत्र, जिसमें ईंधन के रूप में लिग्नाइट का प्रयोग होगा, को स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए एक दूसरी खान खोदी जाएगी। ताप संयंत्र की अनुमानित लागत 19,682 लाख रुपये है और खान खोदने की लागत 10,675 लाख रुपये है। इस विद्युत् केन्द्र में पांच यूनिटें होंगी जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 200 मेगावाट होगी। इस संबंध में तैयार की गई संभाव्यता रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

प्रस्तावित हड़ताल में शामिल होने वाले रेल कर्मचारियों के विरुद्ध सक्त कार्यवाही

7834. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि प्रस्तावित रेल हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध सक्त कार्यवाही की जाये ;

(ख) क्या आल इंडिया ट्रेड युनियन कांग्रेस ने सरकार को बातचीत शुरू करने का सुझाव दिया है ; ताकि वह अपने कर्मचारियों के साथ समझौता कर सके ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) अर्थ-व्यवस्था को वर्तमान संकटापन्न स्थिती में, रेलवे हडताल का राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर बहुत गम्भीर प्रभाव पडेगा। जिस हड़ताल की धमकी दी गयी है उसे रोकने के लिए श्रमिक नेताओं से बात-चीत अभी जारी है।

अप्रैल, के दूसरे सप्ताह से स्विच मैन, केबिन मैन, लीवरमैन तथा प्वाइंटस्मैन द्वारा 'नियमानुसार कार्य' आन्दोलन

7835. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों के 85,000 स्विचमैन, केबिनमैन, लीवरमैन तथा प्वाइंट्समैन ने अप्रैल के दूसरे सप्ताह से नियमानुसार कार्य आन्दोलन चलाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगे हैं और उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) अभी तक, इस आशय का कोई नोटिस नहीं मिला है।

1973 के संशोधित वेतनमानों में सेवा वरिष्ठता के लिये वेतनवृद्धि

7836. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रथम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुनः वेतन निर्धारित करते समय 'सेवा वरिष्ठता' (वेटेज इन सर्विस) के रूप में प्रत्येक 6 वर्ष के सेवा काल कों पूर्ति के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी थी ;

(ख) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1973 के संशोधित वेतनमानों में पुनः वेतन निर्धारित करते समय वरिष्ठता के लिये ऐसी कोई वेतन वृद्धि नहीं दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भाग (क) में उल्लिखित सेवा वरिष्ठता (वेटेज इन सर्विस) की तरह वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) प्रथम वेतन आयोग ने कुछ सीमाओं के अधीन एक वेतन मान में प्रत्येक तीन वर्ष का सेवा काल पूरा होने के लिए सेवा अधिक लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि की सिफारिश की थी ।

(ख) और (ग) न तो तीसरे वेतन आयोग ने ऐसे किसी अधिलाभ की शिफारिश की और न सरकार का यह देने का विचार है ।

डी० ए० ओ० दानापुर (पूर्व रेलवे) के भविष्य निधि अनुभाग में अतिरिक्त पदों की व्यवस्था

7837. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री भोला मांझी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० ए० ओ० पूर्व रेलवे, दानापुर ने कलकत्ता स्थित मुख्य कार्यालय से अपने भविष्य निधि अनुभाग में अतिरिक्त पदों की व्यवस्था करने के लिये कहा है और यदि हां, तो कितने पदों, के लिये अनुरोध किया है और कितने पदों की मंजूरी दी गई है ; और

(ख) क्या कर्मचारी अपर्याप्त संख्या में होने के कारण भविष्य निधि अनुभाग में काम जमा हो गया है और जिसे निकालने के लिये गत तीन वर्षों से मानदेय आधार पर बातचीत करके थोड़े समय के लिये कर्मचारी नियुक्त किये जा रहे हैं और यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये कुल कितनी धनराशी मंजूर की गई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भविष्य निधि अनुभाग में अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए मण्डल लेखा अधिकारी, दानापुर द्वारा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं किया गया था । किन्तु मुख्यालय, कलकत्ता को 11 क्लर्कों की कमी की सूचना दी गयी थी । अतिरिक्त पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध होने के कारण इस कमी को अभी तक पूरा नहीं किया गया है ।

(ख) भविष्य निधि अनुभाग में कुछ काम बकाया है लेकिन चालू इन्दराज तथा समाधान कार्य मानदेय के आधार पर नहीं किया जा रहा है । केवल मासिक समाधान कार्य का बकाया काम ही, जो औसतन तेईस महीनों का है, मानदेय के आधार पर करना शुरू किया गया है, जिस पर लगभग 18,000 रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

एम० टी० पी० प्राधिकरण द्वारा कलकत्ता में उच्च ग्रेड के पदों पर नियुक्तियां

7838. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री भोला मांझी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कलकत्ता से बाहर कार्य कर रहे वरिष्ठतम अभ्यर्थियों को, उच्च ग्रेड के पदों पर नियुक्त न करके उन पदों पर स्थानीय रूप से भर्ती करने के संबंध में एम० टी० पी० द्वारा बरती जाने वाली अनियमितताओं की ओर रेल प्रशासन का ध्यान गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली के लिये विद्युतीकृत रेल पटरी

7839. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री भोला मांझी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुझाव दिया है कि नई दिल्ली स्टेशनों के लिये विद्युतीकृत रेल पटरी होनी चाहिए ; और

(ख) यदी हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) नयी दिल्ली स्टेशन तक रेल पथ का विद्युतीकरण, उत्तर रेलवे की दिल्ली-टुण्डला विद्युतीकरण परियोजना का भाग है। इस खण्ड के विद्युतीकरण का काम हो रहा है और आशा है वह 1976-77 में पूरा हो जायेगा।

पांचवी योजना के दौरान उड़ीसा में बेहतर नाली व्यवस्था के लिये निर्धारित राशि

7840. श्री अर्जुन सेठी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में बेहतर नाली व्यवस्था के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ख) उस राशि में से उड़ीसा राज्य का हिस्सा कितना है ; और

(ग) उसमें कौन-कौन से विशिष्ट परियोजनाएं शामिल की गई हैं और जिला बालासोर, उड़ीसा के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) देश में बाढ़ नियंत्रण और जल निस्सार हेतु पांचवीं योजना में 281 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में से विशेषकर जल निस्सार सुधार हेतु किया गया आवंटन अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है।

(ख) पांचवीं योजना के दौरान उड़ीसा राज्य की योजना में जल निस्सार में सुधार के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ग) उड़ीसा सरकार ने सूचना दी है कि जल निस्सार सुधार कार्यक्रम में निम्नलिखित स्कीमें शामिल की गई हैं :—

1. असुरभाल जल निस्सार चैनल।
2. गोबरी नदी सीधा काट।
3. न्यारापुर हरचन्दिन जल निस्सार काट।
4. छतीसापट जल निस्सार स्कीम।
5. सुबालय तमालय जल निस्सार स्कीम।
6. बालासोर जिले में भंडाखाल का नवीकरण।
7. बालासोर में पथरेश्वर नाले का नवीकरण।
8. बालासोर में पारापोखरी कट।
9. बालासोर में नुवेतर ब्राह्मणी महारा क्रासिंग का नवीकरण।
10. बालासोर में राजघाट से दापा तक सालन्दी नदी का नवीकरण।
11. बालासोर में चितीनाला का नवीकरण।

बालासोर जिले में स्कीमों के लिए पांचवीं योजना के दौरान 12 लाख रुपए और 1974-75 के लिए 4 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

खुर्द रोड डिविजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) में स्टेशनों का विकास

7841. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुर्द रोड डिविजन दक्षिण पूर्व रेलवे में कौन-कौन से ऐसे स्टेशन हैं जिनके लिये वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान किसी प्रकार के विकास का कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) क्या बोरपुर केन्दुआपाड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच प्रस्तावित यात्री हाल्ट को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है; और

(ग) इन कार्यक्रमों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1974-75 में खुर्दा रोड मंडल के निम्नलिखित स्टेशनों के विकास का कार्यक्रम बनाया गया है :

भद्रक, भुवनेश्वर, कटक, हुम्मा, खुर्दा रोड, पलासा, पुरी, रम्भा, रेतांग, साक्षीगोपाल, सालेगांव और तालचेर।

(ख) जी नहीं।

(ग) 25.65 लाख रुपये।

भद्रक, भाउदपुर, केन्द्रापदा और रानीताल स्टेशनों पर उठाईगिरी की घटनाओं में वृद्धि

7842. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के भद्रक, भाउदपुर केन्द्रापदा और रानीताल रेलवे स्टेशनों पर हाल ही के महीनों में चोरियों तथा उठाईगिरि में चिन्ताजनक रूप से वृद्धि हुई है ;

(ख) उनकी रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। लेकिन, भद्रक में चोरी और उठाईगिरि के कुछ मामले हुए हैं।

(ख) इस क्षेत्र में चोरी और उठाईगीरी की घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) रेल-पथ पर गश्त लगाना शुरू कर दिया गया है।

(ii) मालगाड़ियों के साथ अनुरक्षी भेजने का काम तेज कर दिया गया है।

दिल्ली मेन स्टेशन से पार्सलों की लदाई

7843. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेन स्टेशन पर पार्सल लादने का कार्य अव्यवस्थित ढंग से किया जाता है और इस प्रकार पार्सल अनावश्यक रुप से रूके पड़ रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पार्सल शीघ्रातिशीघ्र भेंजने और परिवहन में कम से कम समय लगे इस बात को सुनिश्चित कराने के लिये इन तारीखों में 75 अप गाड़ी के ब्रक्समेन गार्ड को उचित रूप से माल सम्भालताने के बजाये मेरठ और सहारनपुर के पार्सलों से लदी हुई बैगनों संख्या एन० आर० बी० सी० एक्स० टी० 65189 और ई० आर० सी० 93706 को फरवरी और मार्च, 1974 में गाजियाबाद स्टशन भेज दी गयी थी ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के अनियमित कार्य के लिये सम्बद्ध कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन इस विशेष मामले में माल डिब्बे 75 अप पार्सल एक्सप्रेस गाड़ी के पार्सल डिलीवरी क्लर्क को सोंपने के बजाय गलती से गाजियाबाद भेज दिये

(ग) ऐसा दिल्ली मेन स्टेशन के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुआ था।

(घ) जी हां।

Composition and functions of C.W.P.C.

7844. Shri Narendra Singh Bisht : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the administrative composition and main functions of the Central Water and Power Commission?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : The Central Water and Power Commission consisting of the Water and the Power Wings, has a Chairman, a Vice-Chairman and eight Members—four in each Wing.

2. The functions of the Central Water and Power Commission are contained in the late Ministry of Natural Resources and Scientific Research Resolution No. EL-I-201(5), dated the 21st April, 1951 and are as below :—

(a) to make all necessary investigations and surveys and when so required, to prepare schemes and designs :

(i) for the development of river valleys in respect of power generation, irrigation by gravity flow or lift, navigation, flood control, soil conservation, antiwater-logging measures, reclamation of alkaline and saline soils, drainage and other related facilities such as malaria control, recreation and fish culture; and

(ii) for thermal electric power development.

(b) to undertake construction work on any river valley development or electric power development schemes on behalf of the Government of India or State Governments concerned;

(c) to advise and assist, when so required, the State Governments (Commissions, Corporations or Boards that may be set up) in the investigation, surveys and preparation of river valley and power development schemes for particular areas and regions and in the surveying of potential sources of load, the forecasting of revenue from electricity supply and the formulation of electricity tariffs;

(d) to advice the Government of India in respect of Water and waterpower rights and disputes as between different units, of the effect which any scheme for the conservation and utilisation of water may have on the interests of the concerned units and of the interpretation of agreements in this regard between different units and any matter that may be referred to the Commission in connection with river valley development;

(e) to advice the Central and State Governments on the administration of electricity legislation and control of electric utilities;

(f) to advice the Government of India in regard to all matters relating to electric power development public electric utilities both private and State owned;

(g) to advice the Government of India in regard to the settlement of priorities for plant, materials and foreign exchange as between various river valley development and power projects;

(h) to collect, coordinate the collection of, publish and analyse data relating to waterways, tidal rivers, rainfall, run-off and temperature, ground water resources, silting and reservoirs, behaviour of hydraulic structure, etc. and to act as the Central Bureau of Information in respect of these matters;

(i) to collect, maintain and publish statistical data relating to the generation, distribution and utilisation of electricity throughout India and to act as the Central Bureau of Information on all matters relating to the public electricity supply;

(j) to initiate schemes and arrange for the training of Indian Engineers in India and abroad in all aspects of river valley development and electricity supply industry;

(k) to standardise instruments, methods of observation and record, materials and construction, designs and operational features;

(l) to review and lay down for the whole of India standard voltages and practices for generation, transmission and distribution of electrical energy;

(m) to conduct and coordinate research on the various aspects of river valley development schemes such as flood control, irrigation, navigation, power development etc., and the connected structural and design features; and

(n) to conduct experiments, research, propaganda and generalley to carry out such other activities as will promote the spread and use of electricity throughout the country, in particular in the semi-urban and rural areas.

Recruitment of Hindi Officers and Hindi Translators in Ministry of Irrigation and Power

7845. Shri Narendra Singh Bisht: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the number of sanctioned posts of Hindi officers and Hindi Translators in his Ministry and its attached offices and the rules followed in regard to recruitment to these posts;

(b) whether the vacancies against these posts are not being circulated outside the Ministry and many able and qualified persons are thus being deprived of the opportunity; and

(c) if so, the steps being taken to stop this irregularity and to circulate these vacancies to other Ministries/Departments?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) A statement giving the requisite information is attached. [*Placed in Library. See No. L.T.* 6803/74.]

(b) The vacancies are proposed to be filled strictly in accordance with the recruitment rules. Since the recruitment rules for the Hindi Officers in the CW&PC have not been finalised, one vacancy there is proposed to be filled in on ad hoc manner from amongst those working in the Ministry and the CW&PC.

Sanction of new Electric connections by D.E.S.U.

7846. Shri G. P. Yadav: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether according to a recent decision taken by D.E.S.U., no new electricity connection would now be given;

(b) if so, whether new domestic connections would also not be given; and

(c) the reaction of Government in regard to the inconvenience caused to the public as a result thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

औषध निर्माताओं के लिये कच्ची सामग्री के अभाव के कारण अनिवार्य औषधियों की कमी

7847. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में एण्टीबायोटिक और विटामिन औषधियों सहित कई अनिवार्य औषधियों की गम्भीर कमी होने की आशंका है ;

(ख) क्या औषध निर्माताओं ने इस उद्योग को आवश्यक कच्ची सामग्री की सप्लाई न करने के लिये राज्य व व्यापार निगम और आई० डी० पी० एल० को दोषी ठहराया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हाल के तेल संकट ने विश्व बाजार में प्रपुन्ज औषधों के मूल्य और उनकी उपलब्धता पर विपरित प्रभाव डाला है । तथापि औषधों और भेषजों के लिए अपेक्षितप्रपुंज औषधों की उपलब्धता पर निरन्तर ध्यान रखा जा रहा है अभी उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर उसकी समय समय पर समीक्षा की जाती है । विटामिन बी-2 और बी-6 को छोड़ कर प्रपूंज औषधों में महत्वपूर्ण कमी होने की कोई सम्भावना नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय निर्माताओं स विटामिन बी-2 और बी-6 को अधिक मात्रा में पाने के लिए प्रयास किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) आई० डी० पी० एल०/एस० टी० सी० द्वारा कच्चे माल की सप्लाई में विलम्ब सम्बन्धी अनियमित कठिनाइयों की शिकायत उद्योग की ओर से की गई है। राज्य व्यापार निगम की सलाहकार समिति की बैठक में इन पर चर्चा की गई है और समय समय पर इस मंत्रालय में होने वाली बैठकों में भी इस पर चर्चा हुई है जब उद्योग, राज्य व्यापार निगम और आई० डी० पी० एल० के प्रतिनिधि भी उसमें उपस्थित होते हैं और तदनुसार उस पर उचित कार्रवाई की जाती है।

रेलवे के तकनीकी पर्यवेक्षकों द्वारा 'नियमानुसार कार्य' आंदोलन

7848. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके आश्वासन के उपरान्त रेलवे के तकनीकी पर्यवेक्षकों ने 6 फरवरी, 1974 को नियमानुसार कार्य आन्दोलन समाप्त कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किस प्रकार के आश्वासन दिये ;

(ग) क्या कुछ मांगें ऐसी हैं जिनका वेतन आयोग की सिफारिशों से कोई सम्बन्ध नहीं है और उन पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जा सकता है : और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) से (घ) रेलवे बोर्ड के साथ हुए एक साक्षात्कार में उन्होंने अपनी मांगें प्रस्तुत की हैं जिन पर विचार हो रहा है।

कोयले से तेल का उत्पादन

7849. **श्री आर० एन बर्मन** :
श्री एम० कतामुत्तु :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोयले से तेल का उत्पादन करने के लिये परीक्षण कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कोयले से तेल का उत्पादन कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ;

(ग) कोयले से तेल का उत्पादन करने की परियोजनाएं किन किन स्थानों पर स्थापित की जानी है और इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है ; और

(घ) कोयले से तेल का उत्पादन अन्य किन देशों में होता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) कोयले से 1 मिलियन मीटरी टन तेल उत्पादों का निर्माण करने हेतु एक संयंत्र की स्थापना कर सकने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए, एक समिति का गठन किया गया है जिसमें इन्जीनियर्स इंण्डिया लिमिटेड, सेन्ट्रल फ्यूअल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, रीजनल रिसर्च लेबोरेटोरी, हैदराबाद, के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए हैं। अब यह समिति इस बारे में उपलब्ध प्रमाणित प्रौद्योगिकी का अन्वेषण कर रही है। इस समय एक वाणिज्यिक संयंत्र द्वारा कोयले को तेल का रूप देने के बारे में कोयले से तेल उत्पादन करने की कोई संभावित तिथि, क्षेत्र, संभावित स्थापित क्षमता तथा परियोजना की अनुमानित लागत, आदि बताना असामायिक होगा। यह मालूम हुआ है कि वर्तमान में केवल दक्षिणी आफ्रिका में ही कोयले से तेल का निर्माण किया जाता है।

वाणिज्यिक अधीक्षक (दावें) पूर्व रेलवे के पास विचारधीन दावे

7850. श्री आर० एन० बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक अधीक्षक (दावे) पूर्व रेलवे, कलकत्ता के पास कुल कितने तथा कितनी धनराशि के दावे विचाराधीन हैं

(ख) उक्त दावे कब तक निपटा दिये जायेंगे ।

(ग) क्या रेलवे अधिकारीयों ने बहुत से दावे दर्ज नहीं किये हैं और न ही उनकी प्राप्त कि सूचना दी है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त दावों को निपटाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1-4-74को पूर्व रेलवे के दावा विभाग में बकाया दावों की संख्या 15,888 थी । बकाया दावों की रकम के आंकडें नही रखे जाते ।

(ख) प्रत्येक मामले के अन्तिम निपटानें के लिए अपेक्षित समय भिन्न-भिन्न होगा जो मामले की परिस्थितियाँ, उसका स्वरुप, उस बारें मे की जाने वाली जाँच, दावें दारों द्वारा अपेक्षित सूचना/प्रलेखों को प्रस्तुत करने में लगने वाले समय आदि पर निर्भर करेगा । इसे देखते हुए दावों के निपटारे की सम्भावित समय सीमा नहीं बतायी जा सकती फिर भी मामलों को शीघ्र निपटाने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर रेलवे के कमर्शियल सुपरिन्टैडेंट (दावा) के पास पड़े अनिर्णीत मामले

7851. श्री आर० एन० बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के कमर्शियल सुपरिन्टेंडेंट (दावा) के पास कुल कितने दावे अनिर्णित पड़े हुये हैं और ये दावे कितनी धनराशि के हैं ;

(ख) कब तक इन दावों के निपटान किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या अनेक दावों को दर्ज नहीं किया गया है और रेलवे अधिकारियों द्वारा उनको पावती सूचना नहीं दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इन दावों के निपटान के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 31-3-74 को उत्तर रेल के दावा विभाग में कुल बकाया दावों की संख्या 10,921 थी । बकाया दावों की रकम के आंकड़े नही रखे जाते ।

(ख) प्रत्येक मामले को अन्तिम निपटारे के लिए अपेक्षित समय भिन्न-भिन्न होगा, जो मामले की परिस्थितियों, उसका स्वरूप, की जाने वाली जांच का विस्तार, दावेदारों द्वारा अपेक्षित सूचना/प्रलेखों को प्रस्तुत करने में लगने वाले समय आदि पर निर्भर करेगा। इसे देखते हुए, दावों के निपटाने की संभावित समय सीमा नहीं बतायी जा सकती। लेकिन, मामलों को शीघ्र निपटाने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता को बिजली की सप्लाई

7852. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने ग्रेटर कलकत्ता को की जाने वाली बिजली की सप्लाई में हाल ही में कमी की है ;

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम के प्रबन्धकों और कलकत्ता निगम के बीच मतभेद के कारण ऐसा हुआ है ;

(ग) क्या दामोदर घाटी निगम ने यह निर्णय बोकारो इस्पात संयंत्र को बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिये किया है ; और

(घ) यदि हां, तो कलकत्ता को बिजली की सप्लाई में वृद्धि करने और दोनों अधिकारियों के बीच मतभेद को दूर करने के लिये सरकार का क्या अन्य कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) जबकि कलकत्ता को विद्युत् सप्लाई करने हेतु दामोदर घाटी निगम किसी संविदा के अनुसार बाध्य नहीं है, दामोदर घाटी निगम के विद्युत उत्पादन के स्तर पर निर्भर करते हुए, यह सामान्यतः 50-75 एम० वी० ए० के बीच विद्युत् सप्लाई कर रहा है। बोकारो को विद्युत् सप्लाई करने अथवा कलकत्ता विद्युत् आपूर्ति कम्पनी के साथ किसी मतभेद के कारण सप्लाई में कोई कमी नहीं की गई है। सन्थालडोह और चन्द्रपुरा में विद्युत् जनन के स्थिर हो जाने पर कलकत्ते के लिए विद्युत् सप्लाई की स्थिति में सुधार हो जायेगा।

तेल से चलनें वालें बायलरों के स्थानों पर कोयले से चलने वाले बायलर लगाने वाले उद्योगों को रियायत

7853. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से उद्योगों ने तेल की कमी के कारण और ऐसे उद्योगों को करों में रियायत देने की सरकार की घोषणा के पश्चात् तेल से चलने वाले बायलरों के स्थान पर कोयले से चलने वाले बायलर लगा दिये हैं ;

(ख) ऐसे उद्योगों को सरकार का कौन-कौन से अन्य प्रोत्साहन देने का विचार है ; और

(ग) इन उद्योगों द्वारा इस प्रकार कोयला काम में लिये जाने से तेल की अनुमानतः कितनी वार्षिक बचत होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अभी तक कोई नहीं।

(ख) तेल से चलने वाले बायलरों को कोयले से चलने वाले बायलरों में परिवर्तन हेतु जहां 1 जून, 1975 से पूर्व स्थापित है कोयले से चलने वाले बायलर अथवा कोई भी मशिनरी अथवा संयंत्र के सम्बन्ध में सरकार का विकास छूट देने का विचार है। इसके अतिरिक्त भट्टी के तेल अर्थात् कोयले के मूल्य में पर्याप्त अन्तर है जिसे भट्टी के तेल का प्रयोग मितव्ययी नहीं होता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गत दो वर्षों में ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश में ग्राम का विद्युतीकरण

7854. **श्री वीरभद्र सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान ग्राम्य विद्युतीकरण निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया ; और

(ख) चालू वर्ष के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाता है और उनके राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। 1972-73 और 1973-74 (जनवरी, 1974 तक) के दौरान हिमाचल प्रदेश में 856 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका था ।

ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड एक वित्त-व्यवस्था करने वाली संस्था हैं । यह सीधे तौर पर ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए किसी कार्यक्रम को हाथ में नहीं लेती है । यह केवल राज्य बिजली बोर्डों को व्यवहार्य ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए ऋण सहायता देती है । अब तक निगम ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की 14 स्कीमें स्वीकृत की हैं । इनमें से 11 स्कीमें पिछले दो वर्षों के के दौरान स्वीकृत की गई थीं । इन सभी स्कीमों में 3,788 ग्रामों का विद्युतीकरण और 1,035 पम्पसेटों का ऊर्जन परिकल्पित है । ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों को पांच वर्ष तक की अवधि में पूर्ण करना होता है। सभी स्वीकृत स्कीमें अभी भी कार्यान्वियन के प्रारम्भिक चरणों में हैं ।

(ख) अलग अलग राज्यों की स्कीमों की स्वीकृति के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा कोई लक्ष्य नहीं रखा जाता। 1974-75 के वर्ष के दौरान सहायता की मात्रा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित स्कीमों की संख्या और ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा निर्धारित मानदण्डों और निर्देशनों के अनुसार स्वीकृत स्कीमों पर निर्भर करेगी ।

निम्न श्रेणियों में स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति

7855. **श्री बी० वी० नायक : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानीय व्यक्तियों को कम से कम निम्न श्रेणियों के पदों में रोजगार देने के सम्बन्ध में रेलवे की नीति क्या है ; और

(ख) जोनवार श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों में स्थानीय और गैर-स्थानीय कर्मचारियों का अनुपात क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) भारतीय रेलों पर श्रेणी iii और श्रणी iv के पदों पर भर्ती के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाती है :—

(i) श्रेणी iii के कर्मचारियों की भर्ती के लिए रेल प्रशासन रेल सेवा आयोग के पास मांग भेजते हैं जो उन पदों का उस विशेष क्षेत्र के प्रादेशिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं जहां रिक्तियां होती हैं ।

(ii) श्रेणी iv कर्मचारियों की भर्ती के लिए रिक्तियों की सूचना निकटतम रोजगार कार्यालय को भेजी जाती है और जिन प्रत्याशियों की वे सिफारिश करते हैं उनके बारे में उस स्थान के मंडल प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाता है जहां रिक्तियां होती हैं। इस प्रकार अधिकांश स्थानीय लोगों को नौकरी मिल जाती है।

स्थानीय तथा गैर-स्थानीय कर्मचारियों के अनुपात के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना देना सम्भव नहीं है क्योंकि इस तरह के आंकड़े नहीं रखे जाते ।

कर्नाटक के नार्थ कनारा जिले में पनबिजली परियोजना

7856. **श्री बी० वी० नायक :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य के नार्थ कनारा जिले में विद्यमान तथा प्रस्तावित पन बिजली परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इन पन बिजली परियोजनाओं के निर्माण से कितने व्यक्ति विस्थापित हुये हैं और कित व्यक्तियों के विस्थापित होने की संभावना है ; और

(ग) उनके पुनर्वास की क्या योजनायें हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय उत्तर कनारा जिले में कोई जल विद्युत परियोजना नहीं है। बहरहाल काली नदी चरण-एक पर निर्माण कार्य ही रहा है ।

(ख) और (ग) अभी तक यहां से किसी को भी विस्थापित नहीं किया गया है और प्रश्न विस्थापन 1976 में होने की संभावना है । विस्थापित किये जानें वाले व्यक्तियों की सही संख्या अभीं नहीं बताई जा सकती । काली नदी जल विद्युत परियोजना के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 10 हजार एकड़ भूमि पृथक रखी गई है ।

तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और ईरान के बीच समझौता

7857. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और ईरान सरकार के बीच समझौता हुआ है कि ईरान में तेलशोधक कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ईरान को विशेषज्ञ और उपकरण भेजेगा ;

(ख) यदि हां, तो ईरान को भेजे जाने वाले विशेषज्ञों और उपकरणों के बारे में मुख्य बातें क्या है/ और

(ग) इस समझौते के परिणाम स्वरूप भारत को किस सीमा तक लाभ होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) पता चला है कि इटली के मैसर्स स्नाम प्रोगेटी ने ईरान के तब्रिज नामक स्थान में चार मिलियन मीटरी टन की क्षमता वाली तेल शोधनशाला स्थापित करने हेतु ठेका लिया है। इंजीनियर्स इंडिया लि० ने मैसर्स स्नाम प्रोगेटी से उनके उप ठेकेदार के रूप में प्रायोजना के लिए कुछ कार्य करने हेतु अनुरोध प्राप्त किया है । इंजीनियर्स इण्डिया लि० प्रायोजना में कुछ सीमा तक हिस्सेदारी भाग लेने की आशा रखता है। भागीदारी व्यवस्था को निश्चित करने के लिए इंजीनियर्स इंण्डिया लि० और स्नाम प्रोगेटी के बीच चर्चा चल रही है। औपचारिक करार को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। इंजीनियर्स इण्डिया लि० को शोधनशाला के दो एककों के बारें में विस्तृत इंजीनियरी और उपलब्धि सहायता सवाएं देनी पड़ेगी । चूंकि विस्तृत इंजीनियरी भारत में की जाएगी इस लिए ईरान को विशेषज्ञों की नियमित प्रतिनियुक्ति नहीं होगी । सामग्री तथा उपस्कर उदाहरणत: कोलतार, रंग, भट्टी संरचनाएं, इंसूलेशन सामग्री आदि भारत के सप्लाई करने की संभावना है।

प्रस्तावित भागीदारी से भारत का आय के रूप में लाभ लगभग 112 लाख रुपये होगा जिसमें से 56 लाख रुपय विदशी मुद्रा म होगी। इसके अलावा इंजीनियर्स इण्डिया लि० समुद्रपार शोधनशाला से संबंधित दूसरी बार कुछ कार्य करने का लाभ उठाएगी जिससे उसकी विदेशी में मांग और अधिक बढ़ेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के पास वाटर एण्ड पावर कन्सलटेंसी डेवलपमेंट सर्विसेज (इंडिया) का पंजीयन

7858. श्री राम सहाय पांडे : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के पास वाटर एण्ड पावर डेवलपमेंट कन्सल्टैंसी सर्विसेज (इन्डिया) लिमिटेड का एक परामर्श दात्री संगठन के रूप में पंजीकृत है ; और

(ख) यदि हां, तो वे एजसियां कौन कौन सी हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख) जल और विद्युत् विकास सलाहकारी सेवाएं (भारत) लि० को जून, 1969 में स्थापित किया गया था। यह निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय अधिकरणों के साथ सलाहकारी संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया है :—

(1) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०)

(2) (i) पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (विश्व बैंक)
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०)
(iii) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई० एफ० सी०)

(3) रशिया विकास बैंक (ए० डी० बी०)

(4) विश्व मौसम विज्ञान संगठन

(5) खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ० ए० सी०)

(6) अमरीका विकास बैंक

(7) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यू० एन० आई० डी० ओ०)

(8) अन्तः अमेरिका विकास बैंक।

वैस्ट कोस्ट (पश्चिम तट) कोंकण रेलवे लाइन

7859. श्री मधु दण्डवते : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वेस्ट कोस्ट कोंकण रेलवे लाइन का निर्माण हो जाएगा ; और

(ख) क्या इस उद्देश्य हेतु योजना आयोग से आवश्यक धन की स्वीकृति ले ली गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) इस लाइन के आप्ता-दसगांव खंड के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। दसगांव-रत्नागिरी खंड के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण और रत्नागिरी से मेंगलूरु तक के खंड के लिए पहले किये गये सर्वेक्षण पर स्थानीय जांच का काम 1974-75 के बजट में शामिल कर लिया गया है और शीघ्र ही काम शुरू कर दिया जायेगा। इस लाइन के निर्माण के संबंध में कोई विनिश्चय योजना आयोग से अनुमति मिलने के बाद ही किया जा सकेगा।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटा नागपुर में नई रेलवे लाइनें

7860. कुमारी कमला कुमारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटा नागपुर में विशेषकर पालामाऊ जिले को अन्य राज्यों के साथ जोड़ने के लिए कुल कितनी रेलवे लाइनों का निर्माण किया जाएगा ; और

(ख) वहां बिछायी जाने वाली नई रेलवे लाइनों की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) छोटा नागपुर में पालामाऊ जिले को मिलाने के लिए पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में रेल लाइन का निर्माण शुरू करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद के वर्षों में निर्माण की नयी परियोजनाएं शुरू करने के सम्बन्ध में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली से कलकत्ता तक चनार, चोपान, गढ़वा रोड, बरवाडीह तथा गोमोह होते हुए मार्ग परिवर्तन करके अथवा नयी मेल तथा एक्सप्रेस रेल गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

7861. कुमारी कमला कुमारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पांचवीं योजना में किसी मेल तथा एक्सप्रैस गाड़ी का मार्ग परिवर्तन करके अथवा चुनार, चोपान गढ़वा रोड़, बरवाडीह तथा गोमोह होते हुए दिल्ली से कलकत्ता तक कोई नई मेल तथा एक्सप्रैस सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव है जिसके कि दिल्ली और कलकत्ता जाने वाले छोटा नागपुर और पालामाऊ कारखानों के कर्मचारियों तथा लोगों को सीधी मेलगाड़ी उपलब्ध हो सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) यातायात सम्बन्धी औचित्य न होने के अलावा मार्ग में लाइन क्षमता सीमित होने के कारण इस समय चुनार, चोपान, गढ़वा रोड़, बड़वाडीह और गोमों के रास्ते कलकत्ता और दिल्ली के बीच किसी मेल/एक्सप्रैस गाड़ी का मार्ग परिवर्तन करके चलाना/नयी गाड़ी शुरू करना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। इसके अलावा इससे यात्रा-समय में काफी वृद्धि हो जायेगी जिसका सीधे जाने वाले यात्री विरोध करेंगे। साथ ही अतिरिक्त गाड़ी चलाने के लिये दिल्ली/नयी दिल्ली और हवड़ा/कलकत्ता में टर्मिनल सम्बन्धी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं।

बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन

7862. कुमारी कमला कुमारी : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में इस समय कुल बिजली उत्पादन कितना है ;

(ख) इस उत्पादन में से बड़े उद्योग गृहों से संबंधित उद्योगों को कुल कितनी बिजली सप्लाई की जा रही है ; और

(ग) कृषि क्षेत्र को इस उत्पादन का कितना भाग सप्लाई किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1972-73 में उपयोगिता-यूनिटों द्वारा उत्पन्न की गई शुद्ध ऊर्जा बिहार में 4628 मिलियन यूनिट तथा उत्तर प्रदेश में 6375 मिलियन यूनिट थी ।

(ख) 1972-73 के दौरान बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठापनों से सम्बद्ध उद्योगों को उपयोगिता यूनिटों द्वारा सप्लाई की गई कुल ऊर्जा बिहार में लगभग 958 मिलियन यूनिट तथा उत्तर प्रदेश में लगभग 460 मिलियन यूनिट थी ।

(ग) उत्पादित ऊर्जा में से कृषि क्षेत्र के लिए सप्लाई की गई ऊर्जा का अंश (1973-73 में) बिहार में 2.7% तथा उत्तर प्रदेश में 17% था ।

दक्षिण और पूर्व रेलवे का पृथकीकरण

7863. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6 रेलवे जोनों के उद्घाटन के बाद दक्षिण और पूर्व रेलवे के पृथकीकरण के क्या कारण हैं ;

(ख) दोनों रेलवे के पुनर्गठन के समय इन की लम्बाई, इनमें कर्मचारियों की संख्या क्या थी और उनमें प्रतिवर्ष माल तथा यात्री यातायात कितना था ; और

(ग) क्या वर्तमान रेलवे में से कोई रेलवे उसी कारण से पृथकीकरण की स्थिति पर पहुंच गया है, जिस कारण से पूर्व तथा दक्षिण रेलवे का पुनर्गठन हुआ था ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) परिचालन की प्रबन्ध कुशलता के संदर्भ में कार्यभार की पर्याप्तता और मात्रा को देखते हुए ही पूर्व और दक्षिण रेलों का विभाजन करना पड़ा था । यातायात के विकास को ध्यान में रखकर इस तरह के पहलुओं की निरन्तर समीक्षा की जाती है ।

(ख) विभाजन के समय पूर्व रेलवे में 9,205 मार्ग किलोमिटर और 253,427 कर्मचारी थे और इस पर प्रति वर्ष 530 लाख मीटरिक टन प्रारम्भिक माल यातायात और 2310 लाख प्रारम्भिक यात्री यातायात होता था । दक्षिण रेलवे में 10,221 मार्ग किलोमीटर और 177,770 कर्मचारी थे और इस पर 180 लाख मीटरिक टन प्रारम्भिक माल यातायात और 2830 लाख प्रारम्भिक यात्री यातायात होता था ।

(ग) जी, नहीं ।

रेलवे प्रशासन के सम्बन्ध में रेलवे को प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

7864. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्रशासन के सम्बन्ध में रेलवे को प्रशासनिक सुधार आयोग के दल द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन में से किसी सिफारिश को स्वीकार किया गया है ; और

(ग) वे विशिष्ट सिफारिशें क्या हैं जिन्हें अब तक स्वीकार किया गया है और कार्यान्वित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) रेलवे पर प्रशासन सुधार आयोग की रिपोर्ट में शामिल कुल 49 शिफारिशों में से 42 सिफारिशों (जिन में 4 आंशिक रूप से शामिल हैं) अर्थात सिफारिश सं० 1, 2, 3(1), 4, 5, 6(3), 8 से 12,1 4(3), 15,17,19,20,24 से 37, 38(3) और 39 से 49, पर निर्णय कर लिया गया है और सिफारिश सं० 3(1), 41(2) और 46(1)

को छोड़ कर शेष सभी सिफारिशों को सरकार ने पूरी तरह से या मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया है। जिन सिफारिशों को पूरी तरह से या मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया गया है, उन पर किये गये निर्णयों को लगभग कार्यान्वित कर दिया गया है सिवाय दो सिफारिशों अर्थात् 33(1) और 36(2) से सम्बन्धित निर्णयों के जिन्हें यथा समय कार्यान्वित किया जायेगा ।

सभा पटल पर समय समय पर ऐसे विवरण रखे गये है / रखे जाते रहे हैं जिनमें सिफारिशों का ब्यौरा, उन पर सरकार के निर्णय और उन निर्णयों को कार्यान्वित करने का ढंग बताया गया है ।

नया रेल सेवा आयोग बनाया जाना

7865. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई नया रेल सेवा आयोग बनाने अथवा विद्यमान आयोगों की नई शाखायें खोलने के बारे में निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो नये रेल लोकसेवा आयोग/शाखायें कहां कहां स्थापित की जायेंगी तथा उनका अधिकार क्षेत्र क्या होगा और ये किन-किन क्षेत्रों से नियुक्तियां करेंगी ;

(ग) ये नये आयोग/शाखायें कब से कार्य करना आरम्भ कर देंगे; और

(घ) नये स्थानों पर नये आयोग/शाखायें स्थापित करने के लिये क्या मापदण्ड अपनाया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) 1974-75 के दौरान दो पूर्ण रेल सेवा आयोग बनाने का विचार है—एक दक्षिण मध्य रेलवे के लिये सिकन्दराबाद में और दूसरा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लिये गुवाहटी में । इसके अलावा रेल सेवा आयोगों के निम्नलिखित शाखा कार्यालय खोलने का भी विचार है :—

आयोग	शाखा कार्यालय का स्थान
रेल सेवा आयोग, बम्बई . . .	अहमदाबाद, जबलपुर, जयपुर
रेल सेवा आयोग, कलकत्ता . . .	खोरघा रोड
रेल सेवा आयोग, इलाहाबाद . . .	श्रीनगर
रेल सेवा आयोग, गुबाहाटी . . .	अगरताला और/या इम्फाल

(घ) नये रेल सेवा आयोग के मुख्यालयों का स्थान उन क्षेत्रीय रेलों की प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है जिसके लिये उन्हें कार्य करना होता है । शाखा कार्यालय पिछड़े क्षेत्रों के उम्मीदवारों की सुविधा के लिये बनाये जाते हैं ।

गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा मांगी गयी वित्तीय सहायता

7866. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या सिचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता मांगी ; और

(ख) प्रत्येक वर्ष में उक्त मांग कहां तक पूरी की गई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाता है और उन्हीं द्वारा उस पर अपने राज्य योजना परिव्ययों में से धन लगाया जाता है । भारत सरकार द्वारा स्थापित सरकारी उपक्रम, ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को योगात्मक ऋण सहायता दी जाती है । गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित और ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	प्रायोजित स्कीम		स्वीकृत स्कीम	
	संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
1971-72	4	1.52	3	0.98
1972-73	7	3.29	6	2.96
1973-74	5	2.49	5	2.46
	16	7.30	14	6.40

शेष दो स्कीमें इस समय निगम के विचाराधीन है ।

मैसर्स कोलगेट की तरह कुछ औषध फर्मों पर एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम लागू किया जाना

7867. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स कोलगेट को एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की जांच का सामना करना पड़ेगा और यदि हां, तो क्या मैसर्स फीजर्स, ग्लैक्सो, एब्बट्स, सेनडाम्स, मे एण्ड बेकर तथा अन्य विदेशी फर्मों के लिये, जिनमें 26 प्रतिशत विदेशी इक्वीटी शेयर है भी ऐसी ही स्थिति है ;

(ख) क्या 1 लाख रुपये के मूल पूंजी निवेश पर मेसर्स एब्बट्स का कुल लाभ 126 गुना है और अन्य फर्मों का मामला भी ऐसा ही है और क्या इन फर्मों के लाभ की राशि युक्तिसंगत सीमा से परे है ;

(ग) यदि हां, तो क्या औषध मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था विद्यमान होने पर भी इन फर्मों ने वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में अत्यधिक अर्थात् 118 से 150 प्रतिशत तक लाभ कमाया है और क्या कम्पनी द्वारा लगाई गई पूंजी उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित सभी फर्मों के लिये एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की जांच का सामना करने के लिये आदेश देने का है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) और (घ) कोलगेट-पामोलिव (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत एक मामला पिछले माह आयोग को भेजा गया था। इस अध्याय में संदर्भित अन्य कम्पनियों के सम्बन्ध में अभी कोई अध्ययन नहीं किया गया है। किन्तु प्रस्तुत सुझाव, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग की सूचना में उसके विचारहेतु लाया जा रहा है कि क्या वह स्वयं के मत और 31 दिसम्बर, 1972 की वर्ष समाप्ति हेतु एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के कार्यकरण पर आयोग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट के अध्याय 5 के पैराग्राफ 5 में उल्लिखित आयोग द्वारा प्रारम्भ की गई उन जांचों के साथ प्रारम्भ करना चाहेगा।

(ख) तथा (ग) औषध एवं भेषज्य का प्रभारी प्रशासनिक मंत्रालय नामशः पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने 5 मार्च, 1974 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1927 का उत्तर देते हुए, जैसे समस्त लाभ, कर चुकाने के पूर्व समस्त लाभ, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के माध्यम से औषधि के मूल्यों का विनियम और प्रारुपण भेजने (लाभांश मात्र) आदि के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना दी है।

मैसर्स मे एण्ड बेकर लिमिटेड द्वारा अधिक खपत वाली औषधियों का उत्पादन

7868. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स मे एण्ड बेकर लिमिटेड द्वारा अधिक खपत वाली औषधि बनाने के लिये किस-किस औषधि तथा कितनी क्षमता के लिये किस संख्या तथा किस तारिख के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र दिये गये ;

(ख) उक्त भाग (क) में उल्लिखित अधिक खपत वाली औषधियों पर आधारित किन-किन तथा कितनी क्षमता के विभिन्न फारमूलेशन के लिये किस संख्या तथा किस तारीख के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस/अनुमति पत्र दिये गये ;

(ग) गत तीन वर्षों में इनमें से प्रत्येक मद का कितना कितना उत्पादन हुआ ; और

(घ) क्या मे एण्ड बेकर ने गत तीन वर्षों में बहुत बड़ी धनराशि बाहर भेजी है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6804/75**] प्रपुंज औषधियों के 1973 के उत्पादन आंकड़ों तथा सूत्र योगों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) 1970, 1971 तथा 1972 के दौरान इस कम्पनी द्वारा बाहर भेजे गये धन के ब्यौरे इस प्रकार है :—

1970	30 लाख रुपये
1971	13.10 लाख रुपये
1972	30 लाख रुपये

1973 के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सूखा राहत कार्यक्रमों के रूप में रेलवे लाइनों का निर्माण

7869. श्री एम० एस० पुरती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में सूखा राहत उपायों के अन्तर्गत कितनी रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं ;

(ख) क्या कुछ मामलों में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं हेतु समुचित धन आबंटित नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) मार्च, 1973 में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सूखा राहत के एक उपाय के रूप में मिट्टी का काम शुरू किया गया था जिसे इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सूखा की स्थिति समाप्त हो गयी है, अब बन्द कर दिया गया है।

1. मिरज-लाटूर (छोटी लाइन से बडी लाइन में आमान परिवर्तन)
2. मनमाड-पुर्ली (मीटर लाइन से बडी लाइन में आमान परिवर्तन)
3. आप्ता-दासगांव (नयी लाइन)
4. वानी-चनाका (नयी लाइन)

उपर्युक्त 1 से 3 तक परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण कार्य पहले से चालू हैं और उनके लिए 1974-75 के बजट में धन का उपर्युक्त नियतन कर दिया गया है ।

वानी और चनाका के बीच एक नयी रेलवे लाइन के लिए मंजूरी दी जा चुकी है और काम प्रारम्भ कर दिया गया है तथा मनमाड से पुर्ली-वैजनाथ तक के खण्ड का बडी लाइन में आमान परिवर्तन का भी अनुमोदन हो गया है और 1974-75 के रेलवे बजट में इसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था कर दी गयी है ।

अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि के बारे में राज्य सरकारों को सूचित करना

7870. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल उत्पादक अरब देशों के अशोधित तेल का मूल्य दुगना करने सम्बन्धी नवीनतम निर्णय की सूचना राज्य सरकारों को दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) अशोधित तेल तथा परिशोधित तेल उत्पादों की उपलब्धता तथा उनके बढ़ते हुए मूल्यों के सम्बन्ध में हुए विकास के बारे में राज्य सरकारों जिन्होंने इस सम्बन्ध में पूर्ण सहयोग दिया है, को अवगत कराया गया है । राज्य सरकारों के परामर्श से खपत में कटौती अथवा नियमित वितरण हेतु उपाय भी अपनाये गये हैं ।

भारत में पैट्रो-रसायन उद्योग के विस्तार के लिये ईरान से सहायता

7871. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान ने संकेत दिया है कि अपने पैट्रो-रसायन उद्योग के विस्तार के सम्बन्ध में भारत की सहायता करने के लिये उसकी व्यापक पूंजी-निवेश योजनाएं और विशिष्ट योजनाएं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ईरान ने 15 जनवरी, 1974 को भारत को आश्वासन दिया था कि वह भारत को कच्चा तेल सप्लाई करेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मद्रास रिफाइनरी की क्षमता में 2.8 मिलियन मी० टन/प्रति वर्ष से 3.8 मिलियन मी० टन प्रति वर्ष के स्तर तक वृद्धि करने के लिए ईरान सिद्धान्त रूप में सहमत हो गया है 200,000 मी० टन/प्रति वर्ष से 270,000 मी० टन/प्रतिवर्ष तक ल्यूब आयल संयंत्र के विस्तार और 20,000 मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले पेराफीन वैक्स संयंत्र की स्थापना के साथ इस विस्तार कार्य को भी साथ ही साथ हाथ में लिया जायेगा।

(ख) 19-2-74 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अ० प्र० संख्या 58 के उत्तर में अपेक्षित सूचना दे दी गई है।

तेल उत्पादक देशों से दीर्घावधि ऋण

7872. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उत्पादक देश भारत की सहायता करने में दीर्घावधि ऋण देने में असफल रहे है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) तेल उत्पादक देशों की सदस्य सरकारें विशेष रूप से विकासशील तथा कविकासशील देशों पर तीव्र मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए अनेक द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय तरीकों पर विचार कर रही हैं। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, अशोधित तेल मूल्यों के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से, अनेक खाड़ी देशों के साथ द्विपक्षीय प्रबन्ध या तो कर लिए गए हैं और या किये जा रहे हैं। बहुपक्षीय कार्यवाही करने के लिए तेल उत्पादक देशों के सदस्यों सरकारों की योजनाओं को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

गायघाट निर्वाचन क्षेत्र के उपनिर्वाचन के दौरान हुई हिंसात्मक घटनाओं की जांच की रिपोर्ट

7873. श्री समर गुह : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में गायघाट निर्वाचन क्षेत्र के हाल ही के उप-निर्वाचन के दौरान वहां पर हुई हिंसात्मक घटनाओं के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निर्देशित जांच की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या मख्य निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) उक्त घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत द्वारा बंगला देश में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना

7874. श्री समर गुह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान-बंगला देश में उपलब्ध अतिरिक्त प्राकृतिक गैस का उपयोग करके वहां संयुक्त उर्वरक एकक स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है ;

(ख) क्या भारत ने बंगला देश के साथ इस बारे में कोई बातचित की थी; और

(ग) यदि नहीं, तो दोनों मित्र देशों के आपसी लाभ हेतु संयुक्त उर्वरक संयंत्र स्थापित करने हेतु बंगला देश से बातचीत न करने क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) भारत-बंगला देश के आग्रह पर बंगला देश में वहां की प्राकृतिक गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए उसके साथ सहयोग करने पर सहमत है।

पश्चिम बंगाल में तेल की खोज

7875. **श्री समर गुह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में तेल की खोज के लिये नये सिरे से प्रयास किये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या छोड दिये गये बोद्रो खुदाई कार्य को पुन: आरम्भ किया जायेगा ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और यदि नहीं, तो बोद्रा में आगे खुदाई कार्य आरम्भ न किये जाने के क्या कारण है ;

(ङ) क्या पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र में तटदूर खोज आरम्भ की जायेगी ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अन्वेषणात्मक व्यधन के लिए पश्चिम बंगाल के बकुलतला क्षेत्र में एक संरचना और गलसी क्षेत्र में 2 संरचनाए दी हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। यह स्थान प्रत्याशित नहीं समझा गया है।

(ङ) और (च) जी हां। अन्त: कार्यक्रम अभी तैयार किया जाना है।

बिहार में कमला नदी के दोनों ओर बांधों का विस्तार करने के लिये भारत नेपाल करार

7876. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मधुबनी जिले में कमला नदी के दोनों ओर नेपाल में सेसपाणी तक बांधों का विस्तार करने के लिये नेपाल सरकार के साथ एक करार हुआ था और इसे अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या बांधों के विस्तार कार्य के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) नेपाल सरकार बिहार में कमला तटबंधों के जयनगर से आगे नेपाल सीमा में मिर्चिया तक विस्तार से संबंधित प्रस्ताव से सहमत हो गई थी। बिहार राज्य सरकार ने अभी तक इस स्कीम को अंतिम रूप नहीं दिया है।

(ग) जी, नहीं।

Proposal to provide Platform, Waiting Room and other facilities at Kharkhari Station

7877. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal for providing platform, waiting room and other facilities at Kharkhari Station in Saharanpur District of U.P.; and

(b) if so, the salient features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Presumably the Honourable Member is referring to Sunehti Kharkhari, a contractor operated halt station which is already provided with all the basic amenities considered necessary for such stations.

(b) Does not arise.

Cancellation of trains in U.P. due to strike by Railway men and Coal shortage

7878. **Shri Nathu Ram Ahirwar :**
Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the particulars of the trains which were cancelled at the time of recent strike by railway men in Uttar Pradesh and the trains which have now been cancelled due to shortage of coal indicating the dates from which they stand cancelled; and

(b) whether some trains have been cancelled on account of shortage of coal during the last six months in Moradabad Division also and if so, the particulars thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

बिहार में हड़तालों और कोयले की कमी के कारण रद्द की गयी रेलगाड़ियां

7879. **श्री नाथू राम अहिरवार :**
श्री धनशाह प्रधान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में रेल कर्मचारियों की हाल की हड़ताल के समय रद्द की गयीं गाडियों तथा अब कोयले की कमी के कारण रद्द की गयी रेलगाडियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत छः महीनों में कोयले की कमी के कारण, डिवीजनवार, रद्द की गयी रेल गाडियों का ब्यौरा क्या है और ये रेलगाडियां कहां से कहां तक चलती थी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी संघ आसाम से ज्ञापन

7881. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी संघ, आसाम से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सैकडों नैमित्तिक कर्मचारी बोनस और सेवा नियमित करने की मांग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगे पूरी करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की असम प्रायोजना में कोई कार्यकारी संघ नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

आसाम में तेल की खोज वाले स्थान

7882\. **श्री बीरेन दत्त : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में किन-किन स्थानों पर तेल की खोज जारी है ;

(ख) नवीनतम परिणाम क्या है;

(ग) क्या चाचेर जिले में खुदाई करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) गालेकी, लकबा-लखमनी, अमगुरी, चरारलो, बोरहेला तथा तेनगाखाट क्षेत्रों में इस समय तेल हेतु अन्वेषण व्यधन कार्य किया जा रहा है।

(ख) लकवा, गालेकी तथा वोरहेला क्षेत्र में गहरे क्षितिनों में अतिरिक्त तेल भण्डार पाये गये। चारली पर एक छोटा तेल पूल खोजा गया। तेनगाखाट क्षेत्र में उच्च दाब वाली गैस का भण्डार खोजा गया। जोराजन में खोदे गये चौथे कुएं ने इस क्षेत्र में तेल एवं गैस की पहले की गई खोज की पुष्टि की।

(ग) जी हां।

(घ) 1975-76 में।

कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में बिड़ला ग्रुप की कम्पनियों के विरुद्ध चल रही जांच

7883\. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण बिड़ला ग्रुप की किस-किस कम्पनी के विरुद्ध जांच चल रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेद ब्रत बरूआ) : सूचना संग्रह की जा रही है वे सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

गोयन्का ग्रुप द्वारा बेनामी सौदे के माध्यम से बाम्बे डाईंग कम्पनी का खरीदा जाना

7884\. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोयन्का ग्रुप ने बेनामी सौदे के माध्यम से बाम्बे डाईंग कम्पनी खरीद ली है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अभी तक कोई जांच की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : (क) केन्द्रीय सरकार को, श्री आर० पी० गोइन्का समूह से सम्बन्धित किसी कम्पनी द्वारा, बाम्बे डाईंग कम्पनी के हिस्सों की खरीद के लिये, कम्पनी अधिनियम, की धारा 372 के अन्तर्गत कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

सबर्बन एरिया ट्रेन सर्विस को बर्दवान से आसनसोल तक बढ़ाने का प्रस्ताव

7885. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सबर्बन एरिया ट्रेन सर्विस को बर्दवान से पूर्वी रेलवे के आसन सोल सेक्शन तक बढ़ाने और हावड़ा एवं आसनसोल के बीच तेज गति की एक गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के सन्मुख है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रासायनिक कारखानों तथा तेल शोधक कारखानों द्वारा नदी के जल के प्रदूषण को रोकने के उपाय

7886. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश को विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों की रासायनिक तथा इंजीनियरी निर्माता कारखानों के रासायनिक तथा अन्य हानिकारक मल निस्त्राव से नदी जल अथवा वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिये कुछ नियामक उपायों को लागू करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या सरकार का ध्यान जुआरी ऐग्रो-केमिकल्स फर्टिलाइजर्स फेक्टरी नामक स्थानीय रासायनिक कारखाने द्वारा पूना के निकट तथा बिहार और आसाम में तेल शोधक कारखानों के आस पास के क्षेत्रों में व्याप्त प्रदूषण के खतरे की ओर दिलाया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) बहि स्त्राव को नदियों में विलीन होने देने से पहले उसे संसाधित करने के उपायों को नियंत्रित करने के लिए जल (प्रदूषण रोक एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 हाल ही में बनाया गया है।

(ख) जी हां, गोआ की सरकार ने गोआ में जुआरी एग्रो-केमिकल उर्वरक कारखाने के बहिःस्त्रावों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के सामजिक एवं प्रभावकारी नियंत्रणहेतु केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है। संयंत्र के बहिःस्त्राव के उपयुक्त नियंत्रण के लिए आवश्यक निवारक उपाय कर लिए गए है। मार्च 1968 में बरौनी शोधनशाला द्वारा गंगा नदी के दूषित हो जाने के परिणाम स्वरूप, शोधनशाला द्वारा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए अनेक उपाय किए गए है। तब से बिहार एवं असम में स्थित शोधनशाला एककों द्वारा किसी प्रदूषण के उत्पन्न होने के कोई समाचार नहीं मिलें हैं।

दक्षिण मध्य क्षेत्र के आमों, केलों तथा काजू के निर्यात के लिये विशेष माल डिब्बों की आवश्यकता

7887. **श्री वी० एस० मूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण केन्द्रीय क्षेत्र में आमों, केलों तथा काजू के निर्यात के लिये कितने विषेश माल डिब्बों की आवश्यकता है ;

(ख) इस क्षेत्र में उनका निर्यात कोन-कौन से केन्द्रों से होता है ; और

(ग) क्या समय पर माल डिब्बे उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और निर्यातकों की आवश्यकताओं को पूरा करन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) मोसम के दौरान मालडिब्बों की औसत दैनिक मांग अनुमानतः 60 स 65 तक होती है। मौसम के प्रारम्भ में और अन्त के आसपास मांग कम रहती है और मौसम के अतिव्यस्त काल में अधिक रहती है।

(ख) आमों का लदान विजयवाड़ा, राजमुंड्री, सायलकोट, अनारपती, तुनि, हैदराबाद, भद्राचलम रोड, दोणाकिल और काचेगुडा स्टेशनों स केले का लदान नाजमुंड्री से और काजू का वापतला, चिन्ना-गंजम् चिरला और दैतपालयम स्टेशनों से किया जाता है ।

(ग) आम के लदान के लिए बंद माल डिब्बों की अधिक सप्लाई के लिए निर्यातकों से मांगें प्राप्त हुई है, दूसरे प्रकार के आवश्यक और नश्य यातायात की ढुलाई को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध सारणी के अन्तर्गत अधिकतम माल डिब्बे सप्लाई करने के प्रबन्ध किये जा रहे है ।

आरक्षण बुकिंग पार्सल, रेल डाक सेवा और संगचल कर्मचारी विभागों में काम करने वालें कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

7888. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरक्षण, बुकिंग, पार्सल, रेल डाक सेवा और संगचल कर्मचारी विभागों में काम करने वाले रेल कर्मचारियों को अन्य रेल कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली 16 छुट्टियों की बजाय केवल टीन छुट्टियां दी जती है ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को इन अतिरिक्त कामों के लिये समयोपरि भत्ता नहीं दिया जा रहा है ; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जब कभी ये कर्मचारि निर्धारित अवधि से अधिक समय तक अथवा छुट्टीवाले दिनों में काम पर लगाये जाते हैं तो उन्हे नियमों के अन्तर्गत देय प्रतिपूरक या समयोपरि भत्ता दिया जाता है ।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में कार्य कर रहे (गैर-आवश्यक) कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन

7889. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली डिवीजन में कार्य कर रहे (गैर-आवश्यक) कर्मचारियों को वर्ष 1956 से अब तक रेल्वे क्वार्टर दिये गये है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये है ; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) 23673

(ग) क्वार्टरों की कमी के कारण ।

एफ० ए० एण्ड सी० ए० ओ० निर्माण लेखे, दिल्ली में ठेकेदारों के बिलों सम्बन्धी सीटों पर चल रहा कदाचार

7890. **श्री पन्नालाल बारुपाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एफ० ए० एण्ड० सी० ए० ओ०, निर्माण लेखे, दिल्ली में 31 मार्च, 1974 को ठेकेदारों के बिलों से सम्बन्धित सीटों पर तीन साल से अधिक अवधी से कितने लेखापाल/सब-हैड्स क्लर्क ग्रेड I क्लर्क ग्रेड II कार्य कर रहे थे ;

(ख) 1 अप्रैल, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक निर्माण लेखा शाखा में ठेकेदारों के कितनी राशी के बिल प्राप्त हुये और ठेकेदारों के कुल कितने बिल प्राप्त होने के ही दिन पास कर दिये गये ;

(ग) क्या रेलवे प्रशासन वहां व्याप्त कदाचार को जानता है ; और

(घ) यदि हां, तो उसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क)

लेखापाल — कोई नहीं ;	सबहेड — कोई नहीं ;
क्लर्क ग्रेड i— 3 ;	क्लर्क ग्रेड ii — 4 ;

(ख) 1-4-1973 से 31-3-1974 तक ठेकेदारों के 689 बिल मिले थे, जिनमें से 9 बिल उसी दिन पास कर दिये गये थे ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के निर्माण लेखा कर्मचारियों द्वारा लेखा संबंधी निरीक्षणों का किया जाना

7891. श्री पन्नालाल बारूपाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक दिल्ली के निर्माण लेखा कर्मचारियों द्वारा विभिन्न कार्यकारी कार्यालयों के लेखा सम्बन्धी कुल कितने निरीक्षण किये गये ;

(ख) 1 अप्रैल, 1973 से 31 मार्च, 1974 तक दिल्ली के निर्माण लेखा कार्यालय में काम करने वाले कुल कितने पर्यवेक्षक थे ; और

(ग) प्रत्येक एकाउन्टेंट और सब हैड को कुल कितने निरीक्षण आबंटित किये गये और ऐसे कितने एकाउन्टेंट/सब-हैड है, जिन्हें कोई निरीक्षण कार्य आबंटित नहीं किया गया है और उसके कारण क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 15

(ख) लेखाकार 6; सब-हैड 3 ;

(ग) 1973-74 में प्रत्येक लेखाकार को आबंटित निरीक्षणों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

1.	लेखाकार (निर्माण)	4
2.	,, (सिगनल एवं दूरसंचार)	4
3.	,, (लेखा)	3
4.	,, (वित्त)	2
5.	,, (सर्वेक्षण)	1
6.	,, (सामान्य)	1
		15

उत्तर रेलवे निर्माण स्कन्ध में केवल लेखाकार ही निरीक्षण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए प्राधिकृत है ।

छात्रों को रियायती रेल टिकट देनें सम्बन्धी नियमों में संशोधन

7892. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक वर्ष पहले आरक्षण कराने की अनुमति सम्बन्धी रेलवे के निर्णय को ध्यान में रखते हुये छात्रों को रियायती टिकट देने सम्बन्धी नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिन के अनुसार छात्रों को रियायती फार्म जारी किये जाने के समय से 14 दिन के अन्दर यात्रा आरम्भ करनी होती है; और

(ख) यदि हां तो इस मामले में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) मामले पर पुनर्विचार करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया गया है कि एक वर्ष पूर्व आरक्षण की अनुमति देने से सम्बन्धित विनिश्चय को लागू न किया जाय अतः छात्रों को रियायती टिकट जारी किये जाने से सम्बन्धित नियमों में संशोधन करने का प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल

7893. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रेलवे कर्मचारियों ने अपनी मांगें मनवाने के लिये अपने संगठनों के माध्यम से 10 अप्रैल, 1974 अथवा उसके बाद से देशव्यापी हड़ताल करने की धमकी दी है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मांग-पत्र की मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) उनकी मांगें पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और सरकार ने इस हड़ताल होने की स्थिति में उसका सामना करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) श्रमिक संगठनों के कुछ वर्गों ने निम्नलिखित मांगों पर जोर देने के लिए हड़ताल करने का प्रस्ताव किया है :—

1. (क) सभी रेल कर्मचारियों को बात-चीत करने के अधिकार सहित पूरे ट्रेड यूनियन अधिकारों के साथ औद्योगिक कर्मचारी मानना।

(ख) रेल कर्मचारियों के काम के घंटे प्रतिदिन आठ घंटों से अधिक न हों।

(ग) एक वैज्ञानिक पद्धति द्वारा सभी रेल कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन हो और तत्पश्चात् सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए आवश्यकता पर आधारित निम्नतम वेतन के बराबर वेतन देकर कर्मचारियों का पुनर्वर्गीकरण-पुनः पद क्रम निर्धारण करें।

(घ) काम का मूल्यांकन और पुनर्वर्गीकरण पूरा होने तक, केन्द्रीय उपक्रमों, हिन्दुस्तान मशीन टूल, भारत हेवी इलेक्ट्रीकलस लि०, हिन्दूस्तान स्टील लि०, हिन्दूस्तान ऐरोनोटिक्स लि० में नियुक्त कर्मचारियों के समान वेतन की तुरन्त मंजूरी।

2. 6 महीने की अवधि में प्रत्येक 4 सुचकांक की वृद्धि पर पूर्ण निष्प्रभावन के साथ-साथ मंहगाई भत्ते को जीवन-सूचकांक के साथ जोड़ना।

3. वर्ष 1971 और 1972–73 के लिए एक मास के वेतन को दर से बोनस।

4. सभी नैमित्तिक रेल कर्मचारियों को गैर-नैमित्तिक कर्मचारी बनाना और पूर्वव्याप्ति के साथ उन्हें सभी लाभ देने के साथ–साथ उनको स्थायी सेवा में लेना।

5. विभागीय दूकानों के द्वारा यथेष्ट और सहायता प्राप्त गल्ले और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति।

6. परेशान करने के सभी मामलों को वापिस लेना।

(ग) हड़ताल न होने पाये इस उद्देश्य से दोना फेडरेशनों और कुछ श्रमिक नेताओ के साथ विचार–विमर्श किया जा रहा है। सरकार किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

कोलगेट और पामोलिव कम्पनियों के कार्यकरण की जांच

7894. श्रीमती सावित्री श्याम :

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग को कोलगेट और पामोलिव कम्पनियों के कार्यकरण की जांच करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या ये कम्पनियां लागत पर 5 प्रतिशत के उचित लाभ की अपेक्षा बिक्री मूल्य पर लगभग 44 प्रतिशत कुल लाभ कमा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में नियम एवं विनियमों का उल्लंघन करने के लिये इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) दिनांक 16 अप्रैल 1974 को अतारांकित प्रश्न संख्या 6863 के उत्तर में, कोलगेट एण्ड पामोलिव कम्पनी (प्रा०) लि० द्वारा अपनाई गई एकाधिकारिक प्रथाओं के ब्यौरे दिये गये थे।

(ग) इसके पैरा (ख) (1) में यह विनिर्दिष्ट किया गया था कि यह कम्पनी बिक्री की लागत पर 42 से 44 प्रतिशत लाभ कमा रही थी।

(घ) इस प्रकार का उच्च लाभ कमाने से, कम्पनी अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लघन नहीं होता, वरन् केवल एकाधिकारिक प्रथाओं का निवर्तन होता है, जिसके लिये, दिनांक 28 मार्च, 1974 को, एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, की धारा 31 के अन्तर्गत एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग को एक निर्देश दिया गया था।

बम्बई हाई में तेल की खोज

7895. श्रीमती सावित्री श्याम :

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार को पता है कि मंद सीमेन्टकरण से उत्पन्न नई पेचीदगियों के कारण बम्बई हाई में ड्रिलिंग की तालिका में गड़बड़ हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) पर्याप्त सीमेन्टकरण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खा) : (क) से (ग) मार्च, 1974 के अन्तिम सप्ताह में जब 9–5/8" केसिंग का सीमेंटकरण संबंधी कार्य किया जा रहा था, तो बम्बई हाई पर कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। कीचड़ हानि तथा चक्रिल रुप से टपकन हुई थी। सिंगापुर के हवाई जहाज से लाये गये परिचालन के अतिरिक्त पुर्जों के साथ सीमेंट निपीड़न के लिये एक विशेष आर टी, टी. एस पैकर की सहायता से सीमेंटकरण से संबंधित कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया था और 3-4-74 को सामान्यबाधन कार्य शुरू कर दिये गये थे।

सिन्दरी उर्वरक कारखाने को वैगनों की सप्लाई

7896. श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगनों की कमी के कारण सिन्दरी उर्वरक कारखाने के बन्द होने की आशंका है :

(ख) यदि हां, तो अधिक वैगन सप्लाई करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) गत तीन मास में इस कारखाने को कितने वैगन सप्लाई किये गये थे ; और

(घ) गत तीन मास में इस कारखाने ने कितने वैगनों को मांग की थी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जनवरी से मार्च, 1974 तक की अवधि मे 3,425 मालडिब्बे लादे गये थे जबकि मांग 3,599 मालडिब्बों की थी। जनवरी और फरवरी, 1974 में सभी मांगें पूरी कर दी गयी थीं। कर्मचारियो के आन्दोलन के फलस्वरुप गाड़ी परिचालन पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण मार्च 1974 के दौरान लदान में मामूली सी कमी हो गयी थी।

भारतीय रेलों में शराफस तथा सी० बी० सी० द्वारा नोट गिनने के लिये निर्धारित मानदंड

7897. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **रेल** मंत्री भारतीय रेलों में शराफस तथा सी० बी० सी० द्वारा नोट गिनने के लिये निर्धारित मानदंडों के बारे में 14 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4275 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) जानकारी एकत्र करने में सरकार अब और कितना समय लेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखियें संख्या एल० टी० 6805/74।]**

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता :

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सरजू पम्प नहर पर किया गया व्यय

7898. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सरजू पम्प नहर पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चतुर्थ योजना के अन्त तक सरजू पम्प नहर स्कीम पर प्रत्याशित व्यय 1.8 लाख रुपये है।

(ख) इस स्कीम के पांचवीं योजना में पूर्ण होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में नानपारा नहर का नर्माण

7899. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में नानपारा नहर को निर्माण के लिए पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कहां से जल लिया जायेगा; और

(ग) कार्य के कब तक प्रारंभ होने की संभावना है ?

सिचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश की पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रुप नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पांचवीं योजना के मसौदे में ननपारा नहर स्कीम को शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

स्कीम के लिए अनुसंधान किये जा रहे हैं और उनके 1975 में पूर्ण होने की संभावना है। स्कीम का ब्यौरा एवं निर्माण आरंभ होने की संभावित तिथि योजना आयोग द्वारा स्कीम को अंतिम रूप देने तथा स्वीकृत करने पर निर्भर करेगी।

कानपुर नेपालगंज रोड वाले सीधे रेल डिब्बे से पंखे एवं बिजली के बल्ब गायब होना

7900. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपूर से रात को चलने वाली यात्री गाड़ी से जोड़े गये कानपुर-नेपालगंज रोड के सीधे रेल डिब्बे से 26 मार्च, 1974 को पंखे एवं बिजली के बल्ब गायब पाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की स्थिति कब से चल रही है; और

(ग) इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) बल्बों की संख्या तो पर्याप्त थी लेकिन, कुछ पंखे शरद्कालीन ओवरहाल के लिए हटा लिये गये थे और उन्हें वापस लगाया नहीं गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के लिए दो सिंचाई योजनाओं को मंजूरी

7901. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए दो सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी है, एक अलीगंज सिंचाई परियोजना और दूसरी खारानहर परियोजना; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा विशेष रूप से अनुमानित लागत क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) योजना आयोग ने फरवरी, 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सूचित किया था कि अलीगंज सिंचाई परियोजना एवं खारा नहर स्कीम को स्वीकार्य पाया गया है और स्वीकृत परिव्ययों के अनुसार क्रियान्वित की जाएं।

(ख) अलीगंज सिंचाई परियोजना में, जिसकी अनुमानित लागत 381 लाख रुपये है, शारदा नहर की खेरी शाखा से लखीमपुर खेरी जिले को खेरी तहसील में 85,400 हैक्टेयर के कृष्य क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाओं को व्यवस्था हेतु जल को व्यपवर्तित करना प्रस्तावित है।

खारा नहर स्कीम में, जिसकी अनुमानित लागत 265.5 लाख रुपये है, यमुना नदी पर वर्तमान ताजेवाला हैडवर्क्स के प्रतिप्रवाह से निकलने वाली एक मुख्य नहर का निर्माण परिकल्पित है। इस नहर से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में 16,100 हैक्टयर के कुल कमानगत क्षेत्र में 7,500 हैक्टयर को खरीफ ऋतु में सिंचाई होने की संभावना है।

उत्तर रेलवे के दिल्ली क्षेत्र में लेखा विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के टाइपिस्टों की आरक्षित कोटे के उच्च ग्रेड के पदों पर पदोन्नति

7902. **श्री पन्ना लाल बारुपाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में अनुसूचित जातीय और अनुसूचित जनजातीय कर्मचारियों के लिये पदों का आरक्षण है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर रेलवे के दिल्ली क्षेत्र में लेखा विभाग में 1 जनवरी, 1974 को 260–400 रुपये के ग्रेड में 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले ऐसे कितने अनुसूचित जातीय और अनसूचित जनजातीय टाइपिस्ट थे जिनकी उच्च ग्रेड में अभी तक पदोन्नति नहीं हुई है ; और

(ग) क्या आरक्षित पदों पर उनकी पदोन्नति करने के प्रश्न पर विचार किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) एक।

(ग) आरक्षित कोटा के अन्तर्गत उन्हें पदोन्नत करने के प्रश्न पर यथासमय विचार किया जायेगा।

. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चन्डीपुर, उड़ीसा में रक्षा प्रतिष्ठान से उच्च शक्तिशाली आधुनिकतम दूरबीन के गायब हो जाने का समाचार

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"reported disappearance of a high powered sophisticated telescope valued at Rs. 1,80,000 from the store room of a Defence installation at Chandipore, Orissa."

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : Mr. Speaker, Sir, a special type of telescope was found missing on the 11th April 1974, in the Proof & Experimental Establishment, Balasore (Orissa). The equipment was imported at a cost of about Rs. 36000. The matter was immediately reported to the Police and a departmental Court of Enquiry has also been convened. Central Bureau of Investigation have also been requested to investigate into the matter. Their reports are awaited.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is reported in the press that this telescope was found missing on the 13th March. A spokesman of the same Establishment told news agencies that the telescope disappeared on the 13th March but the hon. Minister says that it disappeared on the 11th April, I do not find any relevance in his reply with what was said by the spokesman.

This theft was committed on the 11th April and it is 23rd to-day. It is given in the reply that 'this matter was reported to the Police immediately'. I would like to lay emphasis on the word "immediately". When the matter was reported to the Police immediately, their findings must have come immediately. The House should be apprised of the findings of the probe conducted by the Departmental Court of Enquiry and the C.B.I.

This is not a case of simple theft. This establishment is an examination & Experimental Establishment. This telescope was not a small equipment. It might have been kept under lock and key. How it become possible to take away such a big equipment ? The hon. Minister has not thrown any light in this regard. It is also an astonishing fact that no action might have been taken so far against any employee when theft might have taken place.

May I know whether it is a fact that there is discontentment and tension among the workers, employees and the management for a pretty long time in this Establishment ? Does this case involve such elements as can endanger the defence of the country ?

About the cost, there is contradiction between the press-report and the statement of the hon. Minister. The hon. Minister should throw some light about the cost of this telescope.

Shri Vidya Charan Shukla : Since we have received this notice, we talked to Balasore establishment on telephone and we were told that no sopkesman of the Ministry of Defence and Defence Production Department had made any statement and if it is reported in the newspapers that this happened on the 13th March, it is not correct. I am giving its details. This telescope was imported in 1968. I have mentioned its the then cost at the rate of foreign exchange. This instrument had two parts. One is telescope and the other is sight. When we received this instrument,

the Itarasi range was not ready. Therefore, we sent it to Balasore. When the Itarasi range was ready, we decided to send this instrument to Itarasi. When the gentleman reached Balasore on the 13th, as we wanted to send this instrument to Itarasi by 14th April, and when the box was opened, the telescope was found missing. This happened on the 11th April.

Shri Atal Bihari Vajpayee: It may be that this might have disappeared on the 13th March ?

Shri Vidya Charan Shukla: It was being utilized on the 13th March. It was removed only a few days back and was put into a box in the General Store. Therefore, there is no possibility of it.

A Departmental Enquiry Commission has also been set up to look into the matter. When we receive the findings of the investigation, we shall take action.

It is true that there might be a little discontentment between the employees and the officers but we have been trying to remove that.

So far as the safety arrangement is concerned, it is there. Inspite of all the arrangements, if this incident has taken place, it means there is some snag. We shall punish the defaulter.

Shri Sat Pal Kapur (Patiala): I would like to suggest that supervision and security arrangement in the military stores should be strengthened so that no theft can take place in future.

Secondly, when the report of the investigation is received and action is taken against the guilty persons, the report should be presented to the House so that the hon. Members are able to know the action the Government has taken.

Shri Vidya Charan Shukla: When the inquiry is carried out completely, we shall inform the House.

About the hon. Member's suggestion of strengthening the security arrangement, I shall apprise the officers-in-charge of the sentiments expressed by the hon. Member in this regard.

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा) : यह उपकरण किसी ने अपने घर को सजाने के लिये तो चुराया नहीं है क्यों कि यह उपकरण आधुनिकतम है । ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं जिनमें रक्षा के चिन्ह वाले बम पकड़े गए हैं । हम महसूस करते हैं कि एक नियमित षड़यंत्र जारी है । क्या रक्षा स्टोरों, रक्षा प्रतिष्ठानों, प्रयोगशालाओं आदि की सुरक्षा व्यवस्था के कार्यकरण की जांच के लिये उच्च शक्ति प्राप्त जांच की जायेगी ? क्या मंत्री महोदय समझते हैं कि इसमें यह अन्तर्राष्ट्रीय तोड़ फोड़ का मामला है या इन चोरियों में किसी विदेशी शक्ति का हाथ है ?

Shri Vidya Charan Shukla: Firstly I want to reply to the question asked by Shri Vajpayee. I have just received an information that the telescope was removed from the laboratory on the 14th March. The gentleman came on the 11th April to take it. May be the news might have published in the newspapers on the 13th March.

In reply to the question asked by Shri Mahajan I say that I do not know if those bombs had defence markings. Reply has already been given in the House in this regard. We shall consider the security arrangements of weapons.

I do not think if a regular conspiracy is going on and efforts are being made to create chaos by stealing such equipments. I do not want to create terror by raising such matters. Our security arrangements are good. And better improvement can be brought about. Whenever we find any fault somewhere, we set it right.

श्री मोहनराज कलिंगारायर : मैं जानना चाहता हूं कि इस दूरबीन की रेंज कितनी है। इस प्रकार की दूरबीनों का प्रयोग 8एम० एम० मोर्टार और 120 एम० एम० मोर्टार की लम्बी रेंज का परीक्षण करने के लिये किया जाता है। जहां यह दूरबीन था उस प्रतिष्ठान में कई सुरक्षा प्रबन्ध हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस घटना में सेना के कार्मिकों का हाथ है या असैनिक व्यक्तियों का हाथ है ? मेरे पास जो थोड़ी बहुत जानकारी है उससे मैं समझता हूं कि कमांडेंट और असैनिक रक्षा कर्मचारियों के बीच थोड़ी गलतफहमी है। पिछली बार कमांडेंट ने गड़बड़ करने वालों को यूनिट से हटाने का भी अनुरोध किया था।

क्या गत कुछ महीनों से कमांडेंट छुट्टी पर थे ? क्या जनवरी, 1974 में एक आम-सभा में कुछ कर्मचारियों ने रक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार-विमर्श किया था ? इस घटना की जांच की जानी चाहिये और उचित कार्यवाही की जानी चाहिये। मंत्री महोदय इनका स्पष्ट उत्तर दें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जांच पूरी होने के बाद ही माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकेगा कि क्या इसमें सेना के अधिकारियों का हाथ था या असैनिक कर्मचारियों का।

दूरबीन की रेंज के बारे में इस समय मेरे पास विशिष्ट जानकारी नहीं है। मैं इतना कहूंगा कि इसकी रेंज हमारे प्रयोजन हेतु पर्याप्त होगी। इस प्रकार का उपकार हमने विकसित किया है और हम देश में ऐसे उपकरणों का उत्पादन करेंगे। मैं नहीं समझता कि इस रेंज के कमांडेंट ने हमें कोई सूचना भेजी थी। परन्तु यदि इस प्रकार की सिफारिश आय कि अमुक कर्मचारी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर रहा है तो हम उसे हटाने के लिये कार्यवाही करेंगे। फिर भी मैं इस मामले की जांच करूंगा।

आम-सभा हुई होगी परन्तु उसमें रक्षा संबंधी गोपनीय बातों को प्रकट नहीं किया गया था।

Shri Madhu Limaye (Banka): We have been observing for some time that mischievous activities are taking place in Defence Establishments.

A couple of days back, I went through a news about destructive submarine bombs found at Mahuli near Chembur. Will the hon. Minister think over to give a new shape to the Rules and Regulations regarding these Establishments ?

There are private factories near Proof & Experimental Establishment, Balasore. Will the hon. Minister think over this aspect if this telescope has been sent abroad ? If it has been sent abroad, what the Customs Department is doing ?

When the hon. Minister gives assurance that such and such case will be looked into but no report is given to the House later on. Therefore, the findings of the enquiry should be presented in the House.

Shri Vidya Charan Shukla : An investigation is being done by the Ministry of Home Affairs with regard to the bombs found at Chembur. If any matter relates to our Ministry, we shall definitely take action on that.

Our Assurances Committee will take care of the assurances given by us.

I do not think if there are private establishments near Balasore. If any such thing is there, we shall take care of it.

Shri Sat Pal Kapur : What is the scrap value of this telescope ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is not such an equipment as cannot be found after its disappearance.

स्थगन प्रस्ताव के बारे में
RE : MOTION OF ADJOURNMENT

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे ? कई दिन बाद कोई हड़ताल होने जा रही है और माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना देते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : माननीय सदस्यगण आसन्न हड़ताल के कारण वापस अपने घर नहीं जा सकेंगे—(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष महोदय ने विनिर्णय दिया, उन्होंने कहा कि मंत्री महोदय 18 तारीख को श्रमिक नेताओं से मिल रहे थे । उसके बाद श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा कि 'हम मंत्री महोदय के मुंह से आश्वासन चाहते हैं । उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि मंत्री महोदय स्वयं आ रहे हैं, आप उनके मुंह से सुन लीजिए ।' 18 तारीख के बाद हम मंत्री महोदय के मुंह से कुछ सुनने की आशा कर रहे थे (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य थोड़ा विचार करें । नियमों में कुछ शर्तें रखी हुई हैं। स्थगन प्रस्ताव के विषय का संबंध हाल की किसी अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना से होना चाहिये । अभी कोई घटना घटित नहीं हुई है । केवल आसन्न हड़ताल की सूचना दी गई है । हड़ताल सफल होगी या नहीं, उससे पहले ही आप स्थगन प्रस्ताव के बारे में चिंतित हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया वाद-विवाद को पढ़िए कि क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं उपाध्यक्ष महोदय से पूछूं कि क्या उन्होंने इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने का आश्वासन दिया था ?

प्रो० मधु दंडवते : मैंने यह नहीं कहा था कि उपाध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : वह अलग बात है ।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने कहा था कि स्थगन प्रस्ताव से मंत्री महोदय को वक्तव्य देने का अवसर मिलगा ।

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने वक्तव्य के बारे में टिप्पणी की है तो मैं इसकी जांच करूंगा मैं नहीं समझता कि उन्होंने स्थगन प्रस्ताव के बारे में कुछ कहा है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया । मैंने इसकी सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर अनुमति नहीं दी है । इसे प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । लोको कर्मचारियों की सभी नियनों के तथा रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने हड़ताल का नोटिस दे दिया है । मंत्री महोदय ने अभी तक कोई बातचीत नहीं की है । यदि इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो रेलवे कर्मचारी हड़ताल कर देंगे तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी भी उनका साथ देंगे । अतः मेरे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जाए ।

Shri Madhu Limaye (Banka): I want to raise a point of order. You know, Sir, that the situation may become more serious. If you don't want to permit an adjournment motion you may give an opportunity to discuss this matter under rule 193.

अध्यक्ष महोदय : किसी अन्य रूप में भी इस पर चर्चा न करने देने की मेरी मंशा नहीं है ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : सभी ट्रेड यूनियनों ने कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इस स्थिति में पुलिस कर्मचारियों को क्यों गिरफ्तार कर रही हैं ? यह सरकार की कैसी नीति है ? इसी लिये चर्चा आवश्यक है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : भावी स्थिति के बारे में हमने पहले ही कई मामले उठाए थे तथा उस दिन जो अध्यक्ष पद पर पीठासीन थे उन्होंने जो टिप्पणियां की थीं उनसे रेल मंत्री को 18 तारीख से पूर्व सभा को परिस्थिति से अवगत कराना अनिवार्य था, मंत्री महोदय ने जानकर उक्त आदेशों का उल्लंघन किया है ।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur): The Railway employees in Ratlam division are being asked not to join strike otherwise they would be removed from the service. They are being asked to fill up a form putting 'yes' or 'no' in a column. (*Interruptions*)

श्री प्रसन्नभाई मेहता : यह मामला चिंताजनक है । (**व्यवधान**) इस मामले पर चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिये ।

Mr. Speaker: I have said that the hon. Minister will be reminded to make statement with reference to the statement made that day.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Will an opportunity be given to have a discussion after the statement is made?

Mr. Speaker: Have a decision on it. We will have a discussion if it is demanded.

'आर्गनाइझर' नई दिल्ली के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE 'ORGANISER' NEW DELHI

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : महोदय ! मैं एक विशेषाधिकार के उल्लंघन और सभा के अवमान का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। (**व्यवधान**) भारत मुद्रणालय, रानी झांसी रोड़, नई दिल्ली से प्रकाशित दिनांक 20 अप्रैल, 1974 के 'आर्गनाइजर' साप्ताहिक में "लोक सभा इंट्रूडर बिलांगस टु यूथ कांग्रेस" शीर्षक के अन्तर्गत छपी रिपोर्ट के एक अंश में यह कहा गया है कि :

> "संसद भवन की दूसरी ओर इस प्रकार के कपटी राजनीतिज्ञों, जिन्हें श्रीमती गांधी की आत्मा की आवाज के संरक्षक और उनके सलाहकार कहा जाता है तथा साम्यवादी दल के समर्थक सदस्य, जैसे कि श्री के० उन्नीकृष्णन, श्री सतपाल कपूर और उनके साथी ने गुप्त सम्मेलन किया तथा तुरन्त ही एक रुचिकर कहानी गढ़कर सुरक्षा तथा प्रतिपालन विभाग को पढ़ा दिया गया जो संसद भवन के आंतरिक सुरक्षा कर्मचारी हैं और जिनमें से एक की रतन चन्द्र गुप्ता के साथ मुठभेड़ हुई थी जिससे एक घंटे के अन्दर सुरक्षा तथा प्रतिपालन कर्मचारी सभी संसद सदस्यों को पहले की अपक्षा उक्त घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा कर सुनाने लगे ।"

इसके अगले अंश में यह भी कहा गया है कि यह कहानी भी गढ़ी गई कि रतन चन्द्र गुप्ता ने अपने पास खड़े किसी व्यक्ति से यह भी पूछा था कि क्या श्रीमती इंदिरा गांधी सभा-भवन के अन्दर है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ सदस्यों को जानबूझकर बदनाम करने का प्रयत्न किया गया है। हम पर यह आरोप लगाया गया कि हमने यह कहानी गढ़ी है तथा सुरक्षा और प्रतिपालन कर्मचारियों पर अपना प्रभाव डाला है अत्यंत शोचनीय है तथा विशेषाधिकार का उल्लंघन और सभा की अवमानता है। अतः मैं 'आर्गेनाइजर' के प्रमुख सम्पादक श्री के० आर० मलकानी, सम्पादक श्री वी० पी० भाटिया, मुद्रक तथा प्रकाशक श्री ब्रजभूषण तथा विशेष सम्वाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ तथा इस संबंध में सभा की अनुमति मांगता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि पुरानी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाये। अखबार की कटिंग तथा इस प्रस्ताव की एक प्रति सम्बद्ध समाचारपत्र को इसका अभिमत जानने के लिये भेज दिया जाये।

श्री मधु लिमये (बांका) : किस लिये ? क्या प्रथम दृष्टया यह मामला विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला है ?

Mr. Speaker: It has been our practice to have comments of the paper concerned. If I am not satisfied with their explanation, I will place it before the House.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Sir, I don't think it is a matter of breach of privilege of any member or the House. The proceedings of the House has also not been referred to.

अध्यक्ष महोदय : इसमें एक माननीय सदस्य के आचरण पर आक्षेप लगाया गया है तथा इसमें सुरक्षा और प्रतिपालन कर्मचारियों पर भी आक्षेप है।...

Shri Atal Bihari Vajpayee: Is the press not free to comment!

अध्यक्ष महोदय : न्यायसंगत टिप्पणियां की जा सकती है। ब्लिट्ज के मामले में आपको भी शिकायत थी। मैं इस मामले में दूसरी प्रक्रिया कैसे अपना सकता हूं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मेरे विचार से इस मामले में किसी संसद सदस्य अथवा स्वयं संसद को सही अर्थों में कोई अवमानता नहीं की गई। समाचारपत्र ने केवल अपनी टिप्पणी की है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकरण के बारे में बहुत बार असत्य समाचार प्रकाशित किये जाते है (**व्यवधान**) क्या वे सभी विशेषाधिकार के प्रश्न होते हैं ? (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या आपने इस मामले को विशेषाधिकार उल्लंघन का मामला मान लिया है ? मैंने आपको तथा प्रधान मंत्री को एक अन्य पत्र भी भेजा था। मुझे ज्ञात हुआ है कि श्री रतन चन्द्र गुप्ता के पास पर श्री धर्मवीर सिन्हा ने हस्ताक्षर किये थे तथा उस युवक को कांग्रेस पार्टी के एक गुट को बदनाम करने के लिये भेजा गया था...

अध्यक्ष महोदय : इस समय इस बात पर विचार नहीं हो रहा है।

श्री दीनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : महोदय ! समाचारपत्र ने यह आरोप लगाया है कि सभा के कुछ सदस्यों ने षड़यंत्र किया है...(**व्यवधान**) यह सदस्यों के विशेषाधिकार के हनन का मामला है। दूसरे, आपके अधीन कार्य करने वाले वाच एंड वार्ड कर्मचारियों पर भी आरोप

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी]

लगाया गया है। तीसरे, समाचारपत्र ने यह भी कहा है कि कुछ सदस्यों ने सभा द्वारा पारित संकल्प के मामले में सभा को प्रभावित किया है। यह सभा की अवमानता का प्रश्न है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस मामले को सीधे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।

श्री समर गुह (कंटाई) : महोदय मैं घटना का पता लगाने के लिये दो बार लाबी में गया। कुछ संसद्-सदस्य सुरक्षा कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे थे। मैं भी चाहता हूं कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये जिससे तथ्यों का पता लग सके। संसद् कार्य मंत्री ने बिना परामर्श किये बहुत जल्दबाजी में संकल्प प्रस्तुत कर दिया तथा बिना कुछ बताये संकल्प पारित करा लिया। मैं चाहता हूँ कि इस षड़यंत्र का संपूर्ण देश को पता लग जाये।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): In 1958 or 1959 the then editor of Blitz, Mr. Karanjia was reprimanded in the House for a minor mistake. We are not supposed to apply a different standard in this case. I think the said paper should not have written that it was done in collusion with the security staff. (*Interruptions*) Personally, I am not in favour of having any privilege. We should treat ourselves as common citizens. I also condemn the yellow journalism. Sir, kindly write a letter to the paper and let us see what comments it has to offer.

Mr. Speaker: I am surprised to note that it has become a matter of debate to-day. In the past hon. Members had demanded such cases to be examined.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, we have demanded that the findings of the police enquiry should be placed before the House. Unless an authentic announcement is not made in this connection, the press is bound to make calculations.

अध्यक्ष महोदय : अब केवल इस बात का निर्णय करना है कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जानी चाहिये। यह मामला किसी एक सदस्य का नहीं है, सभी संसद सदस्यों का है। इस प्रकार के मामले में एक निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। अपनी अनुमति देने से पूर्व मैंने इसी लिये यह सुझाव दिया था कि प्रस्ताव की प्रति उक्त समाचार पत्र को भेज दी जाए तथा उस पर उसका अभिमत ज्ञात किया जाये। प्रश्न यह है कि क्या इसका निर्णय सभा में किया जाये।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon): Sir, if the impression created by the Oragniser among the readers, is not removed they will realise that certain members of the House were really involved in this incident and that the story was concocted. If you write to the paper it will certainly opologize. I, therefore, suggest that this matter should be referred to the Privilege Committee directly (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्वीकार किये जाने या अस्वीकार किये जाने के बारे में कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं। प्रक्रिया के अनुरूप उपयुक्त समय पर मैं इस सम्बन्ध में सभा को सब कुछ बता दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय! एक राजनीतिक दल के सदस्य पर आक्रमण के बारे में मैंने कल आपको एक पत्र लिखा था। आशा है गृह मंत्री इस बारे में जानकारी देंगे तथा बतायेंगे कि वह क्या कार्यवाही करने जा रहे है। आपने इस संबंध में कुछ दस्तवेज मांगे थे।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह व्यक्ति आपके दल का सदस्य है? यह राज्य में कानून और व्यवस्था का प्रश्न है। इसके लिये राज्य सरकार उत्तरदायी है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : संविधान में यह व्यवस्था है कि राजनितिक दलों को कार्य करने की स्वतंत्रता है। संविधान का उल्लंघन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह राजनीतिक दल का मामला नहीं, एक व्यक्ति का मामला है। गृह मंत्री का कहना है कि यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित हैं। इस स्थिति में उन्हें कोई जानकारी देने के लिये कैसे बाध्य कर सकता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय ! सभा इस मामले पर बहुत चिंतित है। कृपया इस पर एक बार पुनः विचार कर लें।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे एक बार और कह दुंगा लेकिन मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, भारी उद्योग आदि मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1974-75 के लिये निचे लिखित मंत्रालयों के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति सभा-पटलपर रखता हूँ :

(1) स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय,

(2) भारी उद्योग मंत्रालय,

(3) पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय, तथा

(4) नौवहन और परिवहन मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी /देखिए संख्या एल० टी० 6786/74]

इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1972–73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षित तथा लेखे, उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6787/74]

लागत लेखा अभिलेख (थोक औषधियां) नियम, हैवी इलैक्ट्रीकल कम्पनी एकीकरण आदेश आदि और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग के प्रतिवेदन

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत लागत लेखा अभिलेख (थोक औषधियां) नियम, 1974 के हिन्दी संस्करण की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 14 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 130(ड़) में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 6788/74]**

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अन्तर्गत हैवी इलेक्ट्रीकल कम्पनी एकीकरण आदेश, 1974 की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 अप्रैल 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 172(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) उपर्युक्त आदेश के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण के सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6789/74]**

(3) (एक) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(क) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 22(3) (ख) के अन्तर्गत मैसर्स केशोराम इन्डस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 21 मार्च, 1974 का आदेश ।

(ख) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 21 (3) (ख) के अन्तर्गत मैसर्स लुकास टीवीएस लिमिटेड, मद्रास के मामले में प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 28 मार्च, 1974 का आदेश ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदनों तथा उस पर सरकार के आदेशों के अंग्रेजी संस्करणों के साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 6790-91/74]

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
120वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन-संघ सरकार (रेल)—में सम्मिलित रेलों के वित्तीय परिणामों और आय से सम्बन्धित पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति का 120वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहदमदाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, जब आप विदेश गए हुए थे तब गत सप्ताह उपाध्यक्ष महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि गुजरात से संबंधित कुछ मामलों पर आवश्यक रूप से ही चर्चा नहीं की जानी चाहिए क्यों कि उनका विधान-सभा भंग करने के मामले से कोई संबंध नहीं है, ऐसे कुछ गंभीर मामले हैं जिनकी ओर हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं । परन्तु कुछ माननीय सदस्य बोलते ही चले जाते हैं और हमें मजबूरन सुनना पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपतीय निर्वाचन संबंधी एक मामला श्री लिमये ने उठाया था और उन्होंने मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए कहा था । वे आज सबेरे मेरे से मिले भी थे, मैंने उनको कहा था कि वे इस मामले को उठा सकते हैं ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं आपके निर्णय को चनौती नहीं दे रहा हूं । क्या आप हमें गुजरात से संबंधित अन्य मामलों को उठाने की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि न वहां कोई विधानसभा है और न कोई सरकार. . .

श्री मधु लिमये (बांका) : वे इस प्रश्न को बाद में उठा सकते हैं ।

श्री पी० जी० मावलंकर : आपने संवैधानिक प्रश्न उठाने की अनमति दी है । परन्तु जब लोग भूख तथा अकाल से मर रहे हैं तब आप इससे संबंधित प्रश्न उठाने की अनुमति क्यों नहीं देर रहे है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें, मैं कार्यवाही वृतांत देखकर ही अपना निर्णय दे सकता हूं ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) गुजरात विधान सभा को भंग करने का 1974 के राष्ट्रपतीय चनाव पर प्रभाव

Shri Madhu Limaye : I want to raise the question of dissolution of Gujarat Assembly and ensuing Presidential election. I had given this notice on March 20. The Government has been given enough time to think over it. Now the Government spokesmen have started issuing statements to the Press which is improper. Five Presidential elections have been held but such a situation has not arisen so far. I want to place seven points on which clarification is needed :

(एक) भारत के संविधान के अनुछेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल, जिसमें विधान सभाओं और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, के द्वारा होता है ।

(दो) फिर भी इस चुनाव में विभिन्न राज्यों का जिसका तात्पर्य प्रत्येक राज्य से है, प्रतिनिधित्व होता है, यह अनुच्छेद 55(1) के शब्दों से स्पष्ट है,

(तीन) विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान होना चाहिए । इस का अर्थ यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी राज्य को वंचित नहीं किया जाना चाहिए ।

(चार) समग्र रूप में राज्यों और केन्द्र के बीच प्रतिनिधित्व में समानता होनी चाहिए, किसी एक राज्य के इस चुनाव में भाग न लेने से यह समानता न रहेगी ।

(पांच) अनुच्छेद 71(1) में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित संदेह आदि अन्तिम निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय को सौंपे जायेंगे ।

चुनाव से संबंधित वाक्य व्यापक है, चुनाव संबंधी सारे मामले इस में आ जाते हैं ।

[Shri Madhu Limaye]

निर्वाचिक मंडल का अपूर्ण गठन और निर्वाचन मंडल के सदस्यों में से पदों का रिक्त होना दोनों भिन्न बातें हैं, शायद सरकार अनुच्छेद 71(4) के आधार पर इसका समर्थन कर रही है, अनुच्छेद 71(4) में कहा गया है कि निर्वाचक मंडल में किन्हीं कारणों से हुए किसी भी रिक्त पद के कारण राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति का चुनाव नही रोका जायेगा।

(छह) यदि इस संबंध में कोई संदेह है तो उसे अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय के पास अंतिम निर्णय के लिए भेजा जा सकता है।

(सात) मेरा सातवां और अंतिम मुद्दा यह है कि गुजरात राज्य विधान सभा का चुनाव इस वर्ष मई में मानसून के तुरंत बाद कराया जा सकता है नहीं तो राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। अनुच्छेद 56(1) (51) में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल के समाप्त होने के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बने रह सकता है इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति की कार्यावधि बढ़ाई जा सकती है ताकि गुजरात में चुनाव कराए जा सके।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): It is a matter of regret that Government spokesmen are issuing statements to the Press that irrespective of the fact whether elections of State Assemblies of Gujarat and Pondicherry take place or not the election of the President shall be held in August. My submission is that the law Minister may make a statement in this regard.

Shri Madhu Limaye has rightly stated that in the absence of State Assemblies in some states, the electoral college shall not be regarded complete. It will affect the Presidential election, which will not be justifiable for the legislators. I am not in favour of extending the President's term but at least the delimitation Commission can be asked to carry on delimitation work expeditiously and hold elections. The election of State Assemblies can be held before the Presidential election which is to be held in August. Government should not bypass State Assemblies. A situation can come when there is one party at the Centre and other parties are in power in the States. In that case the Centre can dissolve those Assemblies from whom it could have no hope of support. So the Government should not set wrong precedents. Under article 143, the matter should be sent to the Supreme Court for judgment. The hon. Law Minister then comes with a statement for discussion here.

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों ने जो मामले उठाये हैं, उन्हें मैं विधि मंत्री और गृह मंत्री के पास भेज दूंगा ताकि वे इसकी जांच करके वक्तव्य दें।

(दो) पांडिचेरी की 1973-74 की अनुपुरक अनुदानों की मांगों को समय पर पारित न करने के कारण उत्पन्न संवैधानिक स्थिति

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं ने आपसे नियम 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति मांगी थी और मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस मामले को उठाने के लिये अवसर प्रदान किया है। पांडिचेरी विधान सभा में 26 मार्च, 1974 को संघ राज्य-क्षेत्र की सरकार की 1973-74 की अनुदानों की मांगे प्रस्तुत की गयीं थी, ताकि उन पर विचार करने के पश्चात उन्हें पास किया जा सके। वहां की सरकार के टूट जाने से ये पास नहीं हो सकीं वे मांगे 31 मार्च से पूर्व पास होनी चाहिये थी।

यदि ऐसा नहीं किया गया है, तो अनुदानों की पूरक मांगों के अन्तर्गत किया गया सभी व्यय अवैध हो जायेगा। मैं इस संबंध में यह बताना चाहता हूं कि पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की वर्ष 1973-74 की अनुदानों की मांगों को जारी किया जा चुका है और प्रशासक की सिफारिश भी प्राप्त की जा चुकी है। विवरण के पश्चात् उपबन्धों के अनुसार विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये था और ऐसा केवल विधान सभा में ही किया जा सकता

था। चुंकि विधान सभा के भंग होने पर संसद ने उसके कार्य को संभाल लिया है, इसलिये ये मांगे संसद में ही पारित की जानी चाहिये थीं। इस प्रकार किया गया सभी व्यय अवैध हो गया है। इस संबंध में सरकार को कुछ करना चाहिये।

इस संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया था और जो भी व्यय मूल अनुदान से अधिक था, उसे अतिरिक्त अनुदान के रुप में पारित किया जा सकता है। इस बात को इस मामले में भी लागू किया जा सकता है? कुछ ऐसी मदें हैं जिनका बजट में उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हें भी अनुदानों की अतिरिक्त मांगों के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

मेरा तर्क यह है कि सरकार ने असंवैधानिक और गैर कानूनी कार्यवाही की है। 93.49 लाख रुपये में से जो राशि खर्च की गयी है वह गैर-कानूनी है। क्योंकि यह खर्च कानून के अनुसार नहीं किया गया है। सरकार ने कानून के अनुसार कार्य नहीं किया है और उसने अपने दायित्व को पूरा नहीं किया है। उसने संसदीय प्रक्रियाओं तथा संस्थाओं की उपेक्षा तथा निरादर किया है। वह सभा के समक्ष इन्हें पेश करने तथा सभा द्वारा उनका अनुमोदन कराने में असफल रही है और इस प्रकार गम्भीर और अवैध व्यय किया है। जिससे सभा का अवमान, संविधान का अपमान तथा स्वयं संसदीय लोकतंत्र का भी निरादर किया गया है। सरकार ने अवैध काम किया है, इसके लिये उसे सभा के समक्ष उत्तर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस मामले पर विचार करेंगे और वह अभी या बाद में एक वक्तव्य देंगे।

श्री मधु लिमये (बांका) : इसे कार्यसूची में शामिल किया जाना चिहाये।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : चुंकि यह महत्वपूर्ण मामला है, इसलिये मेरे विचार, में सरकार को इस का अध्ययन करना चाहिये और तुरन्त एक वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस० टी० पंडित यहां नहीं हैं। श्री काले भी नहीं है वे नियम 377 के अधीन कोई मामला उठाना चाहते थे। उन्होंने कई मामलों का उल्लेख किया है जिन में से कुछ राज्य के क्षेत्राधिकार में आते है और उन्होंने उन्हें मिला देने का प्रयास किया है ताकि इन्हें यहां उठाया जा सके। मैं ने उन्हें इस संबंध में स्थिति के बारे में बताना था।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यह केवल राज्य का विषय ही नहीं है, क्योंकि इस में क्षेत्रीय असंतुलन की बात आती है।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी हो, वे यहां नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं ने भी इसी मामले के संबंध में सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : आपके मामलेपर भी वही विनिर्णय मिलेगा, जो उनके मामलोंपर दिया जाने वाला था।

प्रो० मधु दंडवते : यह पूरी तरह राज्य के क्षेत्राधिकार का विषय नहीं है। क्षेत्रीय असंतुलन के प्रश्न का संबंध केन्द्रीय सहायता से है। इस प्रकार केन्द्र के साथ इसका संबंध हो जाता है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : कच्छ के आधे से अधिक जिले में जल उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप को इस प्रकार हर बार खड़ा नहीं होना चाहिये ।

श्री पी० जी० मावलंकर : गुजरात की समस्याओं को किस प्रकार उठाया जाये...

अध्यक्ष महोदय : आप को इन्हें तभी उठाना चाहिये, जब मैं इसकी अनुमति दुं। मैं प्रतिदिन 524 सदस्यों को अवसर नहीं दे सकता।

श्री रण बहादूर सिंह अपना भाषण जारी रखें।

Shri R. R. Sharma (Banda): Sir, I had given a notice regarding 'searchlight'?

Mr. Speaker: I will see it tomorrow.

Shri R. R. Sharma: Please allow me only one minute.

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ठीक है।

श्री राम रतन शर्मा : मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे 'सर्च लाईट' के बारे में मामला उठाने की अनुमति दी है।

ऐसे समाचार प्राप्त हुये हैं कि बिहार सरकार इस समय "सर्च लाइट" को 10 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रही है जबकि उस समाचार पत्र को जली हुयी मशीनों को बदलने आदि के लिये धन की बहुत अधिक आवश्यकता है जिसके परिणाम स्वरुप समाचार पत्र के आस्तित्व को तथा संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा पैदा हो गया है...

Mr. Speaker: This matter is concerned with Bihar Government.

श्री राम रतन शर्मा : यद्यपि गत 18 मार्च की घटनाओं के पश्चात, माननीय गृह मंत्री श्री उमा शंकर दीक्षित ने संसद को आश्वासन दिया था कि सरकार "सर्चलाइट" को हर प्रकार की सहायता देंगी।

But—nothing has been done thereafter.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रणबहादूर सिंह अपना भाषण जारी रखें ...

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं एक बहुत ही गम्भीर मामले को उठाना चाहता हूं ...

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा करना बहुत ही अनियमित होगा, मैं अध्यक्ष महोदय द्वारा कही गयी बात को बदल नहीं सकता, यदि मैं आप को इस मामले को उठाने की अनुमति देता हूं, तो यह सब से अधिक अनियमित बात हो जायेगी।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं कल ही दिल्ली से बाहर जा रहा हूं। यह बहुत ही महत्व-पूर्ण मामला है...

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक ऐसी बात करने के लिये विवश न करें जो बहुत ी अनियमित हो। क्या आप यह चाहते हैं कि मैं अध्यक्ष महोदय की बात की उपेक्षा कर दुं?

श्री रण बहादूर सिंह ।

अनुदानों की मांगें 1974-75--जारी

Demands for Grants 1974-75—*Contd.*

कृषि मंत्रालय—जारी

श्री **रणबहादुर सिंह** (सिधी) : कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में बोलते हुये तथा कल कुछ घंटों के वाद-विवाद के पश्चात मैंने महसूस किया है कि इस मंत्रालय के महत्व की ओर अभी उचित ध्यान नहीं दिया गया है। खाद्य समस्या विश्वव्यापी समस्या बनती जा रही है। जहां तक मैं समझ सका हूं इस देश में कृषि से संबंधित सभी समस्याओं को अभी तक विचारधारा के आधार पर ही हल करने के प्रयास किये गये हैं। यह उचित समय है कि हम आर्थिक कारणों पर ध्यान देकर अपनी नीतियों को आवश्यकता के अनुसार बदलें। हमे विचार धारा पर ही निर्भर नहीं रहना है। यदि नीति में आवश्यकतानुसार परिवर्तन न किया गया- तो कठिनाई और भी बढ़ सकती है।

यदि हम विश्व के उन सभी देशों में स्थिति का अध्ययन करें जिनकी महत्वपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो यह बात इस तथ्य पर आधारित है कि वे खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हैं चाहे उनके पास तेल है या नहीं । इस देश की भूमि, जलवायु और क्षमता इतनी अच्छी है कि यह आत्मनिर्भर बन सकता है। खाद्यान्न के मामले में हम निर्यात करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं ताकि हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें। यह केवल तभी सम्भव है जब इस पर साहसपूर्ण ढंग से विचार करें जिसे अभी करने की आवश्यकता है।

जहां तक लोगों का सहयोग प्राप्त करने का संबंध है, जब तक उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता और बिजली के लाभ का उन्हें भागीदार नहीं बनाया जाता, तब तक उनका सहयोग किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनका सहयोग केवल तभी मिल सकता जब बिजली का वितरण अर्थपूर्ण और वास्तविक हो।

मैं देश के उस भाग का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां सिचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सोन नदी के जल के उपयोग के बारे में एक समझौता किया गया था और इस समझौते के अनुसार 6.5 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई की जानी थी परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है और अब यह बताया जा रहा है कि राज्य से संशोधित प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुए हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में इस बृहत परि-योजना के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है। यह लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है।

रीवा, सतना, सिधी और शहडोल क्षेत्र को इण्डियन एक्सोप्लोजिव लिमिटेड कानपुर तथा गोरखपुर और भिलाई से उर्वरक मिलना चाहिए परन्तु दुःख की बात है कि इन क्षेत्रों को कहीं से भी उर्वरक नहीं मिल रहा है ।

गोबर गैस संयंत्र की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इस संयंत्र को लगाने पर लगभग दो हजार रुपये लागत आती है परन्तु वित्तीय संस्थाओं को कहा गया है कि वें 500 रुपये सहायता के रुप में दे । यह राशि बहुत कम है । मंत्रालय के अनुसंधान विभाग को चाहिए कि वह इस संयंत्र का प्रोटोटाइप करें ताकि किसानों को पता चल सके कि उनको कौनसा गैस संयंत्र चाहिए ।

डेरी उद्योग में सुधार तभी हो सकता है जब अच्छि नस्ल के पशु बाहर से मंगवाए जांए लेकिन यह डर है कि ये पशु अपने साथ रोग भी लायेंगें । इसि-लिए अच्छा तो यह होगा कि हमारे दश में ही अच्छी नस्ल के पशु हों ताकि दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके ।

11—17 LSS/74

[श्री रणबहादुर सिंह]

जंगल काटने के कारण वन्य प्रणियों की संख्या कम होती जा रही है। सरकार को अन्य प्राणियों की रक्षा के लिए पूरा पूरा प्रबन्ध करना चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आदिवासियों की दशा शोचनीय है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

श्री शक्ति कुमार सरकार (जयनगर) : मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। हमारी योजना लाखों को भोजन देने में समर्थ नहीं है। केवल आंकड़े इकठ्ठे से लोगों का पेट नहीं भर सकता

बंगाल में मत्स्य पालन की ओर न तो योजना बोर्ड का ध्यान ही गया है और न ही कृषि मंत्रालय का। इस वर्ष 80 करोड़ रुपये की मछलियों और समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया। परन्तु मेरे राज्य इसमे कोई योगदान नहीं दे सका। इसके लिए केन्द्रिय सुरकार दोषी है क्योकि इसने इस राज्य को समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। मेरे राज्य के संरक्षण के लिए 2200 मील लम्बा तटबंध है और उपनदियों तथा नहरों की लम्बाई 732 मील है और यहां मत्स्य पालन की सुन्दर व्यवस्था हो सकती है परन्तु सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। मेरे राज्य के लिए केवल एक मत्स्य बन्दरगाह की व्यवस्था की गई है और उसका भी विकास नही किया जा रहा। केन्द्रिय सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

मुहानों से मछली पकडने के लिए 50 लाख रुपये रखे गये थे परंतु राज्य सरकार ने केवल डेढ़ लाख रुपये व्यय किए है। यह स्पष्ट है कि सरकार ने इस और ध्यान नहीं दिया ।

पश्चिम बंगाल में 7.52 लाख टन मछलिये की आवश्यकता है जबकि सप्लाई केवल 2.54 लाख टन है। मांग अन्य राज्यों से मछली लेकर पुरी की जाती है। बंगाल को इसके लिए 400 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष अन्य राज्यों को देना पड़ता है।

इस राज्य में सरसों के तेल की मांग 2 लाख टन प्रतिवर्ष है और यह मांग उत्तर प्रदेश, हरियाना और राजस्थान से पूरी की जाती है। इस प्रकार इस राज्य को 160 करोड़ रुपया अन्य राज्यों को प्रतिवर्ष देना पड़ता है। इस प्रकार बंगाल भूखा होता जा रहा है परन्तु सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगती ।

एक ओर तो इस राज्य में उद्योगों के पनपने से जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर यहाँ खाद्यान्न की कमी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि बडी परियोजना शुरु करने के साथ ही कृषि परियोजना भी शुरू की जानी चाहिए ताकि खाद्यान्न को मांग को पूरा किया जा सके।

सुन्दरवन क्षेत्र में साल में एक बार उगती है और यहा की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। यहां 25 प्रतिशत लोग भुखमरी से पीड़ित है और इस कारण कई मौतें भी हो रही है। गत 27 वर्ष में वहां कृषि उद्योग अथवा किसी प्रकार की योजना नही बनाई गई। यहाँ पानी का भी अभाव है अत: ऐसी योजना बनाई जाए कि यहाँ कम पानी मांगने वाली फसलें उगाई जा सके। मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें।

कल मेरे अतारांकित प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया था । मैंने पूछा था कि सुन्दरवन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कितने दल कृषि विकास के उद्देश्य से गए थे और उत्तर में कहा गया था कि कोई दल नहीं गया । तथ्य यह है कि 5 दल वहां गए थे । सदन को गुमराह क्यो किया गया ? मंत्री महोदय इसकी जांच करें।

श्री शंकरराव सावन्त (कोलावा) : हालांकि कृषि मंत्रालय अथक प्रयत्न करने वाले मंत्रियों के नियंत्रण में रहा फिर भी गत दो वर्षों में इस मंत्रालय ने महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की । प्रत्येक क्षेत्र में सरकार को असफलता मिलो है और इसका मुख्य कारण निर्णय का शोघ्रता से न लेना है । सरकार मूल्यों की वृद्धि को रोकने में असमर्थ रही है। स्वयं राष्ट्रपति ने कहा था सरकार खाद्यान्न के नियंत्रण और वितरण में असफल रहो है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वाद-विवाद को प्रभावशाली बनाने के लिए राष्ट्रपति का नाम नहीं लिया जाना चाहिए ।

श्री शंकरराव सावन्त : उन्होंने आम सभा में यह बात कही थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन के नियमों की बात कर रहा हूं ।

श्री शंकरराव सावन्त : चाहे कुछ भी रहा हो, सरकार अपनी नीतियों पर अड़ी रही और अन्ततः उसे गेंहूं की सरकारीकरण की नीति को छोड़ना पड़ा । मैं गेंहूं के सरकारीकरण के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु सरकार ने नीति को सफल बनाने में पूरी तरह ध्यान नहीं दिया ।

दो वर्ष पूर्व मंत्रालय ने खुले आम यह घोषणा की थी वह खाद्यान्न का आयात बन्द कर देगा और इसका निर्यात भी कर सकेगा । मंत्रालय ने यह गलत घोषणा क्यों की? यह बहाना बनाया जा रहा है कि वर्षा न होने के कारण ऐसा हुआ है । मैं इसे स्वीकार करता हूं । परन्तु यही एक कारण नहीं हो सकता क्यों कि वर्ष 1973 में खूब वर्षा हुई थी फिर भी अनाज की कमो हुई थो । मेरे विचार में इसके कई कारण थे । पहला कारण तो यह था कि कृषि मंत्रालय का आत्मनिर्भरता का दावा तथ्यपूर्ण नहीं था । दूसरा यह कि वर्ष 1971 में बंगला देश के लगभग एक करोड़ शरणार्थियों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करनी पड़ी थी । और बंगला देश को खाद्यान्न का निर्यात करने से हमारा सुरक्षित भंडार भी समाप्त हो गया । तीसरा कारण यह था कि बिना तैयारी के खाद्यान्न व्यापार के सरकारीकरण और किसानों को गेंहूं का सही मूल्य न देने के कारण हजारों उत्पादकों ने गेंहूं को जमा करना शुरु कर दिया जिसके परिणामस्वरूप बनावटी कमी पैदा हो गई ।

[**श्री वसंत साठे** पीठासीन हुए
SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

खाद्य जोन प्रणाली के लागू किए जाने और खाद्यान्न के क्रय-विक्रय तथा लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों के कारण कमी और बढ़ गई तथा जमाखोरी और मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिला । पांचवा कारण यह है कि बनावटी कमी के कारण चोरबाजारी और चोरबाजारी के कारण जमाखोरी को प्रोत्साहन मिला । सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह खाद्य जोनों को समाप्त कर दे और गेंहू, चावल आदि की वसूली दर को बढ़ा दे । खाद्यान्न की चोर बाजारी से चीनी-खाद्य तेल आदि की चोरबाजारी भी शुरु हो गई । अतः सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

वर्ष 1970-71 में 15 करोड़ टन खाद्यान्न बेकार हो गया था और वर्ष 1973 में यह मात्रा बढ़कर 50 करोड़ हो गई । इसका उत्तरदायित्व भारतीय खाद्य निगम पर है । सरकार को दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए तभी इस मामले में सफलता प्राप्त की जा सकती है ।

[श्री शंकरराव सावन्त]

सरकार का मत्स्य बन्दरगाह है और बीच के दर्जे के तथा छोटे पतनों के विकास का प्रस्ताव है। सरकार को इस मामले में शीघ्रता करनी चाहिए ताकि मछेरों और मछली पकड़ने के कार्य के लिए उद्यत शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। उन्हें मछुआ नौकाएं देने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : एक समय था जब हरित क्रांति की बात की जाती थी लेकीन आज स्थिति यह की जा रही है कि खूनी क्रान्ती की बात की जा रही है। मैं यह तो नही कहता -की हरित् क्रान्ति में असफलता का कारण केवल मंत्रालय रहा है बलिक सरकार भा इसकी जिम्मेदार है। मंत्रालय का कहना है कि यदि उन्हे खाद्य बीज आदि समय पर मिल जाता तो आत्म निर्भरता प्राप्त की जा सकती थी। परन्तू मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ने उपलब्ध उर्वरक को राज्यों को सही प्रकार से वितरित किया था ? आन्ध्र प्रदेश को 1 लाख टन उर्वरक आवंटित किया गया था परन्तु केवल 80,000 टन ही सप्लाई किया गया। आंध्र प्रदेश के साथ यह अन्याय क्यों किया गया ? मैं मंत्रालय पर यह आरोप लगाता हूं की उसने आन्ध्र प्रदेश का कोटा उत्तर प्रदेश में भेज दिया क्योंकि वहाँ चुनाव होने थे। मंत्री महोदय जानते है कि यदि आन्ध्र प्रदेश को अपेक्षित कोटा दिया जाता तो वहां उत्पादन बढ़ सकता था लेकिन सरकार ने जानबुझकर अन्याय किया।

उर्वरक को केवल पांडेचेरी पत्तन पर ही क्यों उतारा जाता है। आन्ध्र प्रदेश में विशाखापट्नम और काकीनाडा दो बड़े पत्तन है। वहाँ उर्वरक उतारने को अनुमति नहीं दी जाती ? सडक के जरिए उर्वरक ले जाने की भी अनुमती नही दी गई है। केवल रेल-मार्ग से उर्वरक ले जाया जा सकता है परन्तु वैगनो की कमी के कारण उर्वरक ले जाने में कठिनाई हो रही है। क्या सरकार यह बताएगी कि उर्वरक को सड़क के माध्यम से ले जाने पर प्रतिबन्ध क्यों लगाए जा रहे है और उर्वरक को केवल पांडेचेरी पतन पर ही क्यों उतारा जाता है ? अब सरकार ने अन्य राज्यों से उर्वरक लाने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया है जिसके कारण आन्ध्र प्रदेश को कठिनाई हो रही है। सरकार को इन सब पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए।

कल श्री शिन्दे साहब ने बताया था कि कार्बनिक खाद के प्रयोग से केवल 8 प्रतिशत मांग पूरी होगी। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरे विचार में 20 से 30 प्रतिशत मांग पुरी होगी। यदि राज्यों को पर्याप्त धनराशि दी जाए तो इस मामले में सफलता प्राप्त की जा सकती है।

दक्षिणी राज्यों में डेरी उद्योग का विकास किया जाना चाहिए। पूर्वी समुद्री तट पर मत्स उद्योग के विकास के काफी आसार हैं और इस दिशा में प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है।

Shri Gainda Singh (Padrauna): In 1969 a motion was passed to nationalize the sugar industry in public interest. A Commission was asked to submit its report in this matter but it is not known why the report has not been placed on the Table of the House. There are two different views in regard to sugar industry. Some persons are in favour of bringing the sugar industry under public sector and other persons like mill-owners who are not in favour of nationalisation of sugar industry. Therefore, I want that report should not be delayed and be published soon. In U.P. and Bihar State, mill-owners are monopolists and they do not want that the industry should be nationalised. If the Government is sincere in bringing socialism, they should free the people from the clutches of mill-owners.

These sugar mills were established in 1931 and the amount earned by these mills during 1931-1950 is unaccounted.

U.P. and Bihar State are economically backward and these are the States which supply canes in huge quantity. If Government want to give them relief, they should immediately stop dual transactions through cooperatives and private sector. It is the only way to save the people of country.

Government have not relied upon its own farmers and whatever help has been given, it has been given to rich farmers only and landless persons have not been benefited. They should also be given due attention.

I know that research work is being done sincerely and by using it properly we can augment our production three to four times. But this research work is not made available to the farmers. Serious attention is needed in this direction.

It is the need of the day to allocate much amount for agriculture. But I have come to know that percentage has been reduced.

The shortage of wheat and rice in the country is due to the wrong policy adopted by the Government. Countries like Russia, Argentina and Poland had committed the same mistake and had to suffer thereto. The Government of India should not repeat the same mistake.

The Government has no fixed policy regarding fixing the procurement price. In 1948 the procurement price of Sugarcane was fixed at Rs. 5½ per quintal whereas it is only Rs. 8 per quintal now. Similar is the case with fixing the procurement price of wheat. The Government should give full cooperation to the farmers and then we can only get more production.

श्री पी० आंकिनीडु प्रसाद राव (अंगोले) : खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये किये गये इतने प्रयत्नों के बाद भी अब हम उस स्थिति में आयें हैं जो स्थिति हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ करने के समय थी। हम ऐसी विचित्र स्थिति में हैं कि हम देश की खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी करने में असफल है। देश में न केवल अभाव की स्थिती है बल्कि हम विदेशी मुद्रा की कमी के कारण खाद्यान्नों के आयात करने की स्थिति में भी नहीं है। आज विश्व में यह स्थिति है कि कुछ ही देशों के पास खाद्यान्न निर्यात अथवा बिक्री के लिये उपलब्ध है।

आज कुछ देश अपने राजनीतीक मित्रों को ही उवरक बेचना चाहते हैं। हमे वर्तमान समस्या को हल करने के लिये न केवल दीर्घावधी बल्कि अल्पावधी उपायों पर भी विचार करना होगा। आज देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए देश के लियें खाद्यान्नों के स्थान पर उर्वरकों का आयात करना अधिक उपयोगी होगा।

देश की आवश्यकताओं को देखते हुए पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया कृषि क्षेत्र के लिये परिव्यय बहुत कम है। इसमे वृद्धि की जानी चाहिये।

जब तक देश को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और बिजली उपलब्ध नहीं होती तब तक अधिक उपज देने वाली किस्म के बोज और भूमि में नमी का बनाये रखना एक मात्र उपाय है जिससे कि 50 प्रतिशत से अधिक भूमि बारानी खेती के अन्तर्गत लाई जा सके। अत: हमारा प्रयास देश में बारानी खेतो अनुसंधान कार्य पर ही सिमित रहना चाहिये।

छोटे किसानों को पर्याप्त धनराशी दी जानी चाहिये। सरकार को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि किसान अधिक से अधिक खाद्यान्न को उत्पादन करें।

[श्री पी० आंकिनीडु प्रसाद राव]

सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वर्षा न होने पर भी उन्हे कोई हानि न हो ।

हम कृषि क्रान्ति की बातें करते लेकिन किसानों को रासायनिक खाद नहीं देते। किसानों द्वारा 5 से 6 प्रतिशत भूमी पर धन की कमी के कारण खेती नही की जाती । इस बात का प्रयास किया जाना चाहिये की सब सिंचाई योग्य भूमि पर खेती की जा सके जिससे खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ सके ।

खाद्यान्न का भंडार करने के लिये योजना बनाई गई है । लेकिन उक्त योजना केवल कागजों तक ही सीमित रही है । उसे क्रियान्वित नहीं किया गया है । खाद्यान्नो का उचित भंडार न किये जाने के कारण प्रति वर्ष हमे 5 से 10 प्रतिशत खाद्यान्नो की हानी हो जाती है ।

भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण करने में किया गया विलम्ब भी खाद्यान्नों की जमाखोरी का कारण है । अधिक भूमि वाले जमीदार अपनी भूमि छोड़ने को तैयार नहीं है अत: भूमि सुधार कानूनों को शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

आंध्र प्रदेश अपनी आवश्यकताओं से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है । और केन्द्रिय पूल में भी अधिक योगदान करता है । किन्तु उक्त राज्य को बहुत कम उर्वरकों का आवंटन किया गया है । राज्य की उर्वरक की आवश्यकता 3 लाख टन की है जबकि उसे केवल 1.25 लाख टन उर्वरको का आवंटन किया गया है। अत: आंध्र प्रदेश को और उर्वरको का आवंटन किया जाना चाहिये ।

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhabua) : The Government has been a total failure in the matter of Food and Agriculture. The last year Government spent too much on agriculture in the name of "Green Revolution". But even then the production of foodgrains this year is very low.

The Government has also been a total failure in the matter of taking over of wheat trade.

The big businessmen and the farmers have earned a lot due to the wrong policy of the Government. People are not able to get foodgrains easily. I still doubt whether with the present new policy Government will be able to supply foodgrains to the people. The foodgrains are not coming in the market. It is being sold before reaching the market. Thus neither the Government is able to get the levy nor the people are getting foodgrains.

The Government should take immediate steps in this direction. It should take stern action against the persons indulging in black marketing. In case the Government do not implement rules properly the food situation may be more critical.

The Government has passed an Act in the name of Land Reforms. But the lands have not been distributed anywhere. The big farmers and the landlords have distributed the lands among themselves.

The Land Ceiling Act should be implemented properly.

The farmers should be given appropriate prices for their products taking into consideration the increasing prices of their imputs. In case they get more price for their products they will be encouraged to produce more.

My constituency Jhabua and Ratlam have been greatly affected by drought this year. The relief work there has been stopped due to shortage of funds. The fund should be made available and the relief work should be started again.

There was a scheme for starting an Agricultural University in this area but that scheme has not been implemented so far. The Government should look in this matter.

Shri M. S. Purty (Singhbhum): India is an agricultural country. 80 percent of its people mainly depend on agriculture. The development of whole country depends on the proper development of agriculture.

The Special Programme implemented by the Ministry of Agriculture to bring about social and economic equality in the country are defective and they need revision.

It is said in the Ministry's Report that during 1973-74 the Commercial Banks gave short and long terms loans to the farmers. It benefitted about 8 lakh farmers. If it is correct then the production should have increased and the conditions of the farmers should have been improved. But it is not so. The economic condition of the farmers is very miserable and some concrete steps should be taken to improve their conditions.

The cooperative agencies set up for agricultural development have become big centre of corruption. There is a great need to eradicate corruption from these agencies.

There is a wide disparity in the matter of distribution of land. Some people own thousands of acres of land whereas others do not have an inch of land. The land ceiling law is applicable to only weaker sections. A more effective law should be made for proper distribution of land.

In Chotta Nagpur there are large waste lands in the forests. These lands should be distributed to the farmers.

The Agriculture Ministry should give encouragement to Silk Industry. In Singhbhum district a large number of people are engaged in sericulture industry. But the forest department do not easily give them permission for it and they are compelled to pay more taxes. They should be allowed to carry on their business without paying any taxes.

There is a great need of starting an Agriculture University in Choota Nagpur.

Shri Chiranjib Jha (Saharsa): I rise to support the Demands of the Ministry of Agriculture. I want to draw the attention of the Minister of Agriculture towards the backwardness of Bihar and Uttar Pradesh. If imbalance in these two States is not removed, it may prove desastrous for the whole country. The 'Green revolution' has lost its importance. It may be true that nature has not favoured us but we cannot deny laxity on the part of the Government. We should have taken steps to meet the challenge of natural calamities like drought and floods.

Decentralisation is the talk of the day. But in so far the implementation aspect of decentralisation is concerned, it has not achieved any results. Village Panchayats have been set up but they have neither been given any power nor they have any resources. If these things are allowed to continue, there will be no use of these Panchayats.

The Report submitted by this Ministry indicates the amount allocated and the amount spent on irrigation schemes but it does not indicate any achievements made as a result of this expenditure. The Government should ensure adequate and timely supply of diesel and fertilizers and other inputs in order to increase production.

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : कल मंत्री महोदय ने इस बात का दावा किया था कि उनकी खाद्यान्न सम्बन्धी नीति बुनियादी तौर पर सही है परन्तु उन्हें लोकतंत्रीय ढांचे के अन्तर्गत काम करने के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । परन्तु वस्तु-स्थिति इस से बिल्कुल भिन्न है। यदि हमारी कृषि नीति सही होती तो चार पंच वर्षीय योजनाओं के बाद और आजादी के 27 वर्ष बाद भी हमें विदेशों से खाद्यान्न का आयात न करना पड़ता, इससे सिद्ध होता है कि हमारे मूल दृष्टिकोण में कुछ त्रुटि है, जिस लोक-तंत्र की दुहाई दी जाती है उसमें आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हो रही है, लाखो लोग बेरोजगार है और भुखमरी का साम्राज्य है। क्या लोकतंत्र का यही अर्थ है कि केवल 10-15 प्रतिशत लोगों को लाभ पहुचाया जाये और 70 प्रतिशत लोग गरीबी से भी निम्न स्तर में रहने दिया जाये, यदि यही लोकतंत्र है तो जितनी जल्दी इस लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाये, वह देश के हित मे होगा।

हमारे देश में जो भूमि सुधार लागू किये गये है उनसे बडी जोतों को बढावा मिला है और छोटे काश्तकारों की स्थिति पहले से भी खराब हो गई है। काश्तकार और बटाईदारों की संख्या कम होती जा रही है। इतना ही नहीं, जो गरीब किसान खेती की उंची लागत का बोझ वहन नहीं कर सकते वे विवश हो कर अपनी जमीन बडे भू-स्वामियों को पट्टे पर दे रहे है । इस से स्पष्ट है कि वर्तमान खाद्य संकट सरकार की गलत नीतियो का ही परिणाम है। यदि सरकार खाद्य स्थिति में सुधार करना चाहती है तो सर्व प्रथम भूमि खेती करने वाले को दी जानी चाहिये। जमीनदार प्रथा समाप्त की जानी चाहिये। जो लोग खेती के काम में कोई योगदान नहीं देते उनसे भूमि छीन लेनी चाहिये। भूमिहीन गरीब लोगों को, जो वास्तव में खेती का काम करते है, भूमि बांटी जानी चाहिये। उनको भूमि देने के साथ साथ सिंचाई के साधन भी उपलब्ध करने चाहियें। सरकार की बडी सिंचाई योजनाओं के साथ-साथ छोटी सिंचाई योजनाओ को भी उचित महत्व देना चाहिये ।

श्री बृजराज सिंह कोटा (आलवाड) : भूमि को छोटे-छोटे भागों में बांट देना ही कम उत्पादन का प्रमुख कारण है, जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, हमारे देश में कृषि के विकास के लिये छोटी सिंचाई योजनाओं का सब से अधिक महत्व है। यहां पर अनाज के भण्डार बनाने की व्यवस्था बिल्कुल अपर्याप्त है । इसके साथ ही गरीब किसानों के लिये मंडियों तक अपना अनाज पहुचाने की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। सडके लगभग न होने के बराबर है । ऐसी परिस्थितियों में गरीब किसान निःसहाय रह जाते है। आज कल उर्वरक बहुत महंगे है अतः कार्बलिक खाद के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हमारे देश में वनों को उचित संरक्षण मिल सके। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33 प्रतिशत भूमि में वन होने चाहियें। परन्तु अखिल भारतीय स्तर पर वास्तव में यह 25 प्रतिशत है और राजस्थान में केवल 11 प्रतिशत है । वन से भूमि संरक्षण ही नहीं होतो बल्कि वनों ने मानव इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है । जहा वन नहीं रहे, वहां सम्पूर्ण सभ्यता का भी अन्त हो गया है। वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है परन्तु यह कागजी कार्यवाही मात्र नहीं रहनी चाहिये । कागजों मे दिखाया जाता है कि लाखो पोंधे लगाये गये है परन्तु वे कभी उगते दिखाई नहीं देते । सेंट्रल एरिड जोनस रिसर्च इन्स्टीटयूट अच्छा काम कर रही है परन्तु 15-20 वर्षों के बाद भी उनकी कोई ठोस उपलब्धि सामने नहीं आई। मैं चाहता हूं कि इस ओर अधिक ध्यान दिया जाय ।

वन्य पशु शरण स्थलों की देखभाल ठीक प्रकार की जानी चाहिये। वहां पर सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों के ढोर चराने के लिये भेज दिये जाते है। ग्रामीणों के अनधिकृत प्रवेश को रोकना चाहिये परन्तु उसके साथ ही उन सरकारी अधिकारियों को भी रोकणा चाहिये जो डाकुओं का मुकाबला करने के लिये उन क्षेत्रों में जाते है। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम तो संसद ने पास कर दिया परंतु उसके कार्यान्वयन के प्रति सरकार गंभीर प्रतीत नहीं होती। अतः सरकार को इस प्रकार के कानून बनाने ही नहीं चाहिये जिन्हें कार्यान्वित नहीं किया जा सकता अथवा किया जाना होता।

मंत्रालय के प्रतिवेदन में उल्लेख है कि मंत्रालय के पौध संरक्षण विमान विभाग ने 50 लाख एकड भूमि पर छिडकाव करना था परन्तु उसमे से केवल 6.2 लाख एकड भूमि पर ही छिडकाव किया जा सका। क्या यह कार्य छिडकाव करने वाले जहाजों की कमी के कारण नही किया जा सका अथवा विमान चालकों की कमी के कारण? यदि इसका कारण विमान चालक की कमी है तो देश के बेरोजगार वाणिज्यिक विमान चालको की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिये।

सरकार का एक कृषि उडान प्रशिक्षण स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। सरकार द्वारा यह बताया जाये कि यह स्कूल कृषि मंत्रालय के अधीन होगा अथवा नागर विमानन मंत्रालय के अधीन ?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद): 1952 में देश में खाद्यान्न का उत्पादन 500 लाख मी० टन था जबकि वर्तमान उत्पादन लगभग 1080 लाख मी० टन है। इसका अर्थ यह है कि उत्पादन में 108% वृद्धि हुई है। इसी प्रकार चीनी के उत्पादन में 450% वृद्धि हुई है। इसी प्रकार अन्य जिनसों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट है कि हमारी भूमि बहुत उपजाऊ है परंतु भूमि का यह उपजाऊपन निरन्तर कम होता जा रहा है परंतु मंत्रालय के प्रतिवेदन मे इस बात का कोई उल्लेख नही है। सरकार को भूमि की उत्पादकता में सुधार करने के उपाय करने चाहियें। वास्तव में पेडों के नष्ट होने के कारण हमें प्राकृतिक खाद उपलब्ध नहीं हो रही है जो कि कृषि के लिये बहुत आवश्यक है।

लगभग 30 वर्ष पूर्व देश में 50,000 शेर थे परन्तु आज उसकी संख्या केवल 2,000 है। सरकार को बताना चाहिये कि वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिये क्या किया जा रहा है।

गेहूं के थोक व्यापार को सरकारी हाथों में लेने की नीति को त्यागना बहुत ही सराहनीय पग है। चीनी के निर्यात का काम राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जा रहा है। यह एक बहुत ही अक्षम निकाय है। इससे पूर्व यह कार्य कृषि मंत्रालय के अधीन था उचित ढंग से हो रहा था। अब भी यह कार्य तत्काल मंत्रालय को सौंपा जाना चाहिये।

चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के समर्थन में कहते हुए बताया जाता है कि चीनी मिलों का कार्यकरण ठीक नही। परन्तु इसमें हमें यह नही भूलना चाहिये कि देश में अच्छी चीनी मिलें भी है। हमें हर वस्तु का राष्ट्रीयकरण नही करना चाहिये। हमने देखा है कि राष्ट्रीयकरण का क्या परिणाम निकलता है। व्यावहारिक अनुभव के आधार पर नीति में आवश्यकतानुसार परिवर्तन होना चाहिये। अव्यवस्थित ढंग से चलने वाले कारखानों को अवश्य ही सरकार को अपने अधिकरण में लेना चाहिये परन्तु सुचारू रूप से चलने वाले कारखानों को सरकारी नियंत्रण में नहीं लिया जाना चाहिये।

***श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** (अडूर) : हमारे देश के आर्थिक विकास में कृषि को बहुत महत्व है। देश के लगभग 80% लोग कृषि पर निर्भर है । अत: कृषि के सुधार के बिना हम देश में लोगों को भोजन नहीं दे सकते और न ही देश से गरीबी हटाई जा सकती है ।

आज हमारी सब से बडी समस्या यह है कि देश में उत्पादित खाद्यान्न का सरकारी वितरण अभिकरण के न होने के कारण वितरण नहीं हो सकता। सरकार ने खाद्यान्न के थोक व्यापार का सरकारीकरण किया परन्तु अब इस नीति को फिर से त्याग दिया गया है । इससे जन साधारण को पूंजीपतियों, थोक व्यापारियों और कालाबाजारी करने वालों की दया पर निर्भर होना पडेगा ।

सरकार ने कृषि में सुधार करने के लिये गत 26 वर्षों में कोई प्रारंभिक योजना तैयार नहीं की। केरल मे 1961 से पूर्व प्रारंभ की गई सिंचाई परियोजनाए आज भी अपूर्ण पडी है। सरकार को सिंचाई सुविधाएं बढ़ानी चाहिये और उत्पादन बढ़ाने के लिये अधिक उपज वाले बीज इस्तेमाल करने चाहिये । छोटे किसानों को अधिक सुविधायें दी जाने चाहियें। सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाने से देश के असंख्य बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे ।

केरल में लोगों को गंभीर संकट का सामना करना पड रहा है । केरल को खाद्यान्न के लिये पूरी तरह केन्द्र पर ही निर्भर रहना पडता है । फसल की कटाई के समय भी लोगों को पर्याप्त अन्न नहीं मिलता। राज्य में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार नहीं है ।

सरकार को लोगों को खण्ड स्तर पर समुचित प्रशिक्षण देना चाहिये जिससे कि किसानो को कम्पोस्ट खाद के उपयोग के लिये समुचित सलाह दी जा सके। रासायनिक खाद की कमी की दृष्टि से इसका बहुत अधिक महत्व है।

केरल में धान की फसल पर कीडों का प्रकोप हो रहा है । सरकार को इन के फैलाव को रोकने के लिये कीटनाशी दवाओं के छिडकाव का प्रबंध करना चाहिये ।

सरकार को छोटे तथा मध्यम श्रेणी के किसानों को सहकारी अभिकरणों के माध्यम से रासायनिक उर्वरक और अधिक उपज के बीज उपलब्ध करने चाहियें। उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिये हर प्रकार की सहायता दी जानी चाहिये। बडे बडे जमींदारो से, बिना हर्जाना दिये, फालतू जमीन ले ली जानी चाहिये और इस भूमि को गरीब किसानों और खेतिहर मजदूरों को बांटा जाना चाहिये ।

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : About three fourth of our population is broadly dependent on Agriculture and agriculture contributes 46% in the national income.

For a long time we have been making efforts to develop our agriculture in such a manner which may not be affected by vagaries of nature. Yet our efforts have succeeded in arranging irrigation through canals and wells an area of abou' 4 crore hect. out of total agricultural land of 16 crores hectares.

---

* मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर ।

* Summrised Hindi version of the English translation of the speech delivered in Malyalam.

It has been said that it is very sad that even after 27 years of independence we have to import foodgrains to feed our people. In fact we should not forget that the area of our country is 2.4% of the total area of the world and on the other hand our population is 15% of the world population. Though there has been increase of about 250 lakh tons in production of foodgrains during 1961-71 yet per capita availability of foodgrains has remained steady due to rise in population.

Production of milk has also increased during the last decade. But due to increase in population of the country per capita availability came down to 110.2 grams in 1973-74 from 115 grams in 1961-62. Efforts are being made to increase per capita availability upto 123.8 grams by 1978-79.

The target for foodgrains production by the end of the 5th Five Year Plan has been fixed at 14 crore tons. Efforts would also be made to bring 4 crore hectares area under high yielding variety crops. If the country is able to achieve this target we could not only become self-sufficient in the field of foodgrains but we could be able to build up some reserve stocks. This self-sufficiency would go a long way in eradicating poverty. Various schemes are also being prepared to raise the income of farmers, agricultured labour, etc. During the 5th Five Year Plan we propose to spend an amount of more than Rs. 10,000 crores on agriculture and irrigation facilities.

A separate programme was undertaken during 1970-71 for Drought affected areas. During the year 1973-74 an amount of Rs. 84.5 crores would be spent on this programme. Efforts would be made to develop irrigation facilities, soil conservation, afforestation, improving the crop pattern and making arrangements for drinking water during the fifth five year plan. Assistance would be provided to small and marginal farmers and agricultural labourers. Guidelines have been issued to State Governments to formulate schemes under this programme. An amount of Rs. 334 crores would be spent on this programme. Half of this expenditure would have to be shared by the State Governments. In addition a separate provision of Rs. 20 crores has been made for medium Irrigation Schemes. Institutional credit would also become available for some schemes.

About 7.5 crores acres area of India is covered under forests and this area forms about 22.7% of the total area. In U.S.A. forests comprise 31.6% of its area and in U.S.S.R. and Japan it is 49% and 69% respectively. So far as our forest policy is concerned there was a recommendation that 33.30% area should be kept reserved for forests. In our country revenue from forests is not much because neither adequate provision is made in our Plans for expenditure on forests nor the amount required to be spent on them has been spent. An amount of Rs. 190.50 and 118.50 per hectare is invested by Japan and Korea, respectively on forests, whereas in our country we invested an amount of Rs. 2.40 per hectare. With adequate provision we could increase production in forest-based Industries.

Since 1951 we have de-forested an area of 34 lakh hectares. National Development Council considered this problem and came to the conclusion that no forests should be cleared to bring more area under agriculture.

It is not correct to say that production of milk is coming down. However, there is no doubt in it that per capita availability of milk in the country has come down to 110.2 grams in 1973-74 from 137.9 grams in 1956-57. Increase in population of the country is the reason for this. Production of milk increased at the rate of 0.9% whereas population increased at the rate of 2.3%. It is now proposed to increase this availability to 123.8 grams by the end of the Fifth Five Year Plan.

Two new Milk Producing Plants were set up in Gujarat and Haryana during the year. Number of Dairy Units also increased to 141 from 132. National Dairy Development Corporation has estimated a demand of 7 lakh litres of milk in Delhi. Presently Delhi Milk Scheme is supplying about 3 lakh litres of milk daily. This

[Shri B. P. Manya]

capacity is being increased to 3¾ lakhs of litres per day. It is also proposed to set up another dairy in Delhi involving an expenditure of Rs. 4.71 crores. This dairy would distribute 4 lakhs litres of fresh or powdered milk per day. We are also taking measures to enable small farmers or agricultural labourers to raise bank loans for the purchase of cows, etc. so that they could supply milk directly to our dairies. The question of replacing glass bottles in D.M.S. is also under consideration of the Government. This is being done to avoid complaints about their being foreign material in milk bottles.

Many a time it is said that the Government had not paid any attention to the small farmers as they can not raise loans from banks. In fact it is not so. Public financial institutes have been adopting a clear cut policy to give loans to poor and small farmers. One third of the amount being paid to farmers through cooperatives is going to farmers possessing land below 5 acres. During the Fifth Five Year Plan this percentage would go upto 40%. An amount of Rs. 20 crores had been distributed amongst small farmers through agricultural co-operatives and commercial banks during the last financial year upto February 1974.

Production of sugar increased to 38.73 lakh metric tonnes during 1972-73 from 31.13 lakh m. tonnes during 1971-72. It is expected that this year production of sugar would be about 42-43 lakh m. tonnes. The quantity of the sugar to be exported is deferred keeping in view the domestic requirement and international market trends. However it can be assured that we would earn large foreign exchange from sugar export during the next year.

So far as the question of nationalisation of sugar mills is concerned, the Government had set up a Sugar Commission in 1970. The Report of the Commission has been received but it is not a unanimous report in favour of nationalisation. The Government is considering all the aspects and take the decision which would be in the larger interest of cultivators, labourers and the country at large. It is correct that under the pretext of recovery the mill-owners continued to exploit the sugar cane growers. There is no satisfactory machinery to test the recovery. The Ministry is thinking over the matter very seriously. It is also to be seen that the dues to be paid to cane-growers by the mill-owners are brought down as much as possible.

[श्री नवल किशोर सिंह पीठासीन हुये
SHRI NAWAL KISHORE SINGH *in the Chair*]

I feel that the time limit of 15 days for dues to be paid to cultivators should be further reduced.

The shortage of Vanaspati oil is due to scarcity of raw material and power shortage. Another reason of the shortage in Delhi is strike in D.C.M. Plant which produces 60-65% requirements of Delhi. The installed capacity of Vanaspati Mills in the country is 11.76 lakh ton whereas they are producing 4 to 5 lakh tons only. The Mills are not running on half the capacity. The Government is thinking in terms of bringing down the installed capacity of those Mills which do not make of adequate production.

Distribution system is also not effective. But we have no control over it. It comes under State Governments jurisdiction. It has been stated that oil seeds should be imported instead of oil. But Government does not feel it possible as it not economical.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : कृषि को हमने आज तक उचित प्राथमिकता नहीं दी है। इसका यह अर्थ नहीं कि विभिन्न योजनाओं एवं अन्य प्रतिवेदनों आदि में मंत्रालय के कार्यकरन के विभिन्न पहलुओं पर पर्याप्त बल नहीं दिया गया। लेकिन सब से अधिक आवश्यकता ईमानदारी से कार्यान्वियन की है जिसकी आज कमी है। किसी भी देश के विकास के लिये उद्योग और कृषि का साथ साथ विकास बहुत जरूरी है। परंतु हमारे देश में आज इस बात की आवश्यकता है कि आने वाले 5—10 वर्षों में कृषि करों पर अधिक महत्व दिया जाये। भारतीय किसानों परम्परागत और रूढीगत ढंगें छोडने और आधुनिक तरीके अपनाने की शिक्षा दी जानी चाहिये। परन्तु इस दिशा में अधिक प्रयास नहीं किये जा रहे। कृषि के आधुनिकीकरण की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाये और इसे उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से गहन कृषी विकास कायक्रम चल रहा है जिसके अन्तर्गत किसी जिला विशेष का चयन करके वहां खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया जाता है। मंत्री महोदय को ब्यौरे से यह बताना चाहिये कि इस कार्यक्रम में कितनी सफलता प्राप्त हुई है।

इस बात से बहुत ही दुख: होता है कि देश में सिचाई सुविधाओ को तेजी से और समुचित रूप से विकास नहीं किया जा रहा। नर्मदा जल के विवाद के कारण नर्मदा परि-योजना कार्यान्वित नहीं हो पा रही यदि इस विवाद का शीघ्र निपटान कर दिया जाये तो इससे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों को लाभ प्राप्त होगा। इस के निपटारे के बिना इसके पानी के फालतू जाने को भी नहीं रोका जा सकता।

कच्छ में दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहां पर लगभग 1 हजार गांव है जिनमें लगभग $6\frac{1}{2}$ लाख लोग रहते है। इनमें से लगभग 650 गांव अभावग्रस्त अथवा अर्ध अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जा चुके है। पिछले 27 वर्षों में वहां पर 12 बार दुर्भिक्ष पड चुका है। लोगों की कठिनाइयों को दूर करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। यह बहुत ही दुख की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक पेय जल के पर्याप्त प्रबंध नहीं किये जा सके है।

कृषि विश्वविद्यालयो को अल्पावधि में परिणाम देने वाली परियोजनाओं के लिये अधिक धन देना चाहिये। इससे धन का अधिक उचित उपयोग होगा। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद अथवा अन्य अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजनाओं के अन्तर्गत गुजरात कृषि विश्व विद्यालय परियोजनाओं की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये।

भारतीय कृषि कई वर्षो से उपेक्षित रही है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने जय किसान का नारा दिया यह नारा केवल कागजी नारा ही रह गया है। परन्तु इस स्थिति को हमें सुधारना है।

Shri Chandulal Chandrakar (Durg): It is very sad that inspite of our land being fertile and our farmers being hard workers we have not been able to attain self-sufficiency in the field of food-grains. Agriculture falls under the jurisdiction of State Governments. Hence the responsibility in this regard lies on them. But even then the Central Government also can not be absolved of the responsibility. Government officers do not pay required attention towards development of agri-culture. Adequate funds are not allotted. And then benefits of the research work being done by various Research Institutes does not reach villages. While formulating schemes and programmes farmers are never consulted. Attention should be paid towards all these things.

[Shri Chandulal Chandrakar]

There is a need to educate the farmers about new methods of agriculture and use of modern agricultural equipment. There is also a need to set up Multi-purpose Demonstration farm for a fixed population, where farmers could be given training and told about rotation of crops, use of chemical fertilizers, pesticides, etc. Arrangements should also be made for soil testing. In fact these farms should provide all kind of guidanace to farmers.

Teachers and students of Agricultural Universities should be provided with a Mobile Van with a Testing Laboratory. They should go to villages and do on the spot soil testing and educate farmers about different fertilizers for different kinds of soils, crops pattern etc. so that farmers could make best use of their land and resourses.

Power is supplied at concessional rates for Industries but for agriculture the rates are many times more. Agricultural Ministry should advice the State Governments to supply power to farmers at cheap rates. If the farmers have to pay more for agricultural inputs his cost of production would also go up.

Such persons should be appointed in Agricultural Price Commission who understand the difficulties and problems of farmers. At present the prices are fixed by this Commission on its experience in the States of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. This creates bitterness in other areas.

We should make the rivers more deep by using dredgers. It would help in more intake of waters which could be used for irrigational purposes. More Dredgers and Rigs are needed for this purpose. In Madhya Pradesh there are about 150 Rigs whereas it needs about 1000 Rigs. Attention should be paid towards this.

Madhya Pradesh produces a large quantity of rice and it is supplied to other states as well. But proper price is not being given to it for its rice for a number of years. I would request the Minister to see that injustice is not repeated in future.

There are vast forests in Bastar, Surguja, etc. areas of Madhya Pradesh. But no policy has been formulated for their development. These forests are being cleared without taking into consideration the feelings of local people. I would request that while formulating policy this aspect should be taken into account.

Madhya Pradesh is a vast area. There is no Agricultural Research Centre over there. A Research Centre should therefore be set up there. A State Dairy Farm could also be set up in Bastar area, where there were vast grassy lands.

Attention should also be paid towards distribution of chemical fertilizers and see that Madhya Pradesh gets its proper share. Special attention should be paid to provide loans to small farmers and landless labourers.

Shri Sadhu Ram (Phillaur): It is necessary for the development of the country that condition of lower classes of society is improved and they are provided with agriculture land.

There is a surplus land available in the country but due to loop-holes in the Rules landless people have not so far been provided with the land. This is adversely affecting food-production in the country. The Government should see to it that surplus land is distributed to landless labourers expeditiously.

There are large tracts of unused land in our country. 17 lack hectares of land reserved for forests is lying surplus. Similarly, thousands of acres of land is lying on both sides of Railway tracks. Water logged land could also be put to agricultural uses. There is village Panchayat land, custodian land, etc. All this land should be brought under the plough and distributed to landless for increasing production of foodgrains.

The Government has failed to supply agricultural inputs to farmers. Farmers do not get fertilizers, water, tractors and other inputs. Farmers have to wait for years to get a tractor. Previously tractors could be obtained as gift from Indians overseas, but now restrictions have been put on this. Similarly, fertilizers are in short supply. If the Government is unable to make available adequate fertilizers it should make efforts to popularise cowdung and compost manure.

The Government also indulges in profiteering. It had procured wheat at the rate of Rs. 76/- per quintal but is selling the same at the rate of Rs. 136/-. Now the Government has raised the procurement price but the role of middlemen has again been allowed by the Government. In the circumstances, prices are bound to rise. The Government should supply foodgrains to weaker sections at subsidised rates.

The Government should take into account the production of foodgrains and other essential commodities in the country and then ask the Railways, Public Sector and Private Undertakings and factories to make arrangements to supply essential commodities to its employees at reasonable prices. It would bring down prices and it would remove the resentment prevailing against the Government.

Shri Sukhdeo Prasad Verma (Nawada): It is a fact there is a shortage of foodgrains in the country. The Ministry of Agriculture has a great responsibility in this regard. I would like to know the arrangements made by the Ministry of Agriculture with regard to land, irrigation, fertilizer, capital and labour. These are the necessary inputs for the agriculturist to increase production. Ours is an agricultural country. It is, therefore, high time that the Government paid attention towards these factors.

The State of Bihar is passing through a very difficult situation due to price rise, corruption and unemployment. There is 428 lakh acres of land in Bihar which can be brought under cultivation. The Government had proposed to provide irrigation facilities in only 51.61 lakh acres during the 4th Plan. The actual success achieved in this regard is not known. But even if it be 100 per cent, we have to think whether we would be able to feed the increasing population if we go at this rate?

In Bihar, most of the holdings are of less than 5 acres. This thing is also coming in the way of increasing production. It is, therefore, necessary that consolidation of holdings be done and completed at the earlist. No doubt the work has started, yet the pace is very slow. This work should be taken up on a war footing.

82.27 per cent of the population of Bihar depends on Agriculture. As adequate irrigation facilities do not exist, the farmers are without any work for almost half of their time. There is a shortage of 7 lakh tons of foodgrains in Bihar according to official figures. What to talk of Rural areas, in Gaya City only five ounces of food is given in one month. In these circumstances, we cannot expect peace in the State. Arrangements should be made to send adequate quantities of foodgrains from other States otherwise agitations are bound to take place in the State. The State Government has come to a standstill. Hence, the Central Government should not depend on the State Governments and take concrete steps to improve the situation.

The Minister has said that irrigation facilities would be provided by providing tube-wells. A Tube-well Corporation had been set up, but it has not worked properly. There were a number of tube-wells in Gaya District. The Chairman and the Deputy Chairman of the Corporation got all those tube-wells removed and installed them in their constituencies. But there all those tube-wells are lying unused. There cannot be any improvement in the State in these circumstances.

[Shri Sukhdeo Prasad Verma]

So far as loans to farmers are concerned, the figures of the loans given by the Nationalised Banks through Co-operative Societies have been given. But, in fact, the trouble is that these societies have become 'Pocket Institutes' of certain categories of people. Loans are given only to the favourites. Small people are even denied membership of these societies. Some officers should be deputed there to study the position and check the misuse of public money.

श्री नटवरलाल पटेल (मेहसाना) : हमारे देश में बहुत से उद्योग है कृषि को भी उनके साथ एक उद्योग माना जाना चाहिये। जब तक इसे उद्योग के रूप में उचित महत्व नहीं दिया जाता तब तक कृषि क्षेत्र के साथ पर्याप्त न्याय नहीं हो सकता। देश की लगभग 80 प्रतिशत जनता कृषि के द्वारा जीविका उपार्जन कर रही है फिर भी इसके प्रति हमारा उपेक्षा का व्यवहार है।

किसानों को आज अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है उन्हें उचित समय पर उर्वरक उपलब्ध नहीं होता। उर्वरकों का मूल्य भी बहुत अधिक है। उर्वरको का व इसके लिये कच्चे माल का आयात होता है। इससे उसकी मूल्य वृद्धि स्वाभाविक है परन्तु हमें किसान की क्षमता को भी देखना होगा कि क्या वह इतना अधिक मूल्य देने में समर्थ है। इस दृष्टि से यह मूल्य वृद्धि औचित्यपूर्ण नहीं है। यदि उर्वरकों के मूल्य के बारे में कुछ नहीं किया गया तो सारी कृषि व्यवस्था नाष्ट हो जायेगी। किसान इतने अधिक मूल्य पर उर्वरक नहीं खरीद सकता अत: यदि मूल्य घटाया नहीं जा सकता तो सरकार को उर्वरक खरीदने के लिये राज सहायता देने के प्रश्न पर विचार करना होगा।

देश में गुजरात सहित ऐसे अनेक राज्य है जिनमें किसानों को आवश्यकता के अनुसार बिजली नहीं मिल रही। इसके कारण किसानों को पेट्रोलियम उत्पादों का सहारा लेना पड रहा है। उनके मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है कि किसान इस भार को वहन करने में असमर्थ है। इस सब का कृषि पर प्रभाव पड रहा है, देश का विकास क्यों कि कृषि पर निर्भर करता है अतः हमें इस के विकास के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध करना होगा। इसके बिना सफलता प्राप्त नहीं हो सकती।

गुजरात में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वहां पर पूर्णतया वर्षा पर निर्भर रहना पडता है। इसी कारण वहां पर हर दूसरे वर्ष सूखा पडता है। इस समस्या को हल करने के लिये प्रधान मंत्री को नर्मदा जल विवाद के बारे में अपना निर्णय यथा-संभव शीघ्रता से देना चाहिये। शीघ्रता के विचार से ही यह विवाद प्रधान मंत्री को सोंपा गया था। अतः यदि शीघ्र निर्णय नहीं दिया जा सकता तो उसे इस शर्त पर न्यायाधिकरण को वापस सौंप देना चाहिये कि इस मामले पर एक वर्ष में निर्णय कर दिया जाये। इस योजना को कार्यान्वित करने से न केवल गुजरात को ही अपितु इससे देश भर को लाभ होगा। इससे देश में खाद्यन्न उत्पादन में वृद्धि की जा सकेगी।

Shri Ram Bhagat Paswan (Rosera): The Green revolution can come in the country only when the landless are given land and actual tiller is made the owner of the land. So far, this has not been done and it has increased economic disparities. Even to-day, big landlords are having their influence in the villages as well as in the cities. This situation has to be improved.

It is a pity that those who know farming have no land and those who own land, have no knowledge about agriculture. The Government has not done anything concrete to remove this disparity. Agriculture can not develop in the country in these conditions.

The land ceiling measures are not being properly implemented. The surplus land should be distributed amongst landless poor people. The Government should announce a time-limit within which it intends to distribute the surplus land to the poor.

There are a number of Rivers in Bihar. The Government should make arrangements to use their waters for irrigation purposes.

The farmers are not getting adequate agricultural inputs, which is affecting the agricultural production. Poor people are lacking in financial resources. Hence, Co-operative Societies should be set up to ensure supply of inputs to the agriculturists. Agro-based Cottage Industries should be set up in rural areas to enable the poor to supplement their income. Steps should also be ensured to give minimum wages to agricultural labourers.

Shri Jagdish Narayan Mandal (Godda): This Ministry's performance in the field of agriculture deserves appreciation, though it is a different thing that there have been natural calamities and other difficulties during the last two years. There has been famine in 7 States but the Government maintained the supply of food-grains to the people of affected states.

It is very disappointing that the Government has reserved its decision about takeover of wholesale trade in wheat. If some States had not co-operated and procured the required quantity, the Central Government should have firmly dealt with them instead of retreating its steps.

In Bihar, during procurements, only small and poor farmers gave their produce as levy at the fixed rate of Rs. 80 or Rs. 82 per quintal. The bigger farmers purchased the produce of these farmers and hoarded it. They are now selling the same at Rs. 2.50 per kilo. In Santhal Pargana area, the small farmers, who are Harijans and Adivasis, gave their quota of levy. But now no foodgrains were left with them for their own requirements.

The distribution system is faulty. Unless it is changed, conditions would not improve. The Government policies are not properly implemented. It should be ensured that poor get the foodgrains at a reasonable price. If it is not ensured, there would be turmoil in the whole country.

Irrigation facilities exist in Bihar only for 12-14 per cent of agricultural land. In Santhal Pargana area these facilities exist in 2-3 per cent area only. There is plenty of water in Bihar but arrangements have to be made by providing lift irrigation by digging wells or by constructing Dams over Rivers. Steps should be taken in this regard.

Damoh Koh area of Santhal Pargana District is surrounded by hills, where 'Pahariya' people live. They participated in 1942 Movement in a big way and went to jails. The Government has not paid any attention towards their development. They used to cultivate hilly land but now those hills have declared forests and they have been left without any means of livelihood with the result that their population is decreasing at a rapid speed. There is fallow land below these hills. They may be given this land so that they can earn their livelihood.

As per Tenanoy Act, land cannot be sold or mortgaged in Santhal Pargana area. The law should be so amended as to allow the people to mortgage their land to raise money for agricultural purposes.

Dr. Govind Das Richhariya (Jhansi): All the programmes for development of agriculture need to be taken up on war-footing. It is only through Agriculture that we can remove poverty. Necessary funds should be provided by the Planning Commission for this purpose.

[Dr. Govind Das Richhariya]

The State Governments have not fully implemented land ceiling laws. A specific time-limit should be fixed to give effect to these laws and by that time surplus land should be distributed among the landless. At present, the pace of land reforms is very slow. This should be expedited.

Consolidation of land holdings is very important for increasing agricultural production. This work is also going on very slowly. It should be completed by the end of the Fifth Five Year Plan. The work of soil conservation should also be stepped up. Levelling of land should also be completed to increase agricultural production.

Even after passage of such a long time after independence, we have not been able to declare water as a 'National Property'. A number of River Water Disputes are pending. Due to these disputes, the water which could be utilized for irrigation purposes is going waste. Such disputes should be settled at an early date.

All the water disputes relating to Bundelkhand area have been settled between U.P. and Madhya Pradesh but even then the work has not been fully taken up in implementation of the Agreement. The work on Rajghat Project on River Betwa was taken up but due to certain differences cropping up, the work has been held up.

The programmes for development of agriculture should be taken up on was-footing. This job should not stay due to disputes among States and other reasons.

In respect of irrigation a country wide survey is necessary. Mobilisation and utilisation of all the available water resources is called for.

The Government deserves congratulations for the progress made by Green Revolution. But no progress has been made in the sphere of white revolution.

The work of implementing irrigation and power projects should be given top priority as irrigation and power are of urgent importance for development of agriculture. There is need for formulation of big projects on those rivers which flow permanently.

Shri Chandra Shailani (Hathras): The food situation today is very critical and the prices of essential commodities have been speedily rising. Due to scarcity of foodgrains and rise in prices violence has been created throughout the country. The trouble today is not only prevalent in the national sphere but is a world wide phenomenon.

The farmers have to put in very hard labour in the production of foodstuffs. The wheat crop this year has been damaged in most parts of North India. The Government should carry out survey to find out as to where the farmers have sufferred the most. A special cell should be established to go into the difficulties of the farmers and to help them as may be needed.

The Government has totally changed its wheat policy this year. If the Government is to purchase wheat from the farmers at the rate of Rs. 105 per quintal it should be purchased direct and the role of middlemen be done away with. The Government is not likely to achieve its target of wheat procurement. The Government should immediately review its policy and make such arrangements as may help the farmers and the people at large.

The land reforms are confined only to paper. The tiller has not been given possession of the land. Without doing that the talk of land reforms is meaning less.

Too much is being said of the facilities being given to the scheduled castes. But the fact is that so far no land has been given to these people. So long as the present administrative set up is not changed these people would not get any land. The Government should consider this matter seriously.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu): It can not be denied that in the sphere of agriculture a great lot has been done during the last 20 years. New experiments with seeds have been made. The use of fertilizers and means of irrigation have been enhanced. The area under cultivation has also been raised by 25% during the last 15 years.

But the farmer has not been able to get the benefits out of it. The agricultural indebtedness has increased. Even the repayment capacity of the farmers is declining.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रख सकते है।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 24 अप्रेल 1974/4 वैशाख 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on ***Wednesday, 24th*** *April* 1974/*Vaisakh* 4, 1896 (*Saka*).

GIPN—S3—17 L.S.S /74—26-8-74—490

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1—M296LSS/74